खण्ड-488, अंक-6
बुधवार, 07 फाल्गुन, शक संवत् 1935
(26 फरवरी, 2014 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2014)

(खण्ड 488 में 6 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2013

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
प्रश्नोत्तर	7-64
कार्य-सूची के नत्थी (ग) के तारांकित प्रश्न सं0-1 को दूसरे सोमवार के तारांकित प्रश्न सं0-8 पर स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	64-65
दिनांक 16 जुलाई, 2009 को प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी के आवास में हुई आगजनी के सम्बन्ध में शासन की ओर से कृत कार्यवाही दिनांक 25 फरवरी, 2014 की सूचना के सम्बन्ध में जानकारी की मांग ...	65
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें	66-70
जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र अमांपुर के मार्गों का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	70
जनपद बस्ती के कतिपय जर्जर मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	71
प्रदेश के राजस्व विभाग के पुराने दस्तावेज, जिनका किन्हीं कारणोवश विधिमान्यीकरण नहीं हो पाया है, का विधिमान्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	71
लखनऊ नगर के मोहल्ला आलमबाग में मानक नगर स्टेशन से पूरन नगर तिराहे, कानपुर रोड की सड़क पर स्थायी एवं अस्थायी अवैध निर्माण कर किये गये अतिक्रमण को हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	72
जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान की जीर्ण-शीर्ण सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	72
प्रदेश की बी0 टेक0 एवं अन्य उच्च श्रेणी की कक्षाओं के पात्र छात्र-छात्राओं को वर्ष 2013-2014 का वजीफा न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	73
जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर से अहरो-शीशगढ़ मार्ग के जर्जर होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	73
जनपद इलाहाबाद में सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसरों पर चोरी करने वाले गिरोह को पकड़ने तथा पूर्व में हुई चोरियों का सामान बरामद किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	73-74
जनपद बांदा के कतिपय जर्जर मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	74-75

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा अन्तर्गत माघी-नौतार बंधे पर जल निकासी हेतु साइफन का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	75
कानपुर महानगर के कतिपय क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	75
जनपद शाहजहांपुर के ग्राम उदयपुर कटैया की कृषि भूमि गाटा संख्या-833 रकबा 0.0065 की भू-स्वामिनी को अपनी भूमि पर बाउन्ड्रीवाल बनाये जाने हेतु प्रशासन का सहयोग प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	76
विधान सभा क्षेत्र निघासन में स्थित सरयू सहकारी चीनी मिल बेलरायां में कृषकों का जमा धन अवमुक्त करके महाविद्यालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	76-77
जनपद आगरा में बोदला चौराहे पर लगने वाले जाम से निजात हेतु उपरिगामी सेतु का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	77
जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम योजना एवं डा0 जनेश्वर मिश्र योजना अन्तर्गत हुए निर्माण कार्यों में व्यापक अनियमितता के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	77
कानपुर महानगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र स्थित बाबूपुरवा श्रमिक कालोनी में व्यापक सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	77-78
जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर अन्तर्गत राजस्व गांव खमिरया में जलप्लावित भूमियों पर हो रहे अवैध कब्जों को हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	78
राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण रोजगार योजना में कार्यरत कर्मियों का समावेशन किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	79
जनपद बहराइच के अन्तर्गत जिला मुख्यालय पर स्थित 'न्यायालय सिविल जज अवर खण्ड कैसरगंज' को तहसील मुख्यालय पर स्थानान्तरित न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	79-80
जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड सिकन्द्राबाद के धमैड़ा नारा फौलादपुर तथा चंगोली मोड़ हुसैनपुर सम्पर्क मार्ग से वैलान सम्पर्क मार्ग के क्षतिग्रस्त होने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	80

विषय	पृष्ठ-संख्या
वाराणसी नगर में गंगा तट से 200 मी0 के दायरे में जर्जर भवनों को मरम्मत हेतु अनुमति पर प्रतिबन्ध से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	80-81
प्रदेश के लोकतंत्र सेनानियों हेतु पेंशन राशि तथा अन्य प्राप्त होने वाली सुविधाओं हेतु सरकारी गजट बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	81
गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद के गांव महाराजपुर में जल निकासी हेतु नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	81
गाजियाबाद के सुदामपुरी मलिन बस्ती की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	81-82
जनपद फिरोजाबाद में धन आवंटित होने के बाद भी ग्राम प्रधान पेयजल योजना शुरू न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	82
जनपद बस्ती के विकास क्षेत्र सांउघाट अन्तर्गत ग्राम पंचायत छपिया मन्झरिया को आवागमन हेतु पक्की सड़क से जोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	82-83
प्रदेश में राष्ट्रीय बालश्रम योजना के अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों को शिक्षा मित्रों के समान शिक्षक का दर्जा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	83
जनपद देवरिया अन्तर्गत नगर पंचायत मझौली में काली मां के स्थान पर पुल का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	83
कानपुर नगर में मीरपुर रोड को मिलने वाली अर्रा रोड की रिपेयरिंग कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	84
जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड जहांगीरगंज में नवीन नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	84
जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र हैदरगढ़ में मण्डी समिति द्वारा निर्मित सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	84-85
जनपद मुरादाबाद की बरी चौराहे से छाबड़ा मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	85
जनपद बलिया में घाघरा नदी के दरौली घाट पर पीपे का पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	85-86

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड की पेयजल समस्या का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	86
कुशीनगर, महाराजगंज को जोड़ने वाली छोटी गण्डक नदी खेटही काशी छपरा घाट पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	86
जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र वृन्दावन के कतिपय इलाकों का सर्वांगीण विकास किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	86-87
जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	87
जनपद मीरजापुर के लापता श्री अरूण कुमार का पता लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	88
जनपद मेरठ में देववती देवी वीरेन्द्र कुमार रा0इ0का0 में छात्राओं के बैठने हेतु फर्नीचर की समुचित व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	88
जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज में दैवी आपदा राहत निधि के अन्तर्गत कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	88-89
जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र के स्याना के अन्तर्गत ग्राम-जड़ौल की अस्थाई पुलिस चौकी को स्थाई/रिपोर्टिंग चौकी पूर्ण अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	89
जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड बल्दीराय की ग्राम सभा में गोमती नदी से हो रही कटान को रोके जाने हेतु समुचित व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	90
जनपद देवरिया में मा0शि0प0 के अन्तर्गत संचालित शहीद रामचन्द्र इण्टर कालेज, बसन्तपुर घोसी तरकुलवा में प्रचारक पर तैनात कर्मियों का लम्बित एरियर का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	90
जनपद आजमगढ़ की कतिपय जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	91
जनपद सहारनपुर में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए कतिपय मार्गों के मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	91
लखनऊ महानगर के आलमबाग मोहल्ले में व्याप्त जल भराव की समस्या का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	92

विषय	पृष्ठ-संख्या
लखनऊ महानगर में निशातगंज रेलवे क्रासिंग के पास उमराव सिनेमा चौराहे तक की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	92
जनपद गाजियाबाद की निर्माणाधीन आवासीय वाणिज्यिक टाउनशिप में मांग के अनुरूप विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	92-93
जनपद मुरादाबाद की कांठ विधान सभा में राजकीय आई0टी0आई0 की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	93
जनपद हमीरपुर के राजकीय इण्टर कालेज, राठ के जर्जर भवन के स्थान पर नया भवन बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	93-94
जनपद फैजाबाद की तहसील सदर में दबंगों द्वारा असहाय महिला के मकान में किये गये अवैध कब्जे को मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	94
जनपद लखीमपुर के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा में सुजई कुण्डा में पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	94-95
जनपद लखीमपुर के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा में ग्राम अकठी से परौरी तक के मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	95
जनपद लखीमपुर के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा के विकास खण्ड ईसानगर के अन्तर्गत ग्राम काजीपुर के कब्रिस्तान पर अवैध तत्वों द्वारा किये गये कब्जे को मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	95
जनपद लखीमपुर के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा त्रिकौलियां के कब्रिस्तान पर अवैध तत्वों द्वारा किये गये कब्जे को मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	96
जनपद मिर्जापुर के अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं हेतु इण्टरमीडिएट/डिग्री कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	96
जनपद सीतापुर के विकास खण्ड हरगांव के कतिपय क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	96-97
जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन के राजस्व ग्राम मुड़ाडाढ़ की विद्युत समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	97
जनपद लखीमपुर के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित सड़क के क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	97-98

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद गोरखपुर तहसील गोला के अन्तर्गत खखाइजखोर में 33 के0वी0ए0 का विद्युत सब-स्टेशन बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	98
उत्तर प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत अनुदेशकों को विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	98
जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र गोवर्धन के उप जिलाधिकारी द्वारा की जा रही राजस्व हानि की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	98-99
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ में व्याप्त पेयजल एवं सिंचाई की समस्या का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	99
आगरा शहर के कतिपय क्षेत्रों में व्याप्त जल निकासी की समस्या का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	99-100
जनपद हरदोई निवासी श्री रामकुमार के भू-खण्ड संख्या-144 पर दबंगों द्वारा किये गये अवैध कब्जे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	100
जनपद बलिया के अन्तर्गत पड़ने वाली टोंस नदी के किनारे बंधा एवं ठोकर बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	100
आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बाउन्ड्रीवाल बनवाने एवं पेयजल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	101
जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर के मुख्य मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	101
जिला उन्नाव के ब्लाक आसोहा के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों को मुख्य सड़क से जोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	102
झांसी-कानपुर मार्ग पर परिवहन विभाग की मिलीभगत से की जा रही अवैध लोडिंग से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	102-103
जनपद चित्रकूट में व्याप्त विभिन्न विद्युत समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	103
जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय अन्तर्गत ग्राम सभा गौरी विन्द पुरवा एवं परामनन्दपुर वजहा में गडई नदी पर पुलिया बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	103
जनपद इलाहाबाद के थाना करछना में दर्ज मु0अ0सं0-343ए/2013 में निष्पक्ष कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	103-104
जनपद शाहजहांपुर के राजस्व अधिकारियों द्वारा की जा रही अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	104

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद आगरा के कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	104-105
जनपद बदायूं के कतिपय ग्रामों के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन विद्युत लाइन को हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	105
जनपद बिजनौर के ग्राम पाडली माण्डू में गागन नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	106
जनपद बिजनौर के कतिपय ग्रामों के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन विद्युत लाइन को हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	106
महानगर बरेली में आई0बी0आर0आई0 गेट से डेलापीर तक की रोड का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	106-107
प्रदेश के वित्तविहीन विद्यालयों में तैनात शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों को शासन स्तर से वेतनमान एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	107
उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन जनपद लखनऊ के प्राथमिक विद्यालयों में जून, 2013 से तैनात पात्र सहायक अध्यापकों को प्रोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	107-108
जनपद फिरोजाबाद में नगरपालिका परिषद् में गिरते हुए भू-गर्भ जल स्तर से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	108
जनपद मथुरा की तहसील मथुरा के अन्तर्गत होने वाली भूमि/मकानों की रजिस्ट्रियों से प्राप्त 2 प्रतिशत विकास शुल्क का उपयोग विकास कार्यों में ही किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	109
जनपद लखनऊ के मोहल्ला सुतरखाना मकबूलगंज में जर्जर विद्युत लाइन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	109-110
गोरखपुर महानगर के वार्ड नं0-69 में जल भराव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	110
जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज की कतिपय जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	110-111
लखनऊ महानगर के हाता रामदास बगिया, सदर निवासी सहित विद्युत रीडरों द्वारा बिल पर्ची न दिये जाने तथा अन्य विद्युत समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	111
उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के निदेशक मण्डल द्वारा विगत चार वर्षों से निगम कर्मियों को बकाये एरियर का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	111-112

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद सिद्धार्थनगर के कतिपय ग्राम प्रधानों द्वारा मनरेगा योजना के धन का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	112-113
राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय, मीरखनगर, लखनऊ के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को अकारण होम्योपैथी निदेशालय में रजिस्ट्रार पद प्रभार मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	113
विधान सभा क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर के विभिन्न ग्रामों में पशुओं के भारी संख्या में मरने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	113-114
जनपद फैजाबाद की विभिन्न तहसीलों के मृतकों को मृत्यु प्रमाण-पत्र निर्गत न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	114
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	114
मा0 विधायकों के प्रति शिष्टाचार प्रदर्शित करने सम्बन्धी जारी शासनादेशों के बावजूद उनका अनुपालन अधिकारियों द्वारा न किये जाने तथा मा0 मुख्य मंत्री कार्यालय में विधायकों के पत्रों पर कार्यवाही की प्रगति व संदर्भ की जानकारी न उपलब्ध होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	114-116
उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2013-2014) का प्रथम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	116
उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2013-2014) का द्वितीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	116
जनपद गाजियाबाद में बादशाही मार्ग पाइप लाइन रोड मुरादनगर टीला मोड़ लोनी का जनहित में चौड़ीकरण कराये जाने विषयक चौ0 मनोज प्रधान आदि निवासीगण जनपद गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	117
जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ के विकास खण्ड नदीगांव के अन्तर्गत ग्राम कुरचौली सजेरा और मध्य प्रदेश के बीच मिगी नदी पर रपटा पुल एवं चेकडैम बनवाये जाने विषयक श्री कृष्ण कुमार व अन्य निवासीगण जनपद जालौन द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (व्यपगत) ...	117
विशेषाधिकार-हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचनायें ...	117
श्री अविनाश कुशवाहा स0वि0स0 द्वारा श्री राम बहादुर पुलिस अधीक्षक जनपद सोनभद्र के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	117-119
श्री रोशन लाल वर्मा स0वि0स0 द्वारा श्री प्रदीप कुमार थानाध्यक्ष-निगोही जनपद शाहजहांपुर के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	120-121

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप स0वि0स0 द्वारा श्री प्रेम प्रकाश सिंह अपर जिलाधिकारी जनपद बहराइच के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	121-124
श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद, तत्कालीन एस0डी0एम0 बांदा के विरुद्ध श्री विशम्भर सिंह यादव द्वारा दिनांक 12 जून, 2012 को अभिसूचित तथा ई0टी0वी0 30 उत्तर प्रदेश के विरुद्ध श्री गायत्री प्रसाद प्रजापति मा0 मंत्री द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2013 की अभिसूचित विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न को जांच, अनुसंधान तथा प्रतिवेदन हेतु विधान सभा की विशेषाधिकार समिति को सन्दर्भित किये जाने के सम्बन्ध में सूचना	124
उत्तर प्रदेश चिकित्सा विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा विधेयक, 2014 (पुरःस्थापित)...	125-126
श्री अखिलेश प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा के प्रथम सत्र, 2012 के पहले बुधवार दिनांक 30, 2012 के अतारांकित प्रश्न संख्या-17 के उत्तर के सम्बन्ध में निदेश संख्या-168 (2) के अन्तर्गत उक्त प्रश्न का संशोधित उत्तर	126-128
प्रथम सत्र, 2012 के पहले बुधवार दिनांक 30 मई, 2012 के अतारांकित प्रश्न संख्या-17 का त्रुटिपूर्ण उत्तर दिये जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध केवल निन्दा प्रस्ताव ही नहीं बल्कि दण्डात्मक कार्यवाही करवाये जाने विषयक व्यवस्था का प्रश्न	128-129
विधान मण्डल निधि के तहत बीमारी अनुदान में धन जारी किये जाने हेतु डी0आर0डी0ए0 द्वारा पी0जी0आई0 व एम्स के अतिरिक्त अन्य इस्टीमेट भी स्वीकार किये जाने का अनुरोध	129-130
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	130-148
कल दिनांक 25 फरवरी, 2014 के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के समय पीलीभीत के बी0एस0ए0 पर निलम्बित अध्यापिका के साथ बलात्कार सम्बन्धी आरोप जांच में निराधार पाये जाने पर सम्बन्धित प्रकरण को कार्यवाही से निकाले जाने का अनुरोध	148-149
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी)	149-151
दिनांक 25 जनवरी, 2014 को प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी के आवास पर आगजनी सम्बन्धी उठाये गये प्रकरण पर कोर्ट में चार्जशीट फाइल किये जाने की मांग	151-152
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव	152-178
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें	178-183
जनपद सहारनपुर में विभिन्न चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रवीन्द्र कुमार मोल्हू द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	183-185

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद नगर में स्थित संयुक्त चिकित्सालय में विशेषज्ञ चिकित्सकों व तकनीकी कर्मचारियों के अभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	185-186
प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालय अनुदान द्वारा निर्गत नियमन 2010 के प्राविधानों को लागू किये जाने के उपरान्त भी अनुदानित महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का वेतन निर्धारित न किये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	186-187
जनपद बदायूं की नगर पंचायत उसावां के चेयरमैन द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री सिनोद शाक्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य ...	188
जनपद हरदोई बिलग्राम-मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत माधौगंज पावर हाउस के नये फीडर का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजेश कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य...	188-189
बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सभी किसानों के बैंकों का कर्ज माफ कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दलजीत सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सहकारिता मंत्री का केवल वक्तव्य का स्थगन	189
जनपद बुलन्दशहर के स्याना क्षेत्रान्तर्गत क्षेत्राधिकारी स्याना द्वारा की जा रही निष्क्रियता तथा लापरवाही से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री दिलनवाज खान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	190-191
जनपद बरेली के 124 शहर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगाने की स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में डा0 अरुण कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य का स्थगन	191
जनपद सहारनपुर के नागल थाना क्षेत्रान्तर्गत गांव सलेमपुर में शान्तिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों एवं महिलाओं पर की गयी पुलिस की बर्बरतापूर्वक ज्यादती के सम्बन्ध में श्री सुरेश राणा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	191-193
विधान सभा क्षेत्र निघासन के सीलिंग पट्टों पर किये जा रहे अवैध कब्जों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अजय मिश्र 'टेनी' द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य का स्थगन...	193

विषय				पृष्ठ-संख्या
सदन संचालन में सहयोग हेतु आभार प्रदर्शन	...	...		193-200
सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	...	...	...	200
राष्ट्र-गान ...	...	...	...	200
उत्तरशती समारोह की पुस्तिका के विमोचन सम्बन्धी सूचना	...	...		201
नत्थी	...	...	...	202

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

बुधवार, दिनांक 26 फरवरी, 2014

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य-269

1. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
2. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
3. अजय मिश्र 'टेनी', श्री — लखीमपुर खीरी
4. अजय कुमार 'लल्लू', श्री — कुशीनगर
5. अजीमुल हक पहलवान अंसारी, हाजी — अम्बेडकर नगर
6. अताउररहमान, श्री — बरेली
7. अनिल वर्मा, श्री — उन्नाव
8. अनीसुर्ररहमान, श्री — मुरादाबाद
9. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
10. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
11. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
12. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
13. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री — बलरामपुर
14. अभय सिंह, श्री — फैजाबाद
15. अमर पाल शर्मा, श्री — गाजियाबाद
16. अमित गौरव यादव, श्री — एटा
17. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
18. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
19. अरूण वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
20. अरूण कुमार, डा0 — बरेली
21. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमती — कानपुर नगर
22. अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीर नगर
23. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री — गोण्डा
24. अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
25. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
26. अविनाश कुशवाहा, श्री — सोनभद्र
27. अशफाक अली खां, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
28. आबिद रजा खां, श्री — बदायूं
29. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — बलरामपुर
30. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
31. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
32. आशा किशोर, श्रीमती — छत्रपति शाहूजी महराज नगर
33. आशीष कुमार यादव, श्री — एटा
34. आशीष यादव, श्री — बदायूं
35. आशुतोष उपाध्याय, श्री — देवरिया
36. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं
37. इकबाल, श्री — बिजनौर
38. इकबाल महमूद, श्री — भीमनगर
39. इन्दल कुमार, श्री — लखनऊ
40. इन्द्रजीत कोरी, श्री — कानपुर नगर
41. इन्द्रपाल सिंह, श्री — रमाबाईनगर
42. इन्द्राणी देवी, श्रीमती — श्रावस्ती
43. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री — लखीमपुर खीरी
44. उदयराज, श्री — उन्नाव
45. उमाकान्ती, श्रीमती — जालौन
46. उमाशंकर, श्री — बलिया
47. उमेश पाण्डेय, श्री — मऊ
48. ओमकार सिंह, श्री — बदायूं
49. ओम प्रकाश वर्मा, श्री — फिरोजाबाद
50. कमाल अख्तर, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
51. कमाल युसुफ मलिक, श्री — सिद्धार्थनगर
52. काली चरन सुमन, श्री — आगरा

53. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
54. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
55. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
56. कैलाश, श्री गाजीपुर
57. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
58. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
59. गजराज सिंह, श्री पंचशील नगर
60. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
61. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
62. गायत्री प्रसाद, श्री छत्रपति शाहूजी महराज नगर
63. गुटियारी लाल दुवेश, श्री आगरा
64. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
65. गेंदा लाल चौधरी, श्री महामायानगर
66. गोमती यादव, श्री लखनऊ
67. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
68. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
69. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
70. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
71. जगपाल, श्री सहारनपुर
72. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
73. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
74. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
75. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
76. जाहीद बेग, श्री सन्तरविदास नगर (भदोही)
77. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
78. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
79. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
80. तसलीम, श्री बिजनौर
81. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
82. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
83. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
84. दलजीत सिंह, श्री बांदा
85. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
86. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
87. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
88. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री महामायानगर
89. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
90. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
91. धर्मराज, श्री बाराबंकी
92. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
93. धर्मेश सिंह तोमर, श्री पंचशील नगर
94. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कांशीराम नगर
95. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
96. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
97. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
98. नवाजिश आलम खान, श्री मुजफ्फरनगर
99. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्री प्रतापगढ़
100. नारद राय, श्री बलिया
101. निरंजन ज्योति, साध्वी हमीरपुर
102. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
103. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
104. पिंकी सिंह, श्रीमती भीमनगर
105. पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित
106. पीतमराम, श्री पीलीभीत
107. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
108. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
109. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
110. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
111. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
112. प्रभूदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
113. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
114. प्रशान्त कुमार सिंह (राहुल सिंह), श्री इलाहाबाद
115. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर

116. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
117. ''फसीहा मंजर''
''गजाला लारी'', सुश्री देवरिया
118. फेरन लाल, श्री ललितपुर
119. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
120. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
121. बदलू खां, श्री उन्नाव
122. बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
123. बाबूलाल, श्री गोण्डा
124. बावन सिंह, श्री गोण्डा
125. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
126. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
127. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
128. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
129. बैजनाथ, श्री मऊ
130. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
131. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
132. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
133. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
134. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
135. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
136. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
137. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
138. मनबोध, श्री देवरिया
139. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
140. मनीष रावत, श्री सीतापुर
141. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
142. ममतेश शाक्य, श्री काशीराम नगर
143. महबूब अली, श्री जे0पी0नगर
144. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
145. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
146. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ
झीन बाबू, श्री सीतापुर
147. माइकल चन्द्रा, श्री जे0पी0नगर
148. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
149. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
150. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
151. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
152. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ
ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
153. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
154. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानुपर नगर
155. मुर्सरत अली बिट्टन, श्री बदायूं
156. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावस्ती
157. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
158. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
159. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
160. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
161. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
162. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
163. यासर शाह, श्री बहराइच
164. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
165. योगेश प्रताप सिंह
'योगेश भइया', श्री गोण्डा
166. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
167. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
168. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
169. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
170. राकेश प्रताप सिंह, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
171. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
172. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
173. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
174. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
175. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
176. राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
177. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
178. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
179. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
180. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
181. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव

182. राधे श्याम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
183. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
184. राम करन आर्य, श्री बस्ती
185. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री भीमनगर
186. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
187. राम गोविन्द, श्री बलिया
188. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
189. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
190. राम मगन, श्री बाराबंकी
191. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
192. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
193. रामवीर उपाध्याय, श्री महामाया नगर
194. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
195. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
196. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
197. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
198. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
199. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
200. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
201. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
202. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
203. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती भीमनगर
204. लालमुन्नी सिंह, श्रीमती सिद्धार्थनगर
205. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
206. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
207. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
208. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
209. विजय कुमार पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
210. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
211. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
212. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
213. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
214. विजय सिंह, श्री रामपुर
215. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
216. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
217. विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
218. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
219. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
220. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
221. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
222. शाकिर अली, श्री देवरिया
223. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
224. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
225. शिव कुमार बेरिया, श्री रमाबाई नगर
226. शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
227. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
228. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
229. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
230. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
231. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
232. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
233. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
234. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
235. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
236. संजय कपूर, श्री रामपुर
237. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
238. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
239. सतवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्ध नगर
240. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
241. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
242. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
243. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
244. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
245. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
246. सन्तोष पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर

247. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री	गाजीपुर	259. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
248. सियाराम सागर, डा0	बरेली	260. सुरेश राणा, श्री	प्रबुद्धनगर
249. सीमा, श्रीमती	जौनपुर	261. सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
250. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री	फतेहपुर	262. सुरेश बंसल, श्री	गाजियाबाद
251. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा	263. सूरज पाल सिंह, श्री	आगरा
252. सुदामा प्रसाद, श्री	महराजगंज	264. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती	गाजीपुर
253. सुधाकर, श्री	मऊ	265. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	कुशीनगर
254. सुधीर कुमार, श्री	उन्नाव	266. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री	लखीमपुर खीरी
255. सुनील कुमार लाला, श्री	लखीमपुर खीरी	267. हरिओउम् यादव, श्री	फिरोजाबाद
256. सुब्बा राम, श्री	गाजीपुर	268. हुकुम सिंह, श्री	प्रबुद्धनगर
257. सुभाष पासी, श्री	गाजीपुर	269. हेमराज वर्मा, श्री	पीलीभीत
258. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली		

नोट :-मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव), पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी), पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव), कारागार मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी) तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (श्री राम सकल गूजर) भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश के अनेक जनपदों में ओलावृष्टि से आलू की फसल से किसानों की हानि का मुआवजा दिलाये जाने की मांग

*01-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आगरा सहित मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, इलाहाबाद एवं बुन्देलखण्ड आदि में दिनांक 21-01-2014 सहित दो दिन तक हुई बारिश एवं ओलावृष्टि से किसानों की आलू की फसल तथा आलू में आये झुलसा रोग एवं सरसों तथा अन्य फसलों में भारी नुकसान हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार फसलों में हुई क्षति का आंकलन कराते हुए किसानों को शीघ्र मुआवजा प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण, सिंचाई, राजस्व व शिक्षा व बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

जनपद मथुरा के 8-10 ग्रामों में फसलों के 50 प्रतिशत से अधिक की क्षति की सूचना पाये जाने पर उन गांवों का जिलाधिकारी द्वारा विस्तृत सर्वेक्षण कराया जा रहा है।

शेष अन्य जनपदों में दिनांक 21-01-2014 सहित दो दिन तक हुई बारिश एवं ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को 05 से 30 प्रतिशत की क्षति हुई है।

फसलों को 50 प्रतिशत से अधिक की क्षति होने पर राज्य आपदा मोचक निधि से मुआवजा नहीं अपितु कृषि निवेश अनुदान प्रदान किये जाने की व्यवस्था है। अतः 50 प्रतिशत से अधिक की क्षति होने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी से मांग/विवरण प्राप्त होने पर कृषि निवेश अनुदान की धनराशि स्वीकृत कर दी जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 धर्मपाल सिंह-

श्रीमन् गन्ने के बाद आलू नगदी फसल है। मान्यवर, 21 जनवरी को बरसात हुई। फरवरी में 12, 18, 21 व 22 तारीखों में जबरदस्त बारिस हुई है। मान्यवर पूरे प्रदेश में आलू की फसल मुख्य रूप से कन्नौज, फर्रुखाबाद, आगरा, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़ और बुन्देलखण्ड में होती है। मान्यवर, आगरा में मैंने स्वयं देखा है कि आलू की फसल लगभग 80-90 प्रतिशत बर्बाद हो गयी है। वहां दो दिन ओला पड़ा वह गला नहीं। मान्यवर, वहां 21 और 22 फरवरी को जर्बदस्त बारिस हुई और कई दिनों तक पानी खेतों में पड़ा रहा जिसकी वजह से आलू की पूरी फसल वहां चौपट हो गयी है। मान्यवर, लेखपाल जो रिपोर्ट भेजते हैं, चूंकि वह टेक्निकल कर्मचारी नहीं होते हैं इसलिए वह

आलू की फसल को ऊपर से देखकर अपनी रिपोर्ट भेज देते हैं। उससे फसल की बर्बादी का सही आंकलन नहीं हो पाता है। मान्यवर, आगरा में सभी ब्लाकों में, सभी तहसीलों में आलू की फसल को बहुत नुक्सान हुआ है। मैं चाहूंगा कि वहां कृषि अधिकारी, उद्यान अधिकारी और सम्बन्धित उप जिलाधिकारी की एक टीम बनाकर भेजें और नुकसान का आंकलन कराकर किसानों को उचित मुआवजा दिलाने का काम करें।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

श्रीमन् जो अभी 21 फरवरी, 2014 को बारिश हुई है उसमें अभी तक जो सूचना मिली है उसके अनुसार कई जनपदों में केवल पांच से बीस प्रतिशत तक बरसात हुई है और नुकसान हुआ है। मथुरा में दस से बीस प्रतिशत बरसात हुई है और नुकसान हुआ है। मान्यवर, नुकसान का सर्वेक्षण जिलाधिकारियों द्वारा कराया जा रहा है और जहां कहीं से भी पचास प्रतिशत से अधिक बरसात होने और नुकसान होने की सूचना मिलेगी और वह सूचना जैसे ही आयेगी उस पर कार्यवाही की जायेगी। मान्यवर, अभी तक किसी भी किसान के तरफ से शासन को कोई सूचना नहीं मिली है। जिलाधिकारियों के माध्यम से सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है और जैसे ही सूचना मिलेगी पचास प्रतिशत से अधिक की, उस पर मुआवजा दे दिया जायेगा।

डा0 धर्मपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे आगरा जिले में लेखपालों के द्वारा सर्वे किया गया है आलू की फसल को ऊपर से देखकर नुकसान का आंकलन तो वैसे भी नहीं किया जा सकता और सरकार को नुकसान का आंकलन टीम बनाकर करने में क्या परेशानी है ? मेरा आपके द्वारा फिर माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि आगरा में सबसे ज्यादा आलू होता है वहां सबसे ज्यादा आलू की फसल की बरबादी हुई है, 80 प्रतिशत से ज्यादा फसल का नुक्सान हुआ है तो क्या सरकार एक टेक्निकल अधिकारी जैसा मैंने पहले कहा कृषि अधिकारी और आलू जैसा मैंने कहा उद्यान में सम्मिलित है उद्यान अधिकारी और संबंधित जिलाधिकारी की एक टीम बनाकर फिर से आंकलन करायेगी ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, सर्वेक्षण जिलाधिकारी के माध्यम से चल रहा है और जैसे ही सूचना मिलेगी, सर्वेक्षण में जैसे ही 50 प्रतिशत से अधिक की सूचना मिलती है वैसे ही मुआवजा दे दिया जायेगा लेकिन अभी तक सूचना यही है कि 5 परसेन्ट से 30 परसेन्ट से ज्यादा का नुकसान नहीं हुआ है और अभी सर्वेक्षण जिलाधिकारी के माध्यम से चल रहा है अब इसमें उद्यान अधिकारी को और जोड़ दिया जायेगा।

ठा0 सूरज पाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आगरा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आलू पैदा करता है और यह भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश होने के नाते किसान को एक अन्नदाता के रूप में माना जाता है इस सदन में किसान की बात को जब रखा जाता है तो अधिकारियों के ऊपर टाल कर उसकी इतिश्री कर ली जाती है। मैं बताना चाहता हूं कि आलू, जो 3 बार वर्षा हुई है 3 बार

आलू का नुकसान हुआ है। आलू का नुकसान हुआ आलू के साथ में जो आलू दागी हुआ है अगर बाजार में जायेगा तो 30 प्रतिशत आलू की कीमत कम हो जायेगी तो वह भी किसान का ही नुकसान है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि किसानों का उचित टीम बना करके उनका सम्पूर्ण नुकसान का आंकलन करा लिया जाय यह किसान हित की बात है, आप किसान हैं धरतीपुत्र के नाम से आप जाने जाते हैं तो किसान की समस्या को केवल जिलाधिकारी के नाम पर टाला जाय यह किसान के साथ में धोखा है, बेईमानी है।

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने कह दिया है जो आपने पूछा है वह उत्तर आ गया है।

श्री कालीचरन सुमन-

माननीय अध्यक्ष जी, विगत दिनों बेमौसम बारिस से और ओला वृष्टि से आगरा जनपद के अर्न्तगत आगरा सदर तहसील जिसके अन्तर्गत तीन ब्लाक आते हैं बरौली अहीर, बुचकुली और अकोला इसमें आलू की फसल, सरसों की फसल और गेहूं की फसल बहुत ही प्रभावित हुई है जैसा कि मंत्री जी बता रहे हैं कि इनकी टीम ने सर्वे के आधार पर 5 से 10 प्रतिशत क्षति आंकलन की है जबकि ऐसा नहीं है किसान ने मुआवजे को ले करके सदर तहसील और जिलाधिकारी के यहां धरना-प्रदर्शन भी किया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह मुआवजा आखिर कब तक मिल जायेगा किसानों को इसकी कोई तिथि निर्धारित करेंगे माननीय मंत्री जी ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने बता दिया है कि जैसे ही रिपोर्ट आयेगी तुरन्त मिल जायेगा।

श्री गुटियारी लाल दुवेश-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि 5 से 30 प्रतिशत की क्षति हुई है सच्चाई यही है कि हम आगरा के सभी विधायक कलेक्टर साहब से मिले वहां किसानों ने धरना-प्रदर्शन किया। सच्चाई यह है कि वहां पर कम से कम 80 प्रतिशत क्षति हुई है और उसमें 5 दिन पहले वर्षा हुई जबरदस्त 12 से 16 तक और दूसरी बार 18 से 23 तक 6 दिन वर्षा हुई। आगरा में यह आंकलन ठीक नहीं है हमारा अनुरोध है किसानों के हित में अच्छा उनको मुआवजा मिल जाय, मुआवजा किसानों को मिलेगा तो किसान खुश रहेगा।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, बहुत सीधा सा और छोटा सा प्रश्न है डा0 धर्म पाल सिंह जी ने पूछा था माननीय मंत्री जी से कि क्या माननीय मंत्री जी ओला वृष्टि से हुए नुकसान की जांच तकनीकी कमेटी जिला कृषि अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी या एस0डी0एम0 का कोई प्रतिनिधि, एस0डी0एम0 या तहसीलदार या ए0डी0ओ0 कृषि तीन लोगों के नेतृत्व में कोई टीम ऐसी बना करके इस नुकसान की जांच करायेंगे। क्योंकि मान्यवर, जब लेखपाल जांच करेगा तो 3 प्रतिशत 5 प्रतिशत नुकसान दिखायेगा क्योंकि उसके पास कोई इस विषय की विशेषज्ञता नहीं है तकनीकी जानकारी नहीं है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

आलू जमीन के नीचे होता है, इसलिये मान्यवर, कितना नुकसान हुआ, कितना नुकसान नहीं हुआ, जब तक तकनीकी समिति इसका अध्ययन करके सही आंकड़ा आपके पास नहीं रखेगी, तो स्वाभविक रूप से जिलाधिकारी के माध्यम से रिपोर्ट कौन बनाता है, यह आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। जिलाधिकारी एस0डी0एम0 को निर्देश देता है, एस0डी0एम0 तहसीलदार को निर्देश देता है और तहसीलदार लेखपाल को निर्देश देता है तो जो भी जांचे आती हैं, लेखपाल के स्तर से आती हैं तो कहीं न कहीं जांच सही ढंग से नहीं आ पाती। इसीलिये डा0 साहब ने मांग की कि चूंकि किसानों से जुड़ा मामला है, माननीय मंत्री जी भी किसान परिवार से ही आते हैं और यहां 80 फीसदी माननीय सदस्यगण भी किसानों के घर से ही आते हैं। इसलिये इस मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुये और किसानों को सही मुआवजा मिल सके, इसलिये क्या तकनीकी कमेटी का गठन करके जांच सुनिश्चित कराने का कष्ट करेंगे ।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, नेता विरोधी दल ने जो सुझाव दिया है, जिलाधिकारी, एस0डी0एम0, तहसीलदार का, आपको जानकारी होना चाहिये कि यह कोई टेक्निकल नहीं हैं। चलिये उद्यान अधिकारी को तो एक बार हम मान भी सकते हैं। लेकिन जो भी टेक्निकल हों, और इसमें सर्वेक्षण कराया जा रहा है और जैसे ही सही रिपोर्ट आ जायेगी और जहां-जहां से मांग होगी अभी तक किसी भी किसान ने शासन को सूचना नहीं दी है कि उसका 50 प्रतिशत नुकसान हुआ है। नेता विरोधी दल आपने किसानी करी हो या न करी हो लेकिन हमने तो खुद करी है और यह भी अच्छा हुआ कि आपने बता दिया कि आलू जमीन के नीचे पैदा होता है। यह नई जानकारी आ गयी। जैसे ही सूचना मिलेगी और जैसे ही सर्वेक्षण में आ जायेगा, उस पर विचार किया जायेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अभी अपने जवाब में एक शब्द का प्रयोग किया कि हम सर्वेक्षण करा रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि यह सर्वेक्षण किस स्तर से हो रहा है, क्या तकनीकी समिति के द्वारा हो रहा है या लेखपाल के द्वारा ही हो रहा है, इसका स्पष्टीकरण दे दें ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जिलाधिकारी महोदय जिसको भी अगर ऐसा कहीं पर बतायेंगे कि टेक्निकल लोग चाहिये तो जैसे ही रिपोर्ट आयेगी, टेक्निकल जांच करा लेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, यह डी0एम0 की जो जांच है वह तकनीकी नहीं है इसीलिये हम लोग तकनीकी समिति की बार-बार मांग कर रहे हैं। सरकार उत्तर देने में आनाकानी कर रही है, यह किसानों के साथ धोखा है, अन्याय है। इसलिये सरकार के किसान विरोधी आचरण को देखते हुये बहुजन समाज पार्टी सदन से बहिर्गमन करती है।

(बहुजन समाज पार्टी के सभी सदस्य नेता विरोधी दल के साथ सदन से नारे लगाते हुये बाहर चले गये)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मेरा आपसे एक अनुरोध यह है कि सदन में हम बहुत कुछ सीखने के लिये भी आते हैं। जरूरी नहीं है कि हममें से कोई किसी गलतफहमी का शिकार हो। अगर कुछ हमें सीखने को मिलता है तो हमें सीखना चाहिये और अगर कोई नायाब चीज हमें मिलती है तो मेरे ख्याल से सदन की यह सिफारिश होनी चाहिये कि एक गिनीज बुक रिकार्ड होना चाहिये। नेता प्रतिपक्ष ने जो एक जानकारी आलू के बारे में दी है, जमीन के नीचे होने वाली, मेरे ख्याल से हिन्दुस्तान में ऐसा आलू पैदा होता है और नेता प्रतिपक्ष जो कई बार सरकारों में रह चुके हैं, मेरे ख्याल से यह गिनीज बुक आफ रिकार्ड में दर्ज होना चाहिये। इसकी सिफारिश आपके माध्यम से गिनीज बुक को जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

नेता विरोधी दल का आशय आलू जो जमीन के नीचे होता है, उससे रहा होगा ।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, आप बचाने को बचा लें, लगता है मिलीभगत है।

श्री हुकुम सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, अभी दो कृषि विशेषज्ञों की चर्चा हो रही थी, इधर भी और उधर भी। मा0 शिवपाल जी ने भी कहा कि खेती उन्होंने की है उनकी जानकारी का भी थोड़ा सा हमें लाभ मिल जाए और यह तो आपने नई चीज बता ही दी कि आलू जमीन के नीचे होता है, पहली बार यह जानकारी मिल रही है वरना हम तो आम के पेड़ पर आलू को ढूंढते रहते। मान्यवर, इस प्रश्न में एक बात निहित है और उसकी ओर मैं आपका ध्यान चाहता हूं दिनांक दिया हुआ है 21 जनवरी और वह पीक सीजन है जनवरी का। 21 जनवरी के आसपास जितनी फसलों का उल्लेख है, सरसों में भी फूल आने शुरू हो जाते हैं और उस समय अगर बारिश होगी या ओलावृष्टि होगी तो निश्चित रूप से फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा इसमें कोई दो-राय नहीं है क्योंकि तिरपाल तो लगी नहीं है फसलों पर कि बारिश रुक जायेगी। यह जानकारी आपके पास निश्चित रूप से होगी कि क्या उन दिनों में ओलावृष्टि इन जनपदों में हुई या नहीं हुई। अगर ओलावृष्टि की जानकारी नहीं है तो कहीं न कहीं चूक प्रशासन की है और अगर ओलावृष्टि और बारिश हुई तो जांच तो बाद की चीज है यह तो पूर्णतया निष्कर्ष है कि अगर ओलावृष्टि और बारिश हुई है तो आलू में भी नुकसान होगा और जो दूसरी फसलें खड़ी हैं उनमें भी नुकसान होगा। यह सब टेक्निकल बिन्दु हैं कि जिलाधिकारी जांच करेंगे, फलां जांच करेंगे। अगर आपके पास यह जानकारी है कि उन दिनों बारिश हुई है और ओलावृष्टि हुई है तो आप यह समझ कर चलिये कि नुकसान हुआ है इसमें कोई जांच की बात नहीं है। इसलिए बार-बार मांग की जा रही थी कि जिलाधिकारी की रिपोर्ट आनी चाहिए थी अगर बारिश उस दिन हुई है तो निश्चित रूप से नुकसान हुआ है। उसमें नुकसान 50 प्रतिशत भी हो सकता है,

60 प्रतिशत भी हो सकता है, 70 प्रतिशत भी हो सकता है। लेकिन जिलाधिकारियों की एक सोच होती है कि वह हमेशा उस नुकसान को कम बताते हैं। मा0 मंत्री जी, किसी किसान से अगर आप यह उम्मीद करें कि वह एप्लीकेशन ले करके आपके यहां लखनऊ में आयेगा कि हमारी फसल में इतना नुकसान हो गया, यह सम्भव नहीं है। यह हमारी मशीनरी की जिम्मेदारी बनती है कि वह इस बात का पता लगाये। फरवरी का महीना खत्म होने को है, आज 26 तारीख हो गई है, 21 तारीख की बात है, सवा महीना हो गया है सवा महीने में तो जानकारी आपके पास पुष्टि हो करके आ जानी चाहिए थी। 10 और 20 की जो बात आप कह रहे हैं वह बात हजम होने वाली नहीं है अगर उन दिनों में ओलावृष्टि और बारिश हुई है। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह उचित होगा कि इसको गम्भीरता से ले करके आप प्रदेश स्तर के अधिकारियों को भेज करके इसकी जांच करा लें तो पता चल जायेगा।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, जो अभी तक रिपोर्ट आई है, आगरा जनपद में फसलों की क्षति 5 से 20 प्रतिशत के मध्य हुई है। मथुरा में आम तौर पर 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक का नुकसान हुआ है। अलीगढ़ जनपद में किसी प्रकार की क्षति की रिपोर्ट नहीं है। हाथरस में फसलों को कोई भारी नुकसान नहीं हुआ है। प्रतापगढ़ में 25 प्रतिशत की क्षति हुई है। कौशाम्बी में फसलों में कोई नुकसान नहीं हुआ है। इलाहाबाद में फसलों की क्षति नहीं हुई है। झांसी जनपद में 10 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के मध्य क्षति हुई है। ललितपुर में फसलों की कोई क्षति नहीं हुई है। जालौन जनपद में फसलों की क्षति 5 से 20 प्रतिशत हुई है। चित्रकूट में बारिश हुई है लेकिन कोई क्षति नहीं है। बांदा में फसलों की क्षति 10 से 30 प्रतिशत के मध्य हुई है। हमीरपुर में किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई है। महोबा में फसलों की कोई क्षति नहीं हुई है और जो 10 जिले हैं और जो भी गांव हैं जिसमें क्षति हुई है उसका सर्वेक्षण किया जा रहा है और जैसे ही रिपोर्ट आ जायेगी हम उस पर विचार कर लेंगे।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

बुन्देलखण्ड में किसानों को कर्ज माफी की सुविधा

*01-साध्वी निरंजन ज्योति-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बुन्देलखण्ड में किसान कर्ज के कारण आये दिन सैकड़ों की तादात में आत्महत्यायें कर रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आत्म हत्याओं को रोकने के लिये बुन्देलखण्ड के किसानों का कर्ज माफ करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

बुन्देलखण्ड में किसी भी किसान द्वारा आत्महत्या करने का कोई प्रकरण शासन के संज्ञान में नहीं आया है।

जहां तक कर्ज माफी का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2012-2013 एवं 2013-14 में बैंकों को ऋण माफी योजना-2012 के अन्तर्गत रु0 1650.00 करोड़ प्राप्त हुआ है जिससे बैंक के 71 जनपदों (1 करोड़ आंशिक) की शाखाओं के 705575 पात्र कृषकों को योजना से लाभान्वित किया जा चुका है। इसमें बुन्देलखण्ड (जनपद-झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, बांदा, महोबा एवं चित्रकूट) के 29928 पात्र कृषकों को रु0 62,82,74,617.00 की माफी प्रदान की गयी है।

उपर्युक्तानुसार।

साध्वी निरंजन ज्योति-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है कि जहां तक कर्ज माफी का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2012-2013 एवं 2013-2014 में बैंको का ऋण माफी, यह जो जवाब दिया है उसमें भूमि विकास बैंक से जिन किसानों ने कर्जा लिया है और उसमें भी भारत सरकार ने किसानों का कर्जा माफ कर दिया था जिन्होंने ब्याज नहीं चुकता किया था। इस दृष्टि से किसानों ने ब्याज नहीं चुकता किया और पिछले सत्र में सरकार ने यह घोषणा की कि जिन किसानों ने ब्याज भर दिया है उन किसानों का कर्जा माफ होगा। मा0 अध्यक्ष जी, पहले तो यह घोषणा हुई कि किसानों का कर्जा माफ होगा फिर यह घोषणा हो गयी कि जिन्होंने ब्याज भरा है उनका कर्जा माफ होगा। कर्जा माफ होगा इस दृष्टि से किसानों ने ब्याज नहीं चुकता किया। किसानों का कर्जा माफ न होने के कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें कहा है कि बुन्देलखण्ड में किसी भी किसान द्वारा आत्महत्या करने का कोई प्रकरण शासन के संज्ञान में नहीं आया है। मैं माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहती हूं कि इस उत्तर में बैंकों का कर्जा माफ किया गया है या होगा ? मा0 मंत्री जी मैं आपसे जानना चाहती हूं कि क्या इस ऋण माफी को बढ़ाकर सारे किसानों का कर्जा माफ किया जायेगा या सारे बैंकों का कर्जा माफ किया जायेगा ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी मैंने बताया कि 1650 करोड़ रुपया जो किसानों ने 10 प्रतिशत अदायगी कर दी थी उनको माफ कर दिया गया है। जो को-आपरेटिव का जितना भी ऋण था 1650 करोड़ उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक का वह माफ कर दिया गया है। अभी मैंने और भी छूट किसानों को दे दी है जिला सहाकारी बैंकों के द्वारा दिनांक 01-07-1997 से पूर्व ऋणों का एकमुश्त समाधान योजना लागू कर दी है। जो भी ऋण 01-07-1997 से पहले का है, उसका कोई कलेक्शन चार्ज नहीं होगा, 3 प्रतिशत का जो ब्याज है वह लिया जायेगा और यह 30 जून तक जो अदा कर देगा उनको सब सुविधायें दे दी हैं और मूलधन से ज्यादा ब्याज किसानों से नहीं लिया जायेगा यह मैंने कल जी0ओ0 जारी कर दिया है। यह सुविधा किसानों को दी जा रही है। जिला सहकारी बैंक का होगा या किसी भी को-आपरेटिव से संबंधित होगा, यह मैंने सारी सुविधायें दे दी हैं। अगर इसमें आयेंगे और जिन किसानों ने 10 प्रतिशत अदायगी कर दी है उनको यह लाभ मिलेगा।

साध्वी निरंजन ज्योति-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि इनके घोषणा-पत्र में सिर्फ कर्जा माफी का था ब्याज चुकता करने वालों का नहीं था। किसानों का कर्जा अभी कितना बाकी है। दूसरा माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि कर्ज से एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं की मेरे संज्ञान में है मुझे जानकारी है कि उरई विधान सभा ग्राम मदारपुर धीरा पुत्र प्रेमचन्द्र ने अभी 23 फरवरी को कर्ज के कारण आत्महत्या की है। दूसरी घटना है हमीरपुर जनपद में मेरी विधान सभा में पारा गांव है परारा ब्लाक में सीताराम द्विवेदी पुत्र शिवकुमार द्विवेदी थे इन्होंने बैंक से कर्जा लिया था बैंक कर्मियों के द्वारा प्रताड़ित करने के कारण इन्होंने मजबूर होकर अभी 23 को आत्महत्या कर ली। माननीय मंत्री जी आपकी रिपोर्ट कैसी आती है मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है। जो रिपोर्ट आपको दी जा रही है केवल बांदा जनपद में अध्यक्ष जी मैं आपको अवगत कराना चाहती हूं कि कर्ज के कारण जो प्रताड़ित किया जाता है उसके कारण आज भी वहां पर धरना-प्रदर्शन चल रहा है। 2011 में आपकी सरकार बनती है उस समय 17 किसानों ने आत्महत्या की थी 2012 में 10 किसानों ने बांदा जनपद में आत्महत्या की थी। 2013 में 12 किसानों ने आत्महत्या की थी।

श्री अध्यक्ष-

आप जो सूचना दे रही हैं इसकी सूची बनाकर पता सहित दे दीजिए उसकी जांच हो जाएगी।

साध्वी निरंजन ज्योति-

माननीय अध्यक्ष जी मेरा प्रश्न यह है कि यहां पर सरकार के द्वारा जो सूचना दी जाती है यह भ्रामक सूचना है उनको तथ्य तक जाना चाहिए कि किसान ने क्यों आत्महत्या की। किसान क्यों आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि अभी मैं एक और घटना बताना चाहती हूं। यह तिंदवारी विधान सभा की घटना अतराह की केदारनाथ यादव ने बैंक से कर्जा लिया था इन्होंने आत्महत्या कर ली अध्यक्ष जी आश्चर्य तब हुआ कि इन्होंने जो 3 लाख का लोन लिया था वह इनकी पत्नी के नाम ट्रांसफर हो गया। यह एक दुखदायी और पीड़ाजनक बात है। माननीय मंत्री जी यह जांच कराने का विषय है। मैं एक घटना के बारे में बताना चाहती हूं नरैनी विधान सभा के तिवारीपुर के प्रमोद तिवारी द्वारा 18 मई को ट्रैक्टर का लोन लेने के कारण कर्जा अदा न कर पाने के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली।

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया आप सवाल पूछ लें।

साध्वी निरंजन ज्योति-

मान्यवर, मैं जानना चाहती हूं कि यह किसानों की सरकार है किसानों की हमदर्द सरकार है यह किसान कर्ज के कारण आत्महत्या कर रहे हैं अभी आलू के प्रश्न पर यह बात आई कि बुंदेलखण्ड में आंशिक बरसात हुई है।

श्री अध्यक्ष-

आप प्रश्न पूछिए।

साध्वी निरंजन ज्योति-

मान्यवर, अभी हमीरपुर में ओलावृष्टि हुई है।

श्री अध्यक्ष-

उस प्रश्न से अब आगे बढ़ गए।

श्री दलजीत सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी बुन्देलखण्ड में आए दिन किसान कर्ज और बेरोजगारी से परेशान होकर आत्महत्याएं करते रहते हैं। मैंने भी कई बार नियमों में और आज भी नियम-56 की नोटिस में यह दिया है हमारे तिंदवारी विधान सभा के केरहट गांव के श्री केदार यादव ने चिल्ला बैंक से कर्ज लिया था।

श्री अध्यक्ष-

केदार यादव के बारे में माननीया सदस्य बता चुकी हैं। दूसरी जानकारी हो तो बताएं।

श्री दलजीत सिंह-

जब भी जिला प्रशासन से रिपोर्ट आती है तो कारण जो दिखाए जाते हैं वह बड़े ही दुखदायी होते हैं जिला प्रशासन किसी भी किसान की आत्महत्या पर जो रिपोर्ट पेश करते हैं उसमें चरित्रहीनता दिखाते हैं या नशे का आदी या कह देते हैं कि उसकी पत्नी मायके से नहीं आ रही किसी को गृह कलह तमाम कारण ऐसे दिखा दिए जाते हैं जो सही नहीं होते हैं तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि एक अलग कमेटी गठित करके पूरे बुन्देलखण्ड के किसानों की आत्महत्याओं के बारे में जांच करवा लें और जो दोषी बैंक हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करें जैसे केदार यादव वाला मामला है उसकी फसल नहीं आई थी लेकिन बैंक द्वारा फसल की कुर्की की धमकी दी जा रही थी। इसकी जांच करवाकर उसके परिवार की आर्थिक मदद की कृपा करें।

श्री हुकुम सिंह-

अध्यक्ष जी बुन्देलखण्ड का बहुत ही संवेदनशील प्रकरण है और मूल प्रश्न में भी यह कहा गया है कि वहां पर किसान आत्महत्या करने के लिए विवश हो रहे हैं उत्तर में आया कि आत्महत्या करने की कोई जानकारी नहीं मिली। आपको तो जानकारी नहीं मिली लेकिन यहां पर स्पष्ट रूप से नाम लिए गए कि फलां-फलां ने आत्महत्या की ट्रैक्टर के लिए कर्ज लिया हुआ था और यहां तक भी अत्याचार हुआ कि उसकी पत्नी के लिये वह कर्ज ट्रांसफर कर दिया गया। दो बातें इसमें हैं, नम्बर एक तो आपने इसमें कहा कि 1997 से पहले के जो कर्जदार हैं उनके लिये कुछ पैकेज बना कर दिया आपने कि समाधान योजना में आ जायं, समाधान करा लें। अब अगर 1997 से पहले के लोग समाधान में आयेंगे मान्यवर, आज तो 2014 में बैठे हुए हैं हम। 17 साल की तो आप गिनती नहीं कर रहे 1997 से पहले की गिनती कर रहे हैं। अगर समाधान योजना कम से कम बुन्देलखण्ड के लिये इतनी ले आते कि जहां पर यह कर्जा माफ कर दें कि मूलधन भी वह दे दें तो भी बहुत कुछ है। कम से कम उनका कर्जा ही माफ हो जाए। समाधान में अगर आप स्पैसिफिकली इतना कह देंगे कि उनका कर्जा माफ हो जायेगा तो बात ठीक है और रहा इसका मान्यवर, कि अभी तक तो यह

परम्परा रही है इस सदन की कि माननीय सदस्य, विधान सभा सदन में खड़े हो करके अपने क्षेत्र की समस्या या आस-पास की कोई बात कहते हैं तो उसको प्रमाणित बात माना जाता है, वह अपनी जानकारी के आधार पर कहता है। माननीय विधायक ने अपनी जानकारी के आधार पर नाम उनके लिये कि यह-यह लोग बैंक के कर्जदार थे, बैंक कर्मचारियों ने उनको प्रताड़ित किया और प्रताड़ित करने के बाद में आत्महत्या के लिये उनको विवश होना पड़ा। ऐसे में सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती क्या ? सारा हिन्दुस्तान हिल गया जब महाराष्ट्र में आत्महत्याएं शुरू हो गईं मान्यवर, और आज हम सदन में खड़े होकर 2014 में यह कहें कि किसान मजबूर हो रहा है आत्महत्या करने के लिये, बैंक का कर्जा देने के लिये, और माननीय मंत्री जी सिर्फ यह कहें कि जिन्होंने 10 प्रतिशत जमा कर दिया उनके ऊपर विचार किया जायेगा, उनका माफ किया जायेगा। मान्यवर, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि अगर अभी भी हम सम्वेदनशील नहीं होंगे, किसानों को मरता हुआ देखते रहेंगे, कर्जा उनका माफ नहीं होगा बल्कि उनके आत्महत्या कर लेने के बाद में उनकी पत्नी को भी प्रताड़ित किया जायेगा तो यह किस प्रकार की सरकार है और किस प्रकार का यहां पर किसानों को लाभ देने की बात है।

श्री अध्यक्ष-

सवाल तो पूछिए।

श्री हुकुम सिंह-

सवाल मेरा आ गया मान्यवर, नम्बर एक कि जो नाम लिये गये हैं यहां पर, कहिये तो मैं दोहरा दूं उनको, मेरे पास भी हैं। जिन्होंने मजबूर हो करके आत्महत्या की है। क्या आप ऐसे अधिकारियों को जिनके कारण उन्हें आत्महत्या करने के लिये विवश होना पड़ा, दंडित करेंगे। दूसरा जो कर्जदार बुन्देलखण्ड में अभी भी हैं किसान लोग, जिनकी देने की स्थिति नहीं है, क्या उनका पूर्ण कर्जा माफ करने की बात करेंगे ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार किसानों के प्रति बहुत ही सम्वेदनशील है। पूरे प्रदेश में आदेश दे दिये गये हैं, कोई उत्पीड़नात्मक कार्यवाही नहीं होगी। किसी भी किसान की जमीन की नीलामी अभी तक नहीं हुई है। पूरी सुविधाएं जो मैंने बताया है, समाधान योजना के अन्तर्गत वह सब दे दी गई हैं। जो नाम दिये हैं, हम उनकी जांच करा लेंगे। अभी तक मेरे पास आत्महत्या की कोई सूचना नहीं थी। अब दो साल पहले के लिये कौन जिम्मेदार है ? (विपक्ष की तरफ से शोर) हमारी दो साल की सरकार में एक भी किसान ने कर्ज के कारण आत्महत्या नहीं की है। अगर आत्महत्या की है तो आत्महत्या भी जुर्म है माननीय सदस्य।

(विपक्ष की तरफ से शोर)

श्री हुकुम सिंह-

अध्यक्ष जी, जिन्होंने आत्महत्या की है, उनके ऊपर तो मुकदमा कायम कर दिया जाय। जिन्होंने आत्महत्या कर ली, संसार छोड़कर चले गये कोई प्राविधान आई0पी0सी0 में सी0आर0पी0सी0

में नया आया होगा कि उनके ऊपर मुकदमा करके दंडित किया जायेगा, यह तो मान्यवर, मेरे संज्ञान में पहली बार आया है कि यह जुर्म हुआ है, उन पर मुकदमा करके दंडित किया जायेगा और सरकार के वकील उस पर पैरवी भी करेंगे। मान्यवर, मेरे दो सवाल थे, दोनों में से एक का भी उत्तर नहीं आया। मेरा आपसे आग्रह है, मेरा पहला सवाल यह था कि जिन अधिकारियों ने जांच करने की बात नहीं मान्यवर, नाम दिये गये हैं यहां पर। जिन अधिकारियों ने प्रताड़ित करके किसानों को आत्महत्या के लिये मजबूर किया, क्या उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ? मुकदमा उन पर होना चाहिए, यह मुकदमा उन पर कर रहे हैं जो रहे भी नहीं संसार में मान्यवर, दूसरा सवाल यह है कि समाधान योजना आप लाए हैं क्या पूरा ब्याज माफ करके और ऋण माफ करके बुन्देलखंड के किसानों को आप राहत देंगे ? आप उत्तर दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष-

उत्तर तो दे दिया।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, बुन्देलखंड के किसानों को 62 करोड़ 82 लाख 73 हजार 617 रुपया माफ कर दिया। (मेजें थपथपाई गईं।) और 29 हजार 928 किसानों का ब्याज माफ कर दिया है और मैंने जो कहा कि कानून के ऊपर कोई नहीं है, अगर कानून के ऊपर आदरणीय हुकुम सिंह जी हों अगर कोई आत्महत्या का प्रयास करता है तो जुर्म है इसकी हम जांच करा लेंगे। अगर किसानों के कर्जे की वजह से कोई किसान की आत्महत्या नहीं हुई है अगर ऐसी रिपोर्ट मा0 सदस्य दे रहे हैं तो इसकी हम जांच करा लेंगे। (शोर)

श्री अध्यक्ष-

आपके नेता ने सब प्रश्न कर लिए हैं अब आप लोग क्यों खड़े हैं। अब क्या बाकी है।

श्री राजेश त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से किसानों का कर्ज भूमि विकास बैंक या ग्राम्य विकास बैंक के किसानों का कर्ज माफ किया गया जो पूर्वांचल के जिला सहकारी बैंकों की हालत है जिसमें 16 बैंक ऐसे हैं जिनको 17 करोड़ रुपये देने के बाद भी उनके जिन्दा करने की बात चल रही है या कुछ बैंकों को सरकार ने, माननीय मंत्री जी ने पैसा दिया है जिससे वह जीवित हो रहे हैं क्या जिला सहकारी बैंक के उन किसानों का जो कर्ज है क्या ग्राम्य विकास बैंक या भूमि विकास बैंक की तरह उन किसानों का कर्ज भी माफ करने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

बैजनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार जो 2400 करोड़ रुपया मिलना था केन्द्र सरकार से, केवल पहली किश्त मिली है लगभग 600 सौ करोड़ और शेष धन उपलब्ध नहीं कराया गया है। उसमें मुख्य मंत्री जी की तरफ से, मैंने स्वयं पत्र लिखा, चीफ सेक्रेट्री की तरफ से पत्र गया कई बार प्रयास किया गया केन्द्र सरकार से और प्रयास किया जा रहा है 16 बैंकें जो बंद हैं वह पुनर्जीवित

होकर चलें। इस पर विचार किया जाए और जैसे-जैसे धन की उपलब्धता होती जाएगी, इस पर विचार किया जाएगा, हमारा प्रयास है कि 16 बैंकें चलें। केन्द्र सरकार से धन मिलेगा हमारी सरकार से भी प्रयास है जैसे-जैसे धन की उपलब्धता होगी इनको चलाने का प्रयास किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठें। नत्थी-ग ले रहे हैं।

(नत्थी-ग तारांकित प्रश्न संख्या-2 पुकारा गया)

अब बहुत सवाल हो गए हैं। नेता भारतीय जनता पार्टी अब आपको क्या कहना है ? आपने तो सवाल भी किए और अपने उद्गार भी व्यक्त कर दिए अब क्या बाकी रह गया है ?

श्री हुकुम सिंह-

यह सरकार किसान विरोधी है इसलिए मैं और मेरे दल के सदस्य सदन का बहिर्गमन करते हैं।

(श्री हुकुम सिंह ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन से बहिर्गमन कर चले गये)

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, एक मिनट का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष-

अब नहीं अब आगे बढ़ गए हैं उस समय तो आपने पूछा नहीं।

श्री प्रदीप माथुर-

आप मुझे बोलने का समय नहीं दे रहे हैं यह सरकार किसान विरोधी है इसलिए मैं और मेरा दल सदन से बहिर्गमन करता है।

(श्री प्रदीप माथुर ने भी अपने दल के सदस्यों सहित सदन से बहिर्गमन कर चले गये)

तारांकित प्रश्न

*01-श्री सतीश महाना-

[2सरे सोमवार के तारां0प्र0सं0-8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बांस बल्ली के स्थान पर बिजली के पोल लगाकर विद्युत सप्लाई करने की मांग

*02-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी सहित राज्य के विभिन्न जिलों में बहुतायत की संख्या में विद्युत कनेक्शन धारकों को बिजली का कनेक्शन बांस बल्ली के सहारे मिला हुआ है, जिससे समय-समय पर दुर्घटनायें घटित होती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार एक अभियान के तहत बांस, बल्ली के स्थान पर बिजली के पोल लगाकर दुर्घटना रहित विद्युत आपूर्ति करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं, किसी भी उपभोक्ता को बांस-बल्ली के सहारे विभाग द्वारा बिजली का कनेक्शन नहीं दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मुख्य मंत्री जी का उत्तर है कि -'जी नहीं, किसी भी उपभोक्ता को बांस-बल्ली के सहारे विभाग द्वारा बिजली का कनेक्शन नहीं दिया गया है।' मैं यह बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि यह जो समस्या है, यह पूरे प्रदेश में है और बहुत से निर्वाचन क्षेत्रों के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, शायद वह इसकी तस्दीक करेंगे कि यह सिर्फ वाराणसी की ही समस्या नहीं है बल्कि उनके जिलों में भी यही स्थिति है। मेरे यहां एक प्रक्रियात्मक है, जिसको मैं बताना चाहता हूं, कोई नयी बात नहीं है, अगर हमने मकान बनाया है, उसके बाद उसमें बिजली का कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आवेदन करते हैं, फिर पैसा जमा कराया जाता है, फिर मीटर लगता है, फिर तार खींचे जाते हैं, तब कनेक्शन मिलता है, तब उसके बाद प्रतिमाह जब रीडिंग होती है तो उसका बिल पे करते हैं और इसी प्रक्रिया के तहत् वाराणसी में वरूणा-पार की जो अविकसित कालोनियां हैं, जिनकी संख्या दर्जनो-दर्जनों में है, सैकड़ों की संख्या में होंगी। उन कालोनियों में जो उपभोक्ता है, जो कनेक्शनधारक हैं, उन्होंने अपने आप तो कनेक्शन ले नहीं लिया, उन्होंने अपने आप तो मीटर लगा नहीं लिया, वह अपने आप तो बिजली पैदा करके नहीं ले रहे हैं, वह बिजली का बिल पे कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यहां जो उत्तर आया है, यह बिल्कुल सत्य से परे है और विभाग ने मुख्य मंत्री जी को अंधेरे में रख करके यह उत्तर दिलवाया है। मैं कुछ नाम ले रहा हूं, वाराणसी में पाण्डेयपुर, लालपुर, दक्षकपुर, भरलाई, पिपरौल, सारनाथ, पकड़िया, विशेश्वर नगर, संजय नगर, खोजवां, गंगा नगर कालोनी, यह कुछ नाम मैंने लिया, सिर्फ उतने ही क्षेत्र को चिन्हित करके और किसी आनेस्ट अधिकारी से उसकी जांच कराने की आप कृपा करेंगे कि जो मैंने कहा है, वह सही है अथवा जो उत्तर विभाग ने आपसे दिलवाया है, वह सत्य है और अगर यह सत्य है कि वर्षों से उन क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को बांस-बल्ली के सहारे कनेक्शन मिला हुआ है और वह बिजली का बिल पे करते चले आ रहे हैं तो क्या ऐसे उपभोक्ताओं को नियमित तरीके से पोल से कनेक्शन देंगे और दूसरे जिन्होंने यह गलत उत्तर मुख्य मंत्री जी से दिलवाया है, उनके खिलाफ सरकार कोई कार्यवाई करेगी ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, जो लोग बांस-बल्ली द्वारा अवैधानिक रूप से कनेक्शन लिए हुए हैं और आपने जैसा बताया है, अगर इस तरीके से है तो हम उसकी जांच करा करके और इसके सम्बन्ध में हम किसी नयी पालिसी पर भी विचार कर लेंगे और 40 मीटर से प्राक्कलन बना करके जो भी कनेक्शन दिए जाते हैं, अगर इस तरीके से है तो उस पर कोई पालिसी लाकर विचार करेंगे।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कल मैंने इस विषय पर नियम-51 में नोटिस लगायी थी और आपकी कृपा है कि आपने इसमें स्वीकार भी किया। किया इसलिए होगा क्योंकि आप जानते होंगे कि यह जमीनी सच्चाई है।

श्री अध्यक्ष-

डाक्टर साहब, ऐसा भी होता है, कुल लोग इस तरह से इलीगल कनेक्शन भी ले लेते हैं।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

अध्यक्ष जी, हम बांस और बल्ली लगा सकते हैं, लेकिन तार तो बिजली विभाग ही लगायेगा और सरकार यह कह रही है, ऐसा कहीं नहीं है, परन्तु सच्चाई यह है कि महानगरों में ऐसी कोई जगह नहीं है, जहां ऐसे कनेक्शन नहीं हैं। जमीन और आसमान का फर्क है। जैसे इनको बुन्देलखण्ड के किसान मरते नहीं दिखते, वैसे ही इनको बांस-बल्ली के कनेक्शन नहीं दिखते हैं।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी ने तो कह दिया कि हम इस पर कोई नई पालिसी ले आयेंगे।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

अध्यक्ष जी, अगर इसको इतनी आसानी से छोड़ दिया जायेगा तो बात आई-गई हो जायेगी। पालिसी क्या आनी है, आखिर जिन नागरिकों ने कालोनियों में जमीन ली, यह काम विकास प्राधिकरणों का था, उनको कनेक्शन तब देते जब पोल गड़ गये होते, बिजली कनेक्शन चल गए होते। पहले तो उनके अधिकारियों ने अवैधानिक कालोनियों को विकसित होने दिया। जब नागरिक वहां पर बस गये तो विद्युत विभाग के अधिकारियों ने उनको समझाया कि अगर विद्युत कनेक्शन लोगे तो इतना पैसा लग जाएगा। चलो हम तुमको ऐसे कनेक्शन दे देते हैं तुम तार दौड़ा लो। बिजली विभाग के अधिकारियों ने इनको कला सिखाई और नागरिकों ने मजबूरी में उसको स्वीकार कर लिया आज वह उसको झेल रहे हैं। अब विद्युत विभाग यह कहता है कि जिसने कालोनी विकसित की है वह पोल दे। तो क्या सरकार एक सैद्धांतिक निर्णय लेगी, यह व्यवस्था करेगी, इसमें जांच की जरूरत नहीं है यह सरकार यह निर्णय ले ले कि महानगरों में जहां कहीं पर भी बांस-बल्ली पर कनेक्शन होंगे हम उनको बदलकर उसके स्थान पर पत्थर के पोल लगा देंगे। अब जब यह कहते हैं कि कहीं ऐसा है ही नहीं तो इनको तो सिर्फ हां करना है इसमें तो इनका पैसा खर्च होना नहीं है। आप सिर्फ घोषणा कर दीजिए हम लोग आपकी बात मान जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी इनका कहना है कि अगर वहां पोल नहीं है तो क्या आप वहां अपना पोल खड़ा करवायेंगे ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, जितने भी वैध कनेक्शन हैं उनको हम कनेक्शन दे देंगे और जो अवैध हैं उन पर हम सख्ती कर देंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

डा0 मो0 अयूब-

मान्यवर, यह समस्या सिर्फ एक-दो जिले की नहीं है। यह समस्या सिर्फ नगरों की समस्या नहीं है। हमारे अपने विधान सभा में खलीलाबाद नगर और मेंहदावल नगर में और कम से कम 15-20 गांव ऐसे हैं अगर आप चाहें तो मैं उनकी सूची आपको दे सकता हूं, आज भी जो मेन लाइन है वह बल्लियों पर चली हुयी है और उनमें से भी बहुत सी मेन लाइनों में आधी बल्ली नीचे से गल गयी है और यह कभी भी गिरकर हादसा पैदा कर सकती है। यह समस्या सिर्फ नगरों की नहीं है। गांवों में भी है। यह समस्या हमारे विधान सभा खलीलाबाद के अंदर है। मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश के साथ-साथ जो हमारे यहां जो बल्ली टूटने के कगार पर हैं चाहे वह नगर में हों चाहे गांव में हों उन्हें हटाकर उनके स्थान पर लोहे या सीमेंट के खम्भे लगाकर उसको ठीक कराने का काम सरकार करेगी।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, डा0 अयूब सूची दे देंगे तो जहां-जहां वैध कनेक्शन होंगे उन्हें हम कनेक्शन दे देंगे और जहां अवैध होंगे वहां और सख्ती करेंगे।

(श्री अनुग्रह नारायण सिंह वेल में आ गये और कहने लगे कि भारत सरकार की इस संबंध में योजना है।)

श्री अध्यक्ष-

आपको जो कहना है आप अपनी सीट पर जाकर कहिये। यहां क्यों कहते हो।

(श्री अनुग्रह नारायण सिंह अपनी सीट पर वापस चले गये।)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, वर्ष 2007 से भारत सरकार की जितने भी जर्जर तार, बांस-बल्ली और खम्भे हैं उनको बदलने के लिए जिससे की लाइनलॉस न हो, बिजली की चोरी न हो इसके लिए बंच कंडक्टर और खम्भे बदलने की योजना चल रही है। इसमें कोई नई योजना बनाने की जरूरत नहीं है। यह आलरेडी योजना है। और अभी तक 2007 से इतना भारी घोटाला हुआ है, इसके पहले भी हमने एक सवाल में उठाया था। वर्ष 2007 से यह योजना चल रही है। आज तक इसमें पूरी जगह काम नहीं हुआ। जब से आपकी सरकार आयी है तो कहीं-कहीं थोड़ा-बहुत काम शुरू हुआ। बाकी पिछली सरकार में बिल्कुल काम नहीं हुआ, हमारे यहां इलाहाबाद में 120 करोड़ रुपया इस योजना में दिया गया, मुश्किल से 20 करोड़ रुपया भी पिछली सरकार में नहीं खर्च हुआ और अभी जाकर थोड़ी जगहों पर जहां हम लोगों ने दौड़-धूप की वहां काम हुआ है, इसलिए मान्यवर, इसको गम्भीरता पूर्वक लिया जाय, यह समस्या ज्यादातर मध्यम और कमजोर वर्ग के लोग जहां रहते हैं वहीं पर ही है। आये दिन बिजली के खम्भे खतरे बने रहते हैं, तारों का जंजाल है, कभी आग लग जाती है,

कभी कुछ हो जाता है, इसलिए इस सरकार से मेरा अनुरोध है मा0 मंत्री जी से कि आप अपने विभाग को चुस्त-दुरुस्त करिये, इसको लागू कराने का कष्ट करें।

श्री पूरन प्रकाश-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह तो सभी सदस्यों ने देख लिया कि बिजली के तार बांसों पर चल रहे हैं, बल्लियों पर चल रहे हैं, मैं इसी के साथ मा0 अध्यक्ष जी आपको अवगत कराना चाह रहा हूं और यह जवाब चाह रहा हूं कि जो आपके ट्रान्सफार्मर खम्भों पर लगते हैं, वह नीचे जमीनों पर रखे हैं। जनपद मथुरा में मेरी विधान सभा क्षेत्र में ट्रांसफार्मर जमीन में रखे होने की वजह से चार तो भैंसे मर गईं, तीन गायें मर गई हैं।

श्री अध्यक्ष-

वह फाउण्डेशन पर रखे जाते हैं, अब आप बैठिये, यह प्रश्न खत्म हो गया है, सारे जवाब आ गये हैं, आगे और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, अब आपका लिखा नहीं जायेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मा0 सदस्य अनुग्रह नारायण सिंह जी ने जो समस्या का समाधान बताया है, एक समाधान तो वह है कि ए0पी0डी0आर0पी0 का सेकेण्ड फेज नगरों में चल रहा है, उसके तहत अगर केवल मा0 मंत्री जी एक प्रशासनिक आदेश जारी कर देंगे तो इस समस्या का 75 से लेकर 80 परसेण्ट तक इलाज हो जायेगा मान्यवर, दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं जिसके लिए बार-बार मैं आपकी अनुमति चाहता था मान्यवर, पहले शहरों में तीन कनेक्शनों पर एक खम्भा और पांच कनेक्शनों के ऊपर गांव में एक खम्भा फ्री दिया जाता था, अगर उस योजना पर भी मा0 मंत्री जी विचार कर लें, तो सम्पूर्ण सौ परसेण्ट इस समस्या का समाधान हो सकता है मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह चाहता हूं मा0 मंत्री जी से कि एक तो सेकेण्ड फेज ए0पी0डी0आर0पी0 का चल रहा है उसके तहत और दूसरी जो योजना मैंने आपको बताई, उसके तहत इस समस्या का समाधान शत-प्रतिशत लकड़ी के खम्भे हटाकर, तारों का जंजाल समाप्त कर के मान्यवर अगर मंत्री जी केवल इच्छा शक्ति दिखायें तो यह कार्य केवल प्रशासनिक आधार पर हो सकता है, अलग से पैसे की आवश्यकता इसमें नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी आप इसमें कुछ बताना चाहेंगे ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, ये व्यवस्था इस समय नहीं है जो छूट वाली खन्ना जी ने बताया है, पहले थी किसी समय अब नहीं है और जो मैंने बताया कि जितने भी वैध हैं, उन पर हम खम्भे और तार लगा देंगे और जितने भी अवैध हैं उन पर और सख्ती कर देंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब हम अगला प्रश्न ले रहे हैं।

प्रदेश में बन्द पड़ी सहकारी चीनी मिलों को पुनः चालू कराये जाने की मांग

*03-श्री सुरेश कुमार खन्ना तथा श्री उमाशंकर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बन्द सहकारी चीनी मिलों को पुनः चालू कराने की व्यवस्था सरकार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

सहकारी क्षेत्र की औराई (संतरविदास नगर), धुरियापार (गोरखपुर), सठियांव (आजमगढ़), मझोला (पीलीभीत) तथा पुवायां (शाहजहांपुर) चीनी मिलों की मशीनरी अत्यन्त जर्जर, खराब आर्थिक स्थिति, चीनी मिलों का आधुनिकीकरण एवं विस्तारीकरण न होने तथा क्षमतानुसार गन्ने की अनुपलब्धता के कारण चीनी मिलों को बन्द करना पड़ा तथा इन मिलों के अधिकांश कर्मकारों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का प्रतिलाभ दिया जा चुका है अथवा अन्य सहकारी चीनी मिलों में समायोजित किया गया है।

दि किसान सहकारी चीनी मिल पुवांया (शाहजहांपुर), जो विगत 03 वर्षों से बन्द थी, का क्षेत्रीय गन्ना किसानों की मांग पर आउट सोर्सिंग के माध्यम से पेराई सत्र 2013-14 में संचालन कर दिया गया है। इसी प्रकार से वर्ष 2010 से बन्द मझोला आसवनी का भी वर्तमान में संचालन कर दिया गया है।

अन्य बन्द 04 चीनी मिलों की मशीनरी अत्यन्त जर्जर तथा वित्तीय स्थिति अत्यन्त खराब है। दिनांक 31-3-2013 तक उक्त 04 चीनी मिलों की कुल संचयित हानि रु0 59190.73 लाख है। इन चीनी मिलों का जीर्णोद्धार करने पर अत्यधिक वित्तीय उपाशय निहित है। अतः वर्तमान में इन चीनी मिलों को चलाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

उक्त 04 चीनी मिल क्षेत्र के गन्ना कृषकों के हित संरक्षण हेतु तत्समय से गन्ना आयुक्त/निबन्धक सहकारी चीनी मिल समितियां, उ0 प्र0 द्वारा इन चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्र का गन्ना निकटवर्ती चीनी मिलों को प्रत्येक पेराई सत्र में आवंटित कर दिया जाता है, जिससे कृषकों को कोई कठिनाई न हो।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, इस सरकार में यह स्वागत योग्य है कि हमारी पुवायां चीनी मिल और कई और चीनी मिलें जो सहकारी क्षेत्र की थीं, वह चलवा दीं। मान्यवर, हम स्वागत करते हैं और बहुत से लोगों को इससे रोजी-रोटी का सहारा दे दिया। मान्यवर, इसमें जो कर्मचारी थे जिन्होंने वी0आर0एस0 एप्लाई किया, चूंकि लेबर अब आउट सोर्सिंग से लिये जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों ने वी0आर0एस0 एप्लाई किया या वह मर गये या किसी दूसरे काम में चले गये। क्या मा0 मंत्री जी ऐसे लोगों का वी0आर0एस0 स्वीकार करेंगे क्योंकि आपने उत्तर में स्वीकार किया कि अधिकांश कर्मकारों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का लाभ दिया जा चुका है। अधिकांश को दिया गया, यह सही है लेकिन कुछ लोग रह गये हैं। क्या मा0 मंत्री जी जिन्होंने आवेदन किया था वी0आर0एस0 के लिये, कई माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं, एक-दो नाम

हमारे पास हैं, एक मुनीश गुप्ता हैं, वह स्विच बोर्ड अटेण्डेण्ट थे, उन्होंने एप्लाई किया वी0आर0एस0 के लिये और मर गये तो क्या मा0 मंत्री जी जिन लोगों ने वी0आर0एस0 के लिये एप्लाई किया उनको लाभ देंगे, नम्बर एक सवाल और नम्बर दूसरा जो 4 चीनी मिलें पूरी तरीके से निष्प्रयोज्य हो गयीं और सरकार ने यह तय कर लिया कि वो चलाना सम्भव नहीं है। मान्यवर, उसका फेट क्या होगा, उसके लिये क्या तय करेंगे, क्या उसको और बरबाद होने देंगे। जो स्थिति है या उसके बारे में भी कोई निर्णय मा0 मंत्री जी करेंगे।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, जो चीनी मिलें अभी जर्जर स्थिति में हैं। जैसे ही धन की उपलब्धता होती जायेगी, वैसे उनको चलाने का विचार किया जायेगा और जो भी कर्मचारी वी0आर0एस0 देंगे, उस पर विचार करेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मेरा स्पष्ट क्वेश्चन था कि मुनीश गुप्ता नाम का एक स्विच बोर्ड अटेण्डेण्ट था उसने वी0आर0एस0 के लिसे एप्लाई किया और वह मर गया। आखिरकार उसका क्या होगा, उसका निस्तारण ही नहीं हो रहा है। मान्यवर, कई साल से निस्तारण नहीं हो रहा है। मा0 मंत्री जी, उसके ऊपर भी विचार कर लें।

श्री पूरन प्रकाश-

मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो आपने सहकारी चीनी मिलों को पुनः चालू करने का जवाब दिया है, उसमें जनपद मथुरा में छाता शुगर मिल है और यह आगरा मण्डल की एक मात्र सहकारी शुगर मिल है जो कि पिछले चार साल से बन्द पड़ी है। पिछले सत्र में भी सरकार की ओर से आया था कि इसको चालू कराया जा रहा है लेकिन बड़ा खेद है मा0 अध्यक्ष जी कि अभी तक छाता शुगर मिल को चलाने के लिये कोई भी कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की गयी है और वहां का किसान बहुत परेशान है।

श्री अध्यक्ष-

अरे, अभी कल इस पर नियम-56 में आ गया था।

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, जो चीनी मिलें थीं, उसमें छाता शुगर मिल का नाम नहीं था इसलिये मैंने यहां पर खड़े होकर आपके माध्यम से जानना चाहा है।

श्री अध्यक्ष-

कल इस पर पूरी चर्चा हो गयी है।

श्री विजय कुमार दुबे-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि छितौनी चीनी मिल जो खड्डा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जो हजारों किसान परिवारों के जीवन-यापन का मुख्य स्रोत था।

(मा0 अध्यक्ष और सदस्य विजय कुमार दुबे के एक साथ बोलते रहने से उत्पन्न व्यवधान के मध्य)

पिछले 30-03-2011 को सर्किल रेट 6000 रुपये, 6 करोड़ से कम पर उसको 30-03-2011 को बेच दिया गया था, 3 करोड़ रुपये में तो क्या छितौनी चीनी मिल....

श्री अध्यक्ष-

आप पहले सवाल तो देख लो। यह सहकारी चीनी मिलों के बारे में है कि प्रदेश में बन्द सहकारी चीनी मिलों को पुनः चालू कराने की व्यवस्था सरकार करेगी और आप खड्डा और छितौनी को बेचने का पूछ रहे हो। यह इस सवाल से सम्बन्धित नहीं है।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

मा0 अध्यक्ष जी, ये बात हो रही है 1989 में तत्कालीन मुख्य मंत्री नारायण दत्त तिवारी जी ने जहांगीरपुर चीनी मिल का शिलान्यास किया वह चीनी मिल लगातार दो तीन साल तक बनती रही आज यहां मंत्री जी बैठे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि पचासों-करोड़ रुपये लगाने के बाद पिछले 22 वर्ष में जहांगीरपुर चीनी मिल किस स्थिति में है उसका क्या करना है क्या सरकार के संज्ञान में है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष-

ये कौन-सा सवाल है ?

श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

अध्यक्ष जी, जवाब तो दिला दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

वह इससे सम्बन्धित है ही नहीं।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

अध्यक्ष जी, वह सहकारी चीनी मिल है।

श्री अध्यक्ष-

आपके पास कोई सूचना है मंत्री जी।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, कोई सूचना नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

जो बंद चीनी मिल थी, उससे संबंधित था, जो बन रही है उससे क्या मतलब ? आप बैठिए।

प्रदेश में डेंगू के उन्मूलन करने हेतु प्रभावी कार्य योजना

*04-श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में डेंगू के प्रकोप से हर वर्ष काफी जानें जा रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके स्थाई रूप से उन्मूलन हेतु कोई योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण राज्य मंत्री (श्री शंखलाल मांझी)-

जी नहीं।

प्रदेश में डेंगू रोग से बचाव एवं नियंत्रण की राज्य मुख्यालय द्वारा प्रभावी कार्य योजना बनाकर जनपदों को निर्देश प्रेषित किये जाते हैं, जिसके अनुसार जनपदों द्वारा यथावश्यकतानुसार कार्य योजना बनाकर इस रोग पर प्रभावी नियंत्रण किया जाता है।

श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न था कि डेंगू से हर वर्ष कितनी मृत्यु होती है। प्रश्न में काफी छपा है और इसलिए सरकार के पास आंकड़े नहीं हैं और आंकड़े न होने में ही भलाई है लेकिन मैंने पूछा था इस रोग के स्थायी रूप से उन्मूलन की क्या योजना है ? सरकार ने जो जवाब दिया है उसमें जनपदों को निर्देश प्रेषित किया जा रहा है कि जनपद आवश्यकता अनुसार कार्य योजना बना लें। अतः इसकी कोई कार्य योजना नहीं है। यह सबको पता है कि डेंगू साल में केवल दो-तीन महीने में फैलती है। सितम्बर और अक्टूबर के महीने में यह जोरदार ढंग से फैलती है और उत्तर प्रदेश के हर जिले में फैलती है। खासकर गोरखपुर, वाराणसी, मिर्जापुर में जोरों से फैलती है। अभी पिछले साल सितम्बर अक्टूबर में कबीरचौरा सरकारी अस्पताल और निजी अस्पताल इस रोग से भरे पड़े थे और निजी अस्पतालों के अलावा निजी घरों में कितने लोग थे। इसके कोई आंकड़े नहीं प्राप्त हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह स्त्री-पुरुष दोनों में पायी जाती है और इसका आक्रमण मुख्य रूप से बच्चे होते हैं, मलिन बस्तियां होती हैं और गरीब तबके का व्यक्ति होता है। इससे भी बड़ी मुख्य बात यह है कि हर वर्ष यह बीमारी पिछले वर्ष से उत्तरोत्तर बढ़ के आती है। ऐसी हालत में सरकार के पास आंकड़े इससे मृत्यु के न होना बड़ा दुःखद है। दूसरी बात अभी यह महीने में यह बीमारी फिर आयेगी जरूरी है कि सरकार कोई स्थायी कार्य योजना इसके उन्मूलन को ध्यान में रखते हुए करे कि यह बीमारी आने ही न पाये, क्योंकि यह गांव-गांव में लगती है और गांव में बच्चे अपने घरों में बिस्तर पर पड़े तड़पते रहते हैं बुखार से, परिवार वाले समझ ही नहीं पाते हैं कि यह हुआ क्या है और कहीं वह बुखार की दवा खाकर मर भी जाते हैं तो पता नहीं चल पाता है कि किस बीमारी से मरे। इसलिए यह जरूरी है कि इसके लिए व्यापक उपचार की व्यवस्था किया जाए शहरों में अस्पतालों में यह निर्देश पहुंच जाता है।

श्री अध्यक्ष-

माननीया श्रीवास्तव जी, आप प्रश्न तो करें।

श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव-

मैं यह जानना चाहती हूं कि आप इसको फैलने से पहले कौन सा कदम उठाएंगे और फैलने के बाद उपचार की क्या व्यवस्था करेंगे, जिससे कि गांव-गांव में इसके उपचार की व्यवस्था हो सके।

श्री शंखलाल मांझी-

मा0 अध्यक्ष जी, विदवान सदस्य ने अभी कहा कि सरकार के पास आंकड़ा नहीं है। सरकार के पास आंकड़ा है। डेंगू से वर्ष 2008 में कुल 51 रोगी पाये गए थे, जिसमें से दो की मृत्यु

हुई। वर्ष 2009 में 161 रोगी पाये गए थे और 2 की मृत्यु हुई थी। वर्ष 2010 में 960 रोगी पाये गए और मृत्यु 8 हुई थी। वर्ष 2011 में संख्या फिर घटकर कुल 155 रोगी पाये गए और उसमें मृत्यु 5 की हुई थी। वर्ष 2012 में 369 रोगी पाये गए और मृत्यु 4 हुई थी। वर्ष 2013 में अब तक सबसे ज्यादा रोगियों की संख्या पायी गई जो कि 1414 है लेकिन मृत्यु सिर्फ 5 हुई हैं। ये मृत्यु के आंकड़े, जवाब सुन लीजिए पूरा। जवाब पूरा सुन लीजिए डा0 साहब जवाब तो सुन लीजिए।

(व्यवधान)

मान्यवर, यह तो हमारे मरीजों की संख्या है जो मैंने बतायी है। यह कहना कि सरकार के पास आंकड़ें नहीं हैं यह बात खेदजनक है। मान्यवर, सरकार के पास आंकड़े हैं। सरकार उसके लिए प्रयत्नशील है और इस पर प्रभावी नियंत्रण की कार्यवाही भी की जा रही है। मान्यवर, यह डेंगू जो है, जिसको यह एसिड रोजपटाई टाइगर मच्छर भी कहा जाता है और, इसके काटने से व्यक्ति प्रभावित होता है। आपका यह कहना सही है कि यह महामारी के रूप में फैलती है। जो इसके जनित कारण हैं उसमें यह है कि यह बरसात के शुरू के दिनों में होती है। पहली बात यह जो टाइगर मच्छर है, साफ पानी में इसका प्रजनन होता है। यह 16 से 40 डिग्री सेन्टीग्रेट तक सर्वाइव करता है। यह सिर्फ दिन में काटता है और काटने के बाद 3-4 दिनों के अंदर इसका वायरस प्रभावित होता है।

(डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी कृपया प्रश्न के उत्तर का विस्तारीकरण करने का न कष्ट करें। आपने इसके प्रभावी रोकथाम के लिए क्या उपाय किये हैं वह बताने का कष्ट करें ?

श्री शंखलाल मांझी-

श्रीमन् जो इसके बचाव के उपाय हैं वह मैं बता रहा हूं। मान्यवर, इसमें कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जाता है। सरकारी कर्मचारी घरों के अन्दर जाकर, जो मच्छरों के प्रजनन स्थल हैं, वहां पर जाकर दवाओं के छिड़काव का कार्य करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय डाक्टर साहब, माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य ने प्रश्न किया कि क्या इसके रोकथाम का कोई उपाय है उनका कहने का आशय यही था कि क्या इसका कोई उपाय रोकथाम का सरकार के मन में है या हो जाने के बाद उसका कोई उपचार है तो यह दो प्रश्न पूछा था कि सरकार की कोई कार्य योजना है तो उनकी कार्य योजना तो सुन लीजिए। उतना ही सुनिये ज्यादा न सुनिये उनकी कार्य योजना तो सुन लीजिए।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, वह इस बीमारी के बारे में सब कुछ जानकारी दे रहे हैं आज का दिन बहुत अच्छा है। जैसे वह आलू की खेती के बारे में बता रहे थे वैसे यह इस बीमारी के बारे में बता रहे हैं। एक अलग से परीक्षा क्लास करा लें सारे विधायकों की। (व्यवधान)

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मैं यह निवेदन कर रहा था कि माननीय मांझी जी ने डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी को संतुष्ट करने के लिए उनके प्रजनन स्थल तक की व्यवस्था करने का इंतजाम कर दिया अब वह क्या करें।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं गोरखपुर की बात तो छोड़ दूं जहां चर्चा होती है कि यहां बहुत से लोग मरते हैं हमारे नेता विधायक दल शामली से आते हैं हमलोग रिकार्ड पर कह रहे हैं कि शामली में 90 मरीज मर चुके हैं अब सवाल यह है कि सरकार अगर सारे आंकड़ों को इस प्रकार से छिपाती ही रहेगी, [xxx] शब्द कहना उचित नहीं है क्योंकि अनपार्लियामेन्ट्री है।

श्री अध्यक्ष-

आपने तो कह ही दिया वह लिखा नहीं जायेगा।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, हमने कहा कि कहना बेहतर नहीं है, नहीं कहेंगे, न हीं कहा है।

श्री अध्यक्ष-

बहुत होशियारी से कहा वह लिखा नहीं जायेगा।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

यह असत्य, इसको असत्य कहकर भी नहीं छोड़ा जा सकता। झूठ और सत्य के बीच में असत्य आता है वहां तक इसको सीमित नहीं किया जा सकता है यह एक संवेदनहीन रवैया है सरकार का क्योंकि डेंगू के मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले शहरों में होती थी यह बीमारी यह एक सच है लेकिन आज गांवों में यह बीमारी फैल चुकी है। हमारे जो पीडियाट्रिक एसोसियेशन के आर्गनाइजेशन्स हैं उन्होंने गांव में इस बीमारी के फैलने के ऊपर सारे अनुसंधान कर डाले सरकार अभी उनकी ओर देख तक नहीं रही है। यह कहती है कि जो लोगों के घरों में पानी है उसमें फैलता है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच रही है। यह बाढ़ के पानी में फैलता है, सुन तो लीजिए माननीय मंत्री जी आपको बोलने का अवसर होगा आप बोलियेगा।

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार कहती है कि लोगों के घरों के कंटेनर में जो सादा पानी होता है उसमें बीमारी फैलती है अपनी जिम्मेदारी से बचना चाह रही है। सच्चाई यह है कि जहां कहीं बरसात हो और जहां कहीं भी पानी लगे अगर उस पानी को नहीं हटाया गया तो वहां डेंगू फैलता है। अब यह जिम्मेदारी किसकी है यह जिम्मेदारी सरकार की है कि प्रदेश के अन्दर जहां कहीं जल जमाव हो रहा है डेंगू की रोकथाम के लिए उस जल जमाव को तुरन्त समाप्त किया जाय। सरकार उससे बचने की कोशिश कर रही है अब दूसरी चीज मान लीजिए बरसात खत्म हो गयी सरकार तो रहेगी तीन साल क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि जहां जल जमाव हो रहा हे वहां जल जमाव

[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

न होने पाये नम्बर एक, जांच की किट चिकित्सालयों में उपलब्ध नहीं है मैं सदन में कह रहा हूं और तीसरी चीज जीवन रक्षा के लिए हम लोगों को इसके लिए प्लेटलेट्स देना पड़ता है जो मशीने पिछली बसपा सरकार में बहुत प्रयास करने के बाद खरीदी गयीं थी बड़ी उच्च क्वालिटी की थी क्योंकि हम नहीं कहेंगे आज वह काम नहीं कर रही हैं। आपकी जानकारी में होगा मान्यवर, आप गोरखपुर जाते हैं क्या आप उन मशीनों की जांच करवा करके अगर वह खराब हो गयी हैं उनके स्थान पर सही मशीन लगवाने की योजना बनवायेंगे ?

श्री शंख लाल मांझी-

माननीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश में जैसा आप जानते हैं बरसात जब भी होती है तो जगह-जगह पानी इकट्ठा हो जाता है आपने कहा कि बरसात के पानी में बाढ़ के पानी में, बाढ़ के पानी में यह प्रजनन नहीं हो सकता है ताजे पानी में फ्रेश पानी में टाइगर मच्छर जो होता है उसका प्रजनन सिर्फ साफ पानी में ही होता है। उसके लिए तरीका यह है कि हम लोगों की तरफ से जागरूक किया जाय सरकार का प्रयास होता है, इसके लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और उसके लिये सबसे जरूरी होता है जन-जागरण और जनता के बीच में इसकी जानकारी होना कि कैसे इसको रोका जा सकता है। हमारी सरकार की तरफ से यह प्रयास होता है, हमारी कमेटी बनी हुयी है, जिलास्तर पर कमेटी बनी हुयी है, अनुश्रवण समिति बनी हुयी है, इन कमेटियों के माध्यम से इनका नियंत्रण करने के लिये, जहां पर संक्रमण हो सकता है, उस जगह के बारे में लोगों को जानकारी कराया जाता है। बच्चों को स्कूलों में इसके बारे में जानकारी/सुझाव दिया जाता है। बच्चों को सुझाव देने के साथ-साथ और हमारी जो लोकल टीम होती है, वह उस पर काम करती है। जहां तक आपने कहा कि इसकी किट्स नहीं है तो डाक्टर साहब आपको यह पता है कि इसके लिये जो 5 दिन के अंदर के लिये ज्वर होता है, एलीजावेस का एन0एस-1, यह जांच के लिये हर जिला चिकित्सालय पर उपलब्ध है और 5 दिन से ज्यादा ज्वर की स्थिति में इसकी आपूर्ति भारत सरकार के माध्यम से पुणे से होती है और उत्तर प्रदेश के 26 सेन्टरों पर यह उपलब्ध है। अब जो मौतों की बात आप कह रहे हैं और आकड़ें छुपाने की बात कह रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि सरकार कोई आंकड़ा नहीं छुपा रही है, सरकार के पास जो आंकड़े हैं वह हम दे रहे हैं, अगर आप कोई नई बात सरकार के संज्ञान में लायेंगे तो उसकी जांच कराकर उस पर कार्यवाही की जायेगी।

प्रदेश में बनाई जाने वाली आवासीय कालोनियों में कमजोर आय वर्ग के लोगों को सस्ता आवास दिलाने की नीति

*05-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विकास प्राधिकरणों, आवास विकास परिषद्, उ0 प्र0 प्राइवेट बिल्डर्स द्वारा भविष्य में बनाई जाने वाली आवासीय कालोनियों में समाज के कमजोर आय वर्ग के लोगों को सस्ता आवास दिलाने की कोई योजना पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

आर्थिक दृष्टि से दुर्बल एवं अल्प आय वर्गों के व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक, निजी एवं सहकारी क्षेत्र की नई आवासीय योजनाओं में आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु शासनादेश सं0-3188/आठ-1-13-80 विविध/2010 दिनांक 05-12-13 द्वारा संशोधित नीति निर्गत की गयी है।

संशोधित नीति में सार्वजनिक, निजी एवं सहकारी क्षेत्र की नई आवासीय (भू-खण्डीय विकास एवं ग्रुप हाउसिंग) योजनाओं में प्रस्तावित कुल आवासीय इकाइयों (भू-खण्ड अथवा फ्लैट) का न्यूनतम 10-10 प्रतिशत (कुल 20 प्रतिशत) ई0डब्ल्यू0एस0 एवं एल0आई0जी0 भवनों का निर्माण कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनिवार्य किया गया है। संशोधित नीति में पुनरीक्षित मानकों के अनुसार ई0डब्ल्यू0एस0 व एल0आई0जी0 परिवार की वार्षिक आय क्रमशः रु0 1.00 लाख व रु0 1.00 लाख से अधिक परन्तु रु0 2.00 लाख तक तथा ई0डब्ल्यू0एस0 एवं एल0आई0जी0 भवनों का सीलिंग मूल्य क्रमशः रु0 3.25 लाख तथा रु0 7.00 लाख निर्धारित किया गया है।

इस नई नीति के अनुसार प्रदेश में कमजोर आय वर्ग के लोगों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो संशोधित नई नीति 05 दिसम्बर, 2013 से लागू है, इसमें माननीय मंत्री जी ने बताया है कि ई0डब्लू0एस0 एवं एल0आई0जी0 के भवनों के निर्माण के लिये सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र सभी स्थानों पर इसके शासनादेश जारी कर दिये गये हैं आपने इसमें बताया कि कतिपय शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन इसे अनिवार्य किया गया है। मान्यवर, इसमें पहली बात तो हम यह जानना चाहेंगे कि वह प्रतिबंध और शर्त कौन-कौन से हैं और दूसरा, क्या जो भी बिल्डर्स हैं या सार्वजनिक या निजी क्षेत्र हैं, अगर वह 10 प्रतिशत भवनों का निर्माण नहीं करते तो क्या उनके ऊपर कोई दंड का भी प्रावधान है।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यवहारिक नीति लाई गयी है अभी तक जो गरीब, गरीबी रेखा के नीचे थे उनके लिए यह व्यवहारिक नीति लाई गई है, नीति पहले भी थी लेकिन उन लोगों को मकान नहीं मिल पा रहे थे तो अब यह नीति ला करके प्रतिबन्ध लगाया गया है कि जिनकी आय एक लाख से अधिक परन्तु 1 लाख से 2 लाख रुपए निर्धारित की गई है, उन्हें अवश्य मकान दिलाया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नों का समय समाप्त।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, अगर कोई बिल्डर्स या सार्वजनिक क्षेत्र इसको लागू नहीं करता है तो क्या उसके लिए भी कोई प्रावधान बनाया गया है, ऐसा होने पर क्या करेंगे ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, अवश्य दिलाया जायेगा अन्यथा जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, वह की जायेगी।

प्रदेश में विद्युत संकट से निजात दिलाने एवं अन्य प्रदेशों की भांति विद्युत दरों को कम करने की मांग

*06-श्री प्रदीप माथुर, श्री मनीष असीजा, डा0 अरूण कुमार, श्री दलवीर सिंह, श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री रविदास मेहरोत्रा तथा श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेशवासियों को विद्युत संकट से निजात दिलाने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्ययोजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश में वर्तमान में प्रचलित विद्युत दरों को अन्य प्रदेशों की भांति कम करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु नियामक आयोग द्वारा उपभोक्ता तक विद्युत आपूर्ति के लिए औसत विद्युत आपूर्ति लागत रु0 6.12 तथा औसत विद्युत क्रय मूल्य रु0 3.56 अनुमोदित किया है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु औसत विद्युत आपूर्ति लागत रु0 7.09 आंकलित की गयी है। वर्ष 2014-15 में वर्तमान दरों पर राजस्व प्राप्ति रु0 4.94/यूनिट आंकलित की गयी है। अतः औसत विद्युत आपूर्ति लागत तथा औसत विक्रय मूल्य के दृष्टिगत वर्तमान दरों को कम किया जाना सम्भव प्रतीत नहीं होता।

मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार कतिपय प्रदेशों में निर्वाध विद्युत आपूर्ति की मांग

*07-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ताज ट्रिपेजियम जोन (टी0टी0जेड0) के अन्तर्गत आगरा, मथुरा, हाथरस एवं फिरोजाबाद के लिए मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्बाध विद्युत आपूर्ति के आदेशों के उपरान्त भी इन क्षेत्रों में लगातार 08-10 घण्टे तक की विद्युत कटौती की जा रही है जिसकी वजह से किसान, व्यापारी एवं आम जनता को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तथा छात्रों के भविष्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ टी0टी0 जेड0 क्षेत्र में निर्बाध आपूर्ति प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

टी0टी0 जेड0 के अन्तर्गत मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्बाध विद्युत आपूर्ति के आदेश हैं। आगरा क्षेत्र, आगरा से सम्बन्धित जनपद आगरा, मथुरा एवं फिरोजाबाद में प्रणाली नियंत्रण इकाई द्वारा निर्धारित विद्युत आपूर्ति शिड्यूल के अनुसार एवं विद्युत की उपलब्धता के आधार पर उक्त क्षेत्र में आपूर्ति की जा रही है।

विद्युत की उपलब्धता के आधार पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगरा बादशाहपुर में शान्तीनगर से भैसतारामपुर क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग की मरम्मत की मांग

01-श्रीमती सीमा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगरा बादशाहपुर में शान्तीनगर से भैसतारामपुर सम्पर्क मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण आवागमन बाधित है ? यदि हां, तो इसकी मरम्मत कब तक करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पीलीभीत के कतिपय गांवों की क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने की मांग

02-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत कनपरा अल्पिका की पटरी पर गांव भीखमपुर (वकैनिया तालुके रामपुर अमृत) से गांव पसगवां तक जाने वाले मार्ग क्षतिग्रस्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद गोरखपुर की कतिपय सड़कों के क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने की मांग

03-श्री जयप्रकाश निषाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला-गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी-चौरा के अन्तर्गत फुटहवा इनार से सुनवरसा बाजार तक की सड़क क्षतिग्रस्त है ? क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत/पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

प्रश्नगत मार्ग की लम्बाई 10.25 कि0मी0 है। प्रश्नगत मार्ग का कि0मी0 1 सोनबरसा बाजार में पड़ने के कारण क्षतिग्रस्त होता रहता है। इसे ठीक करा दिया गया है। कि0मी0 2 व 3 में पी0सी0 का कार्य वित्तीय वर्ष 2012-13 में पूर्ण कराया जा चुका है एवं मार्ग की दशा संतोषजनक है। कि0मी0 4, 5, 6 व 7 के नवीनीकरण का कार्य प्रगति में है। मार्ग के अन्य कि0मी0 8, 9, 10 एवं 11 (250) में पैच मरम्मत का कार्य करा दिया गया है एवं मार्ग पैचलेस है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

04-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

[दिनांक 25-02-2014 के अता0प्र0सं0-18 द्वारा उत्तरित]

जनपद मऊ के अलीनगर से कठघरा क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

05-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ में अली नगर से कठघरा तक जाने वाली सड़क (शहीद मार्ग) मरम्मत के अभाव में विगत कई वर्षों से अत्यन्त क्षतिग्रस्त एवं गड्ढेयुक्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत/पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

जनपद मऊ में अलीनगर-इन्दारा मझवारा मधुबन मार्ग (शहीद मार्ग) के कि0मी0 1 से 23.400 तक के उच्चीकरण व सुदृढ़ीकरण के कार्य हेतु शासनादेश दिनांक 02-01-2013 द्वारा कुल रु0 4406.06 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। प्रश्नगत मार्ग पर 2.500 कि0मी0 में डी0बी0एम0 व 3.500 कि0मी0 डब्लूएम0एम0 तक कार्य पूर्ण करा दिया गया है। शेष कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महराजगंज के ग्राम सेखुई मदनपुरा माइनर के क्षतिग्रस्त भूमि के मुआवजे के भुगतान की मांग

06-श्री शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज के गण्डक नहर प्रणाली की सेखुई मदनपुरा माइनर के ग्राम सेखुई के किसानों की वर्षों पुरानी अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे के विषय में विधान सभा के प्रथम सत्र, 2013 के तीसरे बुधवार के अतारांकित के प्रश्न सं0 175 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गणना चक की अधिकारियों द्वारा स्वीकृति एवं मुआवजे के भुगतान की कार्यवाही कर ली गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

भू-प्रतिकर भुगतान हेतु मुख्य अभियन्ता (गण्डक), सिंचाई विभाग, गोरखपुर के पत्रांक-69/मु0अ0मो0/भूमि दिनांक 24-01-2014 द्वारा कृषकों की अधिग्रहीत भूमि के अवशेष भू-प्रतिकर का गणना-चक्र रु0 89.31 लाख का तैयार कर कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ को प्रेषित कर दिया गया है, जो परीक्षणाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र निघासन के तिकुनिया-गंगानगर के क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत कराये जाने की मांग

07-श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र निघासन जनपद लखीमपुर खीरी का तिकुनियां-गंगानगर (बनवीरपुर होते हुये) पक्के मार्ग व उस पर स्थित लम्बिप्या पुल बाढ़ के कारण पिछले पांच वर्ष से पूरी तरह क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो सरकार इसकी मरम्मत कब तक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद लखीमपुर खीरी विधान सभा निघासन तिकुनिया-गंगानगर मार्ग की कुल लम्बाई लगभग 8.600 कि0मी0 है। मार्ग के चैनेज 1.700 से 3.200 (लम्बाई 1.500 कि0मी0) लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में है और क्षतिग्रस्त है। मार्ग के चैनेज 7.300 से 8.600 (लम्बाई 1.300 कि0मी0) पर लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व है जिसकी स्थिति संतोषजनक है। मार्ग का शेष भाग लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित नहीं है।

लम्बिटुआ (लम्बिया) पुल, मार्ग के चैनेज 6.20 में स्थित है, मार्ग के इस भाग पर लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व नहीं है।

लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व वाले क्षतिग्रस्त भाग चैनेज 1.700 से 3.200 (लम्बाई 1.500 कि0मी0) तक की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के गरीब दलितों को सरकारी आवास नीति के अनुसार फ्री-होल्ड करने की मांग

08-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नजूल भूमि के फ्री-होल्ड की क्या कोई नीति वर्तमान में है ? यदि हां, तो क्या सरकार गरीबों, दलितों को सरकारी आवास नीति के अनुसार पुनर्वासन/आवास प्रदान करने को दृष्टिगत करते हुये फ्री-होल्ड करने वाली भूमियों में 30 प्रतिशत भूमि शासन के पास सुरक्षित रखने की नीति बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

नयी नजूल नीति बनाये जाने की कार्यवाही की जा रही है, जिसमें नजूल भूमि को फ्री-होल्ड किये जाने का प्राविधान समावेशित है।

नयी नजूल नीति में इस प्रकार का कोई प्राविधान विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गाजियाबाद के मोदीनगर से सौन्दा मार्ग नहर के क्षतिग्रस्त पुल के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

09-श्री सुदेश शर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद में मोदीनगर से सौन्दा मार्ग नहर के पुल तक अत्यन्त क्षतिग्रस्त होने के कारण क्षेत्रीय किसानों को आवागमन में हो रही असुविधा के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 219/रालोद/ वि0म0द0/2013 दिनांक 28-11-2013, मा0 लोक निर्माण मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

मोदीनगर से सौंदा मार्ग रा0मा0 58 के कि0मी0 43 ''मोदीनगर'' से प्रारम्भ होकर सौंदा काकड़ा रेवडी-रेवड़ा तक जाता है, जिसकी लम्बाई 22.400 कि0मी0 है जो अन्य जिला श्रेणी का मार्ग है। इस मार्ग की नहर के पुल तक लम्बाई लगभग 6.300 कि0मी0 है। इस मार्ग के मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद गाजियाबाद के मोदीनगर से खंजरपुर मार्ग के साइड पटरी के निर्माण के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

10-श्री सुदेश शर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद में मोदीनगर से खंजरपुर मार्ग के चौड़ीकरण एवं दोनों साइडों में साइड पटरी के निर्माण की मांग के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-215/रालोद/वि0म0द0/2013 दिनांक 28-11-2013 मा0 लोक निर्माण मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

यह मार्ग जनपद गाजियाबाद में रा0मा0-58, के कि0मी0 43 ''मोदीनगर'' से दांयी ओर से प्रारम्भ होकर खंजरपुर तक जाता है जोकि ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है, जिसकी वर्तमान चौड़ाई 3.00 मी0 है। यह ग्रामीण मार्ग वर्तमान में चौड़ीकरण हेतु निर्धारित यातायात घनत्व के मानकों के अनुरूप नहीं है।

लेपित सतह के दोनों ओर कच्ची पटरियों पर मरम्मत का कार्य आवश्यकतानुसार कराया जाता है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के ग्राम सभा मलोखर मेन रोड पर वि0खं0 नियामताबाद के जर्जर तार को बदलने सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

11-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा-मलोखर मेनरोड पर वि0खं0-नियामताबाद में जर्जर तार को बदलने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ख-5 एन/321516 दिनांक 27-11-2013 को अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-II मुगलसराय, जनपद-चन्दौली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा-मलोखर मेन रोड पर विकास खण्ड नियमताबाद में सर्वे कराकर जहां आवश्यकता थी, वहां लगभग 500 मीटर जर्जर तार बदल दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के ग्राम कोलवा के हनुमान खिरफ में विद्युतीकरण कराये जाने की मांग

12-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड बड़ागांव के ग्राम कोलवा के हनुमान खिरफ में विद्युतीकरण न होने के कारण निवासियों को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मजरा हनुमान खिरफ में राजीव गांधी योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड बड़ागांव के ग्राम कोलवा के हनुमान खिरफ (खिरक हनुमान की टोरिया) आंशिक रूप से विद्युतीकृत है।

जनपद झांसी में बबीना विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड बड़ागांव के ग्राम कोलवा के हनुमान खिरफ (खिरक हनुमान की टोरिया) के विद्युत संतृप्तीकरण का कार्य 12वीं पंचवर्षीय योजना की राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना फेज-3 में सम्मिलित है, जिसकी निविदायें प्रकाशन की प्रक्रिया में है।

प्रश्न नहीं उठता।

तदैव।

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के ग्राम फुटेरा बरुआ सागर मजरा में विद्युतीकरण कराये जाने की मांग

13-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-झांसी बबीना विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड बड़ागांव के ग्राम फुटेरा बरुआ सागर मजरा में विद्युतीकरण न होने से नागरिकों को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजनान्तर्गत विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद झांसी, बबीना विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड बड़ागांव के ग्राम फुटेरा बरुवा सागर आंशिक रूप से विद्युतीकृत है एवं इसके मजरे अविद्युतीकृत है।

झांसी बबीना विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड बड़ागांव का ग्राम फुटेरा बरुवा सागर विद्युत संतृप्तीकरण हेतु 12वीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित है, जिसकी निविदायें प्रकाशन की प्रक्रिया में है। उक्त गांव के मजरों की जनगणना का आंकड़ा सेनसैक्स 2001 के अनुसार 100 से कम होने के कारण इनका विद्युतीकरण 12वीं पंचवर्षीय योजना की राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना फेज-3 में सम्मिलित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

तदैव।

14-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

[2सरे सोमवार के अता0प्र0सं0-135 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र करधना के बेन्दौं खनिका मार्ग पर पुलिया निर्माण की मांग

15-श्री दीपक पटेल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद विधान सभा क्षेत्र करछना स्थित बेन्दौं रवनिका मार्ग पर स्थित पुलिया अभी तक निर्मित नहीं हो पाई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुलिया का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्नगत पुलिया का आगणन/प्रस्ताव जिला योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में शासन में प्राप्त हुआ था, परन्तु वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण उक्त पुलिया की स्वीकृति किया जाना संभव नहीं हो पाया है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मथुरा के ग्राम रामबाग सिवाला पर क्षतिग्रस्त पुल व सड़क निर्माण की मांग

16-श्री दलवीर सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के बाजना गोमत रोड, मांट ब्रांच पर ग्राम रामबाग सिवाला पर बना पुल सड़क की चौड़ाई के अनुसार संकरा है तथा पुल की पैराफिट व पुल पर बनी सड़क क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार पुल की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

पुल संकरा होने एवं मार्ग पर भारी यातायात होने के कारण पुल की पैरापिट क्षतिग्रस्त होती रहती है, जिसकी तत्काल समय-समय पर मरम्मत करा दी जाती है। मार्ग की दशा संतोषजनक है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ परगना बिजनौर की ग्राम सभा बरौली खलीलाबाद की भूमि को अर्जन मुक्त करने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

17-साध्वी निरंजन ज्योति-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री प्रदीप माथुर, सदस्य विधान सभा का दिनांक 19 जून, 2013 का पत्र जो कि खसरा नम्बर 1627 ग्राम सभा बरौली खलीलाबाद, परगना बिजनौर, जनपद लखनऊ को अर्जन मुक्त करने हेतु संलग्नक सहित आवास आयुक्त, उ0 प्र0 आवास विकास

परिषद् लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

किन्तु खसरा संख्या-1627 मि0 ग्राम-बरौली खलीलाबाद, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ की भूमि को अर्जनमुक्त करने के सम्बन्ध में श्रीमती मन्जुलिका मिश्रा पत्नी राम आसरे मिश्रा मकान नं0-3/261 विनय खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ का प्रत्यावेदन मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्र संख्या-17763/ओ0एस0डी0 (जे0)/सी0एम0/2013 दिनांक 21-5-2013 द्वारा परिषद् को प्राप्त हुआ है।

उल्लेखनीय है कि नियोजन समिति द्वारा उल्लिखित पक्का निर्माण व बाउन्ड्रीवाल से हटकर परिषद् की कब्जा प्राप्त भूमि के कुछ हिस्से में आवेदिका श्रीमती मंजुलिका मिश्रा व श्री राम आसरे मिश्रा द्वारा भूमि क्रय की गयी है जो कि परिषद् द्वारा अधिग्रहीत व दिनांक 07-10-2008 को कब्जा प्राप्त है। परिषद् की अधिग्रहीत व कब्जा प्राप्त भूमि में से क्रेता श्रीमती मंजुलिका मिश्रा व श्री राम आसरे मिश्रा द्वारा क्रय की गयी भूमि को अर्जनमुक्त किया जाना अथवा समायोजित किया जाना नियमानुसार सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ के ब्लाक दोहरी घाट के ग्राम सियरही बर्जला के अनुसूचित बस्ती में विद्युतीकरण की मांग

18-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मऊ के ब्लाक दोहरी घाट के ग्राम सियरही बर्जला के मौजा बनरही अनुसूचित बस्ती में विद्युतीकरण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो कब तक विद्युतीकरण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद मऊ के ब्लाक दोहरी घाट के ग्राम सियरही बर्जला के मौजा बनरही अनुसूचित बस्ती में आंशिक विद्युतीकरण के तहत केबिल द्वारा विद्युत आपूर्ति की जा रही है जिसमें माह 9/2013 में ट्रांसफार्मर को 25 के0वी0ए0 से 63 के0वी0ए0 में परिवर्तित कर विद्युत आपूर्तिं की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

तदैव।

जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन के ब्लाक फतहपुर के ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने की मांग

19-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन के ब्लाक फतहपुर मण्डाव के अन्तर्गत तिनहरी की दक्षिण अनुसूचित जाति बस्ती, ग्राम सभा नेमडाड़ के

गुप्ता कुम्हार बस्ती एवं मुस्लिम बस्ती पूर्वी तरफ का विद्युतीकरण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो उक्त ग्रामों का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जिला मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन के ब्लाक फतहपुर मण्डांव के अन्तर्गत ग्राम सभा तिनहरी की दक्षिणी अनुसूचित जाति बस्ती, ग्राम सभा नेमडाड के गुप्ता कुम्हार बस्ती एवं मुस्लिम बस्ती पूर्वी तरफ को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (बारहवीं योजना) के अन्तर्गत आच्छादित कर लिया गया है। डी0पी0आर0 भारत सरकार की नोडल संस्था मै0 आरईसी, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। भारत सरकार से धन प्राप्त होने के उपरान्त उपरोक्त विद्युतीकरण का कार्य करा पाना सम्भव हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ के विकास खण्ड बड़रांव के खोनाचवर बस्ती के क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

20-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मऊ के विकास खण्ड-बड़रांव के अन्तर्गत बोझी अतरसांवा मार्ग से खोनाचवर अनु0 बस्ती होते हुए राजभर बस्ती तक लगभग 1.5 कि0मी0 सड़क क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त सड़क की मरम्मत/पुनर्निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मऊ के ब्लाक फतहपुर की ग्राम सभा मुस्तफाबाद से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नेमडाड़ मार्ग का लेपन कार्य कराये जाने की मांग

21-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मऊ के ब्लाक फतहपुर मण्डांव के अन्तर्गत ग्राम सभा मुस्तफाबाद से पहाड़ीपुर होते हुए मधुबन बेल्थरा मार्ग तक ग्राम सभा नेमडाड़, चन्द्रापार मार्ग से अलीपुर मुस्तफाबाद नहर पिच एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नेमडाड़ मार्ग कच्चा होने से आवागमन में असुविधा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों का लेपन स्तर तक निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

ग्राम मुस्तफाबाद से पहाड़ीपुर होते हुए मधुबन बेल्थरा मार्ग तक 0.500 कि0मी0 खड़न्जा तथा 0.800 कि0मी0 कच्चा है एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नेमडाड़ मार्ग खड़न्जा स्तर का है, जिनका निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा कराया गया है जो लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में नहीं है।

नेमडाड़ चन्द्रापार मार्ग से अलीपुर मुस्तफाबाद नहर पिच तक सम्पर्क मार्ग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व का अर्द्ध निर्मित मार्ग है।

लो0नि0वि0 के स्वामित्व के मार्ग का लेपन कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी सहित प्रदेश में बालिकाओं की लगातार घटती जनसंख्या को रोकने के उपाय

22-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी सहित प्रदेश में बालिकाओं की लगातार घट रही संख्या को रोकने के लिये कोई कारगर योजना सरकार बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

लिंग चयन तथा कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम हेतु भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 जनपद लखीमपुर खीरी सहित पूरे उत्तर प्रदेश में प्रभावी रूप से पूर्व से ही लागू है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्रतिवर्ष नदियों की बाढ़ से फसलों के नुकसान को रोकने के उपाय

23-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रतिवर्ष नदियों में बाढ़ आने से लाखों एकड़ भूमि पर खड़ी फसलें बर्बाद होती हैं तथा करोड़ों की संख्या में जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इससे होने वाले नुकसान को रोकने के लिये कोई उपाय करेगी ? यदि हां, तो कैसे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रदेश में बाढ़ से होने वाले नुकसान को रोकने के लिये विभिन्न नदियों के किनारे बाढ़ की दृष्टि से चयनित अतिसंवेदनशील/संवेदनशील स्थलों पर तटबन्ध एवं कटाव निरोधक निर्माण कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कराये जाते हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित विद्युत कटौती को कम करने के प्रयास

24-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में घोषित एवं अघोषित विद्युत कटौती को कम करने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

ग्रामीण क्षेत्रों में घोषित विद्युत कटौती का निर्धारण प्रणाली नियंत्रण, लखनऊ द्वारा विद्युत ग्रिड को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। अघोषित विद्युत कटौती को कम करने हेतु विद्युत लाइनों 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों का सुदृढ़ीकरण विभिन्न योजनाओं जैसे-बिजनेस प्लान, आर0ए0पी0डी0आर0पी0 आदि के अन्तर्गत किया जाता है, जिससे विद्युत फाल्ट कम से कम आये। यदि फाल्ट आ जाता है तो विभागीय कर्मचारियों/ठेके के कर्मचारियों द्वारा उसको दूर करने हेतु युद्ध स्तर पर कार्य कर फाल्ट दूर कर विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी जाती है। यदि फाल्ट की अवधि ज्यादा अधिक हो जाता है तो उक्त अवधि की विद्युत आपूर्ति की भरपाई सिस्टम कन्ट्रोल, लखनऊ द्वारा करायी जाती है। कभी-कभी अपरिहार्य कारणों जैसे प्राकृतिक आपदा (आंधी, बाढ़, तूफान, चक्रवात) इत्यादि के कारण अघोषित विद्युत कटौती करना पड़ता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी-चौरा के सरैया शुगर फैक्ट्री पर किसानों के गन्ना मूल्य के बकाये का भुगतान

25-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र चौरी-चौरा के अन्तर्गत सरैया शुगर फैक्ट्री पर किसानों के अब तक के बकाये गन्ना मूल्य का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

दिनांक 14-02-2014 की स्थिति के अनुसार सरैया शुगर मिल्स लि0, सरदारनगर, जनपद गोरखपुर पर गन्ना मूल्य के मद में विभिन्न वर्षों का कुल रु0 2824.22 लाख बकाया है।

चीनी मिल सरदारनगर मा0 बी0आई0एफ0आर0 में दिनांक 26-3-1997 से पंजीकृत है। मा0 बी0आई0एफ0आर0 के आदेश दिनांक 5-8-2008 के द्वारा अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान चीनी मिल द्वारा तीन समान किश्तों में किये जाने के निर्देश दिए गये है जिसकी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किश्त क्रमशः मार्च, 2009, 2010 एवं 2011 में देय थी, परन्तु चीनी मिल द्वारा कोई धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है। तत्क्रम में गन्ना आयुक्त के पत्र संख्या-796/सी/क्रय/गन्ना मूल्य/2010-11 दिनांक 06 जून, 2011 द्वारा अवशेष गन्ना मूल्य की वसूली किये जाने हेतु ब्याज सहित रु0 6321.79 लाख का वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया। चीनी मिल ने उक्त वसूली प्रमाण-पत्र के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ में रिट याचिका

संख्या-5917 (एम0बी0)/2011 योजित की है जिसमें मा0 उच्च न्यायालय में अपने आदेश दिनांक 24-08-2011 द्वारा नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इसी क्रम में प्रश्नगत वाद में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24-05-2013 को की गई सुनवाई के उपरान्त मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 24-05-2013 द्वारा रिट याचिका संख्या-5917(एम0बी0)2011 को डिसमिस करते हुए स्थगन आदेश को निरस्त कर दिया गया है। तत्क्रम में वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जा रही है। उक्त के अतिक्ति चीनी मिल सरदारनगर का मा0 बी0आई0एफ0आर0 में पंजीकृत प्रकरण में सुनवाई हेतु तिथि 18-02-2014 निर्धारित थी।

उपर्युक्त के अतिरिक्त चीनी मिल पर वर्ष 2010-11 के अवशेष गन्ना मूल्य, कमीशन एवं देय ब्याज सहित रु0 278.56 लाख की वसूली किये जाने हेतु वसूली प्रमाण-पत्र वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 के अन्तर गन्ना मूल्य का ब्याज सहित क्रमशः रु0 49.09 लाख व रु0 605.22 लाख तथा वर्ष 2011-12 के अवशेष गन्ना मूल्य कमीशन तथा उस पर देय ब्याज सहित कुल रु0 569.44 लाख कुल रु0 1223.75 लाख की वसूली हेतु दिनांक 24-04-2013 को चीनी मिल के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र जारी कर वसूली कार्यवाही सुनिश्चित करायी जा रही है। तत्क्रम में चीनी मिल से अवशेष गन्ना मूल्य की वसूली हेतु जिला प्रशासन से समन्यवय स्थापित कर वसूली हेतु नीलामी की तिथियां क्रमशः 22-08-2013, 23-08-2013, 26-09-2013 एवं 28-10-2013 निर्धारित की गई थी परन्तु नीलामी में कोई व्यक्ति भाग लेने उपस्थित नहीं हुआ। चीनी मिल द्वारा वसूली प्रमाण-पत्र के क्रम में वसूली हेतु नीलामी कार्यवाही के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ में रिव्यू याचिका संख्या-345/2013 योजित की गई है, जो वर्तमान में मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र व कर्नाटक की चीनी मिलों की तर्ज पर प्रदेश की बन्द पड़ी चीनी मिलों के जीर्णोद्धार की योजना की जानकारी

26-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की बन्द चीनी मिलों का जीर्णोद्धार कराकर महाराष्ट्र व कर्नाटक की चीनी मिलों की तर्ज पर करने की क्या सरकार कोई योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश सरकार ने उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम लि0 की चीनी मिल मोहिउद्दीनपुर व उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 की चीनी मिल पुवॉया, जो विगत 03 वर्षो से बन्द थी, का जीर्णोद्धार कराकर वर्तमान पेराई सत्र में चालू करा दिया है।

प्रदेश की चीनी मिलों की उपयोगिता और अधिक बढ़ाने के उद्देश्य से चीनी मिलों द्वारा को-जन प्लान्ट की स्थापना कर विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। वर्तमान में निजी क्षेत्र की 57 चीनी मिलों में को-जन प्लान्ट स्थापित है। इसी प्रकार प्रदेश में कुल 61 डिस्टलरी प्लान्ट स्थापित है, जिसमें से 33 डिस्टलरी प्लान्ट चीनी मिलों में स्थापित है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी-चौरा में नदियों के किनारे बसे गावों में बाढ़ से पूर्व कटान स्थलों का कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

27-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र चौरी-चौरा जनपद-गोरखपुर में गोर्रा तथा राप्ती नदियों के किनारे स्थित गांव जैसे-बरही, डीहघाट, मछुअर कोल, भगने, नेकवार, छितहरी-भरकछा, करौता कटान स्थल से सटे होने के कारण बाढ़ आने से पूर्व क्या सरकार बांधों पर चिन्हित कटान स्थलों के कार्यों को पूर्ण कराने की परियोजना बनायी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के तेलीबाग के राम भरोसे मैकूलाल इण्टर कालेज के पीछे विद्युत पोल लगाकर विद्युत सप्लाई ठीक कराये जाने की मांग

28-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के तेलीबाग मुहल्ले में राम भरोसे मैकूलाल इण्टर कालेज के पीछे स्थित मकान की दीवार पर लगे एंगिल पर तार लगाकर विद्युत वितरण किया जा रहा है जिससे कभी भी कोई दुर्घटना होने का खतरा बना हुआ है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त एंगिल के स्थान पर दो विद्युत पोल लगाकर विद्युत आपूर्ति करने विषयक मा0 जन्तु उद्यान राज्य मंत्री, उ0 प्र0 शासन का पत्र सं0-2213/वीआईपी/रा0म0ज0उ0, दिनांक 10-12-2013 अधिशासी अभियन्ता (विद्युत वितरण) इन्द्रलोक कालोनी, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्य करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं एवं उक्त कार्य कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी हां।

जी हां। उक्त कार्य दिनांक 16-02-2014 को पूर्ण करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रामपुर की तहसील मिलक के ग्राम भवरकी में सेजनी नदी पर लघु सेतु निर्माण की स्वीकृति

29-श्री संजय कपूर-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर की तहसील मिलक में ग्राम भवरकी के पास सेजनी नदी पर पुल न होने से बरसात में इस क्षेत्र की जनता को तहसील व जिला

मुख्यालय जाना मुश्किल हो जाता है ? क्या यह भी सही है कि इस पुल के निर्माण का आगणन सभी कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त शासन में लम्बित है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस लघु सेतु का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी, हां।

जी, नहीं।

जी, हां।

सेतु निर्माण हेतु शासनादेश दिनांक 24-02-14 द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

30-श्री संजय कपूर-

[2सरे सोमवार के अता0 प्रश्न संख्या-136 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर एवं स्वार को जोड़ने वाले अर्धनिर्मित मार्ग का निर्माण कराये जाने की मांग

31-श्री संजय कपूर-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-रामपुर की तहसील विलासपुर एवं स्वार को जोड़ने वाला स्वीकृत मार्ग अर्धनिर्मित होने के कारण आवागमन बाधित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अधूरे मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रश्नगत मार्ग अर्धनिर्मित है परन्तु आवागमन बाधित नहीं है।

कार्य पूर्ण कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

32-श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

[1ले गुरुवार के अता0प्र0सं0-20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

33-श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

[दिनांक 24-02-2014 को अता0प्र0सं0-29 द्वारा उत्तरित]

जनपद फैजाबाद के सरजू नगर खण्ड के जमथरा घाट के निर्माण में अनियमितता की जांच सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही

34-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरयू नहर खण्ड फैजाबाद में जमथरा घाट के निर्माण सम्बन्धी अनुबन्ध के अभिलेखों में हेर-फेर कर शासन को क्षति पहुंचाने के विरुद्ध श्री जावेद

अंसारी, पूर्व विधायक जनपद जौनपुर द्वारा वर्ष 2010 में दिये गये शिकायती पत्र पर जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन से दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

श्री केशकर कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ लिपिक, सरयू नहर खण्ड, फैजाबाद दोषी पाये गये हैं, जिनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद व परगना गोण्डा में जबरन कब्जा करने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

35-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 सभापति, सरकारी आश्वासन समिति, उ0 प्र0 विधान भवन का दिनांक 12-11-2013 का पत्र संलग्नक सहित प्रमुख सचिव राजस्व को मौजा तिलका परगना गोण्डा, जनपद गोण्डा स्थित गाटा संख्या-1265 पर जबरन कब्जा करने विषयक प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्नगत आराजी गाटा संख्या-1265/0.0280 हे0 स्थित ग्राम तिलका सत्य नरायन पुत्र राघवराम व रामतेज, रामछवि, रामजग, रामसुघर, रामदेव व राम नरायन पुत्रगण उधौराम के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज अभिलेख है। मौके पर लगभग 2 बिस्वा हिस्से पर रामदेव पुत्र उधौराम खातेदार का पक्का मकान व मडहा के रूप में कब्जा है तथा शेष आराजी परती पड़ी हुई है। प्रश्नगत भू-खण्ड पर रामदेव के अलावा किसी अन्य खातेदार का कब्जा नहीं पाया गया। सत्यनरायन व अन्य शेष पक्षों के मध्य बंटवारे का विवाद वाद संख्या-318 अन्तर्गत धारा-176 ज0वि0अधि0 रामछवि बनाम रामतेज आदि विचाराधीन है जिसमें दिनांक 23-4-2014 की तिथि नियत है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर के सेजनी नदी के क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण कराये जाने की मांग

36-श्री संजय कपूर-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-रामपुर की तहसील विलासपुर में विलासपुर-स्वार मार्ग पर सेजनी नदी पर स्थित पुल का एक वर्ष पूर्व किया गया निर्माण बहुत घटिया स्तर का होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे आवागमन में समस्या हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पुल के निर्माण कार्य की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए इसका पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां। सेतु आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। यातायात भारी वाहनों के लिये बाधित है। हल्के वाहन डायवर्जन से गुजारे जा रहे हैं।

जांच की कार्यवाही प्रक्रिया में है। सेतु का पुनः निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद रामपुर की तहसील मिलक में विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराये जाने की मांग

37-श्री संजय कपूर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर की तहसील मिलक की आबादी तीन लाख से भी अधिक है तथा विद्युत आपूर्ति 35 कि0मी0 दूर जिला मुख्यालय से होती है जिससे अतिभारिता के कारण यहां पर विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार तहसील मिलक में 132 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराकर विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

निर्धारित शिड्यूल के अनुसार विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

1-अतिभारित नहीं है।

2-अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत पारेषण मण्डल, मुरादाबाद द्वारा अवगत कराया गया है कि उपकेन्द्र के निर्माण हेतु उपलब्ध भूमि खलिहान के रूप में दर्ज है जो कि भूमि अधिनियम की धारा-132 से आच्छादित है। यह भूमि क्रय या अर्जन या अन्य प्रकार से प्राप्त कर विनियम के माध्यम से प्राप्त करायी जानी है। भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित होने के उपरान्त 18 माह में 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र, मिलक का निर्माण पूर्ण हो सकता है। यद्यपि जनपद रामपुर हेतु 220 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण का कार्य प्रगति पर है, जिसके छः माह में पूर्ण होने की सम्भावना है। 220 के0वी0 निर्माणाधीन उपकेन्द्र रामपुर शहर एवं तहसील मिलक के मध्य में स्थित है और इस विद्युत उपकेन्द्र से तहसील मिलक के विभिन्न 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों हेतु नयी लाइन बनाई जानी है, जिससे विद्युत आपूर्ति में सुधार सम्भव है।

जनपद इलाहाबाद में ट्रैफिक जाम की समस्या के निराकरण के उपाय

38-श्री दीपक पटेल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में यातायात की सुविधा को सुगम बनाने के लिए तथा इलाहाबाद शहर के नागरिकों को ट्रैफिक जाम की समस्या से मुक्त

रखने के लिए क्या सरकार इनर एवं आउटर रिंग रोड का निर्माण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद इलाहाबाद के महिला चिकित्सालय शंकरगढ़ में डाक्टर एवं पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती की मांग

39-श्री दीपक पटेल-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महिला चिकित्सालय शंकरगढ़ तहसील बारा, इलाहाबाद में मानक के अनुसार डाक्टर एवं पैरामेडिकल स्टाफ तैनात नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार मानक के अनुसार डाक्टर एवं पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

राजकीय महिला चिकित्सालय, शंकरगढ़, तहसील-बारा, जनपद-इलाहाबाद में मानक के अनुरूप डाक्टर एवं पैरामेडिकल स्टाफ तैनात है।

महिला चिकित्साधिकारी

1-डा0 रंजना पटेल

पैरामेडिकल स्टाफ

1-श्री जी0पी0 मिश्रा, चीफ फार्मेसिस्ट

2-श्री हरिश्चन्द्र, फार्मेसिस्ट

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के सरकारी अस्पतालों में कतिपय उपकरण की व्यवस्था कराये जाने की मांग

40-श्री दीपक पटेल-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के किन-किन सरकारी अस्पतालों में वेंटीलेटर, एम0आर0आई0, सी0टी0 स्कैन एवं ई0सी0जी0 की मशीनों की व्यवस्था है ? क्या सरकार जनपद इलाहाबाद के सभी सरकारी अस्पतालों में इन उपकरणों की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

जनपद इलाहाबाद के एम0एल0एन0 चिकित्सालय, इलाहाबाद एवं 12 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर ई0सी0जी0 मशीनों की व्यवस्था है तथा टी0बी0 सप्रू चिकित्सालय, इलाहाबाद में वेंटीलेटर, सी0टी0 स्कैन एवं ई0सी0जी0 मशीनों की व्यवस्था है।

प्रदेश के चिकित्सालयों में उपकरणों/मशीनों की व्यवस्था किया जाना विशेषज्ञ चिकित्सकों अन्य तकनीकी कर्मियों एवं प्रदेश सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के कर्मा घूरपुर क्षतिपूर्ण सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

41-श्री दीपक पटेल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के कर्मा घूरपुर सम्पर्क मार्ग तथा इलाहाबाद मिर्जापुर रोड, नैनी से बलापुर सम्पर्क मार्ग जो पूर्णतः क्षतिग्रस्त है, जिससे स्थानीय जनों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

कर्मा घूरपुर मार्ग क्षतिग्रस्त है।

इलाहाबाद मिर्जापुर रोड, नैनी से बलापुर सम्पर्क मार्ग की लेपित सतह संतोषजनक है तथा यातायात सुचारु रूप से संचालित है।

कर्मा घूरपुर सम्पर्क मार्ग पर लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0 प्र0 के श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह यादव एवं अन्य बनाम उ0 प्र0 राज्य में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की मांग

42-श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0 प्र0, लखनऊ के पत्रांक-गोपन/सैन्य सेवा/2013/15, दिनांक 03 जनवरी, 2013 जो उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील संख्या-49/2011 राजेन्द्र प्रताप सिंह यादव एवं अन्य बनाम उ0 प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 05-07-2011 के अनुपालन में सैन्य वियोजित अधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा सेवा में दी गयी वरिष्ठता के सम्बन्ध में था, प्रमुख सचिव, उ0 प्र0 शासन चिकित्सा अनुभाग-8 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0 प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक 03-01-2013 में किये गये अनुरोध के क्रम में विभाग में सैन्य वियोजित अधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा सेवा में दी गई वरिष्ठता के बिन्दु पर विचार किया गया। सैन्य वियोजित चिकित्सा अधिकारियों द्वारा मा0 अधिकरण एवं मा0 उच्च न्यायालय में वरिष्ठता एवं सेवा के अन्य लाभ हेतु याचिकायें योजित की गयी हैं। रिट याचिका संख्या-56915/2010 डा0 (मेजर) विपुल कुमार बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21-07-2011 के विरुद्ध विभाग द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-28965/2011 योजित की गई, जो दिनांक 30-10-2012 के आदेश द्वारा निरस्त कर दी गयी। इस आदेश के विरुद्ध मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील संख्या-49/2011, राजेन्द्र प्रताप सिंह यादव एवं अन्य बनाम उ0 प्र0 राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 05-07-2011 के आधार पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू याचिका योजित की गयी है। इसी प्रकार एक अन्य रिट याचिका संख्या-1807/2010 उ0 प्र0 राज्य बनाम डा0 (मेजर) प्रेम सिंह नेगी में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22-07-2013 के विरुद्ध विभाग द्वारा अपील संख्या-49/2011, राजेन्द्र प्रताप सिंह यादव एवं अन्य बनाम उ0 प्र0 राज्य एवं अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आधार पर विशेष अनुज्ञा याचिका योजित की गयी है।

प्रकरण मा0 सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी की विधान सभा क्षेत्र रोहनिया के ब्लाक काशी विद्यापीठ के जले ट्रांसफार्मरों को बदलवाये जाने की मांग

43-सुश्री अनुप्रिया पटेल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी के रोहनिया विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ब्लाक काशी विद्यापीठ, आराजी लाइन एवं सेवापुरी ब्लाक में वित्तीय वर्ष 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 में कुल कितने विद्युत ट्रांसफार्मर (अलग-अलग क्षमता के) जले हैं, इन जले विद्युत ट्रांसफार्मरों में कितने की मरम्मत कर उनकी पुनर्स्थापना की गई एवं कितने ट्रांसफार्मरों की जगह नये ट्रांसफार्मर लगाये गये ? क्या सरकार बतायेगी कि शेष जले विद्युत ट्रांसफार्मरों को कब तक बदला जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद वाराणसी के रोहिनया विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ब्लाक काशी विद्यापीठ, आराजी लाइन एवं सेवापुरी ब्लाक में वित्तीय वर्ष 2010-11 में विभिन्न क्षमता के कुल 315, 2011-12 में विभिन्न क्षमता के कुल 308 तथा 2012-13 में विभिन्न क्षमता के कुल 320 विद्युत ट्रांसफार्मर जले एवं उनके स्थान पर मरम्मतशुदा परिवर्तक पुनर्स्थापित कर दिये गये हैं (जिसका विवरण संलग्न है)[†] एवं समस्त जले हुये परिवर्तकों के स्थान पर मरम्मतशुदा परिवर्तक ही लगाये गये हैं।

[†] देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 202 पर

समस्त जले परिवर्तकों को बदल दिया गया है एवं वर्तमान में कोई भी परिवर्तक बदलने हेतु शेष नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी विकास प्राधिकरण की सीमा अन्तर्गत बिना ले-आउट पास कराये जमीन बेचने में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

44-श्रीमती अनुप्रिया पटेल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी विकास प्राधिकरण की सीमा के अन्तर्गत बहुत से लैण्ड डेवलपर्स द्वारा बिना ले आउट पास कराये एवं बिना अवस्थापना सुविधा विकसित किये प्लाटिंग करके अनियोजित तरीके से जमीन बेची जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके लिए दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

वाराणसी विकास प्राधिकरण से प्राप्त सूचनानुसार प्राधिकरण क्षेत्र में लैण्ड डेवलपर्स द्वारा अवैध रूप से प्लाटिंग करके भू-खण्ड बेचे जाने के सम्बन्ध में कोई तथ्य प्राधिकरण के संज्ञान में नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

वाराणसी के कतिपय ब्लाकों में नहर फटने से फसलों की हुई क्षति के मुआवजे का कथित प्रकरण

45-श्रीमती अनुप्रिया पटेल-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी के सेवापुरी एवं आराजी लाइन ब्लाकों में माह दिसम्बर, 12, जनवरी, 13 में नहर फट जाने के कारण फसलों की हुई क्षति पर सरकार द्वारा कोई मुआवजे की धनराशि वितरित की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

फसलों का कोई नुकसान नहीं हुआ है।

लखनऊ के रूस्तम बिहार कालोनी नादरगंज में सड़क निर्माण कराये जाने की मांग

46-साध्वी निरंजन ज्योति-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जगन प्रसाद गर्ग विधायक का दिनांक 19 जून, 2013 का पत्र संलग्नक सहित जो कि प्लाट नं0 20 रूस्तम बिहार कालोनी निकट सीपेट इंस्टीट्यूट नादरगंज लखनऊ में 500 मी0 सड़क बनाये जाने विषयक था, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

सूचना एकत्रित की जा रही है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मऊ के विकास खण्ड बड़रांव के क्षतिग्रस्त बोझी-बड़रांव मार्ग का निर्माण कराये जाने की मांग

47-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मऊ के विकास खण्ड बड़रांव के अन्तर्गत बोझी बड़रांव मार्ग से करनपुर अनु0 बस्ती तक लगभग 2.0 कि0मी0 सड़क क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त सड़क की मरम्मत/पुनर्निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

सूचना एकत्रित की जा रही है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मऊ के विकास खण्ड फरहपुर मण्डांव के ग्राम सभा काठतरांव में विद्युतीकरण कराये जाने की मांग

48-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मऊ के विकास खण्ड फतहपुर मण्डांव के अन्तर्गत ग्राम सभा काठतरांव में पूर्वी अनुसूचित बस्ती ग्राम सभा दुबारी पश्चिमी अनुसूचित बस्ती एवं डीह स्थान ग्राम सभा नेवादा गोपालपुर से मौजा अहिरूपुर अनु0 बस्ती, ग्राम सभा दरियाबाद के मौजा कुचाई इमामीपुर राजदेव के अनु0 बस्ती एवं रामवचन प्रजापति के घर तक ग्राम सभा हृदय पट्टी की अनु0 बस्ती में विद्युतीकरण कराये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जिला मऊ के विकास खण्ड फतहपुर मण्डांव के अन्तर्गत ग्राम सभा काठतरांव में पूर्वी अनुसूचित बस्ती ग्राम सभा दुबारी पश्चिमी अनुसूचित बस्ती एवं डीह स्थान ग्राम सभा नेवादा गोपालपुर से मौजा अहिरूपुर अनु0 बस्ती, ग्राम सभा दरियाबाद के मौजा कुचाई इमामीपुर के घर तक ग्राम सभा हृदय पट्टी की अनु0 बस्ती को विद्युतीकरण हेतु राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (बाहरवीं योजना) के अन्तर्गत आच्छादित कर लिया गया है। डीपीआर भारत सरकार की नोडल संस्था मै0 आरईसी, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। भारत सरकार से धन प्राप्त होने के उपरान्त उपरोक्त विद्युतीकरण का कार्य करा पाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ के विकास खण्ड फतहपुर मण्डांव की क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराये जाने की मांग

49-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मऊ के विकास खण्ड फतहपुर मण्डांव के अन्तर्गत लउवासाथ सिवान से अहिरूपुर चट्टी तक लगभग 04 कि0मी0 क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत/निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

सूचना एकत्रित की जा रही है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मऊ के ब्लाक दोहरीघाट की ग्राम सभा हरिपरा के पोखरापार की सड़क का लेपन स्तर का निर्माण कराये जाने की मांग

50-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जिला मऊ के ब्लाक दोहरीघाट के अन्तर्गत ग्राम सभा हरिपरा के मौजा निबिहां से पोखरापार होते हुए बड़ी नहर तक ल0 लगभग 1.5 कि0मी0 तक कच्ची सड़क का सरकार लेपन स्तर तक निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

सूचना एकत्रित की जा रही है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मऊ के ब्लाक फतहपुर मण्डांव के नथुपुर माइनर के मार्ग का लेपन स्तर कार्य कराये जाने की मांग

51-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मऊ के ब्लाक फतहपुर मण्डांव के अन्तर्गत नथुपुर, माइनर होते हुए अल्लूपुर पिडसूई तक लम्बाई लगभग 2.0 कि0मी0 मार्ग कच्चा होने से आवागमन बाधित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का लेपन कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

सूचना एकत्रित की जा रही है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी-चौरा के ऐतिहासिक तरकुलही देवी के मन्दिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग

52-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के चौरी-चौरा विधान सभा क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक तरकुलही देवी के मंदिर को सरकार पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)-

जी नहीं।

गोरखपुर में विकास खण्ड-सरदार नगर में मां तरकुलही देवी के सौन्दर्यीकरण की योजना सम्प्रति विचाराधीन नहीं है।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र चन्दौली की ग्राम सभा नीबूपुर की क्षतिग्रस्त मार्ग के निर्माण की मांग

53-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा नीबूपुर वि0 ख0 नियामताबाद में अशोक चौहान के घर से एफ0सी0आई0 गेट तक व व्यास नगर रेलवे स्टेशन तक पिच रोड क्षतिग्रस्त होने के कारण नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क को बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

सूचना एकत्रित की जा रही है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय की विभिन्न सड़कों की मरम्मत सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

54-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न सड़कों की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-ख 5 नं0-321195, दिनांक 25-10-2013 पत्रांक संख्या-0261 टी मुख्य अभियन्ता (वाराणसी क्षेत्र) लो0नि0वि0 वाराणसी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय में विशेष मरम्मत योजनान्तर्गत सड़कों के निर्माण सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही

55-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विशेष मरम्मत योजना के तहत कुल 16 सड़कों के नवनिर्माण/पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में प्रस्ताव सहायक अभियन्ता लो0नि0वि0 मुगलसराय को पत्र सं0-ख 5 नं0 321459 व ख 5 नं0 321490, दिनांक 19-10-2013 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के अधिशासी अभियन्ता द्वारा दिये प्रस्ताव की स्वीकृति विषयक पत्र पर कार्यवाही

56-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत व्यापार विकास निधि योजना 2013-14 के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता प्रथम चन्दौली द्वारा दिये प्रस्ताव को स्वीकृत कराने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र ख 5 नं0 321449 दिनांक 12-08-2013 पत्रांक सं0-204 प्रबन्धक निदेशक पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम वाराणसी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

प्रकरण में तकनीकी औचित्य एवं तकनीकी संभाव्यता के परीक्षणोपरान्त प्राक्कलन के आधार पर 7 परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि एवं 3 नये स्थानों पर नये परिवर्तक लगाने की स्वीकृति दी जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड चिरगांव के ग्राम सितौरा क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

57-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड चिरगांव में गुरसराय रोड से ग्राम सितौरा सम्पर्क मार्ग क्षतिग्रस्त है जिससे गांव के हजारों लोगों को आने-जाने में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस रोड की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के ग्राम रक्सा से समरावारी हाई-वे तक क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराये जाने की मांग

58-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के अन्तर्गत ग्राम रक्सा से इमलिया चौराहा, बैदौरा होते हुए सिमरावारी हाई-वे तक लगभग 20 कि0मी0 सड़क क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत सम्मिलित कर नवनिर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

इस मार्ग का केवल कि0मी0 23 व 24 भाग क्षतिग्रस्त है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

यह मार्ग प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के कोर नेटवर्क में सम्मिलित नहीं है।

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के ग्राम गुवावथी से चौचनयाऊ सम्पर्क मार्ग के निर्माण की मांग

59-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी बबीना विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड बबीना के ग्राम गुवावथी से चौचनयाऊ तक सम्पर्क मार्ग नहीं है जिसकी वजह से गांव के लोगों को आने-जाने में बहुत कठिनाई होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सड़क को बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

चौचनयाऊ मजरे की आबादी लगभग 100 है। मुख्य ग्राम गुवावथी (गुवावली) लेपित मार्ग से जुड़ा है। वर्तमान में 250 से कम आबादी वाले ग्रामों तथा मजरों को आपस में जोड़ा जाना शासन की प्राथमिकता में नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के ग्राम घिसौली का मजरा में सड़क निर्माण की मांग

60-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी बबीना विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड बबीना के ग्राम घिसौली का मजरा महेशगढ़ जिसकी आबादी लगभग 700 है, उक्त मजरे में पक्की सड़क न होने के कारण बरसात के दिनों में गांव के लोगों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सड़क को पक्की बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

यह मार्ग जिला योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में स्वीकृत है। निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद गोरखपुर के तरंग की बन्द रेलवे क्रासिंग को खुलवाये जाने की मांग

61-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर में तरंग रेलवे क्रासिंग बन्द हो जाने के कारण हजारों नागरिकों का आवागमन अवरुद्ध हो गया है तथा पिछले एक महीने से विभिन्न नागरिक संगठन क्रासिंग को पुनः खुलवाने के लिये आन्दोलनरत हैं ? यदि हां, तो क्या विशेष परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार इस हेतु कोई विशेष व्यवस्था करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रकरण पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर से सम्बन्धित है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोरखपुर-वाराणसी राजमार्ग का निर्माण कराये जाने की मांग

62-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर वाराणसी राजमार्ग बुरी तरह से क्षतिगस्त हो गया है ? क्या सरकार ने इसे फोर लेन बनाये जाने हेतु कोई निर्णय लिया है ? यदि हां, तो इसका विवरण क्या है एवं निर्माण कब तक पूरा करा लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

गोरखपुर से वाराणसी (राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-29) आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। यह मार्ग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन है। प्राधिकरण की गोरखपुर एवं वाराणसी इकाइयों द्वारा मार्ग के मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है।

गोरखपुर से वाराणसी मार्ग को चार लेन किये जाने हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

मार्ग को चार लेन किये जाने हेतु विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्ताव (डी0पीआर0) का कार्य कन्सलटेन्ट द्वारा कराया जा रहा है। चार लेन का कार्य शुरू होने में लगभग 2 वर्ष का समय सम्भावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर जन्तु उद्यान के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने की मांग

63-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर में जन्तु उद्यान के निर्माण हेतु क्या कार्य पूरे हो चुके हैं तथा क्या-क्या कार्य किये जाने शेष हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि रुका हुआ निर्माण कार्य कब तक पूरा करा लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणि उद्यान के निर्माण कार्यों में प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। अवशेष कार्यों में मुख्यतया बाउन्ड्रीवाल, जन्तुओं के बाड़े एवं भूमि का समतलीकरण है।

क्रमिक वर्षों में बजट की उपलब्धता के आधार पर निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर के विधान सभा क्षेत्र निघासन में बाढ़ कटान रोकने एवं बेघर के पुनर्वास की योजनाएं

64-श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र निघासन में बाढ़, कटान रोकने व इससे बेघर हुए लोगों के पुनर्वास हेतु राज्य सरकार ने योजना बनाई है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील निघासन में ग्रामों की शारदा एवं मोहाना/कर्णनाली नदियों की बाढ़ एवं कटान से सुरक्षा हेतु निम्नलिखित योजनाएं बनाई गई हैं :-

(1) जनपद लखीमपुर खीरी में मोहाना/कौड़िगाला नदी के दाएं किनारे पर स्थित ग्राम-डेलापरसुआ और 12 नम्बर मझरों (मोहाना नदी के कि0मी0 87.00 से कि0मी0 87.900 तक) बाढ़ एवं कटान से सुरक्षार्थ कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।

(2) जनपद लखीमपुर खीरी में मोहाना/कौड़ियाला नदी के दाएं किनारे पर स्थित ग्राम सूरतनगर और मझरा के बाढ़ एवं कटान से सुरक्षा हेतु सी0सी0 ब्लाक स्टड निर्माण का कार्य कि0मी0 108.000 से कि0मी0 108.500 तक की परियोजना।

(3) सुहेली नदी पर ग्राम खैरोगढ़ को बचाने एवं सिंगाही से सुहेली बैराज को जाने वाली पक्की सड़क एवं पी0डब्ल्यू0डी0 पुल को बचाने के कार्य की परियोजना।

जनपद खीरी में बाढ़ से बेघर हुए लोगों के पुनर्वास हेतु भूमि क्रय किये जाने हेतु 50,07,500/- की धनराशि स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र करछना के कतिपय ग्रामों के अस्थाई वन कर्मचारी/ अधिकारियों के द्वारा अवैध आरा मशीनों के संचालन पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

65-श्री दीपक पटेल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र करछना, ग्राम घटवा तथा ग्राम पुरवाखास में वन विभाग के अस्थाई कर्मचारियों/अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध आरा मशीनों का संचालन किया जा रहा है तथा हरे पेड़ काटे जा रहे हैं ? क्या सरकार जांच कराकर उपरोक्त आरा मशीनों के संचालन पर रोक लगाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

विधान सभा क्षेत्र करछना के ग्राम घटवा तथा ग्राम पुरवाखास में अवैध आरा मशीन का चोरी-छिपे संचालन की दो घटना प्रकाश में आयी थीं, जिसमें वर्ष 2012 एवं वर्ष 2013 में विभागीय केस दर्ज कर विधिक कार्यवाही की गयी है। इस मामले में अस्थाई कर्मचारियों/अधिकारियों की मिलीभगत का प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। विधान सभा क्षेत्र, करछना में अस्थाई कर्मचारियों/अधिकारियों की मिलीभगत से हरे पेड़ काटे जाने का भी प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है।

सम्बन्धित आरा मशीनों का वर्तमान में स्थापना एवं संचालन बन्द करा दिया गया है। प्रथम घटना के सम्बन्ध में ग्राम घटवा में श्री इन्द्रबली पुत्र श्री हनुमत सिंह निवासी सोनाई, थाना करछना जनपद इलाहाबाद की अवैध आरा मशीन पर वर्ष 2013-14 में एच-2 केस संख्या-19/13-14,

दिनांक 06-8-2013 दर्ज कर विभागीय कार्यवाही की गयी है तथा केस न्यायालय में दायर करने की कार्यवाही की जा रही है।

दूसरी घटना के सम्बन्ध में ग्राम पुरवाखास में श्री मो0 इकबाल खां पुत्र श्री मो0 जब्बार खां, निवासी पुरवाखास, थाना औद्योगिक क्षेत्र, करछना, इलाहाबाद की अवैध आरा मशीन पर वर्ष 2012-13 में रेंज केस संख्या-11/12-13, दिनांक 13-6-2012 दर्ज कर विभागीय कार्यवाही की गयी है तथा केस में मुकदमा संख्या-2420/2012, मा0 ए0सी0जे0एम0-10 के न्यायालय में दायर किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र करछना कोहड़ार घाट से क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

66-श्री दीपक पटेल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र करछना, जनपद इलाहाबाद के करछना कोहड़ार घाट से अरई तक सड़क पूर्णतः क्षतिग्रस्त है जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बुलन्दशहर के सिकन्द्राबाद नगर के राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रामा सेन्टर का निर्माण

67-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग-91 पर पड़ने वाले जनपद बुलन्दशहर के सिकन्द्राबाद नगर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने वाले हादसों को देखते हुए सरकार ट्रामा सेन्टर की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्ग-91 पर जनपद बुलन्दशहर से लगभग 20 कि0मी0 की दूरी पर सिकन्द्राबाद स्थित है, जहां पर 50 शैय्या युक्त संयुक्त चिकित्सालय स्थापित एवं क्रियाशील है तथा

राष्ट्रीय राजमार्ग 91 पर ही सिकन्द्राबाद से लगभग 45 कि0मी0 की दूरी पर खुर्जा में ट्रामा सेन्टर निर्माणाधीन है।

जनपद बुलन्दशहर के हसनपुर रजवाहे की सिल्ट सफाई का प्रस्तावित कार्य

68-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद बुलन्दशहर में पड़ने वाले हसनपुर रजवाहे की वर्ष 2012-13 में तथा 2013-14 में सिल्ट सफाई की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

वर्ष 2012-13 में हसनपुर राजवाहे की सिल्ट सफाई का कार्य नहीं कराया गया। रबी 1421 फसली वर्ष 2013-14 में हसनपुर राजवाहे की पूर्ण लम्बाई में सिल्ट सफाई करा दी गई है।

वर्ष 2012-13 में हसनपुर राजवाहे की सिल्ट सफाई का कार्य प्रस्तावित नहीं था।

जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड सिकन्द्राबाद के निजामपुर ड्रेन की क्षतिग्रस्त पुलिया के निर्माण का कथित प्रकरण

69-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड सिकन्द्राबाद में पड़ने वाले निजामपुर ड्रेन पर गांव बोढ़ा शाहपुरकला आदि गांवों के रास्ते के लिये जो पुलिया बनी थी उसके क्षतिग्रस्त होने से आवागमन बाधित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसका पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड सिकन्द्राबाद में पड़ने वाली निजामपुर ड्रेन है, जिसकी कुल लम्बाई 19.40 कि0मी0 एवं हैड डिस्चार्ज 273 क्यूसेक है। ड्रेन के कि0मी0 5.00 पर ग्राम बोढा शाहपुर कला स्थित है। इस स्थान पर ग्रामवासियों द्वारा नाले में स्थाई रूप से पाइप डालकर रास्ता बनाया हुआ था, जिसे उनके द्वारा आवागमन के प्रयोग में लाया जाता था। इस नाले की सफाई के दौरान असुविधा के कारण पाइपों को निकाल दिया गया था, जिसे ग्रामवासियों द्वारा पुनः नाले में डाल दिया गया। इस स्थान पर सिंचाई विभाग द्वारा कोई पुलिया निर्मित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद के पाकबड़ा-डीगरपुर क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

70-श्री अनीसुर्ररहमान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद में पाकबड़ा-डीगरपुर मार्ग निर्माण खण्ड मुरादाबाद द्वारा बनाये गये नाले में पानी की निकास न होने से पानी सड़क पर आने के कारण हाशमपुर चौराहे पर लगभग 200 मीटर सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है जिससे

नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग के आबादी भाग में लगभग 10 वर्ष पूर्व बना नाला चोक होने के कारण मार्ग लगभग 30 मीटर लम्बाई में क्षतिग्रस्त हो गया था व लगभग 200 मीटर लम्बाई में मार्ग के किनारे पानी भर गया था। नाले की सफाई कराकर पानी निकलवा दिया गया है व क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत करा दी गयी है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के ब्लाक भोजपुर के कतिपय ग्रामों के क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने की मांग

71-श्री सुदेश शर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर जनपद गाजियाबाद के ब्लाक भोजपुर में ग्राम नाहली से ग्राम अमीपुर तक मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

यह मार्ग मोदी नगर-हापुड़ मार्ग के कि0मी0 13.00 से नाहली मार्ग से प्रारम्भ होकर अमीपुर तक जाता है। मार्ग की कुल लम्बाई 2.30 कि0मी0 है, जिसके निर्माण हेतु रु0 67.32 लाख का प्रस्ताव जिला योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में शासन को प्राप्त हुआ है। मार्ग का निर्माण कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर के कतिपय क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत की मांग

72-श्री सुदेश शर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर जनपद गाजियाबाद में गंगनहर निवाड़ी के पुल से ग्राम पूठरी सुहाना व भनैड़ा क्षतिग्रस्त मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-213/रालोद/वि0म0द0/2013, दिनांक 28-11-2013 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग गंगनहर निवाड़ी के पुल से ग्राम पूठरी सुहाना व भनैड़ा मार्ग, मोदीनगर-निवाड़ी मार्ग से सुहाना नागल पुल, ग्यासपुर, रावली, नेकपुर मार्ग अन्य जिला श्रेणी मार्ग का भाग है। उक्त मार्ग के विशेष मरम्मत हेतु रु0 114.38 लाख की स्वीकृति निर्गत की गयी थी जिसके सापेक्ष मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य पूर्ण करा दिया गया है तथा मार्ग पर यातायात सुचारु रूप से चल रहा है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर के ग्राम त्यौड़ी बिस्वा की मरम्मत कराये जाने की मांग

73-श्री सुदेश शर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर जनपद गाजियाबाद के ग्राम त्यौडी-13 बिस्वा में इदरीश के मकान से ग्राम तलैहटा तक सड़क सुदृढ़ीकरण की मांग के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-213/ रालोद/वि0म0द0/2013, दिनांक 28-11-2013 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

यह मार्ग मोदीनगर-हापुड़ मार्ग के कि0मी0-1 से निकलने वाले मार्ग मोदीनगर-शाहजहांपुर-तलहैटा के ग्राम तलहैटा से प्रारम्भ होकर त्यौड़ी तेरह बिस्वा तक जाता है जोकि ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है एवं इसकी लम्बाई 3.06 कि0मी0 है। इस मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम् कालोनी को हस्तानान्तरण कराये जाने की मांग

74-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2013 के दूसरे सोमवार के अता0प्र0सं0-32 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम् कालोनी के से0-एच का हस्तान्तरण अब तक न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या यह सत्य है कि उक्त से0-एच में वर्ष 2003 के बाद से आज तक कोई भी विकास कार्य न होने के कारण अध्यासियों का जीवन नारकीय हो गया है ? यदि हां, तो विकास कराकर हस्तानान्तरण की कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित जानकीपुरम् योजना, सेक्टर-एच के अन्तर्गत जलापूर्ति व्यवस्था एवं सीवेज निस्तारण सेवाओं को नगर निगम, लखनऊ के नियंत्रणाधीन जल

संस्थान, लखनऊ को दिनांक 28-4-2008 को हस्तान्तरित किया गया था तथा जल संस्थान, लखनऊ द्वारा इन सेवाओं का संचालन किया जा रहा है।

जानकीपुरम् योजना, सेक्टर-एच की मार्ग प्रकाश व्यवस्था नगर निगम, लखनऊ द्वारा दिनांक 01-06-2001 को अधिग्रहीत कर संचालित है।

जानकीपुरम् योजना, सेक्टर-एच के अन्तर्गत सड़क, नाला, नाली, पार्क, जोनल रोड आदि विभिन्न सेवाओं को दिनांक 28-4-2008 को नगर निगम, लखनऊ को हस्तान्तरित किया गया है, किन्तु विकास कार्य पूर्ण न होने के कारण नगर निगम द्वारा हस्तान्तरण स्वीकार नहीं किया गया। हस्तान्तरण हेतु प्राधिकरण एवं नगर निगम द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

जी नहीं।

योजनान्तर्गत जल आपूर्ति व्यवस्था एवं सीवेज निस्तारण के संचालन का कार्य जल संस्थान, लखनऊ द्वारा किया जा रहा है एवं मार्ग प्रकाश व्यवस्था का संचालन नगर निगम, लखनऊ द्वारा किया जा रहा है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा जानकीपुरम् योजना, सेक्टर-एच स्थित सहारा स्टेट कालोनी के सामने से कुर्सी रोड (बाया कम्युनिटी सेन्टर) से मिलने वाली मुख्य डिवाइडर सड़क की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य तथा भवन संख्या-4/138 के सामने स्थित पार्क का सौन्दर्यीकरण कार्य अवस्थापना निधि से कराया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के राजाजीपुरम् से कालीदास मार्ग के हैदर कैनाल नाले को ढकने व उस पर दुकानें बनवाये जाने सम्बन्धी जानकारी

75-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में राजाजीपुरम् से मवईया होते हुए कालीदास मार्ग तक बहने वाले हैदर कैनाल नाले को ढकने तथा उस पर सड़क फुटपाथ तथा पटरी दुकानदारों की वैकल्पिक व्यवस्था के लिये दुकानें बनाये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कार्य सूची के नत्थी (ग) के तारांकित प्रश्न सं0-1 को दूसरे सोमवार के तारांकित प्रश्न सं0-8 पर स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री सतीश महाना-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि आप आज की कार्य-सूची देखने की कृपा करें। इसके आखिरी पेज पर आज विधान सभा सत्र का सत्रावसान है,

राष्ट्रगान भी लिखा हुआ है। मान्यवर, नत्थी 'ग' का प्रश्न सं0-1 पर मेरा प्रश्न है। मैं तो कई दिनों से इन्तजार कर रहा था कि शहर की अवस्थापना सुविधाओं के लिए कोई न कोई नीति आयेगी, कोई न कोई काम होगा। मान्यवर, नगर विकास विभाग ने उसे दूसरे सोमवार के तारांकित प्रश्न सं0-8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित कर दिया। आज की कार्य सूची कह रही है कि आज के बाद सत्र होना नहीं है और आज की कार्य सूची यह कह रही है कि दूसरे सोमवार के लिए इस प्रश्न को स्थगित कर दिया गया। पहले ही आप की कृपा से आपकी अनुज्ञा से मैंने यह विषय उठाया था कि कभी-कभी जो हमारे प्रश्नों का समय प्राप्त होता है वह सातवें, आठवें शुक्रवार, सोमवार को निर्धारित होता है जबकि वह समय नहीं आता है। आपने कृपापूर्वक उसे स्वीकार करके इस व्यवस्था को रखा कि इस बात के निर्देश देंगे कि कम से कम जो व्यवहारिक हो उसे देखा जाएगा। आज ही की कार्य सूची में यह है कि विधान सभा आज के बाद नहीं चलेगी और आज ही की कार्य सूची में है कि मेरा दूसरे सोमवार को प्रश्न नहीं लिया जायेगा, मान्यवर, यह निर्णय कितना अव्यवहारिक है और यदि सरकार इतने दिनों के पश्चात् भी लगभग एक महीने से ज्यादा लगे हुए मेरा प्रश्न हो गया है, तारांकित प्रश्न लगा था इसलिए 15 दिन पहले भी लग सकता था और एक महीने से ज्यादा की तिथि भी लिखी हुई है उसके बाद भी उत्तर न आना और उस अव्यवहारिकता को जो सम्भव नहीं है कार्य सूची के हिसाब से उसको दूसरे सोमवार के लिए स्थानान्तरित करना बहुत ही गम्भीर है और यह चिन्ता का विषय है। मुझे आपका कृपापूर्वक संरक्षण चाहिए, आपसे निवेदन है कि आप इस पर व्यवस्था देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 महाना जी, आप भी मंत्री रहे हैं, आप सरकार में रहे हैं। आप जानते हैं कि प्रश्न कैसे स्थानान्तरित किये जाते हैं। मंत्रालय की तरफ से कोई आग्रह आता है और उसमें सवाल का जवाब टाइम से न आ पाने के कारण भी स्थानान्तरित किये जाते हैं। हम आपकी बात से सहमत हैं कि जो लगे उसे उस दिन आना चाहिए।

[12.21] दिनांक 16 जुलाई, 2009 को प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी के आवास में हुई आगजनी के सम्बन्ध में शासन की ओर से कृत कार्यवाही दिनांक 25 फरवरी, 2014 की सूचना के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

मान्यवर, मेरे प्रकरण में क्या मुझे कोई जवाब मिलेगा ?

श्री अध्यक्ष-

मैंने कहा था, मा0 मुख्य मंत्री जी से कल बात नहीं हो पाई थी, आज मा0 मुख्य मंत्री जी आयेंगे तो हम मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से बात करके आपको बतायेंगे।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

मान्यवर, आप करा दीजिए बस।

[12.25] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 26-2-2014 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 92 सूचनाएं प्राप्त हुईं और समस्त माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गईं।

पहली सूचना श्री ममतेश शाक्य की जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र अमांपुर के मार्गों का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में। दूसरी सूचना श्री जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी की जनपद बस्ती के कतिपय जर्जर मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में। तीसरी सूचना श्री जगराम पासवान की प्रदेश के राजस्व विभाग के पुराने दस्तावेज, जिनका किन्हीं कारणोंवश विधिमान्यीकरण नहीं हो पाया है, का विधिमान्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में। चौथी सूचना श्री गजराज सिंह की लखनऊ नगर के मोहल्ला आलमबाग में मानक नगर स्टेशन से पूरन नगर तिराहे, कानपुर रोड की सड़क पर स्थायी एवं अस्थायी अवैध निर्माण कर किये गये अतिक्रमण को हटाये जाने के सम्बन्ध में। पांचवी सूचना श्री राधेलाल रावत की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान की जीर्ण-शीर्ण सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में। छठी सूचना श्री गेंदालाल चौधरी की प्रदेश की बी0 टेक0 एवं अन्य उच्च श्रेणी की कक्षाओं के पात्र छात्र-छात्राओं को वर्ष 2013-2014 का वजीफा न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। सातवीं सूचना श्री संजय कपूर की जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर से अहरो-शीशगढ़ मार्ग के जर्जर होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। आठवीं सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की जनपद इलाहाबाद में सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसरों पर चोरी करने वाले गिरोह को पकड़ने तथा पूर्व में हुई चोरियों का सामान बरामद किये जाने के सम्बन्ध में। नवीं सूचना श्री दलजीत सिंह की जनपद बांदा के कतिपय जर्जर मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में। दसवीं सूचना श्री विजय कुमार दूबे की जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा अन्तर्गत माघी-नौतार बंधे पर जल निकासी हेतु साइफन का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में। ग्यारहवीं सूचना श्री सतीश महाना की कानपुर महानगर के कतिपय क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में। बारहवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की जनपद शाहजहांपुर के ग्राम उदयपुर कटैया की कृषि भूमि गाटा संख्या-833 रकबा 0.0065 की भू-स्वामिनी को अपनी भूमि पर बाउन्ड्रीवाल बनाये जाने हेतु प्रशासन का सहयोग प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में। तेरहवीं सूचना श्री अजय मिश्र 'टेनी' की विधान सभा क्षेत्र निघासन में स्थित सरयू सहकारी चीनी मिल बेलरायां में कृषकों का जमा धन अवमुक्त करके महाविद्यालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में। चौदहवीं सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग की जनपद आगरा में बोदला चौराहे पर लगने वाले जाम से निजात हेतु उपरिगामी सेतु का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में। पन्द्रहवीं सूचना श्री सुरेश राणा की जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम योजना एवं डा0 जनेश्वर मिश्र योजना अन्तर्गत हुए निर्माण कार्यों में व्यापक अनियमितता के सम्बन्ध में। सोलहवीं सूचना श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया कानपुर महानगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र स्थित बाबूपुरवा श्रमिक कालोनी में व्यापक सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में। सत्रहवीं सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर अन्तर्गत राजस्व गांव खमरिया में जलप्लावित भूमियों पर हो रहे अवैध कब्जों को हटाये जाने के सम्बन्ध में। अट्ठारहवीं सूचना श्रीमती सीमा की राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण रोजगार योजना में कार्यरत कर्मियों

का समावेशन किये जाने के सम्बन्ध में। उन्नीसवीं सूचना श्री मुकुट बिहारी वर्मा की जनपद बहराइच के अन्तर्गत जिला मुख्यालय पर स्थित 'न्यायालय सिविल जज अवर खण्ड कैसरगंज' को तहसील मुख्यालय पर स्थानान्तरित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। बीसवीं सूचना श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी की जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड सिकन्द्राबाद के धमैड़ा नारा फौलादपुर तथा चंगोली मोड़ हुसैनपुर सम्पर्क मार्ग से वैलान सम्पर्क मार्ग के क्षतिग्रस्त होने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। इक्कीसवीं सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) की वाराणसी नगर में गंगा तट से 200 मी0 के दायरे में जर्जर भवनों को मरम्मत हेतु अनुमति पर प्रतिबन्ध से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। बाइसहवीं सूचना श्री रविदास मेहरोत्रा की प्रदेश के लोकतंत्र सेनानियों हेतु पेंशन राशि तथा अन्य प्राप्त होने वाली सुविधाओं हेतु सरकारी गजट बनाये जाने के सम्बन्ध में। तेइसहवीं सूचना श्री अमर पाल शर्मा की गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद के गांव महाराजपुर में जल निकासी हेतु नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। चौबीसवीं सूचना श्री सुरेश बंसल की गाजियाबाद के सुदामपुरी मलिन बस्ती की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में। पच्चीसवीं सूचना श्री राकेश बाबू की जनपद फिरोजाबाद में धन आवंटित होने के बाद भी ग्राम प्रधान पेयजल योजना शुरू न किये जाने के सम्बन्ध में। छब्बीसवीं सूचना श्री आशुतोष उपाध्याय जनपद बस्ती के विकास क्षेत्र सांउघाट अन्तर्गत ग्राम पंचायत छपिया मन्झरिया को आवागमन हेतु पक्की सड़क से जोड़े जाने के सम्बन्ध में। सत्ताइसवीं सूचना श्री प्रदीप चौधरी की प्रदेश में राष्ट्रीय बालश्रम योजना के अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों को शिक्षा मित्रों के समान शिक्षक का दर्जा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में। अट्ठाइसवीं सूचना श्री मनबोध प्रसाद की जनपद देवरिया अन्तर्गत नगर पंचायत मझौली में काली मां के स्थान पर पुल का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में। उन्तीसवीं सूचना श्री प्रशान्त कुमार सिंह की कानपुर नगर में मीरपुर रोड को मिलने वाली अर्रा रोड की रिपेयरिंग कराये जाने के सम्बन्ध में। तीसवीं सूचना श्री भीम प्रसाद सोनकर की जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड जहांगीरगंज में नवीन नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में। इकत्तीसवीं सूचना श्री राम मगन रावत की जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र हैदरगढ़ में मण्डी समिति द्वारा निर्मित सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में। बत्तीसवीं सूचना श्री मौ0 इरफान की जनपद मुरादाबाद की बरी चौराहे से छाबड़ा मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में। तैंतीसवीं सूचना श्री जियाउद्दीन रिजवी की जनपद बलिया में घाघरा नदी के दरौली घाट पर पीपे का पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में। चौंतीसवीं सूचना श्री गोरख पासवान की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड की पेयजल समस्या का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में। पैंतीसवीं सूचना श्री पूर्णमासी देहाती की कुशीनगर, महाराजगंज को जोड़ने वाली छोटी गण्डक नदी खेटही काशी छपरा घाट पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में। छत्तीसवीं सूचना श्री प्रदीप माथुर की जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र वृन्दावन के कतिपय इलाकों का सर्वांगीण विकास किये जाने के सम्बन्ध में। सैंतीसवीं सूचना श्री संजय प्रताप जायसवाल की जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में। अड़तीसवीं सूचना श्री गयादीन अनुरागी की जनपद मीरजापुर के लापता श्री अरुण कुमार का पता लगाये जाने के सम्बन्ध में। उन्तालिसवीं सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की जनपद मेरठ में देववती देवी वीरेन्द्र कुमार रा0इ0का0 में छात्राओं के बैठने हेतु फर्नीचर की समुचित व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में। चालीसवीं सूचना श्री अजय कुमार 'लल्लू' की जनपद कुशीनगर के विधान

सभा क्षेत्र तमकुहीराज में दैवी आपदा राहत निधि के अन्तर्गत कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में। इकतालिसवीं सूचना श्री दिलनवाज खान की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र स्याना के अन्तर्गत ग्राम जड़ौल की अस्थाई पुलिस चौकी को स्थाई/रिपोर्टिंग चौकी का पूर्ण अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में। बयालिसवीं सूचना श्री राधेश्याम जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड बल्दीराय की ग्राम सभा में गोमती नदी से हो रही कटान को रोके जाने हेतु समुचित व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में। तेंतालिसवीं सूचना श्री कुलदीप सिंह सेंगर की जनपद देवरिया में मा0 शि0 प0 के अन्तर्गत संचालित शहीद रामचन्द्र इण्टर कालेज, बसन्तपुर घोसी तरकुलवा में प्रचारक पद पर तैनात कर्मियों का लम्बित एरियर का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में। चवालिसवीं सूचना श्री आलमबदी की जनपद आजमगढ़ की कतिपय जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में। पैंतालिसवीं सूचना डा0 धर्म सिंह सैनी की जनपद सहारनपुर में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए कतिपय मार्गों के मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में। छियालिसवीं सूचना श्री त्रिभुवन राम की लखनऊ महानगर के आलमबाग मोहल्ले में व्याप्त जल भराव की समस्या का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में। सैंतालिसवीं सूचना श्रीमती आशा किशोर की लखनऊ महानगर में निशातगंज रेलवे क्रासिंग के पास उमराव सिनेमा चौराहे तक की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में। अड़तालिसवीं सूचना श्री बंशी सिंह पहाड़िया की जनपद गाजियाबाद की निर्माणाधीन आवासीय वाणिज्यिक टाउनशिप में मांग के अनुरूप विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में। उन्चासहवीं सूचना श्री अनीसुर्ररहमान की जनपद मुरादाबाद की कांठ विधान सभा में राजकीय आई0टी0आई0 की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में। पचासहवीं सूचना श्री राज नरायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज की जनपद हमीरपुर के राजकीय इण्टर कालेज, राठ के जर्जर भवन के स्थान पर नया भवन बनाये जाने के सम्बन्ध में। इक्यानवीं सूचना श्री जगराम पासवान जनपद फैजाबाद की तहसील सदर में दबंगों द्वारा असहाय महिला के मकान में किये गये अवैध कब्जे को मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में। बवानवी सूचना श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या की जनपद लखीमपुर के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा में सुजई कुण्डा में पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। तिरपनवीं सूचना श्री मो0 आसिफ जाफरी की जनपद लखीमपुर के विधान सभा क्षेत्र धौराहरा में ग्राम अकठी से परौरी तक के मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में। चौवनवीं सूचना श्री हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी की जनपद लखीमपुर के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा के विकास खण्ड ईसानगर के अन्तर्गत ग्राम काजीपुर के कब्रिस्तान पर अवैध तत्वों द्वारा किये गये कब्जे को मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में। पचपनवीं सूचना श्री राजेन्द्र की जनपद लखीमपुर के विधान सभा क्षेत्र धौराहरा त्रिकौलि के कब्रिस्तान पर अवैध तत्वों द्वारा किये गये कब्जे को मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में। छप्पनवीं सूचना श्री रमेश चन्द्र बिन्द की जनपद मिर्जापुर के अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं हेतु इण्टरमीडिएट/डिग्री कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में। सत्तावनवीं सूचना श्री रामहेत भारती की जनपद सीतापुर के विकास खण्ड हरगांव के कतिपय क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में। अट्ठावनवीं सूचना श्री उमेश पाण्डेय की जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन के राजस्व ग्राम मुड़ाडाढ़ की विद्युत समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में। उन्सठवीं सूचना श्री अवस्थी बाला प्रसाद की जनपद लखीमपुर के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित सड़क के क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। साठवीं सूचना श्री राजेश त्रिपाठी की जनपद गोरखपुर तहसील गोला के अन्तर्गत खखाइजखोर में

33 के0वी0ए0 का विद्युत सब-स्टेशन बनाये जाने के सम्बन्ध में। इकसठवीं सूचना श्री लोकेश दीक्षित की उत्तर प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत अनुदेशकों को विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में। बासठवीं सूचना श्री राजकुमार रावत की जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र गोवर्धन के उप जिलाधिकारी द्वारा की जा रही राजस्व हानि की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में। तिरसठवीं सूचना श्री भगवान सिंह कुशवाहा की जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ में व्याप्त पेयजल एवं सिंचाई की समस्या का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में। चौंसठवीं सूचना श्री गुटियारी लाल दुबेश की आगरा शहर के कतिपय क्षेत्रों में व्याप्त जल निकासी की समस्या का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में। पैंसठवीं सूचना श्री बृजेश कुमार की जनपद हरदोई निवासी श्री रामकुमार के भू-खण्ड संख्या-144 पर दबंगों द्वारा किये गये अवैध कब्जे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। छाछठवीं सूचना श्री उमाशंकर की जनपद बलिया के अन्तर्गत पड़ने वाली टोंस नदी के किनारे बंधा एवं ठोकर बनाये जाने के सम्बन्ध में। सरसठवीं सूचना श्री काली चरन सुमन की आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बाउन्ड्रीवाल बनवाने एवं पेयजल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में। अड़सठवीं सूचना श्री गजेन्द्र सिंह की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर के मुख्य मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में। उन्हत्तरवीं सूचना श्री जय प्रकाश निषाद की जिला उन्नाव के ब्लाक असोहा के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों को मुख्य सड़क से जोड़े जाने के सम्बन्ध में। सत्तरवीं सूचना श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत की झांसी-कानपुर मार्ग पर परिवहन विभाग की मिलीभगत से की जा रही अवैध ओवर लोडिंग से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। इकहत्तरवीं सूचना श्री चन्द्रभान सिंह पटेल की जनपद चित्रकूट में व्याप्त विभिन्न विद्युत समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में। बहत्तरवीं सूचना श्री बब्बन सिंह चौहान की जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय अन्तर्गत ग्राम सभा गौरी विन्द पुरवा एवं परामनन्दपुर वजहा में गडई नदी पर पुलिया बनाये जाने के सम्बन्ध में। तिहत्तरवीं सूचना श्री दीपक पटेल की जनपद इलाहाबाद के थाना करछना में दर्ज मु0अ0सं0-343ए/2013 में निष्पक्ष कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में। चौहत्तरवीं सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की जनपद शाहजहांपुर में राजस्व अधिकारियों द्वारा की जा रही अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में। पचहत्तरवीं सूचना श्री छोटे लाल वर्मा की जनपद आगरा के कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में। छिहत्तरहवीं सूचना श्री मुसर्रत अली बिट्टन की जनपद बदायूं के कतिपय ग्रामों के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन विद्युत लाइन को हटाये जाने के सम्बन्ध में। सतहतरवीं सूचना श्री ओम कुमार की जनपद बिजनौर के ग्राम पाडली माण्डू में गागन नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। अठहत्तरवीं सूचना श्री तसलीम अहमद की जनपद बिजनौर के कतिपय ग्रामों के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन विद्युत लाइन को हटाये जाने के सम्बन्ध में। उन्यासीवीं सूचना डा0 अरूण कुमार की महानगर बरेली में आई0बी0आर0आई0 गेट से डेलापीर तक की रोड का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में। अस्सीवीं सूचना श्री जय प्रकाश अंचल की प्रदेश के वित्तविहीन विद्यालयों में तैनात शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों को शासन स्तर से वेतनमान एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में। इक्यासवीं सूचना श्री इरफान सोलंकी हाजी की उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन जनपद लखनऊ के प्राथमिक विद्यालयों में जून, 2013 से तैनात पात्र सहायक अध्यापकों को प्रोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में। बयासीवीं सूचना श्री मनीष असीजा की जनपद फिरोजाबाद में नगरपालिका परिषद् में गिरते हुए

भू-गर्भ जल स्तर से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। तिरासवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश की जनपद मथुरा की तहसील मथुरा के अन्तर्गत होने वाली भूमि/मकानों की रजिस्ट्रियों से प्राप्त 2 प्रतिशत विकास शुल्क का उपयोग विकास कार्यों में ही किये जाने के सम्बन्ध में। चौरासीवीं सूचना श्री भगवती प्रसाद की जनपद लखनऊ के मोहल्ला सुतरखाना मकबूलगंज में जर्जर विद्युत लाइन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। पच्चासीवीं सूचना श्री विजय बहादुर यादव की गोरखपुर महानगर के वार्ड नं0-69 में जल भराव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। छियासीवीं सूचना श्री कमाल युसुफ मलिक की जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज की कतिपय जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में। सत्तासीवीं सूचना श्री विनय तिवारी की लखनऊ महानगर के हाता रामदास बगिया, सदर निवासी सहित विद्युत मीटर रीडरों द्वारा बिल पर्ची न दिये जाने तथा अन्य विद्युत समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में। अट्ठासीवीं सूचना श्री अमित गौरव यादव की उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के निदेशक मण्डल द्वारा विगत चार वर्षों से निगम कर्मियों को बकाये एरियर का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। नवासीवीं सूचना श्री आशीष कुमार यादव की जनपद सिद्धार्थनगर के कतिपय ग्राम प्रधानों द्वारा मनरेगा योजना के धन का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में। नब्बेवीं सूचना श्री राम सरन की राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय, मीरखनगर, लखनऊ के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को अकारण होम्योपैथी निदेशालय व रजिस्ट्रार पद प्रभार से मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में। इक्यानवें सूचना श्री मदन चौहान की विधान सभा क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर के विभिन्न ग्रामों में पशुओं के भारी संख्या में मरने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। बानवेवीं सूचना श्री राम चन्द्र यादव की जनपद फैजाबाद की विभिन्न तहसीलों के मृतकों को मृत्यु प्रमाण-पत्र निर्गत न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(स्वीकृत सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं।)

जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र अमांपुर के मार्गों का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ममतेश शाक्य-

[मान्यवर, कृपया अवगत कराना चाहूंगा कि जनपद-कासगंज, विधान सभा क्षेत्र अमांपुर के अन्तर्गत वि0ख0-सिढ़पुरा के नगर पंचायत मोहनपुर से लेकर गजडुण्डवारा तक सड़क मण्डी समिति द्वारा कई वर्ष पहले सड़क डामरीकरण हुआ था लेकिन अब सड़क बहुत ही जर्जर एवं बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं और बरसात के समय जलभराव हो जाता है। सड़क का निर्माण न होने पर सड़क आवागमन बाधित हो रहा है एवं किसानों छात्र-छात्राओं एवं क्षेत्रीय जनता एवं स्थानीय लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिसके कारण क्षेत्रीय जनता सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि उक्त विकास खण्डों की सड़क व जनहित में निर्माण कराये जाने कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूं।]

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बस्ती के कतिपय जर्जर मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी-

[मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से आपका ध्यान जनपद बस्ती के अपने निर्वाचन क्षेत्र सं0-310 बस्ती सदर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में कुछ मार्ग अत्यन्त गड्ढायुक्त हो गया है जिससे आये दिन प्रायः दुर्घटनायें होती रहती हैं। इन पर हजारों वाहनों का रोज आवागमन रहता है। जिनका विवरण निम्नलिखित है :--

1-जिला अस्पताल से कैली अस्पताल रोड तक।

2-एन0एच0 28 परसा हज्जाम से टेढ़ी गिमटी तक।

3-बढ़या चौराहे से धौरहरा गोचना भरवलिया तक।

4-एन0एच0 28 परसा जाफर चौराहे से बस्ती मुण्डेरवा पिच रोड तक।

5-मेंहदावल रोड करमा से साऊथघाट गांव तक।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए में सदन के माध्यम से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

प्रदेश के राजस्व विभाग के पुराने दस्तावेज, जिनका किन्हीं कारणोंवश विधिमान्यीकरण नहीं हो पाया है, का विधिमान्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगराम पासवान-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जनपद फैजाबाद, तहसील सदर स्थित श्रीमती कौशिल्या देवी, उम्र 72 साल की आंशिक रूप से पीड़ित के मकान संख्या 874, निकट अवध गेस्ट हाउस, ख्वासपुरा, फैजाबाद में पीछे के हिस्से जिसमें दो बड़े कमरे तथा लैट्रिन-बाथरूम हैं में श्री दयाशंकर जायसवाल, स्थानीय दुकानदार ने जबरन कब्जा कर गोदाम के रूप में परिवर्तित कर दिया है और विरोध करने पर परिवार को मार कर पूरे मकान पर कब्जा कर लेने की धमकी देते हैं। मकान में उनकी गत 30 वर्ष से पागलपन से पीड़ित असहाय पुत्री है, जो अपने होश में नहीं है, जिसकी देखभाल उनकी बड़ी बहन बाहर से आकर अपनी मां की मृत्यु के बाद कर रही है।

असहाय महिलाओं के साथ किसी प्रकार का अन्याय न हो तथा उसे न्याय दिलाना सम्मानित सदन के समस्त सदस्यों/सरकार की मंशा भी है।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

लखनऊ नगर के मोहल्ला आलमबाग में मानक नगर स्टेशन से पूरन नगर तिराहे, कानपुर रोड की सड़क पर स्थायी एवं अस्थायी अवैध निर्माण कर किये गये अतिक्रमण को हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गजराज सिंह-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के अतिमहत्वपूर्ण प्रश्न पर आकृष्ट कराना चाहता हूं। लखनऊ नगर के मोहल्ला आलमबाग में मानक नगर स्टेशन के सामने श्यामनगर, आलमबाग के निवासियों द्वारा सड़क तथा फुटपाथ पर अतिक्रमण करके मकान बना लिये गये हैं। इनमें 563क/8क में सिटी दूध डेयरी, ए0टी0एम0, सिटी साइबर कैफे तथा 563क/14 में श्रीकृष्ण मिष्ठान भंडार खोला गया है, जबकि उक्त दोनों मकानों की रजिस्ट्री मात्र 1000 वर्ग फीट की है। इसी प्रकार मानक नगर स्टेशन से कानपुर रोड को मिलाने वाले रोड पर सेन्ट एन्स डे स्कूल के दाये-बाये लगभग 10 मकान मुकेश डिपार्टमेंटल स्टोर तथा उसके आगे के भवन स्वामियों द्वारा अतिक्रमण करके रोड काफी संकरा कर दिया गया है तथा पूरे रोड पर फुटपाथ को दोनों ओर से ऊंचा करके निजी प्रयोग में लिया जा रहा है। फुटपाथ तथा सड़क के दोनों ओर की नालियां बन्द कर दी गई हैं तथा सड़क पर पानी आने से सड़क खराब हो रही है। उक्त रोड पर अवैध अतिक्रमण होने से आवागमन में परेशानी हो रही है तथा जाम लगा रहता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मानक नगर स्टेशन से कानपुर रोड को जाने वाली सड़क से अतिक्रमण हटाने तथा फुटपाथ को नीचा करके नालियां बनवाये जाने तथा समस्त नियम विरुद्ध कराये गये दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों (जिनके नक्शे पास नहीं है) को साज़ किये जाने की कार्यवाही किये जाने हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।]

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान की जीर्ण-शीर्ण सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राधे लाल रावत-

[महोदय, मैं आप के माध्यम से सदन का ध्यान जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान की जर्जर सड़कों की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं।

उल्लेखनीय है कि मोहान की अधिकांश सड़कों एवं सम्पर्क मार्गों की हालत अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण है। जिससे क्षेत्रवासियों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिससे जनता में शासन के प्रति काफी रोष है। चूंकि मोहान एक अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र है, अतएव यहां का विकास हेतु क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत किये जाने हेतु प्राथमिकता पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराता हूं।]

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश की बी0 टेक0 एवं अन्य उच्च श्रेणी की कक्षाओं के पात्र छात्र-छात्राओं को वर्ष 2013-2014 का वजीफा न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-31 के अन्तर्गत सूचना

श्री गेंदालाल चौधरी-

[महोदय, मैं आप के माध्यम से सदन का ध्यान प्रदेश के बी0टेक आदि उच्च शिक्षा की विभिन्न कक्षाओं के छात्र-छत्राओं को सत्र 2013-14 की लगभग समाप्ति पर भी वजीफा न मिलने की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं।

उल्लेखनीय है कि जे0एस0एस0 कालेज, नोएडा एवं प्रदेश अन्य कालेजों में सत्र 2013-14 की लगभग समाप्ति पर भी बी0टेक0 आदि उच्च शिक्षा की विभिन्न कक्षाओं के पात्र छात्र-छात्राओं को वजीफा न मिलने से छात्र-छात्राओं में अत्यन्त निराशा एवं रोष है।

अतः जनहित में लोक महत्व के इस विषय पर मैं जे0सी0सी0 कालेज, नोएडा एवं प्रदेश के अन्य कालेजों में सत्र 2013-14 के पूरे छात्र-छत्राओं को अतिशीघ्र वजीफा प्रदान किये जाने हेतु सदन का ध्यान आकृष्ट कराता हूं।]

जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर से अहरो-शीशगढ़ मार्ग के जर्जर होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय कपूर-

[महोदय, मैं आपका ध्यान जनपद-रामपुर की तहसील-बिलासपुर से अहरो-शीशगढ़ के जर्जर होने से उत्पन्न स्थिति की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। यह मार्ग जनपद-की तहसील-बिलासपुर की जनपद-बरेली से जोड़ने वाला अत्यन्त महत्वपूर्ण मार्ग है उत्तराखण्ड राज्य को भी बरेली से जोड़ता है। जनपद-रामपुर का बिलासपुर से शीशगढ़ मार्ग बहुत जर्जर स्थिति में है जबकि शीशगढ़ के आगे बल्लिया तक की केन्द्रीय सड़क निधि द्वारा बनाया जा चुका है मगर जनपद-रामपुर के इस मार्ग की सरकार को जरा भी ध्यान नहीं है, इस मार्ग पर पचास से भी अधिक ग्राम आते हैं वह लगभग दो वर्ष से बराबर धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रत्येक सप्ताह वह धरने पर बैठते हैं मार्ग के खराब होने से अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं तथा मृत्यु भी होती रहती है। इन पर पैदल तक चलना मुश्किल है। क्षेत्रीय जनता की मांग की अनदेखी करने के कारण भारी रोष व नाराजगी व्याप्त है जो किसी भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकती है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय एवं लोकमहत्व के प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद इलाहाबाद में सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसरों पर चोरी करने वाले गिरोह को पकड़ने तथा पूर्व में हुई चोरियों का सामान बरामद किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

[महोदय, नगरों में अधिकतर शादियां गेस्ट हाऊसों, होटलों, बारात घरों आदि में होती है विगत दो वर्ष से इलाहाबाद के कई गेस्ट हाऊसों में सक्रिय-संगठित एवं संरक्षित गिरोह द्वारा रुपया-पैसा-गहने आदि की चोरियों आम बात हो गई हैं। जार्ज टाउन थानान्तर्गत के0पी0 कम्यूनिटी

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सेन्टर तथा के0पी0 मिनी कम्यूनिटी हाल, महात्मा गांधी मार्ग, अतरसुइया थानान्तर्गत चौधरी गार्डेन, सिविल लाइन्स थानान्तर्गत स्थित कोरल क्लब, होटल हर्ष तथा अंजनी गार्डेन आदि विवाह स्थलों में विगत एक वर्ष में लगभग 06 दर्जन घटनाएं हो चुकी हैं। के0पी0 कम्यूनिटी सेन्टर तथा कोरल क्लब में कुछ लड़के-लड़कियां रंगे हाथ पकड़ी गयीं किन्तु जांच आगे बढ़ नहीं पायी। अज्ञात कारणों से स्थानीय पुलिस निष्क्रिय है।

17 फरवरी, 2014 को होटल हर्ष आनन्द में श्री सुरेन्द्र सूरी, निवासी 20ए/मिंटो रोड, इलाहाबाद के लड़के की शादी में लाखों रुपये के जेवरात, मोबाइल फोन व अन्य बहुमूल्य वस्तुओं की चोरी हो गई। वीडियो कैमरा तथा सी0सी0 टी0वी0 फुटेज में की निशानदेही हो रही है। किन्तु जांच में शिथिलता तथा निष्क्रियता से कोई बरामदगी हो पायी है। लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाकर ऐसी चोरियां के गिरोह को पकड़ने तथा चोरी का सामान आदि बरामद कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बांदा के कतिपय जर्जर मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दलजीत सिंह-

[मान्यवर, आजादी के 65 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी जनपद-बांदा के विकास खण्डों क्रम 1-बड़ोखर, 2-तिन्दवारी एवं 3-जसपुरा की विभिन्न ग्रामसभाओं एवं मजरों की सड़कें अभी तक नहीं बन पायी हैं। जिससे उन गांवों के लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। इन गांवों के निवासी बहुत दुखी हैं तथा इस हेतु आये दिन धरना-प्रदर्शन करते रहे हैं। यह लोग मतदान बहिष्कार की बात भी कर रहे हैं। प्रकरण जनहित एवं लोकमहत्व का है। इन सड़कों विवरण निम्नलिखित हैं :-1-ग्राम-मुड़ेरी से ग्राम-बनिया खुर्द, लम्बाई लगभग 03 कि0मी0, वि0खं0-बड़ोखर, जनपद-बांदा, 2-मटौन्ध नगर से कन्धीपुरवा (मटौन्ध ग्रामीण) तक लम्बाई, 1.5 कि0मी0, वि0खं0-बड़ोखर, जनपद-बांदा, 3-तिन्दवारी-बबेरू मार्ग से नहर पटरी होकर ग्राम-धौसड़ तक, दूरी लगभग 3.00 कि0मी0, विकास खण्ड-तिन्दवारी, जनपद-बांदा, 4-ग्राम-दतरौली से ग्राम-बबिया तक, लम्बाई लगभग 5.00 कि0मी0, विकास खण्ड-तिन्दवारी, जनपद-बांदा, 5-ग्राम-बेन्दा-जलालपुर मार्ग से ग्राम-बेंदा के मजरा डडवां-डेरा होते हुए बेहड़ा तक, दूरी लगभग 4.00 कि0मी0 तक, विकास खण्ड-तिन्दवारी, जनपद-बांदा, 6-ग्राम-घाट से ग्राम-जौहरपुर, पचासा डेरा होते हुए दंगल प्रांगण, मजरा चार कुरा तक, लम्बाई, कि0मी0, विकास खण्ड-तिन्दवारी, जनपद-बांदा, 7-ग्राम-बेदा खैरी डेरा से मुड़िया देव केवटरा होते हुए ढरकन डेरा, बगईहार व बड़ी लोहारी तक, लम्बाई 6.00 किमी0, विकास खण्ड-तिन्दवारी, जनपद-बांदा, 8-ग्राम-पड़ेरी से हरवंशपुरवा होते हुए ग्राम-पचकौरी तक, लगभग 4.00 कि0मी0, विकास खण्ड-तिन्दवारी, जनपद-बांदा, 9-ग्राम-नरौली चन्दवारा रोड से शिव कुमार द्विवेदी के नलकूप से होते हुए ग्राम-सोनामऊ तक, लम्बाई 2.00 कि0मी0, विकास खण्ड-जसपुरा, जनपद-बांदा, 10-ग्राम-रामपुर तिराहे से ग्राम-गौरी तक, लम्बाई 5.00 कि0मी0, विकास खण्ड-जसपुरा, जनपद-बांदा।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः अविलम्बनीय लोकमहत्व की सूचना को सदन के संज्ञान में उपर्युक्त सड़कों के शीघ्र पुनर्निर्माण/मरम्मत किये जाने हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा अन्तर्गत माघी-नौतार बंधे पर जल निकासी हेतु साइफन का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय कुमार दुबे-

[महोदय, जनपद कुशीनगर स्थित मेरे विधान सभा क्षेत्र 329 खड्डा विधान सभा क्षेत्र माघी-नौतार बंधे पर एक साइफन निर्माण जनहित में अति-आवश्यक है। जल निकासी न होने से हजारों एकड़ खेती योग्य भूमि एवं दर्जनों गांव में साल के 6 माह पानी लगा रहता है। जहां किसान परिवार पूरे साल खेती न कर सकने के कारण भुखमरी के कगार पर हैं, वहीं दर्जनों गांव में पानी लगे रहने के कारण जलजनित बीमारी इंसेफ्लाइटिस आदि रोगों से हर समय दर्जनों बच्चों असमय मौत के शिकार होते हैं। इसलिए उक्त बंधे पर एक साइफन का निर्माण किया जाना जनहित में अतिआवश्यक है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

कानपुर महानगर के कतिपय क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सतीश महाना-

[महोदय, कानपुर महानगर में अवस्थापना सुविधायें न होने के कारण आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। महानगर जैसे क्षेत्र में रहने के पश्चात् भी व्यक्ति सड़क, जल निकासी सीवर समस्या एवं विद्युत आपूर्ति न होने के कारण परेशान हैं। अधिकांश क्षेत्रों में विकास कार्य पूर्ण रूप से ठप्प है। नागरिकों को कम से कम पीने का पानी, जल निकासी एवं मुख्य मार्ग जैसी न्यूनतम सुविधायें उपलब्ध करायी जाये।

कानपुर आवास विकास परिषद् की हंसपुरम् एवं विश्व बैंक स्थित गुंजन विहार विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित अर्रा, बिनगवां, गंगापुर, खाण्डेपुर आदि में मूलभूत सुविधा का अभाव है। अवस्थापना सुविधाओं के अभाव में यहां के नागरिकों का जीवन नारकीय हो गया है। स्थानीय नागरिकों द्वारा समय-समय पर धरना-प्रदर्शन करके अपने गुस्से इजहार किया गया है परन्तु प्रशासन को उनकी समस्यायें दिखाई नहीं दे रही।

उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए कानपुर महानगर में आवास विकास के अन्तर्गत आने वाले हंसपुरम् एवं विश्व बैंक स्थित गुंजन विहार तथा विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित अर्रा, बिनगवां, गंगापुर, खाण्डेपुर आदि कालोनियों में मूलभूत अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराने की मांग करता हूं।]

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम उदयपुर कटैया की कृषि भूमि गाटा संख्या-833 रकबा 0.0065 की भू-स्वामिनी को अपनी भूमि पर बाउन्ड्रीवाल बनाये जाने हेतु प्रशासन का सहयोग प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[मान्यवर, ग्राम उदयपुर कटैया, ब्लाक-ददरौल, तहसील सदर, थाना निगोही, जनपद शाहजहांपुर निवासी श्रीमती नूरबानो जोकि एक विकलांग महिला है की कृषि भूमि गाटा संख्या-833 रकबा .0065 हे0, जिस पर वह पिछले 6-7 साल से खेती करके अपनी जीविका चलाती है, परन्तु ग्राम प्रधानी की राजनीति और जमीन पर अनधिकृत कब्जा किये जाने की नीयत से बाधा उत्पन्न की जा रही है। इन लोगों ने झूठमूठ की यह खबर उड़ा दी कि इसमें कोई कब्रिस्तान है। जबकि वास्तविकता यह है कि इस जमीन पर पिछले कई वर्षों से खेती होती रही है और कब्रिस्तान कभी नहीं रहा। राजस्व रिकार्ड में न तो कब्रिस्तान दर्ज है और न ही इस बात का कोई साक्ष्य है कि इसमें कभी कोई डेड बाडी दबाई या गाड़ी गयी हो। केवल विकलांग महिला को परेशान करने की दृष्टि से इस प्रकार का कृत्य किया जा रहा है। स्वयं परगनाधिकारी तथा क्षेत्राधिकारी, सदर द्वारा स्थल निरीक्षण भी किया जा चुका है परन्तु बाधा उत्पन्न करने वाले लोग बाधा उत्पन्न करते ही रहते हैं। वर्तमान में श्रीमती नूरबानो उस जमीन पर अपनी बाउन्ड्रीवाल बनवाना चाहती हैं जिसमें स्थानीय लोगों द्वारा बाधा उत्पन्न की जा रही है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जमीन स्वामी को इस जमीन पर बाउन्ड्रीवाल बनाने में स्थानीय प्रशासन द्वारा सहयोग दिया जाय तथा पुलिस बल उपलब्ध कराया जाय ताकि कोई बाधा न उत्पन्न कर सके साथ ही बाधा उत्पन्न करने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाये।]

विधान सभा क्षेत्र निघासन में स्थित सरयू सहकारी चीनी मिल बेलरायां में कृषकों का जमा धन अवमुक्त करके महाविद्यालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय मिश्रा 'टेनी'-

[महोदय, विधान सभा क्षेत्र निघासन के गन्ना कृषकों में क्षेत्र में महाविद्यालय की स्थापना हेतु गन्ना मूल्य से कटौती करने की स्वीकृति सरयू सहकारी चीनी मिल लि0 बेलरांया को दी थी। उक्त कटौती से प्राप्त धन द्वारा तीन करोड़ से अधिक धन जमा किया गया था। उक्त धन से दो महाविद्यालयों का निर्माण प्रस्तावित था जिसमें एक भीमराव अम्बेडकर महाविद्यालय का निर्माण हो चुका है। शिक्षण कार्य हो रहा है। मिल के पास शेष धनराशि 1,03,88,429.00 जमा है जिससे सिंगहा ग्राम में (जहां महाविद्यालय की आठ एकड़ से अधिक भूमि क्रय की गयी थी जो उपलब्ध है) में दूसरे महाविद्यालय का निर्माण होना है। परन्तु क्षेत्र के कृषकों तथा जनप्रतिनिधियों के बहुत सारे प्रयासों के बावजूद उक्त महाविद्यालय की स्थापना नहीं हो पा रही है, न ही सरकार से बार-बार

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अनुरोध करने के बावजूद सरकार ही कोई प्रयास कर रही है जिससे क्षेत्र के लोगों में हताशा व निराश है तथा शासन के प्रति आक्रोश भी है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद आगरा में बोदला चौराहे पर लगने वाले जाम से निजात हेतु उपरिगामी सेतु का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगन प्रसाद गर्ग-

[महोदय, आपका ध्यान आगरा में बोदला चौराहे पर होने वाले यातयात जाम की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

आगरा में बोदला चौराहे पर से प्रतिदिन लाखों लोगों का हजार छोटे-बड़े वाहनों का आगमन होता है। यह चौराहा हमेशा रोजाना घण्टों बाधित होता है। छात्र, व्यापारी, नौकरीपेशा व मरीज घण्टों जाम में फंसने के कारण अपने गन्तव्य स्थान पर समय से नहीं पहुंच पाते हैं। जिसके कारण वाहनों का व्यर्थ में डीजल, पेट्रोल बर्बाद होती है। इस कारण धन की बर्बादी होती है तथा डीजल, पेट्रोल के फूंकने से वातावरण प्रदूषित होता है। इस परेशानी के कारण जनता में रोष व्याप्त है। बोदला चौराहे पर फ्लाईओवर (उपरिगामी) का बनना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न का सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम योजना एवं डा0 जनेश्वर मिश्र योजना अन्तर्गत हुए निर्माण कार्यों में व्यापक अनियमितता के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश राणा-

[महोदय, जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन में डा0 राममनोहर लोहिया समग्र विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत एवं डा0 जनेश्वर मिश्र समग्र ग्राम योजना के अन्तर्गत ग्रामों में हुए निर्माण कार्यों में व्यापक स्तर पर अनियमितताएं की गयी हैं। मानकानुसार भी कार्य नहीं किया गया है जिससे निर्माण कार्य अत्यन्त निम्न गुणवत्ता का है। ग्रामीणों में अत्याधिक रोष व्याप्त है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्यवाही की मांग करता हूं।]

कानपुर महानगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र स्थित बाबूपुरवा श्रमिक कालोनी में व्यापक सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

[महोदय, कानपुर महानगर के छावनी विधान सभा के अन्तर्गत वार्ड 54 बाबूपुरवा के श्रमिक कालोनियों के पीछे स्थित सभी गली पिटों में वर्षों से सीवर भराव एवं कूड़े के अम्बार लगे हैं। क्षेत्र में व्याप्त गन्दगी की वजह से इन क्षेत्रों में प्रायः संक्रामक महामारियों का प्रकोप बना रहता है

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जिससे व्यापक जानमाल की क्षति होती है। इन क्षेत्रों की व्यापक सफाई कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए छावनी विधान सभा कानपुर के वार्ड 54 बाबूपुरवा श्रमिक कालोनियों के पीछे गली में व्यापक सफाई कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर अन्तर्गत राजस्व गांव खमिरया में जलप्लावित भूमियों पर हो रहे अवैध कब्जों को हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अगयश रामसरन वर्मा-

[महोदय, ज्ञातव्य हो कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-4787/2001-एस0एल0जी0 (सी) संख्या-13695 हिचलाल तिवारी बनाम कमला देवी एवं अन्य में निर्णीत आदेश दिनांक 25 जुलाई, 2001, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा सिविल मिसलेनियस रिट पिटीशन संख्या-38910/201 इकबाल अहमद बनाम उपनिदेशक, चकबन्दी आदि-आदि के अन्तर्गत निम्न आदेश दिनांक 17 जुलाई, 2006 एवं मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ द्वारा रिट पिटीशन संख्या-3413 (एम1-एस)/2006, राजेन्द्र बनाम अपर आयुक्त आदि-आदि के अन्तर्गत निर्णीत आदेश दिनांक 6 दिसम्बर, 2006 साथ ही साथ उ0 प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश सं0-3088 (1)/1-2-2006, रा0- दिनांक 26 दिसम्बर, 2006 द्वारा निर्दिष्ट किया गया है कि 'जलप्लावित सार्वजनिक भूमियों पर' कोई भी निर्माण नहीं किया जायेगा ताकि पर्यावरण संरक्षित रह सके।

जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के अन्तर्गत राजस्व खमरिया नवदिया की भूमि संख्या-521, 522, 523, 525, 524, 525, 526, 532 एवं 533 जलप्लावित सार्वजनिक भूमियों को सम्बन्धित अधिकारिताओं ने श्रेणी-3 श्रेणी-1 परिवर्तित कर अवैध कब्जा कराकर भारी निर्माण करा दिया है। राज गांव ग्यासपुर की भूमि संख्या-392 व 393 राजस्व गांव करनैया में जलप्लावित तथा राजस्व गांव दुगीपुर बड़गवां में उप जिलाधिकारी, बीसलपुर के आवास उत्तर तथा एल0वी0 मार्ग से दक्षिण जलप्लावित भूमि पर अवैधानिक कराकर निर्माण करा दिया गया है। जल-जमीन-जंगल-जानवर एवं जलकर का पारस्परिक सामंजस्य एवं संतुलन होना चाहिए ताकि प्राणी का जीवन सुरक्षित रह सके। जल स्रोत विलुप्त हो चुके हैं। वैट लैण्ड की भयंकर समस्या है। पक्षी बिहार लगभग समाप्त जैसे हो चुके हैं साथ ही साथ जलीय जन्तुओं एवं पक्षियों का अन्त सा हो गया है जो पर्यावरण के लिए संकट सूचक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर सदन में चर्चा कराये जाने की अनुमति प्रदान कराने की कृपा की जाय। साथ ही साथ सम्बन्धित विषय पर कार्यवाही कराये जाने की भी मांग करता हूं।]

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण रोजगार योजना में कार्यरत कर्मियों का समावेशन किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती सीमा-

[महोदय, राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों का संचालन जनपद स्तर पर जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों भारत सरकार द्वारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन के लिये दिशा-निर्देश के प्रस्तर 4.2 में स्पष्ट उल्लेख है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को किसी भी सीधी भर्ती के लिये लम्बे समय तक मंजूरी नहीं दी जानी चाहिये। स्टाफ जो आजकल जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में तैनात है, के सम्बन्ध में राज्य ग्रामीण विकास विभाग को तत्काल रूप से ऐसे स्टाफ को लाइन विभाग में समावेशन करने के लिये 3-5 वर्षों की योजना बनायी जानी चाहिये। इस प्रदेश में 13 वर्षों के बीत जाने के उपरान्त भी आज तक समावेशन नहीं किया गया। अधिकांश प्रदेश में इन कर्मियों के लाइन विभागों में समावेशन कर दिया गया है। इन कर्मियों को 4-5 माह से वेतन नहीं मिल रहा है एवं दिनांक 1-4-2014 को जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को समाप्त कर डी0आर0डी0सी0 द्वारा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को संचालित कराने की जिम्मेदारी सौंप दी जायेगी। इससे स्पष्ट है कि 30-30 वर्षों से कार्यरत डी0आर0डी0ए0 के सीधी भर्ती के कर्मियों की सेवायें समाप्त कर उन्हें बेरोजगार होने पर मजबूर कर दिया जायेगा।

अतः लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त कर्मियों के समावेशन हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद बहराइच के अन्तर्गत जिला मुख्यालय पर स्थित 'न्यायालय सिविल जज अवर खण्ड कैसरगंज' को तहसील मुख्यालय पर स्थानान्तरित न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

[महोदय, ''न्यायालय सिविल जज अवर खण्ड कैसरगंज'' जो जिला मुख्यालय, बहराइच में स्थित है, उक्त न्यायालय तहसील मुख्यालय कैसरगंज पर स्थानान्तरित करने हेतु बार एसोसिएशन कैसरगंज जो वर्ष 1998 से उत्तर प्रदेश शासन से एवं माननीय उच्च न्यायालय से तथा सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों से मांग कर रहा है।

दिनांक 03-03-2002 में तत्कालीन मा0 प्रशासनिक न्यायाधीश महोदय, मा0 उच्च न्यायालय खण्ड पीठ, लखनऊ श्री प्रदीप कान्त जी एवं तत्कालीन मा0 जनपद न्यायाधीश महोदय, बहराइच श्री आर0बी0 राव साहब ने तहसील मुख्यालय कैसरगंज आकर विधिवत सघन स्थलीय निरीक्षण किया था तथा जनहित तथा न्यायहित में तथा जिला मुख्यालय से दूरी देखते हुए आस्वस्त किया कि यथाशीघ्र मुंसिफ कोर्ट कैसरगंज को बहराइच से स्थानान्तरित कर दिया जायेगा परन्तु अभी स्थानान्तरित न किये जाने से जनमानस में निराश एवं आक्रोश है।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए जनपद बहराइच के अन्तर्गत जिला मुख्यालय पर स्थिति न्यायालय सिविल जज अवर खण्ड कैसरगंज को तहसील मुख्यालय पर स्थानान्तरित किये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड सिकन्द्राबाद के धमैड़ा नारा फौलादपुर तथा चंगोली मोड़ हुसैनपुर सम्पर्क मार्ग से वैलान सम्पर्क मार्ग के क्षतिग्रस्त होने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

[महोदय, मेरी विधान सभा सिकन्दराबाद जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत आने वाले धमैड़ा नारा से फौलादपुर सम्पर्क मार्ग, चामोली मोड़ हुसैन सम्पर्क मार्ग से वैलाना सम्पर्क मार्ग तथा सिकन्दराबाद ककोड़ मार्ग हसनपुर वकसुआ सम्पर्क मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त है जिसके कारण मेरे क्षेत्र की जनता को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे विद्यालय में पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं महिलाएं तथा बुजुर्ग इलाज के लिये शहरों तक नहीं जा पा रहे हैं तथा अनेक प्रशासनिक समस्याओं का समाधान हेतु तहसील तथा जनपद मुख्यालय तक जाना भी मुश्किल जनहित में उक्त क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्गों की शीघ्र मरम्मत/पुनर्निर्माण अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्यवाही की मांग करती हूं।]

वाराणसी नगर में गंगा तट से 200 मी0 के दायरे में जर्जर भवनों को मरम्मत हेतु अनुमति पर प्रतिबन्ध से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा'-

[महोदय, मा0 उच्च न्यायालय में प्रस्तुत एक जनहित याचिका में यह आदेश दिया गया कि 1978 में आयी बाढ़ के उच्चतम बिन्दु से 200 मीटर तक कोई भी निर्माण प्रतिबन्धित रहेगा। इससे उत्पन्न विषम परिस्थिति के सम्बन्ध में वाराणसी के दो भाजपा के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने मा0 उच्च न्यायालय के पीठ के समक्ष उपस्थित होकर यह निवेदन किया था कि इसके लागू होने से पुरानी वाराणसी का लगभग 2 कि0मी0 दायरे के भवन कालान्तर में जमीदोज हो जायेंगे। इस प्रतिबन्ध को व्यवहारिक रूप देने की न्यायालय से प्रार्थना की गयी थी। जिस पर मा0 न्यायमूर्तिगण द्वारा वाराणसी विकास प्राधिकरण को एवं व्यवहारिक गाइड लाइन बनाकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया था। विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमति देने सम्बन्धी उक्त गाइड लाइन बनाकर अनुमोदन हेतु शासन को भेजा गया जो लम्बित है जिससे कठिनाईयां यथावत बनी हुई है। मेरी मांग है कि विकास प्राधिकरण और शासन की व्यवहारिक दृष्टि से गाइड लाइन तैयार करे और लागू करके ताकि वाराणसी नगर की उक्त दायरे में आने वाले भवनों को जमीदोज होने से बचाया जा सके।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार से प्रभावी कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

प्रदेश के लोकतंत्र सेनानियों हेतु पेंशन राशि तथा अन्य प्राप्त होने वाली सुविधाओं हेतु सरकारी गजट बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रविदास मेहरोत्रा-

[महोदय, 25 जून, 1975 की अर्द्धरात्रि में देश में आपातकाल लगाकर तत्कालीन केन्द्र सरकार ने सभी संवैधानिक मूलभूत अधिकारों को समाप्त कर प्रेस पर सेन्सरशिप लगाकर लोकतंत्र की हत्या कर दी थी। आपातकाल के 29 वर्षों तक लगातार संघर्ष एवं प्रयास के बाद 26 जून, 2006 को तत्कालीन प्रदेश सरकार ने सम्मान पेंशन राशि तथा सुविधायें दी तथा उन्हें लोकतंत्र सेनानी माना था। लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान पेंशन राशि 1-4-2006 से 31-3-2007 तक मिली लेकिन बाद में बसपा सरकार में पेंशन राशि तथा सुविधायें बन्द कर दी गयी। समाजवादी पार्टी सरकार ने पुनः लोकतंत्र सेनानियों को तीन हजार रु0 मासिक सम्मान पेंशन राशि तथा सुविधायें बहाल कर दी लेकिन प्रदेश के लोकतंत्र सेनानी चाहते हैं कि पेंशन राशि तथा सुविधायें का सरकारी गजट बनाया जाये ताकि भविष्य में कभी भी कोई अलोकतांत्रिक सरकार इसे समाप्त ना कर पाये तथा लोकतंत्र सेनानियों की सम्मान पेंशन राशि बढ़ाकर कम से कम 5 हजार रु0 कर दी जाय।

कृपया नियम 301 के अन्तर्गत इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण करते हुए यह अनुरोध कर रहा हूं कि उक्त परिस्थितियों को देंखते हुए शासन का ध्यान आकृष्ट करने की मांग करता हूं।]

गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद के गांव महाराजपुर में जल निकासी हेतु नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमरपाल शर्मा-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद गाजियाबाद की विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद के अन्तर्गत महाराजपुर गांव में जल निकासी की व्यवस्था न होने से वहां पर जल भराव बना रहता है, जिससे गन्दगी फैल रही है और मच्छरों से गम्भीर बीमारियां फैल रही हैं। यहां के निवासियों में जन आक्रोश बना हुआ है।

अतः आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए महाराजपुर गांव में जल निकासी हेतु नाले के निर्माण कराये जाने की सरकार से मांग करता हूं।]

गाजियाबाद के सुदामापुरी मलिन बस्ती की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश बंसल-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद के अन्तर्गत सुदामापुरी मलिन बस्ती की प्लाट संख्या-233 से 265 तक जाने वाली सड़क क्षतिग्रस्त है। जिसके कारण बरसात के दिनों में सड़क पर पानी का भराव बना रहता है।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इस सम्बन्ध में यहां के निवासियों द्वारा उच्चाधिकारियों से अनुरोध किया जाता रहा है, किन्तु अभी तक प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। जनहित में जर्जर हालत में जिस पर चलना दूभर हो रहा है, की मरम्मत कराये जाने का अनुरोध करता हूं।

अतः मैं सदन के माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद फिरोजाबाद में धन आवंटित होने के बाद भी ग्राम प्रधान पेयजल योजना शुरू न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राकेश बाबू-

[महोदय, जिन चेकों के माध्यम से धनराशि जल निगम फिरोजाबाद द्वारा विद्युत विभाग फिरोजाबाद को भेजी गयी है वह निम्न प्रकार है :--

1-2603847.00 लाख चेक सं0-462372 दिनांक 13-03-2013 स्थलों की संख्या 44।

2-3201133.00 लाख चेक सं0-210978 दिनांक 27-08-2012 स्थलों की संख्या 171।

3-85221185 दिनांक 12-06-2013 चेक संख्या 002227 स्थलों की संख्या 21।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न को सदन के माध्यम से कार्यों को पूर्ण कराने की मांग करता हूं तथा सदन में सरकार के वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद बस्ती के विकास क्षेत्र सांउघाट अन्तर्गत ग्राम पंचायत छपिया मन्झरिया को आवागमन हेतु पक्की सड़क से जोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आशुतोष उपाध्याय-

[महोदय, निवेदन है कि जनपद बस्ती में विकास क्षेत्र सांउघाट अन्तर्गत ग्राम पंचायत छपिया मन्झरिया की आबादी लगभग पांच हजार से अधिक है परन्तु आवागमन के क्षेत्र में अभी तक अत्यधिक पिछड़ी ग्राम पंचायत है इस विकास के दौर में जब कि सभी ग्रामों को मुख्य मार्ग से पक्की सड़क द्वारा जोड़ा जा चुका है इस ग्राम पंचायत में अभी तक गड्ढ़ों युक्त मात्र कच्ची सड़क ही आबादी तक बनी है आबादी से लगभग आठ सौ मीटर पहले तक पक्की सड़क का निर्माण लगभग 8 वर्ष पूर्व कराया गया था। जब कि वह भी गड्ढ़ों में परिवर्तित हो गयी है, आबादी से किसी वाहन को निकलने के लिये काफी कठिनाइयां उठानी पड़ती है। पूर्व में कई बार शासन को इस सम्बन्ध में लिखा गया और पी0 डब्लू0 डी0 द्वारा सर्वे भी कराया गया परन्तु निर्माण नहीं हो सका, विभाग से सम्पर्क करने पर बताया जाता है कि शासन को सर्वे रिपोर्ट भेजी गयी है। बजट मिलने पर कार्य होगा परन्तु यह आश्वासन विगत कई वर्षों से मिल रहा है।

अतः मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि इस पिछड़ी हुई ग्राम पंचायत छपिया मन्झरिया को आबादी तक पक्की सड़क द्वारा जोड़ने के लिये बजट उपलब्ध कराते हुए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करने की कृपा करें।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः मान्यवर, इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूं।]

प्रदेश में राष्ट्रीय बालश्रम योजना के अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों को शिक्षामित्रों के समान शिक्षक का दर्जा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप चौधरी-

[महोदय, अवगत कराना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में भारत सरकार श्रम मंत्रालय द्वारा अधिकृत राष्ट्रीय बालश्रम परियोजना के अन्तर्गत विशेष बाल श्रमिक विद्यालय अक्टूबर, 2000 से संचालित है। इन संस्थाओं में कार्यरत एजुकेशन इन्स्ट्रक्टर, वोकेशनल इन्स्ट्रक्टर, क्लर्क कम एकाउन्टेन्ट व चपरासी के पद पर कर्मचारी मानदेय पर कार्यरत है। इतने कम मानदेय पर कार्य करना उचित व संभव नहीं है। जनपद सहारनपुर में 40 विशेष बाल श्रमिक विद्यालय अक्टूबर, 2000 से संचालित हैं। वर्तमान में लगभग 200 कर्मचारी कार्यरत हैं, जो 13 वर्षो से अपने कार्य का संचालन निष्ठापूर्वक कर रहे हैं। समस्त कार्य बेसिक शिक्षा के प्राइमरी स्कूलों के समान है। वर्तमान में इनको मानदेय के रूप में एजुकेशन इन्स्ट्रक्टर, वोकेशनल इन्स्ट्रक्टर, क्लर्क-कम-एकाउन्टेन्ट व चपरासी को क्रमशः 4000-4000-3000 व 2000 रुपये दिये जा रहे हैं जो इस मंहगाई के दौर में काफी कम है। इन विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारी बी0ए0-एम0ए0-बी0एड0-कम्प्यूटर कोर्स किये हुये हैं। सभी शिक्षकों ने जिला प्रशिक्षण संस्थान में ट्रेनिंग कर रखी है, जो ट्रेनिंग शिक्षामित्रों को दी जा रही है। इसलिये इन कर्मचारियों को भी शिक्षामित्रों के समान शिक्षक का दर्जा दिया जाना न्यायोचित होगा।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृर्षित करते हुये कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद देवरिया अन्तर्गत नगर पंचायत मझौली में काली मां के स्थान पर पुल का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनबोध प्रसाद-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र सलेमपुर, जनपद देवरिया अन्तर्गत नगर पंचायत मझौली राज छोटी मण्डक के पूरब बगहा नाले पर काली मां स्थान के पास 16x3 मीटर लम्बा पुल का निर्माण जनहित में कराया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार रामपुर बुजुर्ग और ग्राम चांद पलिया के बीच जमुवार नाले पर 16x3 मीटर पुल का निर्माण भी कराया जाना अति आवश्यक है। यह दोनों पुल ग्रामीण अंचल के हैं और यह दोनों पुल को शहरों गांवों से भी जोड़ने का कार्य करते हैं। पिछड़े क्षेत्र में भी आते हैं। मेरे द्वारा बार-बार अनुरोध भी किया गया कि उक्त दोनों पुलों का निर्माण जनहित में कराया जाय। परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकी।

अतः इस विषय पर सदन का ध्यान दिलाते हुए तत्काल दोनों पुलों का निर्माण जनहित में कराये जाने की मांग करता हूं।]

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कानपुर नगर में मीरपुर रोड को मिलने वाली अर्रा रोड की रिपेयरिंग कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रशान्त कुमार सिंह ''राहुल सिंह''-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में एक महत्वपूर्ण विषय को लाना चाहता हूं, कानपुर नगर में धोबिन पुलिया हमीरपुर रोड (नौबस्ता) से निकलकर अर्रा को जाने वाली अर्रा-रोड जगह-जगह कट गई है एवं बरसात में यहां पानी भरा रहता है। जिससे क्षेत्र के निवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जगह-जगह गड्ढ़े होने के कारण इस सड़क पर आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती है।

क्षेत्र के निवासियों की उक्त समस्या को दृष्टिगत रखते हुए अर्रा रोड की रिपेयरिंग कराने के सम्बन्ध में हमारी इस नियम-301 की सूचना को स्वीकार करते हुए प्रमुख सचिव नगर विकास को आदेश प्रदान करने की कृपा करें। महोदय, इस कार्य से क्षेत्र की जनता आपकी सदैव आभारी रहेगी।]

जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड जहांगीरगंज में नवीन नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भीम प्रसाद सोनकर-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान जनहित के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड जहांगीरगंज अन्तर्गत ग्राम पंचायत बलरामपुर एवं राजेपुर शहरयारपुर व बछआपार को मिलाकर नगर पंचायत बनाये जाने की आवश्यकता है और वहां की आबादी काफी है। स्थानीय लोगों की मांग के अनुसार बार-बार मेरे द्वारा शासन और जिला प्रशासन से अनुरोध भी किया जाता रहा है परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है। यह जनहित का विषय है और आबादी के हिसाब से नगर पंचायत राजेपुर सुल्तानपुर बाजार को नगर पंचायत का मुख्यालय बनाया जा सकता है।

अतः इस गम्भीर विषय को सदन में संज्ञान में लाते हुए शासन का ध्यान आकृष्ट कराने की मांग करता हूं।]

जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र हैदरगढ़ में मण्डी समिति द्वारा निर्मित सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम मगन रावत-

[मान्यवर, अध्यक्ष महोदय में आपके माध्यम से सरकार का ध्यान विधान सभा क्षेत्र हैदरगढ़, जनपद बाराबंकी की ओर दिलाना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र हैदरगढ़ के अन्तर्गत वर्ष 2002 में मण्डी समिति के द्वारा लगभग दो दर्जन सड़कों का निर्माण हुआ था। लगभग 12 वर्ष बीत जाने के बाद सड़कों की स्थिति अत्यन्त जर्जर एवं गड्ढायुक्त हो गयी है। जिनकी अब तक किसी योजना से

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मरम्मत एवं नवीनीकरण नहीं हुआ है तथा आम जनमानस का चलना दुश्वार है क्योंकि गिट्टी/डामर कुछ बचा नहीं जिसकी मरम्मत/नवीनीकरण अत्यन्त जनहित में है।

अतः मा0 अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जनहित को देखते हुए विधानसभा क्षेत्र हैदरगढ़ के अन्तर्गत मण्डी समिति के द्वारा निर्मित सड़कों की मरम्मत/नवीनीकरण कराये जाने की कृपा करें। जिसके लिए क्षेत्र की जनता व मैं स्वयं आपके व सरकार के प्रति आभारी रहेंगे।]

जनपद मुरादाबाद की बरी चौराहे से छाबड़ा मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मो0 इरफान-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र 30-बिलारी मुरादाबाद/सम्भल में पड़ने वाले बरी के चौराहे से छाबड़ा मार्ग/रोड की स्थिति उसके बनने के दिन से ही बाढ़ आ जाने के कारण अत्याधिक खराब है। कई एक्सीडेंट स्कूल जाने वाले बच्चों के साथ, साइकिल दुर्धटनायें, ट्रैक्टर ट्राली क्षतिग्रस्त हो चुके हैं।

अतः इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए तत्काल निर्माण/मरम्मत कार्य कराये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने की मांग करता हूं।]

जनपद बलिया में घाघरा नदी के दरौली घाट पर पीपे का पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

[महोदय, आपके माध्यम से मैं अपने विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर, जनपद बलिया में घाघरा नदी पर स्थित खरीद दरौली घाट पर पीपा के पुल बनाने में हो रहे विलम्ब की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि खरीद दरौली पर पीपा पुल को प्रत्येक वर्ष दिसम्बर से जनवरी माह तक बनकर तैयार हो जाता है जिससे यू0पी0 एवं बिहार से सीधा सम्पर्क होता है। जनता का आवागमन चलता है परन्तु विभागीय लोक निर्माण विभाग के स्थानीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण अभी तक पुल नहीं बनाया गया है जिससे जनता में आक्रोश है। माननीय लोक निर्माण मंत्री जी ने नवम्बर, 2013 में ही आदेश किया था कि समय से पीपा पुल बना दिया जाय। इनके आदेश के क्रम में श्री एन0 राम जी चीफ इंजीनियर, ब्रिज कारपोरेशन मुख्यालय, लखनऊ ने लिखित एवं मौखिक आदेश चीफ इंजीनियर, आजमगढ़ अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड बलिया को दिया कि समय से पुल चालू करा दें एवं चालू कराने के लिए धन भी अवमुक्त किया। यदि पीपा कम है तो इलाहाबाद के कुम्भ मेला से सरप्लस पीपा एवं स्लीपर उठाने का आदेश भी दिया। इसके बावजूद भी विभागीय अधिकारियों ने फरवरी, 2014 खत्म होने वाला है अभी तक चालू नहीं करा पाये। यह घोर लापरवाही एवं भ्रष्टाचार है। इसकी गहन जांच होनी चाहिए एवं लापरवारी एवं कर्तव्यनिष्ठ

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कराने एवं तत्काल पीपा का पुल खरीद दरौली पर चालू कराये जाने के लिए सरकार को निर्देशित करने की मांग करता हूं।]

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड की पेयजल समस्या का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गोरख पासवान-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-357 बेल्थरा रोड जनपद-बलिया के अन्तर्गत जल निगम पेयजल योजना के तहत दो योजनाएं नगरा एवं अवराईकला विगत कई वर्षों पूर्व संचालित है। पाइप लाइन बिछाने का मानक एक मीटर महराई निर्धारित है उक्त कार्य मानक के विपरीत 6-7 इंच खोदकर पाइप लाइनें बिछाई गयी है, भारी वाहनों के गुंजरने से जगह-जगह से पाइप लाइने क्षतिग्रस्त हो गयी है जिससे पेयजल जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे स्पष्ट है कि सरकारी धन का बड़े पैमाने पर दुरूपयोग किया गया है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उक्त परियोजनाओं के अन्तर्गत कराये कार्यों की तकनीकी जांच कराकर दोषी ठेकेदारों एवं विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही कराने एवं पेयजल योजना को सुचारू रूप से संचालित कराये जाने की मांग करता हूं।]

कुशीनगर, महाराजगंज को जोड़ने वाली छोटी गण्डक नदी खेटही काशी छपरा घाट पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूर्णमासी देहाती-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जनपद कुशीनगर, महाराजगंज को जोड़ने वाली सड़क पर पक्के पुल की मांग बहुत दिनों से चल रही है इस सम्बन्ध में कई बार लोक निर्माण एवं मा0 मुख्य मंत्री जी को कई बार पत्र लिखा जा चुका है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र वृन्दावन के कतिपय इलाकों का सर्वांगीण विकास किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप माथुर-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र मथुरा-वृन्दावन, जनपद-मथुरा में निम्नांकित क्षेत्रों का समुचित विकास कराया जाना अति-आवश्यक है। इस क्षेत्र में स्थित 1-राधेश्याम कालोनी, 2-जयसिंहपुर, 3-सुखदेवनगर, 4-नवनीत नगर, 5-विष्णुपुरी, 6-नगला शिवजी, 7-बाकलपुर-दिल्लीवाल बाउण्ड्री के पास का क्षेत्र एवं 8-अजयनगर कालोनी का लगभग 80 प्रतिशत भाग कच्चा व अविकसित

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

है। यह पूरा क्षेत्र मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। इस क्षेत्र की मुख्य सड़कें एवं गलियां कच्ची हैं जो कि बरसात के दिनों में चलने लायक नहीं रह जाती। इस मुख्य बस्ती में सीवर एवं नालियों का निर्माण बहुत ही कम स्थानों पर हुआ है। शासन के आदेश के बावजूद यहां के कब्रिस्तान में एवं बाउन्ड्रीवाल निर्माण को प्राथमिकता न देते हुए काफी धीमी गति से कार्य कराया जा रहा है। अनेक कब्रिस्तान ऐसे हैं जिन पर भू-माफिया/दबंगों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। अभिलेखों के अनुसार कब्रिस्तानों से अतिक्रमण हटाकर उसकी बाउन्ड्रीवाल का निर्माण करा लिया जाय तथा कब्रिस्तानों में समुचित पानी की व्यवस्था, बरामदा तथा इस क्षेत्र के जीर्ण-शीर्ण मार्ग का निर्माण कराया जाना जनहित में अति-आवश्यक है। यह अविलम्बनीय एवं लोक महत्व प्रकरण है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए प्रकरण पर शीघ्र कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय प्रताप जायसवाल-

[मान्यवर, अवगत कराना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र, रूधौली, जनपद-बस्ती एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। इस क्षेत्र के लोगों की आशाएं अपने फसलों की बिक्री पर होती है जिससे वह अपने बच्चों के शादी-विवाह एवं अन्य कार्य सुचारू रूप से करते हैं। क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली दो तहसीलें 1-भानपुर एवं 2-रूधौली में शासन की मंशा के अनुरूप अग्निशमन केन्द्र के लिए राजस्व अभिलेखों में भूमि आरक्षित है परन्तु सरकार के द्वारा निर्माण की स्वीकृति न मिलने के कारण कार्य लम्बित है। सरकार के द्वारा विधायक निधि से अग्निशमन वाहन खरीदे जाने का प्राविधान है जिसके तहत मेरे द्वारा अपने क्षेत्र के किसान हित में उनकी महत्वपूर्ण फसलों तथा घरों को आग से बचाव हेतु अपने विधायक निधि से अग्निशमन वाहन खरीदे जाने का प्रस्ताव मुख्य विकास अधिकारी को दिया था, जिसके जवाब में मुझे अवगत कराया गया कि जब तक अग्निशमन केन्द्र स्थापित नहीं हो जाता तब तक अग्निशमन वाहन खरीदे जाने के प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं दी जा सकती। महोदय, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आग लगने की स्थिति में जिला मुख्यालय, अग्निशमन केन्द्र से सम्पर्क करने तथा अग्निशमन वाहन को घटना स्थल तक पहुंचने में काफी समय लग जाता है, तब तक किसानों के फसलों के साथ-साथ भारी जन एवं धन हानि हो चुकी होती है। जनता को त्वरित सहायता पहुंचाने हेतु उक्त तहसीलों 1-भानपुरवा एवं 2-रूधौली में अग्निशमन केन्द्र की शीघ्र स्थाना कराया जाना जनहित में अतिआवश्यक है। प्रकरण लोकहित का अविलम्बनीय है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए शीघ्र कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद मीरजापुर के लापता श्री अरुण कुमार का पता लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गयादीन अनुरागी-

[मान्यवर, मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा श्री अरूण कुमार पुत्र श्री किस्मत्ती, निवासी-ग्राम दियाव, थाना-कछवां, जनपद-मीरजापुर विगत 03 महीने से गायब है। इनके परिवार ने श्री अरूण कुमार के गायब होने से प्राथमिकी थाना-कछवां में दर्ज करा दी है लेकिन अभी तक पुलिस उसका पता नहीं पायी है। श्री अरूण कुमार का पुलिस द्वारा गहन छानबीन करते हुए खोजा जाना जनहित में अति आवश्यक है। पुलिस की अकर्मण्यता के कारण इस क्षेत्र की जनता में शासन के प्रति रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद मेरठ में देववती देवी वीरेन्द्र कुमार रा0इ0का0 में छात्राओं के बैठने हेतु फर्नीचर की समुचित व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

[मान्यवर, मेरठ में देववती देवी वीरेन्द्र कुमार राजकीय इण्टर कालेज में छात्राओं को बैठने के लिए कक्षावार फनीचर्स की बहुत कमी है। छात्राओं को जमीन पर दरी बिछाकर बैठकर अध्ययन करना पड़ रहा है।

बार-बार आग्रह करने पर शासन का माध्यमिक शिक्षा विभाग इस ओर समुचित ध्यान नहीं दे रहा है। जिला योजना में भी इस हेतु आवश्यक कार्य कराये जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने के बावजूद आवश्यक धन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।

प्रकरण अत्यन्त गम्भीर एवं लोकमहत्व का है।

अतः अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के इस विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए शीघ्र कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज में दैवी आपदा राहत निधि के अन्तर्गत कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय कुमार लल्लू-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद-कुशीनगर के विधान सभा तमकुहीराज के अन्तर्गत वर्ष 2013-2014 में बाढ़/दैवी आपदा राहत निधि के अन्तर्गत निम्नलिखित सड़कों का पुर्ननिर्माण/मरम्मत कराया जाना जनहित में अति-आवश्यक है। विवरण है :--1. बीएमसीटी (राज्य मार्ग-64) के कि0मी0 150.500 से 174.100 तक के मरम्मत का कार्य अनुमानित लागत रु0 47.24 लाख, 2. कसया-सपहा-तमकुही प्रमुख जिला मार्ग के मरम्मत का कार्य, अनुमानित लागत

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रु0 31.93, 3. फाजिलनगर-तुर्कपट्टी मार्ग पर पुर्ननिर्माण कार्य, अनुमानित लागत रु0 27.16 लाख, 4. तीरथराम पेट्रोल पम्प से अहिरौली सम्पर्क मार्ग का उच्चीकरण एवं मरम्मत कार्य अनुमानित लागत रु0 39.73, 5. तमकुही-सिसवां नाहर-अहिरौलीदान मार्ग के कि0मी0 16, 17 एवं 18 के मरम्मत का कार्य अनुमानित लागत रु0 33.31 लाख एवं 6 सेवरही-पिपराघाट पहुंच मार्ग के कि0मी0 1.200 से लेकर 2.200 तक मरम्मत कार्य अनुमानित लागत रु0 27.30 लाख है। उक्त सड़क का शीघ्र मरम्मत/पुर्ननिर्माण जनहित में अति-आवश्यक है। बाढ़ के कारण उक्त सड़कें गड्ढायुक्त के साथ-साथ पूरी तरह से ध्वस्त हो गयी है जिनका पुर्ननिर्माण कराया जाना अति-आवश्यक है। प्रकरण अविलम्बनीय लोक महत्व का है।

अतः जनहित एवं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र के स्याना के अन्तर्गत ग्राम-जड़ौल की अस्थाई पुलिस चौकी को स्थाई/रिपोर्टिंग चौकी पूर्ण अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दिलनवाज खान-

[मान्यवर, मैं इस सदन के माध्यम से अपने विधान सभा क्षेत्र, स्याना के अन्तर्गत ग्राम जाड़ौल, ब्लाक जहांगीराबाद में पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की तरफ आकृष्ट करते हुए अवगत कराना चाहता हूं कि ग्राम जाड़ौल मेरे विधान सभा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण गांव है। जिसकी संयुक्त आबादी लगभग 15,000 है। यहां सुरक्षा व्यवस्था हेतु पुलिस चौकी स्थापित है। इस चौकी की सीमा में ग्राम जाड़ौल के अतिरिक्त अन्य कई गांव भी आते हैं। पुलिस चौकी में रिपोर्टिंग की व्यवस्था नहीं है। पुलिस चौकी थाना खानपुर से सम्बद्ध है जो यहां से लगभग 10 कि0मी0 दूर है तथा आवागमन की सुगम सुविधा नहीं है। ग्रामवासियों को रिपोर्ट दर्ज कराने थाना खानपुर जाने में परेशानी होती है तथा अधिक समय लगता है।

ग्राम जाड़ौल में पूर्व में बैंक डकैती हो चुकी है, बिजलीघर से 02 ट्रान्सफार्मर चोरी होनी की घटनाएं घटित हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम जाड़ौल के पास वन क्षेत्र में अवसर राहजनी, लूटपाट तथा महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनायें भी घटित होती रहती हैं। ग्राम जाड़ौल में वर्ष 2010 में जातीय दंगा भी हो चुका है। क्षेत्र अति संवेदनशील है। जनहित में तथा सुरक्षा के दृष्टिकोण से ग्राम जाड़ौल में स्थित अस्थायी पुलिस चौकी को स्थाई/रिपोर्टिंग चौकी का पूर्ण अधिकार दिया जाना अति आवश्यक है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर जनहित में आवश्यक कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड बल्दीराय की ग्राम सभा में गोमती नदी से हो रही कटान को रोके जाने हेतु समुचित व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राधेश्याम-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र, जगदीशपुर, जनपद-सुल्तानपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड-बल्दीराय के ग्राम सभा-जमालपुर पिपरी में गोमती नदी से लगातार कटान हो रहा है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों 1-ग्राम सभा-उमरा, 2-ग्राम सभा-गौरा परानी, 3-ग्राम सभा-कापा, 4-ग्राम सभा-काकर कोला के साथ ही साथ निम्नांकित पुरवों में-1-पुरे बुद्धि, 2-पुरे जबर, 3-पुरे छतारी, 4-बैकुण्ठी इत्यादि में हो रहे कटान से ग्राम सभाओं की कई सैकड़ों एकड़ बहुमूल्य एवं उपजाऊ भूमि नदी में समाहित होती जा रही है। काकरकोला मोड़ से ग्राम-पिपरी की ओर जाने वाला मुख्य सम्पर्क मार्ग को नदी ने अपने आगोश में समाहित कर लिया है जिससे इस क्षेत्र में आवागमन बाधित है। उक्त ग्रामसभाओं में गोमती नदी द्वारा हो रही कटान को रोके जाने हेतु नदी के किनारे बांध बनाकर तथा बांध को बड़े-बड़े पत्थर का बोल्डर डालकर इण्टरलाकिंग किया जाना जनहित में अति आवश्यक है। यह अविलम्बनीय एवं लोकमहत्व का प्रकरण है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद देवरिया में मा0शि0प0 के अन्तर्गत संचालित शहीद रामचन्द्र इण्टर कालेज, बसन्तपुर घोसी तरकुलवा में प्रचारक पद पर तैनात कर्मियों का लम्बित एरियर का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कुलदीप सिंह

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत संचालित शहीद रामचन्द्र इण्टर कालेज, बसन्तपुर घोसी तरकुलवा, जनपद देवरिया के प्रचारक पद पर कार्यरत कर्मचारियों की तरफ ले जाना चाहता हूं जिनका वर्ष 2009 से वर्ष 2014 तक के वेतन के एरियर का भुगतान आज तक नहीं किया गया है। सूचना का अधिकार के अन्तर्गत मांगी गयी सूचना में श्री अमर द्विवेदी प्रचारक के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि इनका भुगतान कराया जाये किन्तु इसके पश्चात भी डी0आई0ओ0एस0 द्वारा वेतन के एरियर का भुगतान नहीं कराया जा रहा है।

अतः मैं इस लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रश्नगत प्रकरण में भुगतान न कराने की एक उच्च स्तरीय जांच करने के साथ तत्काल भुगतान कराने हेतु इसे नियम-301 के अन्तर्गत उठाने हेतु आपकी अनुज्ञा चाहता हूं।]

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद आजमगढ़ की कतिपय जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आलमबदी-

[महोदय, मैं आप द्वारा मा0 मंत्री जी लोक निर्माण विभाग का ध्यान आकर्षित कराते हुए क्षेत्र के निम्नलिखित अति जर्जर विभागीय सड़कों के शीघ्र मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं।

1-परसहा रेलवे क्रासिंग से बड़हरिया होते हुए सेन्टरवा बाजार तक।

2-सेन्टरवा बाजार से बारी खास तक।

3-कोइनहा कप्तानगंज रोड से ओरा जाने वाले रास्ते को जोड़ने वाली सड़क का स्पेशल रिपेयर 2 कि0मी0।

4-कोइनहा कप्तानगंज मार्ग से नहर के समान जो सड़क लछहरा गांव को जोड़ती है।

5-सोफीपुर मंझारी रोड पर पड़ाइन की पुलिया कैनाल के साथ उत्तर तरफ जो पिच रोड बैरमपुर और तहबरपुर जो प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़क को जोड़ती है 2.5 कि0मी0।

अतः मान्यवर से मेरा पुनः अनुरोध है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कराकर इन सड़कों को जनहित में कार्य कराने का कष्ट करें। जिसके लिए मैं और मेरे क्षेत्र की जनता आभारी रहेगी।]

जनपद सहारनपुर में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए कतिपय मार्गों के मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 धर्म सिंह सैनी-

[महोदय, अवगत कराना है कि पिछले वर्ष 2013 जून माह में आयी भीषण बाढ़ से मेरे विधान सभा क्षेत्र नकुड़ के विकास खण्ड सरसावां तथा विकास खण्ड नकुड़ के लगभग सैकड़ों ग्राम सभाओं के सम्पर्क मार्ग पानी में बह गये थे। इन मार्गों की मरम्मत/निर्माण हेतु कई बार शासन, प्रशासन को अवगत भी कराया गया। जिलाधिकारी, सहारनपुर द्वारा भी कई बार शासन में पत्र के माध्यम से क्षेत्र की टूटी हुई सड़कों व पेयजल पाइप लाइन एवं टूटी हुए विद्युत तार व खम्भों की मरम्मत कराने हेतु धन की मांग की गयी। परन्तु एक वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी मेरे विधान सभा क्षेत्र के उक्त दोनों विकास खण्डों में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए सड़कों, पुलिया व पेयजल पाइप लाइन तथा विद्युत के तार व खम्भों आदि को लगाये जाने के लिए धन की व्यवस्था नहीं हो पायी है। जिससे क्षेत्रीय जनता में भारी आक्रोश है।

अतः सरकार का ध्यानाकृष्ट कर मांग करता हूं कि उक्त सभी कार्यों को किये जाने हेतु धन की व्यवस्था कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करायें।]

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लखनऊ महानगर के आलमबाग मोहल्ले में व्याप्त जल भराव की समस्या का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री त्रिभुवन राम-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि श्री महेश कुमार के मकान नं0-559 ख/15, श्रीनगर, आलमबाग, लखनऊ से लेकर आस-पास के कई मकानों में बरसात के दिनों में जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है और सीवर का पानी लोगों के कमरों में एवं घरों में भर जाता है। इससे वहां स्थित बी0एन0 वोकेशनल इण्टर कालेज के अध्यापकों को एवं छात्रों को भी आने-जाने में भारी कठिनाई होती है। यह बताना है कि बी0एन0 वोकेशनल इण्टर कालेज से मानक नगर रोड पर दो वर्ष पूर्व सीवर का मिलान किया गया है जो कि तकनीकी दोष (लेविल) होने के कारण पानी उल्टा वापस आ रहा है। इसके निराकरण की सूचना कई बार नगर निगम, लखनऊ के अधिकारियों को दी गयी है परन्तु अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया मकान नं0-559/ख तथा बी0एन0 लाल वोकेशनल इण्टर कालेज, श्रीनगर, आलमबाग, लखनऊ में बरसात के दिनों में उत्पन्न हो रही इस समस्या के निराकरण हेतु सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए नगर आयुक्त, लखनऊ नगर निगम को निर्देश दिये जाने की अपेक्षा की जाती है।]

लखनऊ महानगर में निशातगंज रेलवे क्रासिंग के पास उमराव सिनेमा चौराहे तक की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती आशा किशोर-

[मान्यवर, निशातगंज रेलवे क्रासिंग, लखनऊ के पास उमराव सिनेमा चौराहे तक दोनों तरफ की सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त और खराब हो गयी है। इससे आये दिन दुर्घटनायें हो रही हैं और लोगों का आवागमन दूभर हो गया है। इस सड़क मार्ग को दोनों तरफ की जो लगभग 100 मीटर होगी, ठीक करवाया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः सदन के माध्यम से अनुरोध है कि कृपया उक्त निशातगंज पुलिस चौकी, लखनऊ से रेलवे क्रासिंग के पार की दोनों तरफ की सड़कों को शीघ्र ठीक करवाये जाने हेतु आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ को निर्देश देने का कष्ट करें।]

जनपद गाजियाबाद की निर्माणाधीन आवासीय वाणिज्यिक टाउनशिप में मांग के अनुरूप विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

[मान्यवर, एक अत्यन्त अविलम्बनीय लोकमहत्व की सूचना सदन के पटल पर रख रहा हूं।

मैसर्स एस0एम0वी0 एजेन्सीज प्रा0 लि0, एन0एच0-24, ग्राम शाहपुर बम्हैटा गाजियाबाद में आवासीय वाणिज्यिक टाउनशिप निर्माणाधीन है जिसके लिए 35 एम0वी0 भार की आवश्यकता है

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जिससे कम से कम 2000 आवंटी प्रभावित होते हैं परन्तु जून, 2012 में विद्युत आवंटन की सारी औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त भी पत्रावली मुख्य अभियन्ता (वि0) गाजियाबाद क्षेत्र, गाजियाबाद एवं अधीक्षण अभियन्ता, कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ के बीच घूम रही है।

उल्लेखनीय है कि व्यापक जनहित के मध्य मा0 मुख्य मंत्री जी के कार्यालय के पत्र संख्या-8090/ओ0एस0डी0 (जे)/सी0एम0/2103, दिनांक 11 मार्च, 2013 पत्र संख्या-33310/ओ0एस0डी0 (जे)/सी0एम0/2013, दिनांक 12 सितम्बर, 2013 एवं पत्र संख्या-2890/ओ0एस0डी0 (जे)/सी0एम0/2014, दिनांक 04 फरवरी, 2014 के द्वारा भी अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ एवं मुख्य अभियन्ता (विद्युत) गाजियाबाद क्षेत्र गाजियाबाद लिखा जा चुका है परन्तु वांछित कार्यवाही मुख्य अभियन्ता के स्तर पर लम्बित है।

अतः इस लोकमहत्व/जनहित के अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य/कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद मुरादाबाद की कांठ विधान सभा में राजकीय आई0टी0आई0 की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनीसुर्ररहमान-

[महोदय, मैं आपका ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र कांठ की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, मेरे क्षेत्र के ब्लाक छजलैट में कोई भी राजकीय आई0टी0आई0 नहीं है। ब्लाक छजलैट अल्पसंख्यक बाहुल्य है। मैंने वर्ष 2012-2013 में मा0 मुख्य मंत्री जी से पत्र के माध्यम से ब्लाक छजलैट में एक आई0टी0आई0 स्थापित करने का अनुरोध किया था। परन्तु अभी तक इतना समय व्यतीत हो जाने के बाद भी अभी तक आई0टी0आई0 की स्थापना नहीं हो पाई है। क्षेत्र के कम पढ़े लिखे नौजवानों को ब्लाक से 40 कि0मी0 दूर मुरादाबाद जाना पड़ता है तथा अधिक दूरी एवं कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण भारी संख्या में छात्र प्राविधिक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। जिस कारण छात्र-छात्राओं में भारी रोष है।

अतः मैं उक्त लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर जनपद मुरादाबाद के अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लाक छजलैट में शीघ्र एक आई0टी0आई0 स्थापित किये जाने हेतु सदन के माध्यम से कार्यवाही की मांग करता हूं।

जनपद हमीरपुर के राजकीय इण्टर कालेज, राठ के जर्जर भवन के स्थान पर नया भवन बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राज नारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज-

[मान्यवर, कृपया अवगत कराना चाहूंगा कि जनपद हमीरपुर के कस्बा राठ में बालिकाओं की शिक्षा हेतु एक मात्र राजकीय बालिका इण्टर कालेज लगभग 100 वर्ष का निर्मित है जो कि पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो चुका है, कभी भी बड़ा हादसा होने की सम्भावना है। पूर्व के वर्षों में नये भवन के

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

निर्माण हेतु धन आवंटन होकर टेण्डर प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली गयी थी, लेकिन नई सरकार के गठन होते ही धन वापस कर लेने के कारण भवन निर्माण शुरू ही नहीं हो सका, जबकि नगर का एक मात्र राजकीय बालिका इण्टर कालेज होने के कारण नया भवन बनाये जाने की अत्यन्त आवश्यकता है। जिला योजना के अन्तर्गत भी प्रस्ताव पास होकर शासन में धन आवंटन हेतु लम्बित है। जिसको शीघ्र स्वीकृति किये जाने की आवश्यकता है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए शीघ्र राजकीय बालिका इण्टर कालेज, राठ, जनपद-हमीरपुर का नया भवन निर्मित कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद फैजाबाद की तहसील सदर में दबंगों द्वारा असहाय महिला के मकान में किये गये अवैध कब्जे को मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगराम पासवान-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान राजस्व विभाग के पुराने दस्तावेज, जिनका किन्हीं कारणों से विधिमान्यीकरण अभी तक नहीं हो पाया है, के विधिमान्यीकरण किये जाने की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं।

राजस्व विभाग के कतिपय अभिलेख/दस्तावेज अभी भी किन्हीं कारणों से विधिमान्य नहीं हो पाये हैं, जिसके कारण जनता को विभिन्न कार्यालयों में परेशान होना पड़ता है। ऐसे दस्तावेजों के विधिमान्यीकरण हेतु सरकार द्वारा समय-समय पर शासनादेश जारी किया जाता रहा है। उ0 प्र0 सरकार की अधिसूचना सं0-605/एक-1-2010-12 (7)-2003-31, लखनऊ दिनांक 05 अप्रैल, 2010 एक निश्चित समयावधि (06 माह) के लिये जारी हुई थी। जिसकी जानकारी न मिल पाने के कारण प्रदेश में लाखों लोग इस सुविधा से वंचित रह गये। ऐसी सम्पत्तियों के विधिमान्यीकरण कराने हेतु उपरोक्त विषयक अधिसूचना में उल्लिखित अवधि को बढ़ाना जनहित में आवश्यक हो गया है। जिससे छूटे हुए लोगों की सम्पत्ति का दाखिल खारिज हो सके। ऐसी सम्पत्तियां जो आवंटियों के कब्जे में है एवं उसमें लोग रह रहे हैं। कुछ लोग सरकारी ऋण लेकर बन्धक रखे थे तथा ऋण अदायगी के बाद विधिमान्यीकरण कराना चाहते हैं, सरकार से उन्हें जनहित में उक्त अधिसूचना में उल्लिखित अवधि को बढ़ाया जाना अपेक्षित है। इससे सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी और जनता का कार्य भी होगा।

अतः जनहित में लोक महत्व के इस विषय पर मैं राजस्व विभाग से एतद्विषयक उक्त अधिसूचना में उल्लिखित 06 माह की अवधि को बढ़ाने की मांग करता हूं।]

जनपद लखीमपुर के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा में सुजई कुण्डा में पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया-

[महोदय, कृपया संज्ञान में लाना है कि जनपद-लखीमपुर खीरी के मेरे विधान सभा क्षेत्र धौरहरा के अन्तर्गत कस्बा धौरहरा से सुजई कुण्डा जाने वाले मार्ग पर पड़ने वाली दहावर नाला पर

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बना पुल अत्यधिक जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, जो टूटा पड़ा है, उक्त पुल से लगभग बीस ग्राम सभा की बीस हजार की आबादी का आवागमन होता है। परन्तु उक्त पुल टूट जाने से आवागमन पूर्णतः बाधित हो गया है। क्षेत्रीय जनता द्वारा उक्त क्षतिग्रस्त एवं टूटे पुल का निर्माण किये जाने हेतु कई बार स्थानीय प्रशासन से अनुरोध किया गया है परन्तु अभी तक पुल निर्माण हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की जा रही है। जिससे क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोष व्याप्त है।

अतः जनहित में लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त क्षतिग्रस्त/टूटे हुए पुल निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद लखीमपुर के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा में ग्राम अकठी से परौरी तक के मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मो0 आसिफ जाफरी-

[मान्यवर, कृपया संज्ञान में लाना है कि जनपद लखीमपुर के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा के विकास खण्ड-रमिया बेहड़ के अन्तर्गत ग्राम अकठी से ग्राम परौरी तक का रास्ता कच्चा एवं ऊबड़-खाबड़ है, उक्त सस्ते के अलावा और कोई रास्ता ग्रामीण जनता को आने-जाने का नहीं है। जिससे क्षेत्रीय जनता को आवागमन में अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय ग्रामीण जनता द्वारा कई बार उक्त कच्चे ऊबड़-खाबड़ रास्ते को सी0सी0 रोड या पक्का अथवा खड़ण्जा लगाये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, परन्तु अभी तक उक्त रास्ते के निर्माण हेतु कोई भी कार्यवाही नहीं किये जाने से क्षेत्रीय ग्रामीणों में सरकार के प्रति अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः जनहित में इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद लखीमपुर के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा के विकास खण्ड ईसानगर के अन्तर्गत ग्राम काजीपुर के कब्रिस्तान पर अवैध तत्वों द्वारा किये गये कब्जे को मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरविन्दर कुमार उर्फ रोमी साहनी-

[मान्यवर, कृपया संज्ञान में लाना है कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा के विकास खण्ड ईसानगर के अन्तर्गत ग्राम काजीपुर में कब्रिस्तान स्थित है। जिस पर अराजक तत्वों द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है। जिससे क्षेत्रीय जनता को परेशानी हो रही है। जनता द्वारा उक्त कब्रिस्तान की बाउन्ड्रीवाल बनाये जाने हेतु अनुरोध किया गया परन्तु गांव में स्थित उक्त कब्रिस्तान की बाउन्ड्रीवाल बनाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति अत्यधिक जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः जनहित में इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग करता हूं।]

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद लखीमपुर के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा त्रिकौलिया के कब्रिस्तान पर अवैध तत्वों द्वारा किये गये कब्जे को मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र-

[मान्यवर, कृपया संज्ञान में लाना है कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा के विकास खण्ड-धौरहरा के अन्तर्गत ग्राम त्रिकौलिया (सिगावर) में कब्रिस्तान स्थित है। जिस पर अराजकतत्वों द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है, जिससे क्षेत्रीय जनता को परेशानी हो रही है। जनता द्वारा उक्त कब्रिस्तान की बाउण्ड्रीवाल बनाये जाने हेतु अनुरोध किया गया परन्तु गांव में स्थित उक्त कब्रिस्तान की बाउण्ड्रीवाल बनाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति अत्यधिक जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः जनहित में इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद मिर्जापुर के अल्पसंख्यक छात्र-छत्राओं हेतु इण्टरमीडिएट/डिग्री कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश चन्द्र बिन्द-

[मान्यवर, कृपया संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जिला मिर्जापुर में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र एवं छात्राओं की उच्च शिक्षा हेतु कोई भी इण्टर कालेज तथा डिग्री कालेज नहीं है। छात्र एवं छात्राओं की उच्च शिक्षा हेतु काफी स्थित इण्टरमीडिएट एवं डिग्री कालेजों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। जिस कारण क्षेत्रीय छात्र-छात्राओं को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय वर्ग के शिक्षा हेतु माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा हेतु कई सरकारी घोषणायें की गई हैं, परन्तु अभी तक माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा हेतु इण्टरमीडिएट कालेज एवं अन्य कालेज स्थापना हेतु कोई भी कार्यवाही नहीं किये जाने से क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने की मांग करता हूं।]

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड हरगांव के कतिपय क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामहेत भारती-

[मान्यवर, अवगत कराना चाहूंगा कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड-हरगांव के अन्तर्गत कैथाभारी सम्पर्क मार्ग से रिक्खी पुरवा, रोड़पुरा होते हुए झरिया सम्पर्क मार्ग, जो ग्रामीण क्षेत्र का अत्यन्त दुर्गम कच्चा रास्ता है। आने-जाने का कोई सुगम रास्ता नहीं है। क्षेत्रीय ग्रामीणों को काफी परेशानी व दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गन्ना क्षेत्र होने के कारण ट्रैक्टर ट्रालीयां व बैल गाड़ियां मिल तक ले जाने में काफी असुविधा होती है तथा दुर्घटना हो जाने पर जान माल की क्षति हो जाती है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतएव जनहित में इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कैथाभारी सम्पर्क मार्ग से रिक्खी पुरवा टोड़रा होते हुए झरिया सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन के राजस्व ग्राम मुड़ाडाढ़ की विद्युत समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमेश पाण्डेय-

[मान्यवर, कृत संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद-मऊ के मेरे विधान सभा क्षेत्र मधुबन के विकास खण्ड-फतहपुर मडांव के ग्राम सभा नेवादा गोपालपुर के अन्तर्गत राजस्व ग्राम मुड़ाडाढ़ सहाब में लगभग 15 वर्ष पूर्व विद्युतीकरण हुआ था, जिससे विद्युत सप्लाई हो रही थी। दिनांक 18-01-2014 को हुई बरसात में विद्युत इन्सूलेटर पंचर हो गया, जिससे विद्युत तार इन्सूलेटर निकल गया। जिसको स्थानीय विद्युत लाइन मैन के सहयोग से डिस्कनेट कर शेष विद्युत लाइन चालू कर दी गयी। अब वहां पर लगाने हेतु नया इन्सूलेटर आ जाने के बाद भी गांव के कुछ अराजक तत्वों एवं दबंगों द्वारा नये इन्सूलेटर को नहीं लगाने दिया जा रहा है। जिससे पूरे राजस्व गांव में विद्युत सप्लाई बाधित हो गयी है। स्थानीय उच्च अधिकारियों के द्वारा आदेश दिये जाने के उपरान्त भी अभी वहां नया विद्युत इन्सूलेटर को नहीं लगाया जा सका है। क्षेत्रीय जनता द्वारा कई बार अनुरोध किये जाने के उपरान्त भी प्रशासन द्वारा इन्सूलेटर लगाये जाने हेतु कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। जिससे क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त खराब विद्युत इन्सूलेटर की जगह पर नया विद्युत इन्सूलेटर लगाये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद लखीमपुर के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित सड़क के क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

[मान्यवर, कृपया संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद-लखीमपुर खीरी के मेरे विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के विकास खण्ड-ईसा नगर के अन्तर्गत ग्राम उदयपुर से ग्राम बेल्तुआ ल0 लगभग 10 कि0मी0 की सड़क जिला मण्डी परिषद् लखीमपुर खीरी द्वारा बनायी गयी थी, जो कि पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गयी है, सड़क पर गहरे गड्ढे हो गये हैं, जिसके कारण क्षेत्रीय जनता एवं राहगीरों को आवागमन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क के क्षतिग्रस्त होने के कारण आये दिन सड़क दुर्घटनायें हो रही है। जनप्रतिनिधियों एवं क्षेत्रीय जनता द्वारा कई बार जिला स्तर के अधिकारियों एवं शासन से सड़क निर्माण हेतु अनुरोध किया गया है परन्तु अभी तक उक्त सड़क की मरम्मत नहीं हो सकी है, सड़क के निर्माण न होने से सभी क्षेत्रीय जनता को आवागमन में अत्यधिक

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे क्षेत्रीय जनता एवं किसानों में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद गोरखपुर तहसील गोला के अन्तर्गत खखाइजखोर में 33 के0वी0ए0 का विद्युत सब-स्टेशन बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेश त्रिपाठी-

[मान्यवर, संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद-गोरखपुर के तहसील गोला के अन्तर्गत खखाइजखोर में 33 के0वी0ए0 का विद्युत सब-स्टेशन (समय स्थान) का निर्माण कार्य गत वर्ष 2011 में आरम्भ हुआ था, परन्तु तीन वर्ष बीत जाने के बावजूद उसका कार्य 30-35 प्रतिशत से अधिक नहीं हो पाया है। जिससे क्षेत्र की जनता में काफी आक्रोश व्याप्त है। सम्बन्धित ठेकेदार या निर्माण एजेंसी अधूरा निर्माण छोड़कर फरार है। उक्त निर्माण न होने से विद्युत उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त 33 के0वी0ए0 का विद्युत सब-स्टेशन (समय स्थान) का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

उत्तर प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत अनुदेशकों को विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लोकेश दीक्षित-

[मान्यवर, उत्तर प्रदेश के विभिन्न राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में रिक्त पड़े अनुदेशकों के पद के विरुद्ध तत्समय योग्यता के आधार पर रु0 100/- प्रति कार्यदिवस मानदेय पर पहले प्रशिक्षण मित्र बाद में अथिति वक्ता के रूप में वर्ष 2000-2001 में की गयी नियुक्तियों में कार्यरत प्रक्षिण मित्र/अतिथि वक्ता अनुदेशकों का विनियमितीकरण न किये जाने से सभी अतिथि वक्ताओं में अत्यन्त रोष एवं आक्रोष व्याप्त है। स्थिति कभी भी विस्फोटक हो सकती है।

अतः जनहित के इस लोक महत्व के सुनिश्चित विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यरत प्रशिक्षण मित्र/अतिथि वक्ता अनुदेशकों का विनियमितीकरण किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र गोवर्धन के उप जिलाधिकारी द्वारा की जा रही राजस्व हानि की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजकुमार रावत-

[महोदय, कृपया अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र गोवर्धन, जनपद-मथुरा के अन्तर्गत ग्राम तेहरा में श्री रमेश चन्द्र, उप जिलाधिकारी, सदर के द्वारा सरकार को करोड़ों रुपये का राजस्व की हानि पूर्व में 143 की घोषित आबादी की जमीन को कृषिक घोषित कर करोड़ों रुपये की

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

स्टाम्प की राजस्व हानि जिसे शौर्य हाउसिंग लिमिटेड, निदेशक, सर्वजीत पाल बनाम सरकार 2013 तहसील जिला मथुरा में दि0 25-11-2013 को आबादी की जमीन को कृषिक घोषित कर देना जिसे उक्त शौर्य हाउसिंग लिमिटेड, निदेशक, सर्वजीत पाल के द्वारा सरकार को सर्वजीत पाल व एस0डी0एम0 सदर ने करोड़ों का राजस्व हानि किये जाने से क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति काफी रोष एवं जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ में व्याप्त पेयजल एवं सिंचाई की समस्या का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भगवान सिंह कुशवाहा-

[महोदय, आपको अवगत कराना है कि जनपद-आगरा के विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ के विकास खण्ड जगनेर में जलस्तर काफी नीचे चले जाने से पीने के पानी व सिंचाई की गम्भीर समस्या है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण बरसात के बरसात का पानी बह कर चला जाता है। वि0ख0 जगनेर में गुंगाबद बंधा एवं रिछोटा बंधा कच्चे बने हुए हैं। जो कि टूटे होने के कारण बरसात का पानी नहीं रुकता है। वि0ख0 जगनेर की जनता एवं क्षेत्रीय लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे क्षेत्रीय जनता का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में अविलम्ब उक्त विकास खण्ड में दो बंधों को पक्का निर्माण कार्य कराये जाने की कार्यवाही की मांग करता हूं।]

आगरा शहर के कतिपय क्षेत्रों में व्याप्त जल निकासी की समस्या का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गुटियारी लाल दुवेश-

[मान्यवर, कृपया अवगत कराना चाहूंगा कि आगरा शहर के अन्तर्गत मेरी विधान सभा क्षेत्र आगरा कैण्ट ताजमहल के निकट, नगला परसोती, नगला भरती, नगला प्यारे में पानी की निकासी न होने के कारण गन्दा व दूषित पानी सड़कों एवं आसपास के घरों में पानी भर जाता है, जिसके कारण वहां पर निवास करने वाली जनता को गन्दे पानी के भराव के कारण संक्रमण पैदा होने से आये दिन लोग भयंकर बीमारी से पीड़ित रहते है एवं जल भराव के कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन हेतु अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। मैं जिलाधिकारी व नगर आयुक्त से कई बार मिल कर बात की एवं पत्र भी भेजा, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई, गन्दे जल भराव के पानी की निकासी

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

न होने के कारण वहां की जनता आये दिन धरना-प्रदर्शन करती रहती है। किन्तु आज तक नाला निर्माण न हो सका जिससे क्षेत्रीय जनता एवं स्थानीय लोगों का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मा0 अध्यक्ष जी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में अतिशीघ्र नाला निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद हरदोई निवासी श्री रामकुमार के भू-खण्ड संख्या-144 पर दबंगों द्वारा किये गये अवैध कब्जे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बृजेश कुमार-

[महोदय, कृपया अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा मल्लावां तहसील बिलग्राम, जनपद हरदोई के श्री राम कुमार पुत्र श्री गेंदनलाल निवासी ग्राम गोवर्धनपुर परगना मल्लावां, तहसील बिलग्राम के भू-खण्ड सं0-144 पर विपक्षी दबंग व्यक्तियों के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। जबकि सम्बन्धित राजस्व विभाग के कर्मियों, लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार की टीम द्वारा उपरोक्त भू-खण्ड सं0 की नाप की गयी थी तथा भूमि का सीमांकन करने के पश्चात श्री राम कुमार पुत्र श्री गेंदनलाल को भूमि का कब्जा प्रदान किया गया था किन्तु विपक्षीगण जो दबंग प्रवृत्ति के हैं। पुनः उपरोक्त भूमि पर कब्जा किया जा रहा है। दबंगों के इस कृत्य कार्यों से सरकार के प्रति क्षेत्रीय जनता में भारी रोष एवं जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त भूमि पर अवैध कब्जे को हटाये जाने एवं जांच कराकर दोषी के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

जनपद बलिया के अन्तर्गत पड़ने वाली टोंस नदी के किनारे बंधा एवं ठोकर बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमाशंकर-

[मान्यवर, मैं एक अत्यन्त ज्वलन्त एवं जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि मेरी विधान सभा रसड़ा अन्तर्गत गाजीपुर बार्डर से ग्राम सभा औंदी तक टोंस नदी के किनारे बन्धा नहीं होने से लगभग हजारों एकड़ फसल प्रतिवर्ष जलमग्न होने के साथ ही तमाम मकान ध्वस्त हो जाते हैं एवं पूरा इलाका जलमग्न हो जाता है तथा पानी कम होने पर कटान भी शुरू हो जाता है।

अतः जनहित एवं लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर रसड़ा विधान सभा अन्तर्गत टोंस नदी के किनारे पड़ने वाले भाग में बन्धा एवं जगह-जगह ठोकर बनाये जाने हेतु शासन से कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बाउन्ड्रीवाल बनवाने एवं पेयजल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कालीचरन सुमन-

[महोदय, कृपया अवगत कराना है कि जनपद आगरा विधान सभा क्षेत्र 90, आगरा ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत 1-प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय नगला आनन्दी (टपरा) वि0ख0 बिचपुरी। 2-प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय विजामई वि0 ख0 बरौली अहीर। 3-प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय सिकन्दरपुर वि0ख0 बिचपुरी। 4-प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय बिल्हैनी वि0ख0 बरौली अहीर। 5-प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय गुतिला वि0ख0 बरौली अहीर। 6-प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय सुजगई वि0 ख0 बरौली अहीर, 7-प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय ककरारी वि0ख0 बरौली अहीर। 8-प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय देवरी वि0 ख0 बरौली अहीर। 9-प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय नगला शीशिया कबूलपुर वि0 ख0 बरौली अहीर। 10-प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय भाहई वि0 ख0 बरौली अहीर आदि। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बाउन्ड्रीवाल एवं पेयजल की कोई सुविधा नहीं है। जिसके कारण विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिससे क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी रोष एवं जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बाउन्ड्रीवाल निर्माण एवं पेयजल व्यवस्था कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर के मुख्य मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गजेन्द्र सिंह-

[मान्यवर, कृपया अवगत कराना है कि जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर का मुख्य जनपद मार्ग अनूपशहर से बुलन्दशहर मार्ग में हुए सड़क निर्माण में ग्राम-रोरा से जटवई तक लगभग 3 कि0मी0 शेष रह गया है। अनूपशहर एक पर्यटक क्षेत्र है जहां लोग गंगा स्नान एवं मन्दिरों के दर्शन करने लोग आते हैं, वहीं जहांगीराबाद में आस-पास के जनपदों गुड़ एवं धान की मण्डी है जहां हजारों किसान जहांगीराबाद की मण्डी में समान बेचने अन्य जगहों से आते हैं, लेकिन रोरा से जटवई तक शेष मार्ग निर्माण रह जाने से वाहा आवागमन हेतु किसान, व्यापारियों एवं क्षेत्रीय जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिससे क्षेत्र की जनता का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से जनहित में उक्त छूटी सड़क निर्माण का निर्माण कार्य अविलम्ब कराये जाने की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जिला उन्नाव के ब्लाक असोहा के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों को मुख्य सड़क से जोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जय प्रकाश निषाद-

[मान्यवर, कृपया संज्ञान में लाना है कि जिला-उन्नाव के ब्लाक-असोहा, थाना-असोहा के अन्तर्गत स्थित ग्राम-राधा नगरी, ग्राम-गोसाईखेड़ा आदि ग्रामों को मुख्य सड़क से जोड़नी वाली सड़क अत्यन्त क्षतिग्रस्त/जर्जर होने एवं उक्त सड़क का पूर्ण निर्माण न होने के कारण क्षेत्रीय ग्रामवासियों को आवागमन में अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वर्षा के समय में उक्त सड़क के बह जाने से सड़क में बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं एवं उक्त सड़क पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गयी है, जिससे राहगीरों के साथ आये दिन दुर्घटनाएं हो रही है और क्षेत्रीय जनता का आवागमन पूर्णतः बन्द हो गया है। क्षेत्रीय जनता द्वारा कई बार स्थानीय उच्च अधिकारियों एवं शासन तथा सरकार से उपरोक्त ग्रामों को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण/मरम्मत यथाशीघ्र किये जाने का अनुरोध किया गया, परन्तु अभी तक क्षतिग्रस्त उपरोक्त सड़क के निर्माण/मरम्मत हेतु शासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग करता हूं।]

झांसी-कानपुर मार्ग पर परिवहन विभाग की मिलीभगत से की जा रही अवैध लोडिंग से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

[श्रीमान, कृपया अवगत कराना चाहता हूं कि जनपद झांसी से कानपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-25 बना हुआ है। जिस पर खनिज माफियाओं एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से खनिज की जमकर लूट-खसोट ओवर लोडिंग के जरिए की जा रही है जिससे यह मार्ग अपना अस्तित्व खो चुका है जिससे जहां झांसी से लखनऊ तक मात्र 4 घण्टे लगते थे अब इस समय 7 से 8 घण्टे लगते हैं। जगह-जगह पर ट्रकों की लम्बी कतारें लगी रहती हैं एवं मार्ग पर ओवर लोडेड ट्रक पलटे रहते हैं जिनसे रोड पर अत्यधिक मिट्टी फैल जाती है। इस मिट्टी के कारण आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं एवं जाम की स्थिति हमेशा बनी रहती है तथा जिन मरीजों को मेडिकल कालेज झांसी से पी0जी0आई0 इलाज हेतु रिफर किया जाता है उनमें से आधे से अधिक मरीज रोड की हालत खराब होने के कारण एवं जाम में फंस जाने के कारण बीच में ही दम तोड़ देते हैं। सरकार द्वारा इस ओवर लोडिंग को रोकने की दशा में कोई ठोस कदम न उठाये जाने एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने से आम जनमानस में सरकार के प्रति काफी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए वक्तव्य के साथ ही साथ इस मार्ग पर ओवर लोडिंग रोके जाने एवं खनिज माफियाओं तथा परिवहन विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद चित्रकूट में व्याप्त विभिन्न विद्युत समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री चन्द्रभान सिंह पटेल-

[मान्यवर, कृपया अवगत कराना है कि जनपद चित्रकूट के मेरे विधान सभा क्षेत्र पाठा 237, मानिकपुर के अन्तर्गत क्षेत्र के किसानों को विद्युत विभाग द्वारा अनियमित विद्युत सप्लाई से ट्यूबवेल फसलों की सिंचाई आदि की गम्भीर समस्या है जो कि अनियमित एवं मनमानी तरीके से विद्युत की कटौती की जा रही है एवं कम वोल्टेज जर्जर विद्युत लाइनें आदि बिजली विभाग की लापरवाही से ट्रांसफार्मरों के जलने का क्रम चल रहा है। जले ट्रांसफार्मर महीनों-महीनों नहीं बदले जाते हैं। वोल्टेज कम आने की सूचना विद्युत वितरण प्रबन्धक निदेशक को एवं सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता शिकायत किया परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं किया गया। जिसके कारण क्षेत्रीय जनता में भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति, लो-वोल्टेज की समस्या एवं जले हुए ट्रांसफार्मरों एवं जर्जर तारों को अतिशीघ्र ठीक कराने हेतु कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय अन्तर्गत ग्राम सभा गौरी विन्द पुरवा एवं परमानन्दपुर वजहा में गडई नदी पर पुलिया बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बब्बन सिंह चौहान-

[मान्यवर, कृपया अवगत कराना है कि जनपद चन्दौली में विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के अन्तर्गत ग्राम सभा गौरी बिन्दपुरवा एवं परमानन्दपुर वजहा में गडई नदी पर पुलिया बनाने के सम्बन्ध में अनेकों बार पत्राचार के माध्यम से एवं व्यक्तिगत मिलकर जिलाधिकारी को अवगत कराया इन ग्राम सभाओं के लोग आज भी बांस-बल्ली के सहारे आने-जाने का कार्य करते हैं जिससे अनेकों बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं ग्राम सभाओं के आस-पास के जुड़े गांववासियों को अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिससे क्षेत्रीय लोगों का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में अतिशीघ्र उक्त पुल निर्माण की कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद इलाहाबाद के थाना करछना में दर्ज मु0अ0सं0-343ए/2013 में निष्पक्ष कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दीपक पटेल-

[महोदय, कृपया अवगत कराना है कि जनपद के विधान सभा क्षेत्र व थाना करछना के अन्तर्गत ग्राम ककरम दिनांक 28-11-2013 को दो पक्षों में विवाद हुआ तथा वादी मिठाई लाल के पक्ष के लोगों पर जान लेवा हमला किया गया जिसमें वादी को गोली लगी सम्बन्धित थाना करछना में

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मु0अ0सं0-343ए/2013 के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी। किन्तु घटना के इतने दिन बीत जाने के बाद भी स्थानीय पुलिस द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी तक सुनिश्चित नहीं की गयी जो उचित नहीं है। एक पक्ष के निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया गया तथा दूसरे पक्ष के नामजद अभियुक्तों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है और क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी रोष एवं जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद शाहजहांपुर के राजस्व अधिकारियों द्वारा की जा रही अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रोशन लाल वर्मा-

[मान्यवर, कृपया संज्ञान में लाना है कि जनपद शाहजहांपुर के मेरे विधान सभा क्षेत्र 133 तिलहर के परगना निगोही, तहसील तिलहर के अन्तर्गत स्थिति ग्राम पंचायत बरैंचा बांगर, बरैंचा खादर व तहसील सदर के अन्तर्गत स्थित ग्राम पंचायत धन्योरा की सीमायें आपस में मिली हुई हैं। दिनांक 25-12-2013 को तहसील सदर के लेखपाल एवं कानूनगो आदि कर्मचारियों ने ग्राम पंचायत बरैंचा खादर की भूमि ग्राम पंचायत धन्योरा की बताकर नाप कर दी है। परगना-निगोही के अन्तर्गत स्थिति ग्राम पंचायत बरैंचा बांगर, बरैंचा खादरा की उक्त भूमि पर ग्रामवासियों के वर्षों पुराने पट्टे हैं जो कि उन्हें विरासत में मिले हुए हैं। जिस पर ग्रामवासियों का कब्जा है और उक्त भूमि पर ग्रामवासियों की फसलें भी खड़ी हैं। ग्रामवासियों के नाम पट्टे सरकारी राजस्व अभिलेखों में भी दर्ज हैं लेकिन तहसील सदर के राजस्व कर्मचारियों ने ग्राम पंचायत धन्योरा के अराजक तत्वों/दबंगों से मिलीभगत कर ग्राम पंचायत बरैंचा बांगर, बरैंचा खादर के ग्रामीणों की पट्टे की भूमि व अराजी भूमि पर खड़ी फसल की नीलामी कर दी है जिसकी क्षेत्रीय ग्रामीणों द्वारा स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को कई बार शिकायत भी की गयी, परन्तु अभी तक शासन द्वारा नीलामी को निरस्त करने एवं सही ढंग से पैमाइश कराये जाने हेतु कोई भी प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी है। जिससे क्षेत्रीय ग्रामीण जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोष व्याप्त है।

अतः जनहित में इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद आगरा के कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री छोटे लाल वर्मा-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद आगरा विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद के अन्तर्गत निम्न मार्गों का निर्माण हुए लगभग 10 से 20 वर्ष हो गये हैं। जिसके कारण आवागमन पूर्ण रूप से ठप्प है आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं। मार्गों पर काफी गहरी गड्ढे हैं जो मार्ग 1-होली डांडा से

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

फतेहाबाद बाईपास मार्ग, 2-बैकुन्टी तेवरिया मजरा मार्ग से कुतुपपुर रोहई मार्ग, 3-समसाबाद राजा खेड़ा मार्ग से काकरपुरा मोहनपुर मार्ग, 4-फतेहाबाद रिहाबली मार्ग से शिलावली मार्ग, 5-शाकुरी खुर्द तारौली गूजर मार्ग से वरनामई मार्ग, 6-फतेहाबाद निबौरा मार्ग से भोगपुरा बाग ठारदोना वाली मार्ग, 7-फतेहाबाद निबौरा मार्ग से नन्दापुरा मार्ग, 8-आगरा फतेहाबाद मार्ग से मड़ायना नगला गड़रिया मार्ग, 9-समसाबाद फतेहाबाद मार्ग से हीरापुरा नगरिया चमरौली बिलईपुरा मार्ग, 10-आगरा फतेहाबाद मार्ग से कोटरा मुटावई मार्ग, 11-मेवलीखुर्द नगला देवन्स यमुना नदी मार्ग, 12-आगरा फतेहाबाद बाहा मार्ग से साकुड़ी कला कोटरा बन्ना पीराडान्डा मार्ग, 13-फतेहाबाद बाई पास मार्ग से भोलपुरा बमरौली मार्ग, 14-नरकाकर जमुनी कड़ी भज्जी मार्ग, 15-आगरा फतेहाबाद मार्ग से गुढ़ा मार्ग, 16-आगरा फतेहाबाद मार्ग से नगला बेहड़ नेतकुरा वाया नगरिया घाट मन्दिर मार्ग, 17-फतेहाबाद बहामार्ग से बधौरा नागर मार्ग, 18-फतेहाबाद बाहा मार्ग से चाचीपुरा मार्ग, 19-फतेहाबाद बहा मार्ग से धौर्रा गिदरौन मार्ग 20 फतेहाबाद बाईपास से दाहर्रा गिदरौन मार्ग, 21-शमसाबाद फतेहाबाद मार्ग, 22-आगरा फतेहाबाद बहा मार्ग आदि मार्गों क्षतिग्रस्त होने के कारण आवागमन हेतु भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिससे क्षेत्रीय जनता का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से जनहित में उपरोक्त सड़क मार्गों का निर्माण/मरम्मत कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बदायूं के कतिपय ग्रामों के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन विद्युत लाइन को हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हाजी मुसर्रत अली बिट्टन-

[मान्यवर, कृपया अवगत कराना है कि जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र बिल्सी के विकास खण्ड अम्बियापुर के ग्राम बांसबरौलिया व हरगनपुर, वि0ख0-उझानी के ग्राम-संजरपुर बालजीत तथा हजरतगंज में घनी आबादी के ऊपर से हाईटेंशन लाइन गुजर रही है। जिससे अक्सर तार टूटने से कई हादसे हो चुके हैं जिससे कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है एवं हाईटेंशन विद्युत लाइन के करन्ट के चपेट में आकर से कई पशुओं की भी मृत्यु हो चुकी है एवं जानमाल की हानि होती रहती है, स्थानीय प्रशासन को इस बावत कई बार पत्राचार के माध्यम से उक्त विद्युत लाइन को हटवाने हेतु/गार्ड लाइन लगाने हेतु आग्रह किया गया है, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के चलते अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, ऐसी स्थिति में घनी आबादी के ऊपर से निकली विद्युत हाईटेंशन लाइन से अप्रिय दुर्घटना हो सकती है। क्षेत्रीय जनता आये दिन धरना-प्रदर्शन करती रहती जिससे क्षेत्रीय जनता का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मेरा सदन के माध्यम से जनहित में उपरोक्त हाईटेंशन विद्युत लाइन को हटवाने हेतु/गार्ड लाइन लगाने का कार्य अविलम्ब कराये जाने की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बिजनौर के ग्राम पाडली माण्डू में गागन नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ओम कुमार-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जिला-बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र, नहटौर के ग्राम-पाडली माण्डू में गांगन नदी पर पुल निर्माण न होने के कारण से क्षेत्रीय जनता को आवागमन हेतु एवं बरसात के समय भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पुल निर्माण सम्बन्ध में अनेकों बार पत्राचार के माध्यम से एवं वर्तालाप से शासन को अवगत कराया लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई जिससे क्षेत्रीय जनता का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उक्त नदी पर पुल निर्माण कराने की कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद बिजनौर के कतिपय ग्रामों के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन विद्युत लाइन को हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री तसलीम-

[मान्यवर, कृपया अवगत कराना है कि जनपद-बिजनौर, विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के ग्राम मडवाली बुड्डी में 11 हजार की विद्युत लाइन घनी आबादी के ऊपर से हाईटेन्शन लाइन गुजर रही है। जिससे अक्सर तार टूटने से कई हादसे हो चुके हैं जिससे कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है एवं हाइटेन्शन विद्युत लाइन के करंट के चपेट में आकर के कई पशुओं की भी मृत्यु हो चुकी है एवं जानमाल की हानी होती रहती है, स्थानीय प्रशासन को इस बावत कई बार पत्राचार के माध्यम से उक्त विद्युत लाइन को हटवाने हेतु आग्रह किया गया है, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के चलते अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, ऐसी स्थिति में घनी आबादी के ऊपर से निकली विद्युत हाईटेन्शन लाइन से अप्रिय दुर्घटना हो सकती है। क्षेत्रीय जनता आये दिन धरना प्रदर्शन करती रहती जिससे क्षेत्रीय जनता का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मेरा सदन के माध्यम से जनहित में उपरोक्त हाईटेन्शन विद्युत लाइन को हटवाने हेतु कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

महानगर बरेली में आई0बी0आर0आई0 गेट से डेलापीर तक की रोड का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 अरुण कुमार-

[महोदय, मैं आपका ध्यान निम्न विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। महानगर बरेली के आई0बी0आर0आई0 गेट से डेलापीर होते 100 फुटा रोड जो पीलीभीत बाईपास में मिलने वाली सड़क जर्जर एवं गड्ढ़ायुक्त है। इस सड़क पर यातायात घनत्व बहुत अधिक है तथा बड़ी संख्या में भारी वाहनों का आवागमन लगातार होता है। बरेली महानगर के आम नागरिकों तथा स्कूलों बच्चों का

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

भी आवागमन इसी सड़क से है। सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इस सड़क का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है। मा0 मुख्य मंत्री जी ने भी जनपद बरेली में लैपटाप वितरण कार्यक्रम में इस सड़क को जल्द बनवाने की घोषणा की थी किन्तु अभी तक इस दिशा में कोई अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है। माननीय नगर विकास मंत्री उ0प्र0 द्वारा अपने अ0शा0/प0सं0-215नियम/9-713-129नियम/13 दिनांक 19-7-13 द्वारा यह अवगत कराया गया कि बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया प्रस्ताव अवस्थापना विकास निधि समिति की बैठक आहुत न होने के कारण प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हो सका है। इस कार्य की डी0पी0आर0 निर्माण विभाग द्वारा करायी जा रही है स्वीकृति उपरान्त उक्त कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया जायगा।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त सड़क का निर्माण जनहित में अतिशीघ्र कराने के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का आदेश प्रदान करने का कष्ट करें।

अतः मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर मा0 मंत्री का ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूं।]

प्रदेश के वित्तविहीन विद्यालयों में तैनात शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों को शासन स्तर से वेतनमान एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जय प्रकाश अंचल-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। प्रदेश में वित्त मान्यता प्राप्त स्कूल कालेजों की स्थिति काफी दयनीय है। इसमें लगभग चार लाख के करीब शिक्षक व उनसे जुड़े अन्य कर्मचारी तैनात हैं जिनकी स्थिति बहुत दयनीय है और यह लोग भुखमरी के कगार पर है। इनके जीविकोपार्जन हेतु शासन स्तर से तत्काल सुविधायें दी जायें। इन लोगों में निराशा की भावना पैदा हो रही है और किसी भी प्रकार की इन्हें कोई सुविधायें नहीं मिल पा रही है। विद्यालय प्रबंध तंत्र अपने श्रोतों से नाम मात्र के लिए कुछ धनराशि देकर इन लोगों से शिक्षण कार्य लिया जा रहा है। यह गम्भीर विषय है एवं जनहित का है और आम लोगों से जुड़ा है।

अतः इस गम्भीर विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट किये जाने एवं इन वित्त विहीन विद्यालयों में तैनात शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों को शासन स्तर से वेतनमान व अन्य सुविधायें दिये जाने की मांग करता हूं।]

उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन जनपद लखनऊ के प्राथमिक विद्यालयों में जून, 2013 से तैनात पात्र सहायक अध्यापकों को प्रोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हाजी इरफान सोलंकी-

[महोदय, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन, जनपद-लखनऊ के प्राथमिक विद्यालयों में तैनात सहायक अध्यापकों को जून 2013 में प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय/सहायक अध्यापक, पूर्व

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

माध्यमिक विद्यालय के पद पर प्रोन्नत कर तैनात किया गया है। कतिपय सहायक अध्यापक, प्रोन्नति की काउन्सलिंग की जानकारी न होने/काउन्सलिंग की तिथि को जनपद-लखनऊ में उपस्थित न होने के कारण, काउन्सलिंग में उपस्थित नहीं हो सके। उनमें से अधिकांश सहायक, अध्यापकों को भी प्रोन्नति प्रदान कर तैनाती दे दी गयी है। किन्तु कुछ सहायक अध्यापकों द्वारा प्रोन्नति हेतु जिला बेसिक शिक्षा आकिारी से प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अनुरोध करने के बाद भी प्रोन्नति नहीं प्रदान की गयी है, जिसके कारण वे अपने ही बैच के अध्यापकों से जूनियर हो गये हैं तथा उनमें यह भय-व्याप्त है कि उन्हें पूरी सेवा में अपने ही बैच के अध्यापकों से जूनियर रहना पड़ेगा। उनके प्रार्थना-पत्र पर कोई कार्यवाही न होने एवं विभाग में कोई सुनवाई न होने के कारण उनमें कुंठा व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए, जून, 2013 में प्रोन्नति से वंचित जनपद लखनऊ के प्राथमिक विद्यालयों के पात्र, सहायक अध्यापकों की तत्काल प्रोन्नति की मांग करता हूं।]

जनपद फिरोजाबाद में नगरपालिका परिषद् में गिरते हुए भू-गर्भ जल स्तर से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनीष असीजा-

[महोदय, नगर फिरोजाबाद में नगरपालिका परिषद् क्षेत्र में गिरते हुये भू-गर्भ जल स्तर तथा 400 फीट नीचे हाई फ्लोराइड, आर्सेनिक युक्त अशुद्ध खारा पानी होने के कारण पेयजल आपूर्ति की भीषण समस्या बनी हुई है तथा बहुत बड़ी संख्या में नगर के निवासियों को टैंकरों के माध्यम से खरीद कर पानी की आपूर्ति लेनी पड़ रही है।

उक्त समस्या को देखते हुए जल निगम द्वारा जेड़ा झाल से कच्चा जल लेकर शोधन कर फीरोजाबाद तक लाने एवं वितरण करने की योजना हेतु मूल्य 498.00 करोड़ की प्री फिजीविलिटी रिपोर्ट तैयार की गयी है। जिसको बनाये गये लगभग 1 वर्ष से ऊपर का समय हो गया है एवं अभी तक उक्त परियोजना में कोई भी अग्रिम प्रगति नहीं हुई है।

जनहित में उक्त परियोजना को धरातल पर लागू कराये जाने की बहुत महती आवश्यकता है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये फिरोजाबाद के नागरिकों को इस भीषण समस्या से निजात दिलाने हेतु उक्त परियोजना को कार्यरूप में परिणीत करने के लिए सिंचाई विभाग तथा जलनिगम के मध्य सतही कच्चे जल की सुनिश्चित आपूर्ति हेतु समझौते का जी0ओ0, डी0पी0आर0 तथा आवश्यक बजटीय प्रावधान स्टेट फंड (राज्य निधि) से कराये जाने की मांग करता हूं।]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद मथुरा की तहसील मथुरा के अन्तर्गत होने वाली भूमि/मकानों की रजिस्ट्रियों से प्राप्त 2 प्रतिशत विकास शुल्क का उपयोग विकास कार्यों में ही किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूरन प्रकाश-

[मान्यवर, जनपद-मथुरा की तहसील मथुरा के अन्तर्गत होने वाली भूमि/मकानों की रजिस्ट्रियों से 2 प्रतिशत विकास शुल्क के रूप में प्राप्त किया जाता है। यह 2 प्रतिशत विकास शुल्क रूप में प्राप्त धन को विकास कराने के उद्देश्य से नगर पालिका परिषद् मथुरा एवं मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण तथा आवास विकास परिषद् मथुरा को उन क्षेत्रों में विकास कराने के लिए दिया जाता है। जिस क्षेत्र से भूमि/मकान आदि की रजिस्ट्री हुई तथा उनसे 2 प्रतिशत विकास शुल्क के रूप में रजिस्ट्री/स्टाम्प से प्राप्त किया। परन्तु पिछले पांच वर्षों से प्राप्त 2 प्रतिशत विकास के रूप में प्राप्त करोड़ों रुपयों का कोई भी विकास नगर पालिका परिषद्, मथुरा एवं मथुरा-वृन्दावन प्राधिकरण द्वारा विकास कार्य उन क्षेत्रों में नहीं कराया गया है तथा इन 2 प्रतिशत प्राप्त करोड़ों रुपये का विकास कराने का लेखा जोखा उपरोक्त विभागों के पास नहीं है और इस अर्जित 2 प्रतिशत विकास के रूप में प्राप्त धन को दुरूपयोग किया जा रहा है। साथ ही मथुरा नगर पालिका परिषद् मथुरा की अध्यक्षता द्वारा पिछले लगभग दो वर्षों से विकास कार्यो में भारी वित्तीय अनियमितताएं की जा रही रही है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा पिछले माह में नगर पालिका परिषद्, मथुरा की अनियमितताओं की रिपोर्ट भी शासन को प्रेषित की जा चुकी है। जिसके कारण स्थानीय स्तर पर विकास न कराने पर जनता में भारी आक्रोश एवं रोष है।

अतः इस जनहित व लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार से पिछले कई वर्षों से 2 प्रतिशत विकास के रूप में प्राप्त करोड़ों रुपये से सम्बन्धित क्षेत्रों में विकास कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद लखनऊ के मोहल्ला सुतरखाना मकबूलगंज में जर्जर विद्युत लाइन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भगवती प्रसाद-

[मान्यवर, इस जनहित में लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर जनपद लखनऊ के अन्तर्गत वार्ड नं0-93 के मोहल्ला सुतरखाना मकबूलगंज के मुख्तार अहमद के घर के सामने गली में विद्युत लाइन के तार जर्जर हो गये है। कई बार टूट कर गिर गये है जिससे कई बार अप्रिय घटना हो गयी है। हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट की परीक्षा होने वाली है। छात्र अपनी पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं। आये दिन वहां के निवासियों को विद्युत लाइन नहीं मिल पाती है। जिससे लोगों को अंधेरे में रहना पड़ता है। गली में सोडियम बल्ब भी लगे हैं। तार के टूटने से वहां पर सोडियम बल्ब नहीं जलते हैं। जिससे लोगों में काफी रोष है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस जनहित व लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार से उक्त गली में जर्जर विद्युत तार को बदल कर नये विद्युत तार लगवाये जाने की मांग करता हूं।]

गोरखपुर महानगर के वार्ड नं0-69 में जल भराव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय बहादुर यादव-

[महोदय, वार्ड नं0-69 महुई सुधरपुर में बरसात के चार महीना बाद भी महानगर वार्ड में स्थित होने के बावजूद भी आज भी वहां जलमग्न है जिससे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। बूढ़े, बच्चे, ट्यूब के नाव के सहारे लिंक रोड पर पहुंच रहे हैं। तब वह स्कूल व शहर के कार्यों हेतु पहुंच पा रहे हैं। वह अपनी जान को जोखिम में डालकर ट्यूब के नाव पर सवार होकर अपने कार्यों हेतु जाते हैं। इस प्रकार से बार-बार मांग करने के बाद भी शासन एवं प्रशासन अनदेखी कर रहा है। जनहित में जल निकासी हेतु बड़ा नाला बनाकर पम्पिंग द्वारा स्थाई व्यवस्था के माध्यम से समस्या निराकरण कराया जाना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय एवं तात्कालिक विषय पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज की कतिपय जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कमाल यूसुफ मलिक-

[मान्यवर, उपरोक्त के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना चाहता हूं कि खण्ड डुमरियागंज/मिठवल में स्थित कुछ सड़कों की वर्तमान स्थिति जर्जर एवं क्षतिग्रस्त हो चुका है। विगत 10 वर्षों से मरम्मत का कार्य नहीं कराया गया है। जिससे क्षेत्रीय जनता का आवागमन बुरी तरह से प्रभावित है जिसके कारण क्षेत्रीय जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है। इसलिए मरम्मत का कार्य कराया जाना व्यापक जनहित में है, जो निम्न है :-

1-पथरा सुमहा-तिगोड़वा मार्ग।

2-गौरागढ़ करही मार्ग।

3-तिगोड़वा वनगड़ोरी मार्ग।

4-सेमरहनी कटबन्ध मार्ग।

5-मसिना-डिड़ई मार्ग।

6-भवानीगंज-भैंसहिया, वनकटी मार्ग।

7-बिजवार बढ़ई-पेड़रिया जीत चौराहा मार्ग, तेतरी-पुलिया निर्माण मार्ग।

उपरोक्त सम्पर्क मार्ग का कार्य मरम्मत कराया जाना जनहित में आवश्यक है। इस मार्ग के मरम्मत हो जाने से आवागमन पुनः प्रारम्भ हो जायेगा और जो क्षेत्रीय जनता में आक्रोश व्याप्त है, समाप्त हो जायेगा।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराने का कष्ट करें जिससे उपरोक्त सम्पर्क मार्गों के मरम्मत हो जाने से क्षेत्रीय जनता में खुशी की लहर दौड़ जायेगी।]

लखनऊ महानगर के हाता रामदास बगिया, सदर निवासी सहित विद्युत मीटर रीडरों द्वारा बिल पर्ची न दिये जाने तथा अन्य विद्युत समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विनय तिवारी-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान मेरे द्वारा पूर्व में लगाये सूचना जो दिनांक 10-12-2013 को नियम-301 के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया था कि ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, हंस खेड़ा में पारा से कृष्णानगर जाने वाली रोड एवं हंस खेड़ा से मुन्नू खेड़ा के चौराहे के पास, बगल में बनी मलिन एवं गरीब बस्ती जो डूडा कालोनी के नाम से जानी जाती है, में बिजली के तार एवं खम्भे लगे हैं परन्तु अभी तक बिजली कनेक्शन एवं स्ट्रीट लाइट नहीं लगी हैं जिसके उत्तर में विभाग द्वारा सदन को गुमराह किया गया है। ऊर्जा विभाग द्वारा यह अवगत कराया गया है कि इस कालोनी में विद्युतीकरण (स्ट्रिट लाइट सहित) का कार्य डूडा द्वारा गया है। इसके नियमितीकरण होने के उपरान्त विद्युत संयोजन दिया जाना संभव होगा। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इसे शीघ्र ही नियमितीकरण करके विद्युत संयोजन दिया जाय। मान्यवर, मैं यह भी संज्ञान में लाना चाहता हूं कि भवन संख्या 450ए हाता रामदास बगिया, कैन्ट के श्री राजेन्द्र प्रसाद मिश्र एवं इनके आस-पास के मकानों में विद्युत अधिकारी आये थे बिल दिन निकाल कर चले गये थे परन्तु स्थिति पुनः पूर्व जैसी हो गयी है। दिनांक 2-1-2014 को बिल निकालने के उपरान्त अभी तक कोई भी कर्मचारी नहीं आया एवं इस सम्बन्ध में ढिलाई बरती गयी ढिलाई बरतने वाले दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं तथा 22/641 इन्दिरा नगर, लखनऊ के भवनों में बिजली बिल निकालने हेतु बिजली कर्मचारी आये और तत्काल रीडिंग के अनुसार 8161.00 रु0 जमा करने को कहा जिसे जमा करने के उपरान्त इस महीनें पुनः लगभग 10,000 रु0 बिल निकाल का चले गये एक महीने में 10,000.00 बिल कैसे हो सकता है पूछने पर कह रहे है कि आपका मीटर खराब है। 22/641 के उपभोक्ता को बिजली अधिकारी/कर्मचारी द्वारा परेशान किया जा रहा है। कृपया इसको तत्काल ठीक किये जाने एवं इसमें दोषी अधिकारी/कर्मचारी को दण्डित कर इस सदन को अवगत कराने की मांग करता हूं।]

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के निदेशक मण्डल द्वारा विगत चार वर्षों से निगम कर्मियों को बकाये एरियर का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमित गौरव यादव-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन का ध्यान, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के निदेशक मण्डल द्वारा विगत चार वित्तीय वर्षों से निरन्तर सर्व सम्मति से अनुमोदित किये

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गये निगम के वार्षिक बजटों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, जिनमें प्रतिवर्ष पंचम वेतनमान के बकाया ऐरियर वेतन भुगतान की मद में रुपये 40 करोड़ की राशि का प्राविधान हर बार किया गया है तथा निदेशक मण्डल के उपरोक्त चारों स्पष्ट अनुमोदनों को सभी निदेशकों ने सर्व सम्मति से पारित किया है, जिसे अवैध तरीके से लोक निर्माण अनुभाग-8 द्वारा, अन्य निदेशकों की सहमति के बिना, अकेले प्रमुख सचिव, लोक निर्माण अनुभाग-8 के शासनादेश दिनांक 07-03-2013 एवं दिनांक 17-10-2013 के द्वारा हिटलरी अन्दाज में निरस्त कर दिया गया। जबकि उक्त चार वर्षों की अवधि में उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम ने भारत सरकार के आयकर विभाग को करीब रुपये 370 करोड़ से अधिक की धनराशि का भुगतान अग्रिम आयकर तथा टी0डी0एस0 कटौती के रूप में किया है। जिसे प्रमुख स्थानीय समाचार पत्र तथा पेंशनर्स ऐसोसियेशन अपने विभिन्न पत्रों के माध्यम से शासन के समक्ष निरन्तर उजागर (हाईलाईट) कर रहा है, फिर भी लोक निर्माण अनुभाग-8 निहित स्वार्थवश इस प्रकरण को अनावश्यक रूप से उलझाने और लम्बा लटकाने में लगा है। जबकि कर्मचारियों के बकाया ऐरियर वेतन के वास्तविक भुगतान की धनराशि के बराबर की धनराशि, आयकर विभाग को कम भुगतान करनी पड़ेगी अर्थात निगम या शासन की जेब से एक रुपये का भी भुगतान नहीं करना पड़ेगा।

उपरोक्त स्थिति के बावजूद अनुभाग-8 के इस अड़ियल रूख के कारण कर्मचारियों में व्यापक आक्रोश तथा घोर निराशा व्याप्त है, जो किसी भी समय विस्फोटक रूप ले सकती है।

अस्तु व्यापक लोक महत्व के उपरोक्त सुनिश्चित विषय पर मैं तत्काल प्रभावी कार्यवाही तथा वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद सिद्धार्थनगर के कतिपय ग्राम प्रधानों द्वारा मनरेगा योजना के धन का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आशीष कुमार यादव-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान जनपद सिद्धार्थनगर के तहसील डुमरियागंज के ग्राम-मझौवा खास की ओर आकर्षित कराना चाहता है। मैं सदन के संज्ञान में ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया है वह निम्नवत् है :--

1-ग्राम पंचायत मझौवा के ग्राम में कोई शौचालय नहीं बना है। प्रधान ने शौचालय का रुपया सबको दिया था परन्तु कोई शौचालय नहीं बना।

2-ग्राम मझौवा खास में मो0 खलील के घर से आमी नदी तक मिट्टी कार्य व खड़ंजे पर रु0 1,88,000/- का भुगतान हुआ, मौके पर आंशिक रूप से मिट्टी डालकर खड़न्जे का भी भुगतान ले लिया गया।

3-ग्राम मझौवा खास में मस्जिद से चौकनिया सरहद तक कोई मिट्टी का कार्य व एच0पी0 पुलिया नहीं लगा है और न कोई काम हुआ परन्तु भुगतान ले लिया गया है।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

4-ग्राम मझौवा खास में कब्रिस्तान से मझौवा खास सरहद तक मिट्टी का कार्य नहीं हुआ, न ही एच0पी0 पुलिया लगी है, फिर भी उसका भुगतान ले लिया गया।

5-ग्राम मझौवा खास में मीनू के अनुसार मिड-डे-मील नहीं दिया जाता है।

6-ग्राम प्रधान का लड़का जांब कार्डधारक है जबकि वह कभी भी मनरेगा में मजदूरी नहीं किया है। इनके पास 10 एकड़ से अधिक खेती, पक्का मकान दो मोटरसाइकिल, एक ट्रैक्टर है।

7-ग्राम मझौवा खास में लमुई तालाब की खुदाई व सौन्दर्यीकरण का कार्य नहीं हुआ परन्तु रु0 2,07,231/- का फर्जी मास्टर रोल भरकर भुगतान ले लिया गया है।

8-ग्राम मझौवा खास में मेंहदी हसन, प्रेम सागर दूबे, कन्हैया लाल, चौकीदार कत्तई मजदूर नहीं हैं, इनके नाम पर जॉब कार्ड बनाकर फर्जी भुगतान ले रहे हैं।

मान्यवर, मैं उक्त गम्भीर बिन्दुओं पर उच्चस्तरीय जांच कराये जाने की मांग करता हूं।]

राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय, मीरखनगर, लखनऊ के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को अकारण होम्योपैथी निदेशालय व रजिस्ट्रार पद प्रभार से मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम मगन-

[मान्यवर, चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय/शासन के आयुष अनुभाग-2 द्वारा ज्येष्ठता, श्रेष्ठ, दक्ष परिषद् हित, कार्यहित व जनहित के प्रति सजग, सजग, सचेष्ठ, संवेदनशील राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय, मीरखनगर, लखनऊ के प्रभारी चिकित्साधिकारी को अकारण होम्योपैथी निदेशालय व रजिस्ट्रार पद प्रभार से मुक्त कर अपरिपक्व, नीति विधि विपरीत निर्णय लिया गया। यही नहीं पद प्रभार कनिष्ठ, अकर्मण्य, अयोग्य, अक्षम विवादित भारी कार्य बोझ से लदे, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे विवादित बलरामपुर चिकित्सालय के प्रभारी चिकित्साधिकारी (होम्योपैथी) के हित दिया गया है। जिससे परिषद् का अस्तित्व खतरे में है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के इस मामले को आपकी अनुज्ञा से सदन के संज्ञान में लाते हुए लोक हित में रजिस्ट्रार पद प्रभार परिवर्तन की मांग करता हूं।]

विधान सभा क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर के विभिन्न ग्रामों में पशुओं के भारी संख्या में मरने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मदन चौहान-

[मान्यवर, मेरी विधान सभा में विभिन्न ग्रामों में श्यामपुर भट्ट/शरीफपुर/ग्राम चादनेर/ग्राम मदस्याना/ग्राम आलमनगर/बहादुरगढ़ आदि भारी संख्या में किसानों, गरीबों, मजदूरों के पशु मर गये अचानक कोई बीमारी तेजी फैली सभी डाक्टरों के इलाज भी नहीं बचाये जा सके। एक घर/परिवार से तीन-तीन पशु भी मर गये जिससे गरीब मजदूर किसान को असहनीय क्षति हुई है। मैं शासन से

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

निवेदन करता हूं कि सर्वे कराकर इन सभी पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता देने की कृपा करें। यह सूचना अत्यन्त जनहित व अविलम्बनीय है। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।]

जनपद फैजाबाद की विभिन्न तहसीलों के मृतकों को मृत्यु प्रमाण-पत्र निर्गत न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामचन्द्र यादव-

[महोदय, विगत वर्ष जून, 2013 में उत्तराखण्ड में आई भारी त्रासदी के हजारों लोग हताहत हुए थे। जिसमें उत्तर प्रदेश के भी 1150 लोग मारे गये थे।

जनपद फैजाबाद की तहसील रूदौली, मिल्कीपुर, सदर, सोहावल एवं बीकापुर के दर्जनों लोगों की उक्त त्रासदी में मौत हुई थी। जिनका अभी तक मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है और न ही इन्हें अभी तक किसी भी तरह का कोई मुआवजा दिया गया है। जिस कारण मृतकों के परिजन भुखमरी की कगार पर हैं। प्रदेश सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा इस सम्बन्ध में कोई रूचि नहीं ली जा रही। मृतकों के परिजन दर-दर भटकने पर मजबूर हो रहे हैं। जिससे नागरिकों में भयंकर रोष व्याप्त हो रहा है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उत्तराखण्ड त्रासदी में मारे गये लोगों के मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी कराने तथा परिजनों को सरकार की तरफ से मुआवजा दिलाये जाने की मांग करता हूं।]

[12.27] औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 26 फरवरी, 2014 को नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 13 सूचनाएं प्राप्त हुईं, सबको अस्वीकार किया जाता है।

मा0 विधायकों के प्रति शिष्टाचार प्रदर्शित करने सम्बन्धी जारी शासनादेशों के बावजूद उनका अनुपालन अधिकारियों द्वारा न किये जाने तथा मा0 मुख्य मंत्री कार्यालय में विधायकों के पत्रों पर कार्यवाही की प्रगति व संदर्भ की जानकारी न उपलब्ध होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

(श्री सतीश महाना के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मैंने देखा है विधायकों के बारे में आपका है, आप बैठ जाइये। हर बार सरकार आश्वासन देती है और आप भी उसे सुनते हैं।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, वह बात तो महत्वपूर्ण थी ही थी, उस पर मैंने आंख बन्द कर लिया और आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि जो प्रोटोकाल की चिट्ठियां भेजते हैं उसको या तो भेजना बन्द कर दें तो कम से कम चिट्ठी भेजने के बाद जो बेइज्जती होती है उससे तो बच जायेंगे,

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दोबारा चिट्ठी आ गई, तीसरी बार चिट्ठी आ गई। मान्यवर, हम यह नहीं चाहते हैं कि अगला शासनादेश यह भेज दें, मैं ऐसा भी नहीं चाहता कि ये अगला कोई निर्देश दें, मैं ऐसा भी नहीं चाहता कि संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े होकर यह कहें कि मैंने तो अपनी बात कह दी यदि उनको शर्म होगी तो वह हमारी इज्जत कर लेंगे। मान्यवर, हम उसके लिए मानसिक रूप से भी और व्यवहारिक रूप से भी तैयार हो गये हैं। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रश्न इसलिए नहीं लगाया कि आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूं कि हमारी इज्जत की रक्षा करो जब सरकार के मंत्रियों की, सरकार की इज्जत नहीं हो रही है तो हम अपनी इज्जत की अपेक्षा नहीं कर सकते। वह विषय नहीं है। दूसरी बात मान्यवर, उसी में आगे लिखा हुआ है कि जो हम यहां पत्र देते हैं और विशेष रूप से माननीय मुख्य मंत्री जी को पत्र देते हैं उसका हमें जवाब आ जाता है कि आपका पत्र कम्प्यूटर संख्या इतने-इतने के अन्तर्गत संबंधित विभाग को भेज दिया गया है और हमारे मोबाइल पर उसका मैसेज भी आ जाता है, मैसेज आने के बाद आप उस कम्प्यूटर पर वस्तुस्थिति देख लीजिए कि क्या हुआ ? दो महीने, चार महीने, छः महीने या साल भर बीतने के बाद यथास्थिति बनी रहती है और किसी प्रकार की कोई प्रगति नहीं दर्शायी जाती है। मान्यवर, इसलिए मैं अपने सम्मान और इज्जत की बात ही नहीं करना चाहता। उसमें निवेदन है कि इसके लिए सरकार ने कोई शासनादेश दिये हों तो वह वापस ले लें। लेकिन जो जनता की समस्या है, जनहित की कोई बात करते हैं, जनहित में कोई प्रश्न उठाते हैं, जनहित में यदि कोई आश्वासन सरकार देती है तो उसको पूरा करने के लिए कार्यवाही होनी चाहिए। मान्यवर, यह सदन की कार्यवाही से संबंधित है और तात्कालिक है सभी लोगों से संबंधित है। कम से कम उसका जवाब आये, आप निर्देशित करने की कृपा करें कि अगर कम्प्यूटर में है तो उसको अपडेट करें, अपडेट करके हम लोगों को सूचना दें, हमारी चिट्ठी का जवाब तो जनहित से संबंधित है। हमारे व्यक्तिगत सम्मान से संबंधित न हो तो कम से कम उसका उत्तर दें। इतना तो आपसे प्रार्थना है कि इस पर सरकार जरूर आश्वासन दे।

श्री अध्यक्ष-

मा0 महाना जी आपने स्वयं कहा कि मेरे पत्रों के बारे में हमारे मोबाइल पर मैसेज आ जाता है कि आपका पत्र कार्यवाही के लिए फलां-फलां विभाग को भेज दिया गया है, कम्प्यूटर में आ जाता है। अब कार्यवाही क्या हुई, नहीं हुई, लेकिन जहाँ तक पत्रों की प्राप्ति का और पत्र के बारे में सूचना देने का है उसको आपने खुद ही स्वीकार कर लिया है। अब कार्यवाई क्या हुई, क्या नहीं हुई इसके बारे में हम संसदीय कार्य मंत्री जी से बात करेंगें।

(इसी बीच श्री सतीश महाना द्वारा अपना मोबाइल निकालने पर)

क्या आप फोटो खींच रहे हैं ? अरे! यह यहां नहीं प्रदर्शित किया जा सकता, जुर्माना हो जायेगा, जब्त हो जायेगा। बैठिये, बैठिये।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं आपको मैसेज दिखाना चाह रहा था। आपने सही कहा कि उसकी पावती का मैसेज आ जाता है।

श्री अध्यक्ष-

बैठिये, अब आपकी बात आ गयी। आपने पत्र भेजा, उसकी पावती के बारे में बता दिया गया कि आपका पत्र फलां विभाग को कार्यवाही के लिए भेज दिया गया। अब कार्यवाही हुई या नहीं हुई यह मतलब नहीं है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आपका संरक्षण मिलना चाहिए जिससे जनता के हित का नुकसान न हो।

श्री अध्यक्ष-

अब बैठिये।

(श्री मदन चौहान के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

कृपया बैठिये, मैंने सभापति लोक लेखा समिति को बुला लिया है।

श्री राजेश त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी, सदन से जुड़ा हुआ मामला है इस पर एक मिनट सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

कृपया बैठिये। सभापति लोक लेखा समिति।

[12.30] उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2013-2014) का प्रथम प्रतिवेदन†

डा0 धर्म सिंह सैनी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2013-2014) का प्रथम प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिये प्रतिवेदन (सिविल) में उल्लिखित वित्त विभाग एवं वन विभाग से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

[12.31] उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2013-2014) का द्वितीय प्रतिवेदन †

डा0 धर्म सिंह सैनी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2013-2014) का द्वितीय प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2005 को समाप्त हुए वर्ष के लिये प्रतिवेदन (सिविल) में उल्लिखित नगर विकास विभाग एवं कर निबन्धन (व्यापार-कर) से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

---

† छापा नहीं गया।

[12.32] जनपद गाजियाबाद में बादशाही मार्ग पाइप लाइन रोड मुरादनगर टीला मोड़ लोनी का जनहित में चौड़ीकरण कराये जाने विषयक चौ0 मनोज प्रधान आदि निवासीगण जनपद गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री अमर पाल शर्मा-

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद गाजियाबाद में बादशाही मार्ग पाइप लाइन रोड मुरादनगर टीला मोड़ लोनी का जनहित में चौड़ीकरण कराये जाने विषयक चौ0 मनोज प्रधान व श्री मंगू सिंह त्यागी निवासीगण जनपद गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ के विकास खण्ड नदीगांव के अन्तर्गत ग्राम कुरचौली सजेरा और मध्य प्रदेश के बीच मिगी नदी पर रपटा पुल एवं चैकडैम बनवाये जाने विषयक श्री कृष्ण कुमार व अन्य निवासीगण जनपद जालौन द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (व्यपगत)

(सदस्य श्री सन्तराम कुशवाहा का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-63/64 के अन्तर्गत अभिसूचित विशेषाधिकार-हनन एवं सदन की अवमानना के निम्नलिखित मामलों में मैंने निर्णय ले लिया है और उनमें सदन की अवमानना अथवा विशेषाधिकार-हनन का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त न पाये जाने के कारण समस्त सूचनायें अग्राह्य कर दी गयी हैं :-

1-माननीय श्री अविनाश कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री राम बहादुर, पुलिस अधीक्षक, जनपद-सोनभद्र के विरुद्ध अभिसूचित सूचना दिनांक 12 अगस्त, 2013

2-माननीय श्री रोशन लाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री प्रदीप कुमार, थानाध्यक्ष-निगोही, जनपद-शाहजहांपुर के विरुद्ध अभिसूचित सूचना दिनांक 19 सितम्बर, 2013

3-माननीय श्री मुकेश श्रीवास्तव, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री प्रेम प्रकाश सिंह, अपर जिलाधिकारी, बहराइच के विरुद्ध अभिसूचित सूचनाएं दिनांक 28 अगस्त, 2013 एवं 10 सितम्बर, 2013

उपर्युक्त सूचनाओं पर मेरे द्वारा लिये गये निर्णय सदन के दिनांक 26 फरवरी, 2014 के उपवेशन की कार्यवाही के अंग माने जायेंगे।

श्री अविनाश कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री राम बहादुर, पुलिस अधीक्षक, जनपद-सोनभद्र के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष-

[श्री अविनाश कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63/64 के अन्तर्गत श्री राम बहादुर, पुलिस अधीक्षक,

---

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद-सोनभद्र विरुद्ध विशेषाधिकार-हनन की सूचना दिनांक 12 अगस्त, 2013 को अभिसूचित की गयी।

माननीय, श्री अविनाश कुशवाहा द्वारा अवगत कराया गया कि थाना-चोपन, जनपद-सोनभद्र में एक हत्या की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न किये जाने पर दिनांक 10 अगस्त, 2013 को वह स्वयं एवं मा0 श्री रमेश दुबे, सदस्य, विधान सभा तथा मा0 श्री बाल कुमार पटेल, संसद सदस्य, पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र, श्री राम बहादुर के पास शिकायत करने एवं पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए पहुंचे तो श्री राम बहादुर ने उन लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया तथा उनके मान-सम्मान के विरुद्ध अपशब्द कहे व ''ले-मैन'' कहकर जनप्रतिनिधियों को अपमानित व उपेक्षित किया।

माननीय सदस्य ने अपने अधिकारों की रक्षा हेतु श्री राम बहादुर, पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र द्वारा जनप्रतिनिधियों के साथ किये गये दुर्व्यवहार तथा उनके अधिकारों एवं प्रोटोकाल के उल्लंघन के लिए उक्त नियमावली के नियम-63/64 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का अनुरोध किया।

इस सम्बन्ध में माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा अपनी आख्या, दिनांक 18 नवम्बर, 2013 के माध्यम से अवगत कराया गया कि प्रश्नगत प्रकरण में पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र का स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। जिसके अनुसार दिनांक 10 अगस्त, 2013 को अपराह्न में मा0 श्री अविनाश कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा व उनके साथ अन्य जनप्रतिनिधिगण तथा काफी संख्या में लोग पुलिस अधीक्षक के गोपनीय कार्यालय में यह कहते हुए उनसे मिलने आये कि थानाध्यक्ष चोपन को तत्काल बर्खास्त करें एवं हटायें। पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त जनप्रतिनिधियों को ससम्मान बैठाकर उनसे वार्ता की गयी। जनप्रतिनिधियों द्वारा मृतक भरत सिंह पटेल के प्रकरण में तत्काल मुकदमा कायम करने एवं थानाध्यक्ष चोपन की बर्खास्तगी की मांग की गयी। श्री राम बहादुर द्वारा मा0 विधायक को आग्रहपूर्वक बताया गया कि प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत हो चुका है, जिसमें विवेचना के उपरान्त तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी लेकिन उक्त लोग जिद करने लगे। माननीय सदस्य की मांग का सम्मान करते हुए निष्पक्ष जांच हेतु थानाध्यक्ष, चोपन को तात्कालिक प्रभाव से पुलिस लाइन से सम्बद्ध करने तथा क्षेत्राधिकारी, ओबरा को उक्त थानाध्यक्ष के विरुद्ध जांच करने एवं आख्या प्रेषित करने के निर्देश दिये गये। तत्पश्चात् मा0 विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण वापस चले गये।

क्षेत्राधिकारी, ओबरा द्वारा अपनी जांच आख्या दिनांक 11 अगस्त, 2013 में उल्लेख किया गया कि मृतक भरत सिंह पटेल पुत्र श्री मिश्री लाल उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी डढ़िया, थाना-मड़िहान, जिला-मिर्जापुर का जिला चिकित्सालय, सोनभद्र में दिनांक 9 अगस्त, 2013 को थाना राबर्ट्सगंज पुलिस द्वारा पंचायतनामा भरकर नियमानुसार पोस्टमार्टम कराया गया। जिला अस्पताल में ही परिजनों द्वारा मृतक की हत्या की आशंका व्यक्त किये जाने पर मृतक के पुत्र, श्री अनूप सिंह द्वारा थानाध्यक्ष चोपन को एक लिखित तहरीर बावत रमेश वैश्य मालिक कपूर एण्ड सन्स फिलिंग स्टेशन डाला, सोनभद्र आदि 05 लोगों के विरुद्ध दिनांक 10 अगस्त, 2013 को सुबह 4.30 बजे दी गयी। इसके बाद थानाध्यक्ष चोपन, श्री अशोक सिंह यादव वापस थाना-चोपन पहुंचकर प्राप्त तहरीर

के आधार पर दिनांक 10 अगस्त, 2013 को 6.15 बजे मु0अ0सं0-291/13 धारा 302/201 भादवि विरुद्ध रमेश वैश्य मालिक कपूर एण्ड सन्स फिलिंग स्टेशन डाला, चोपन आदि पंजीकृत कराया गया। इस प्रकार जांच से थानाध्यक्ष-चोपन, श्री अशोक सिंह यादव की कोई शिथिलता एवं लापरवाही नहीं पायी गयी। मृतक के परिजनों द्वारा हत्या की आशंका व्यक्त किये जाने एवं पुनः पोस्टमार्टम कराने की मांग पर दिनांक 10 अगस्त, 2013 को डाक्टरों के पैनल द्वारा शव का पुनः पोस्टमार्टम (शव विच्छेदन) कराया गया तथा उसकी वीडियोग्राफी भी करायी गयी। दिनांक 31 अगस्त, 2013 को मृतक का विसरा प्रदेश प्राप्ति सं0-7697 पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला महानगर, लखनऊ में और सुरक्षित किया गया लीवर तथा स्पलीन दिनांक 24 सितम्बर, 2013 को किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ हिस्टो पैथो0 परीक्षण एवं मृत्यु के कारण की जांच हेतु प्राप्त करा दिया गया। पुलिस द्वारा प्रकरण में शिथिलता नहीं बरती गयी बल्कि मृतक के पुत्र की तहरीर पर दिनांक 10 अगस्त, 2013 को समय 6.15 बजे प्रातः ही थाना चोपन पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और परिजनों की मांग पर दुबारा चिकित्सकों के पैनल द्वारा पोस्टमार्टम की कार्यवाही भी करायी गयी।

श्री राम बहादुर, पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उनके द्वारा मा0 विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण को पूरा सम्मान दिया गया तथा श्री राम बहादुर द्वारा ''ले-मैन'' शब्द का प्रयोग मा0 विधायक के लिए नहीं बल्कि प्रकरण के कुछ मामले में स्वयं के लिए किया गया था तथा प्रकरण के सम्बन्ध में उनके द्वारा कहा गया कि इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया तथा मृतक के परिजनों एवं मा0 जनप्रतिनिधियों द्वारा की गयी मांग के अनुसार दुबारा पोस्टमार्टम भी करवाया गया। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि अपने पूरे सेवाकाल में उन्होंने जनप्रतिनिधियों का पूरा सम्मान किया है तथा भविष्य में भी करते रहेंगे।

इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य की सूचना के सापेक्ष माननीय संसदीय कार्य मंत्री की आख्या के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि मा0 सदस्य हत्या के एक मामले में थाने में रिपोर्ट दर्ज न होने पर पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र, श्री राम बहादुर के पास गये थे। माननीय सदस्य की मांग के अनुसार प्रकरण की नियमानुसार करायी गयी जांच में भी किसी पुलिस अधिकारी की लापरवाही एवं दोष परिलक्षित नहीं होता है। पुलिस अधीक्षक द्वारा स्पष्ट की गयी स्थिति के अनुसार ''ले-मैन'' शब्द का प्रयोग उन्होंने मा0 विधायक के लिए नहीं बल्कि प्रकरण के कुछ मामले में स्वयं के लिए किया गया था। चूंकि मामला कानून-व्यवस्था से सम्बन्धित है जिसमें विधिक कार्यवाही किया जाना अपरिहार्य होता है।

उक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत मामला विधान सभा के सदन अथवा उसकी किसी समिति के कार्य से सम्बन्धित नहीं है। पुलिस अधीक्षक द्वारा जनप्रतिनिधियों का पूर्ण सम्मान करते हुए भविष्य में भी सम्मान करने हेतु आश्वस्त किया गया है। वर्णित स्थिति में प्रश्नगत मामले में विशेषाधिकार-हनन का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है।

अतः मैं प्रश्नगत सूचना को अग्राह्य करता हूं।]

श्री रोशन लाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री प्रदीप कुमार, थानाध्यक्ष-निगोही, जनपद-शाहजहांपुर के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष-

[श्री रोशन लाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-63/64 के अन्तर्गत श्री प्रदीप कुमार, थानाध्यक्ष निगोही, जनपद शाहजहांपुर के विरुद्ध विशेषाधिकार-हनन की सूचना दिनांक 19 सितम्बर, 2013 को अभिसूचित की गयी।

मा0 सदस्य द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 19 सितम्बर, 2013 को उन्हें जानकारी मिली कि उनके विधान सभा क्षेत्र के थाना निगोही के अन्तर्गत कुछ खनन माफियाओं द्वारा अवैध खनन कराया जा रहा है। इस सम्बन्ध में उन्होंने अपने मोबाइल नं0-8765954832 से पूर्वाह्न 10.15 बजे थानाध्यक्ष निगोही, श्री प्रदीप कुमार को उनके फोन नं0-9454404215 पर सूचना दी और अवैध खनन रोकने का अनुरोध किया। खनन माफियाओं से मिलीभगत होने के कारण उक्त थानाध्यक्ष द्वारा कार्रवाई करने से इन्कार कर दिया गया। तत्पश्चात् माननीय सदस्य ने जिलाधिकारी व अपर जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को स्थिति से अवगत कराया। पूर्वाह्न 10.30 बजे थानाध्यक्ष निगोही को जब उनके उक्त फोन पर पुनः इस सम्बन्ध में अवगत कराया तो थानाध्यक्ष ने बड़ी अभद्र एवं अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हुए उनके प्रति ऐसे अपशब्दों का प्रयोग किया जिनका उल्लेख नहीं किया जा सकता। मा0 सदस्य ने यह भी उल्लेख किया कि थानाध्यक्ष के इस व्यवहार से वह काफी अपमानित एवं आहत हुए, जिसके फलस्वरूप उनकी मनःस्थिति ऐसी हो गयी कि उस दिन के उपवेशन की कार्यवाही में भाग लेने में असहज महसूस करते रहे। इससे उनके विधायी कार्य प्रभावित हुए एवं वह अपने दायित्वों का पूरी तरह निर्वहन नहीं कर सके। विधान सभा के उक्त उपवेशन में माननीय सदस्य द्वारा विभिन्न नियमों में सूचनाएं दी गयी थीं किन्तु मानसिक अस्थिरता के कारण वह उनके समर्थन में ठीक से अपना पक्ष नहीं रख सके। इस घटना की जानकारी माननीय सदस्य द्वारा मा0 नेता विरोधी दल एवं माननीय अध्यक्ष को भी मौखिक रूप से दी गई। इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य द्वारा उक्त घटना को सदन के समक्ष भी रखा, शासन द्वारा समय-समय पर शासनादेश जारी किये गये हैं। माननीय सदस्य द्वारा नियम-63/64 के अन्तर्गत कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया।

उक्त के सम्बन्ध में माननीय संसदीय कार्य मंत्री के माध्यम से श्री प्रदीप कुमार, थानाध्यक्ष-निगोही, जनपद शाहजहांपुर का स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। श्री प्रदीप कुमार द्वारा अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया कि दिनांक 19 सितम्बर, 2013 को मा0 सदस्य, श्री रोशन लाल वर्मा द्वारा उनके मोबाइल पर सूचित किया गया कि निगोही क्षेत्र में बालू/मिट्टी का खनन हो रहा है। इस सूचना पर उ0नि0, श्री शबाबुल हसन द्वारा बिना नम्बर का एक ट्रैक्टर एसीएफडी-350

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ट्राली सहित, जिसमें मिट्टी थी, को लावारिस स्थिति में थाना हाजा पर जी0डी0 नं0 37 समय 19.00 बजे पर दाखिल किया गया। इसके पूर्व भी श्री प्रदीप कुमार द्वारा तीन ट्रैक्टर ट्राली बालू सहित पकड़ कर थाना हाजा पर दाखिल किये गये। उनमें अग्रिम कार्यवाही अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व, शाहजहांपुर को रिपोर्ट प्रेषित की गयी। श्री प्रदीप कुमार को अवैध खनन की सूचना जैसे ही प्राप्त हुयी उस पर कार्यवाही की गयी। उन्होंने कोई अवैध खनन नहीं कराया है।

श्री प्रदीप कुमार ने आगे उल्लेख किया कि दिनांक 17 सितम्बर, 2013 को मा0 विधायक जी द्वारा अपने रिश्तेदार, ब्रजकिशोर पुत्र ओम प्रकाश, नि0 कस्बा व थाना निगोही, जनपद शाहजहांपुर की फांसी लगाकर हत्या की बात मोबाइल पर बताये जाने पर भी मृतक का पंचायतनामा कराया गया और मु0अ0सं0-459/13 धारा-306 भादवि बनाम पियूष पुत्र चेतराम, कस्बा व थाना निगोही, शाहजहांपुर व दो अज्ञात सिपाही के विरुद्ध मुकदमा भी पंजीकृत कराया गया जो अभी विवेचनाधीन है। थानाध्यक्ष ने यह भी उल्लेख किया है कि मा0 सदस्य द्वारा दिनांक 19 सितम्बर, 2013 ही उन्हें ''देख लेने'' की बात कही गयी तथा उत्तेजनापूर्ण वार्ता भी की गयी थी, जिसका तजकिरा शिकायती व वापसी एस0ओ0 पर डी0जी0 नं0-38, 19.06 बजे दर्ज की गयी। उक्त के अतिरिक्त श्री प्रदीप कुमार ने अपना स्पष्टीकरण सादर प्रेषित करते हुए यह भी अंकित किया कि उनके द्वारा माननीय सदस्य के विशेषाधिकारों का हनन नहीं किया गया। माननीय सदस्य ने जो भी सूचना दी उस पर तत्काल वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी गयी।

प्रश्नगत मामले में माननीय सदस्य, श्री रोशन लाल वर्मा की सूचना के सापेक्ष प्राप्त श्री प्रदीप कुमार, थानाध्यक्ष के स्पष्टीकरण के परिशीलन से ज्ञात होता है कि माननीय सदस्य द्वारा मोबाइल फोन पर थानाध्यक्ष को दी गयी सूचना पर थानाध्यक्ष द्वारा अवैध खनन रोकने की कार्रवाई की गयी। इसी क्रम में थानाध्यक्ष द्वारा कई वाहनों को पकड़े जाने की कार्यवाही किया जाना पुष्टित होता है। स्पष्टीकरण के परिशीलन से प्रकरण में माननीय सदस्य की उपेक्षा एवं उनके अधिकारों का हनन अथवा अवहेलना परिलक्षित नहीं होती है। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत मामला विधान सभा के सदन अथवा उसकी किसी समिति के कार्य से सम्बन्धित नहीं है। थानाध्यक्ष द्वारा खनन के मामले में नियमानुसार विधिक कार्यवाही भी की गयी। माननीय सदस्य की शिकायत के सापेक्ष थानाध्यक्ष के स्पष्टीकरण के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत मामले में विशेषाधिकार हनन का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है।

अतः मैं प्रश्नगत मामले को अग्राह्य करता हूं।]

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री प्रेम प्रकाश सिंह, अपर जिलाधिकारी, बहराइच के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष-

[श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, सदस्य, विधान सभा द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-63/64 के अन्तर्गत श्री प्रेम प्रकाश सिंह, अपर जिलाधिकारी, बहराइच के विरुद्ध विशेषाधिकार-हनन की सूचना दिनांक 28 अगस्त, 2013 एवं 10 सितम्बर, 2013 को अभिसूचित की गयी।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

माननीय सदस्य द्वारा यह अवगत कराया गया कि दिनांक 26 अगस्त, 2013 को बहराइच कलेक्ट्रेट कक्ष में बैठे अपर जिलाधिकारी, श्री प्रेम प्रकाश सिंह ने उनसे कहा कि शहीदों के नाम बने स्वागत द्वारों को आप स्वयं तोड़वा दीजिए नहीं तो बुलडोजर चलवाकर तोड़वा देंगे। अमर्यादित भाषा एवं धमकी भरे शब्दों में कहा कि मा0 सदस्य द्वारा शहीदों के नाम से स्वागत द्वार बनवाकर जो ड्रामा किया गया है, उसे वह स्वयं तोड़वा दें नहीं तो वह बुलडोजर चलवाकर तोड़वा देंगे। स्वागत द्वारों को अगर तोड़वाया नहीं गया तो अच्छा नहीं होगा। माननीय सदस्य ने कहा कि वह एक विधायक हैं श्री सिंह उनके प्रति जो आचरण कर रहे हैं, वह उचित नहीं है। इस पर श्री सिंह काफी आवेश में बोले कि उनके जैसे विधायक बहुत देखे हैं। विधान सभा में बहुत प्रश्न करते हो, एक प्रश्न और करके उनका जो भी बिगाड़ना हो, बिगाड़ लेना। श्री सिंह जिस पद पर हैं उसी पर रहेंगे लेकिन वह माननीय सदस्य को विधान सभा में भाग लेने लायक नहीं छोड़ेंगे। माननीय सदस्य ने उल्लेख किया कि अगले ही दिन दिनांक 27 अगस्त, 2013 को सरकार द्वारा बनवाये गये बहराइच-गोण्डा मार्ग पर लालपुर में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस तथा गोण्डा-बहराइच मार्ग पर उधरना सरहदी में शहीद भगत सिंह स्वागत द्वारों को श्री प्रेम प्रकाश सिंह द्वारा गिरवाकर शहीदों का अपमान एवं घृणित कार्य किया गया।

माननीय सदस्य द्वारा शहीदों के नाम पर बने स्वागत द्वारों को तोड़ने एवं उनसे अभद्रता करने के लिए अपर जिलाधिकारी, श्री प्रेम प्रकाश सिंह पर विधि एवं न्याय संगत कठोर कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा तोड़े गये स्वागत द्वारों को पुनः स्थापित कराये जाने का अनुरोध किया गया। दिनांक 18 सितम्बर, 2013 के उपवेशन में भी माननीय सदस्य द्वारा इस विषय को विस्तार से उठाया गया, जिसे नियम-63 में देने का निदेश दिया गया।

इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री से श्री प्रेम प्रकाश सिंह, अपर जिलाधिकारी, बहराइच का स्पष्टीकरण उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया। जिसके सन्दर्भ में माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी, बहराइच की आख्या एवं श्री प्रेम प्रकाश सिंह, अपर जिलाधिकारी, बहराइच का स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया।

श्री प्रेम प्रकाश सिंह, अपर जिलाधिकारी, बहराइच द्वारा आयुक्त, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा को सम्बोधित अपने स्पष्टीकरण दिनांक 21 सितम्बर, 2013 में उल्लेख किया गया कि माननीय सदस्य, श्री मुकेश श्रीवास्तव दिनांक 26 अगस्त, 2013 को जिलाधिकारी के कार्यालय कक्ष में आये और बंगाली समुदाय की कुछ समस्याओं पर चर्चा की। जिलाधिकारी ने समस्या से सम्बन्धित अभिलेख श्री प्रेम प्रकाश सिंह को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी की उपस्थिति में ही उनके और मा0 विधायक के बीच वार्ता हुई, जिसमें श्री प्रेम प्रकाश सिंह द्वारा कोई अशोभनीय/अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं किया गया। विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि द्वारा निर्मित शहीद द्वारों को हटाने के लिए उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी और न ही उन्होंने अपनी उपस्थिति में किसी भी शहीद द्वार को ध्वस्त कराया। श्री सिंह ने अन्त में उल्लेख किया कि संभवतः

कथित शहीद द्वारों को लेकर जिला प्रशासन पर दबाव बनाने के लिये उनकी झूठी शिकायत की गयी। श्री सिंह द्वारा प्रकरण को निक्षेपित करने का अनुरोध किया गया।

मुख्य विकास अधिकारी, बहराइच द्वारा अपनी आख्या में उल्लेख किया गया कि विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत विशिष्ट व्यक्तियों, राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त राजनेताओं एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्बन्ध में द्वारों का निर्माण कराये जाने की अनुमन्यता प्रदान की गयी है। परियोजना के आगणन में स्वागत द्वार परियोजना का नाम तथा लागत आदि का विवरण प्रदर्शित करने हेतु पत्थर का साइन बोर्ड लगाये जाने हेतु रु0 3500/- पृथक से प्राविधानित है। जांच में पाया गया कि मा0 विधायक के प्रस्ताव पर नेता सुभाष चन्द्र बोस स्वागत द्वार लालपुर-बहलीमपुर, बहराइच-गोण्डा मार्ग पर स्वीकृत किया गया था किन्तु उक्त द्वार का निर्माण पूर्व माध्यमिक पाठशाला झाला तरहर, बहराइच-गोण्डा मार्ग पर कराया गया जिसकी स्वीकृति अभिकरण कार्यालय, बहराइच से अभी तक प्राप्त नहीं की गयी। सरदार भगत सिंह स्वागत द्वार उधरना सरहदी गोण्डा मार्ग पर स्वीकृत किया गया था। दोनों निर्मित द्वारों की जांच में पाया गया कि उनमें नेता सुभाष चन्द्र बोस एवं सरदार भगत सिंह के नाम अत्यन्त छोटे अक्षरों में अंकित थे जबकि मा0 विधायक, श्री मुकेश श्रीवास्तव का नाम तथा फोटो अत्यन्त बड़े साइज में अंकित किये गये थे। अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बहराइच के स्पष्टीकरण के अनुसार झाला तरहर बहराइच-गोण्डा मार्ग पर बिना स्वीकृति के नेता सुभाष चन्द्र बोस द्वार शासनादेश के विपरीत निर्मित किये गये हैं। अभिलेखों से यह स्पष्ट नहीं था कि झाला तरहर में स्वागत द्वार किसके द्वारा बनाया गया। जिला पंचायत में झाला तरहर में स्वागत द्वार बनाये जाने की न तो कोई स्वीकृति प्राप्त हुयी और न ही धन अवमुक्त हुआ। यह स्वागत द्वार जिला पंचायत द्वारा नहीं बनाया गया। मा0 विधायक का नाम किसने और कितना बड़ा लिखवाया इससे जिला पंचायत, बहराइच को कोई सरोकार नहीं है। अवर अभियन्ता, श्री संदीप श्रीवास्तव द्वारा भ्रमवश यह गेट निर्मित कराया गया। इसलिए बिना स्वीकृति के निर्मित गेट को हटाये जाने हेतु सम्बन्धित कर्मचारियों को निर्देशित किया गया।

अपर मुख्य अधिकारी के स्पष्टीकरण के परिप्रेक्ष्य में मुख्य विकास अधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला कि उक्त द्वार के निर्माण में अनभिज्ञता व्यक्त करना अत्यन्त हास्यास्प्रद है एवं अपने विरुद्ध कार्यवाही से बचने के लिए अपर मुख्य अधिकारी द्वारा वास्तविक तथ्यों को अस्वीकार करते हुए भ्रामक व तोड़-मरोड़ कर तथ्यों से परे झूठा व अनर्गल स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है, जो किसी भी दशा में उचित एवं संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। उक्त स्पष्टीकरण के दृष्टिगत मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अपर मुख्य अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार निर्णय लिये जाने की संस्तुति जिलाधिकारी, बहराइच से की गयी है।

जिलाधिकारी, बहराइच द्वारा भी सचिव, मुख्य मंत्री को प्रेषित अपनी आख्या दिनांक 18 सितम्बर, 2013 में उल्लेख किया गया कि उपरोक्त दोनों द्वारों का निर्माण किसी के दबाव में शासनादेश के विरुद्ध भी विपिन चन्द्र पन्त, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बहराइच तथा अवर

अभियन्ता श्री सन्दीप श्रीवास्तव द्वारा स्टीमेट स्वीकृत कराये बिना कराया गया। उक्त अनियमितता प्रकाश में आने पर स्वयं को बचाने हेतु उक्त लोगों द्वारा ही उपरोक्त द्वारों को गिराया गया, उस समय कोई भी अधिकारी या पुलिस बल उपस्थित नहीं था। तद्नुसार उक्त अनियमित कार्य के लिए पूर्णरूपेण दोषी श्री विपिन चन्द्र पन्त, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बहराइच तथा अवर अभियन्ता श्री सन्दीप श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की संस्तुति गयी।

प्रश्नगत मामले में माननीय सदस्य द्वारा लगाये गये आरोपों के सापेक्ष श्री प्रेम प्रकाश सिंह, अपर जिलाधिकारी का स्पष्टीकरण, मुख्य विकास अधिकारी एवं जिलाधिकारी, बहराइच की आख्या के परिशीलन से विदित होता है कि उक्त दोनों द्वार बिना किसी स्वीकृति के अनियमित रूप से श्री विपिन चन्द्र पन्त, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बहराइच तथा अवर अभियन्ता, श्री सन्दीप श्रीवास्तव द्वारा बनवाये गये थे और स्थिति प्रकाश में आने पर इन्हीं लोगों द्वारा गिरवाये भी गये। इस हेतु उक्त दोनों अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्रवाई की जा रही है। प्रकरण में श्री प्रेम प्रकाश सिंह, अपर जिलाधिकारी, बहराइच का कोई दोष परिलक्षित नहीं होता है तथा इसमें विशेषाधिकार-हनन का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है।

अतः मैं प्रश्नगत प्रकरण को अग्राह्य करता हूं।]

श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद, तत्कालीन एस0डी0एम0, बांदा के विरुद्ध श्री विशम्भर सिंह यादव द्वारा दिनांक 12 जून, 2012 को अभिसूचित तथा ई0टी0वी0, उ0प्र0 के विरुद्ध श्री गायत्री प्रसाद प्रजापति, मा0 मंत्री द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2013 को अभिसूचित विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न को जांच, अनुसंधान तथा प्रतिवेदन हेतु विधान सभा को विशेषाधिकार समिति को संदर्भित किये जाने के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-63/64 के अन्तर्गत अभिसूचित विशेषाधिकार-हनन एवं सदन की अवमानना के निम्नलिखित मामलों को मैंने जांच, अनुसंधान तथा प्रतिवेदन हेतु विधान सभा की विशेषाधिकार समिति को सन्दर्भित कर दिया है :-

1-माननीय श्री विशम्भर सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद, तत्कालीन एस0डी0एम0, बांदा के विरुद्ध अभिसूचित सूचना दिनांक 12 जून, 2012

2-माननीय श्री गायत्री प्रसाद प्रजापति, मा0 मंत्री द्वारा ई0टी0वी0, उ0 प्र0 के विरुद्ध अभिसूचित सूचना दिनांक 22 मार्च, 2013 के सापेक्ष श्री ब्रजेश मिश्र, चीफ ऑफ ब्यूरो, ई0टी0वी0, उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 18 अप्रैल, 2013 के सन्दर्भ में।

उपर्युक्त मामलों के सम्बन्ध में दी गयी सूचना दिनांक 26 फरवरी, 2014 के उपवेशन की कार्यवाही का अंग मानी जायेंगी।

[12.36] उत्तर प्रदेश चिकित्सा विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा विधेयक, 2014 †

बाल विकास एपं पुष्टाहार व बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री वसीम अहमद)-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश चिकित्सा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा विधेयक, 2014 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी मेरा आपसे आग्रह है कि माननीय मंत्री जी को इस प्रस्ताव की अनुज्ञा न दी जाए। और ऐसा कहने के लिए हमारे पास प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के अनुरूप अधिकार भी है। मैं चाहूंगा कि आप अनुज्ञा देने के पहले मुझे सुन लें। अध्यक्ष जी इस विधेयक के बारे में 15 फरवरी को कैबिनेट की मीटिंग हुई थी आज 26 फरवरी है यानी 11 दिन बीत गए हम लोग यहां 19 तारीख से बैठे हुए हैं सरकार अगर चाहती तो इस बीच में कहीं भी यह विधेयक आ सकता था। समय के साथ नियमों के अनुरूप रखा जा सकता था। हम लोगों को इसकी पत्रावली दी जा सकती थी हम इसका अध्ययन कर सकते थे। और इस विधेयक में जो भी अच्छाइयां या कमियां हैं सरकार का ध्यान उसकी ओर इंगित कर सकते थे। सरकार इंतजार करती रही 19 तारीख से आज जब अन्तिम दिन आ गया जनगण मन वाला तब अचानक यह विधेयक प्रस्तुत कर दिया गया। सरकार की मंशा पर इससे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। समय न होता अचानक होता मजबूरी थी कल निर्णय हुआ होता तब आज सुबह आ गया होता तो हम लोग परम्परा में विश्वास करने वाले लोग हैं हम उसे मान लेते लेकिन जब समय था तब जानबूझकर इस विधेयक को हमसे क्यों छिपाए रखा गया अन्तिम दिन अचानक इसे क्यों सामने लाया गया। अध्यक्ष जी हम यह जानते हैं कि सदन में आपका अधिकार सर्वोपरि है उसमें विवाद और बहस कोई नहीं करता सामान्यतः कार्य-मंत्रणा समिति सिफारिश करती है कि कौन सा विधेयक कब-कब प्रस्तुत होगा आपने कृपापूर्वक तीन बार कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई थी कल भी समिति बुलाई थी कल उस समय समिति के प्रस्ताव को आपने सदन में रखा था। रखवाकर के उस पर सदन की स्वीकृति ली थी। स्वीकृति लेते समय 3 विधेयक इस सदन के सामने रखे गये थे, हम सबने बड़े मन से इसको स्वीकार किया था कि चूंकि कार्य-मंत्रणा से आ गई है भले ही उस पर हमको बहस करने के लिये तैयारी का अवसर नहीं मिल रहा है चलिये कोई बात नहीं, अपनी परम्पराओं में आ गई, हम लोगों ने स्वीकार कर लिया। प्रश्न यह है कि जो विधेयक कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से गया ही नहीं क्या उसे आज हम बिना कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश के।... अध्यक्ष जी, पूरी बात कर लेने दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

कहिये, कहते रहिये, हम सुन रहे हैं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

आपका तो अधिकार सर्वोपरि है अध्यक्ष जी, हम तो उससे बंधे हुए हैं। तो क्या कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश के बिना, आज सुबह 10.00 बजे कार्य-मंत्रणा समिति हो सकती थी। अभी भी अगर आप स्थगित कर दें तो हम लोग कार्य-मंत्रणा कर सकते हैं, और कार्य-मंत्रणा के

---

† दिनांक 6 मार्च, 2014 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

बाद उसको ला सकते हैं। तीसरी चीज, अध्यक्ष महोदय, जो नियम है विधेयक के बारे में, अध्यक्ष के आदेश के अधीन रहते हुए उस समय तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया जायेगा जब तक कि विधेयक की प्रतिलिपियां प्रस्ताव करने के दिन से पूर्व सदस्यों को उपलब्ध न करा दी गई हों। तो हम लोगों को तो कोई विधेयक मिला नहीं। सवाल यह है कि विधेयक हम लोगों को मिला नहीं, आज पटल में आया है, हमें एक दिन पहले मिलना चाहिए क्योंकि यह सामान्य गतिविधि नहीं, प्रश्नकाल नहीं है, नियम-56, नियम-51 नहीं है, एक विधेयक बनाने जा रहे हैं जिसके लिये यह सदन बना है। इतने हल्के से विधेयक को रख लेना क्या अध्यक्ष जी, आपको नहीं लगता कि आपको कहीं पर अडिग होकर कहना चाहिए कि अभी तो हम बजट टाल सकते हैं बिना आवश्यकता के तीन-तीन चार-चार महीने तो यह विधेयक भी तीन-चार महीने जा सकता है। पास होगा जब बजट का सत्र आयेगा तो। मेरा तो यही निवेदन है, शेष आपका अध्यक्ष जी।

श्री अध्यक्ष-

माननीय डाक्टर साहब, विधेयक इन्ट्रोड्यूज करने के लिये सरकार भेज देती है विधेयक कार्यालय को और यह इन्ट्रोड्यूज किया जाता है। उसके बाद इस पर कार्य मंत्रणा समिति के इस पर पारण, इस विचार करने के लिये विचार किया जाता है। जब कार्य-मंत्रणा समिति स्वीकृति दे देती है तो उसका पारण होता है। यह अभी इन्ट्रोड्यूज का मामला है। केवल इन्ट्रोड्यूज हो रहा है, उसके बाद कार्य-मंत्रणा समिति में आप इस पर काफी बात कर सकते हैं, आप उसके सदस्य हैं, इसलिये मैं इसको अग्राह्य करता हूं। मैं प्रश्न उपस्थिति कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश चिकित्सा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ).

श्री मोहम्मद आज़म खां-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश चिकित्सा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करता हूं।

[12-37] श्री अखिलेश प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा के प्रथम सत्र, 2012 के पहले बुधवार दिनांक 30 मई, 2012 के अतारांकित प्रश्न संख्या-17 के उत्तर के सम्बन्ध में निदेश संख्या-168 (2) के अन्तर्गत उक्त प्रश्न का संशोधित उत्तर

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

श्री अखिलेश प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रथम सत्र, 2012 के प्रथम बुधवार, दिनांक 30 मई, 2012 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-17 के उत्तर के सम्बन्ध में ''उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश (चौदहवां संस्करण)'' के निदेश संख्या-168 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना, दिनांक 04 जून, 2012 के सम्बन्ध में निदेश संख्या-168(2) के अन्तर्गत उक्त प्रश्न का ''संशोधित उत्तर''

मान्यवर, कहिये तो पूरा उत्तर पढ़ दूं या पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

शुरू का और आखिर का पढ़ दीजिये।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

सिंचाई अनुभाग-2 के कार्यालय आदेश सं0-105/13-27-सिं-2-1 एक्यू/12..... तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता अनुसन्धान एवं नियोजन (बाढ़) मण्डल, यूनिट-10 को परिनिंदा शास्ति का दंड दिया गया है।

प्रश्न	पूर्व में दिया गया उत्तर	संशोधित उत्तर	प्रश्न के उत्तर के लिए गलत सूचना देने वाले दोषी पाये गये अधिकारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण
17-क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र में राप्ती एवं गुर्रा नदियों के बन्धों के सुदृढ़ीकरण एवं ठोकर इत्यादि बनाने हेतु भारत सरकार के जल संस्थान मंत्रालय ने अपनी अंशराशि देने की स्वीकृति गत वित्तीय वर्ष में दी थी ?	जी नहीं।	जी हां।	सिंचाई अनुभाग-2 के कार्यालय आदेश सं0-105/13-27-सिं-2-1एक्यू/12, [दि0 18-02-13 द्वारा प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 का संगत नियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण मांगा गया, जिसके क्रम में प्रमुख अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि श्री लाला राम तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता अनुसंधान एवं नियोजन (बाढ़) मण्डल, यूनिट-10 का दायित्व विषयगत उत्तर तैयार करने का था एवं उसका परीक्षण कर प्रस्तुत करने का दायित्व श्री डी0के0 डुडेजा, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, अनुसंधान एवं नियोजन (बाढ़) मण्डल का था। उक्त प्रकरण में श्री डी0के0 डुडेजा, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता एवं श्री लाला राम, अधिशासी अभियन्ता को त्रुटिपूर्ण उत्तर प्रेषित किये जाने हेतु दोषी मानते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने की संस्तुति प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा की गयी, जिसके क्रम में सिंचाई अनुभाग-5 के कार्यालय आदेश सं0-4060/13-27-सिं-5- 287/13, दि0 14-10-13 द्वारा श्री डी0के0 डुडेजा, तत्कालीन अधीक्षण
क्या सिंचाई विभाग ने शासन से राज्यांश स्वीकृत करने का अनुरोध किया था ?	जी नहीं।	जी नहीं।	
क्या प्रदेश सरकार ने इन कार्यों हेतु धन का आवंटन किया ?	प्रश्न नहीं उठता।	प्रश्न नहीं उठता।	
यदि हां, तो कब तक ?	प्रश्न नहीं उठता।	प्रश्न नहीं उठता।	
यदि नहीं, तो कब तक इन पर धन आवंटन	भारत सरकार	भारत सरकार से	

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रश्न	पूर्व में दिया गया उत्तर	संशोधित उत्तर	प्रश्न के उत्तर के लिए गलत सूचना देने वाले दोषी पाये गये अधिकारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण
का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?	से केन्द्रांश अवमुक्त होने पर धनावंटन की कार्यवाही की जायेगी।	केन्द्रांश अवमुक्त होने पर धनावंटन की कार्यवाही की जायेगी।	अभियन्ता, अनुसंधान एवं नियोजन (बाढ़) मण्डल, यूनिट-10 को परिनिन्दा शास्ति का दण्ड तथा कार्यालय आदेश सं0-3049/13-सिं-5-287/13, दि0 14-10-2013 द्वारा श्री लाला राम, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता अनुसंधान एवं नियोजन (बाढ़) मण्डल, यूनिट-10 को परिनिन्दा शास्ति का दण्ड दिया गया है।]

प्रथम सत्र, 2012 के पहले बुधवार दिनांक 30 मई, 2012 के अतारांकित प्रश्न संख्या-17 का त्रुटिपूर्ण उत्तर दिये जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध केवल निन्दा प्रस्ताव ही नहीं बल्कि दण्डात्मक कार्यवाही करवाये जाने विषयक व्यवस्था का प्रश्न

*श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

अब इसमें आपको पूछने का अधिकार नहीं है आपने प्रश्न किया उनको दंड मिल गया आप बैठिए।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर,व्यवस्था का प्रश्न है। यह दो साल पुराना प्रकरण है आपके संज्ञान में भलीभांति है आपने 19 तारीख को एक बैठक बुलाई थी जिसकी सूचना हमें लिखित में दी गई थी लेकिन मैं उस बैठक में नहीं आया था मैं प्रमुख सचिव को बताकर गया था। जिस तरह से सरकार के अच्छे कृत्य को प्रशासन ने बताया और सदन को गुमराह किया दो साल बाद भी इसमें सिर्फ निन्दा दिया गया जबकि आपने हमें बताया भी था कि उनके खिलाफ निलम्बन की कार्यवाही का निर्णय लिया गया है तो मान्यवर,अगर इतनी बड़ी गल्ती लोग करते हैं, सदन को गुमराह करते हैं और सरकार की योजनाओं को, सरकार के अच्छे कामों को दर्शाने की जिनकी जिम्मेदारी होती है अगर वह लोग सदन को गुमराह कर रहे हैं और दो साल के बाद, इतना कहने के बाद कार्यवाही होती है और केवल निन्दा प्रस्ताव होता है यह सही नहीं है हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इन दोनों अधिकारियों को और इनके वरिष्ठ अधिकारियों पर भी दंडात्मक कार्यवाही की जाए और उनको भी निलम्बित

* वक्ता ने भाषण का पुर्नवीक्षण नहीं किया।

किया जाए। ताकि जो सदन में इस तरह गलत सूचना देते हैं सदन को गुमराह करते हैं और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर सरकार की छवि खराब करते हैं वह न करें। हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप इस प्रकरण पर सख्त होंगे और सरकार के साथ न्याय करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

मेरी सख्ती का ही परिणाम है कि इस स्तर तक आया है आप निश्चिन्त रहें। कोई भी अगर सदन को गुमराह करेगा, गलत ढंग से कोई अधिकारी सूचना देगा, तो विधान सभा के सम्मान के लिए नियमों में जो कुछ भी होगा उसके तहत कार्यवाही की जाएगी और उसी के तहत जो प्रश्न आपने उठाया था उसके अन्तर्गत इनको दंड दिया गया।

[12.45] विधान मण्डल निधि के तहत बीमारी अनुदान में धन जारी किये जाने हेतु डी0आर0डी0ए0 द्वारा पी0जी0आई0 व एम्स के अतिरिक्त अन्य इस्टीमेट भी स्वीकार किये जाने का अनुरोध

*श्री राजेश त्रिपाठी-

मान्यवर, मैंने जो आपको दिया था मैं आज उसका स्पष्टीकरण चाहता था। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा जो विधान मंडल निधि में बीमारी अनुदान के लिए 25 लाख रुपये देने की बात कही गई थी उसमें प्राविधान था कि पी0जी0आई0 या एम्स के मानक के अनुरूप ही....

श्री अध्यक्ष-

यह जीरो आवर में उठाना चाहिए था आगे बढ़ गए।

श्री राजेश त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं सरकार को यह अवगत कराना चाह रहा था कि डी0आर0डी0ए0 यह कहता है उस मरीज से, कि आप जहां भी इलाज करा रहे हैं मैं उस स्टीमेट को नहीं मानूंगा जब तक कि पी0जी0आई0 या एम्स का स्टीमेट न लाया जाए। अगर मरीज कहीं एडमिट है, वह जीवन मरण के सवाल से जूझ रहा है वह दुबारा पी0जी0आई0 जाकर कैसे करेगा मान्यवर, एक संशोधन यह जाना चाहिए जिला मुख्यालयों पर कि जो मानक दिया गया है जिस अस्पताल का स्टीमेट दिया जाए उसी पर सरकार वह धन जारी कराए।

*संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, इस संबंध में, मैं कहना चाहूंगा कुछ बातें क्योंकि कानों तक हमारे भी पहुंची हैं वह बड़े दुख की हैं और मैं आगे कहूं तो बड़े शर्म की भी हैं, मुझे याद है जब मैं 1980 में आया था पहली बार, तब हम अपने पैड पर दवायें लिखकर दे देते थे और जितनी दवायें देते थे उतनी दवायें मिलती थीं। मेरे शहर में क्योंकि टी0बी0 के बहुत मरीज है रिक्शा और बीड़ी वाले हैं तो मैं मरीजों की गिनती लगाकर, उस समय आरसिन कैप्सूल बड़ा मंहगा होता था मुझसे पूछा भी, एक दिन सचिव आए और उन्होंने कहा क्या आपका पूरा परिवार टी0बी0 का मरीज है मैंने कहा, जी हां, वह दवायें हम गरीबों में बांट देते थे। उस जमाने में जो हमारा अखलाखी चरित्र था वह इस तरह का

---

* वक्ता ने भाषण का पुर्नवीक्षण नहीं किया।

था। हमें कूपन अनलिमिट मिलते थे जितने हम चाहें खर्च करें, किन्हीं कारणों से उसकी भी लिमिट हुई मैं चाहूंगा कि अन्य नेतागण और आप इसमें बैठें, मा0 मुख्य मंत्री जी भी तशरीफ रखें और फिर इस पर एक बार बात करें कि क्या इसमें और सहूलियतें दी जा सकती हैं और किस तरह दी जा सकती हैं, उसका क्या प्रारूप हो, यहां मैं नहीं कहना चाहता हूं।

(मेजें थपथपाई गईं।)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 26-2-2014 को नियम-56 के अन्तर्गत कुल 32 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गईं। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। पहली सूचना है श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, सतीश महाना जी और संजय प्रताप जी इन्होंने प्रदेश में विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

दूसरी सूचना-श्री प्रदीप माथुर, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री विजय कुमार दुबे, श्री दिलनवाज खां, श्री अजय कुमार लल्लू, श्री राधेश्याम, श्री गयादीन अनुरागी और श्री बंशी सिंह पहाड़िया की- केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ प्रदेश सरकार द्वारा डी0पी0आर0 न भेजने के कारण उत्तर प्रदेश में जन विकासोन्मुखी तथा महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ न मिल पाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

तीसरी सूचना-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की- प्रदेश के अधिकांश राज्य विश्वविद्यालयों में बिगड़ती व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

चौथी सूचना-श्री राकेश बाबू की- जनपद फिरोजाबाद की तहसील सदर के अन्तर्गत ग्राम सभा कपावली में गाटा सं0-282/3 पर बने कब्रिस्तान को अभिलेखों में दर्ज न किये जाने के संबंध में।

पांचवी सूचना-श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट की- जनपद मथुरा के आवास एवं विकास प्राधिकरण में स्वयं के आवंटित भूखण्ड का आवंटन पत्र जारी न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

जिन मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत की गयी हैं, मैं उनके नाम पढ़ देता हूँ।

श्री सुरेश राणा, श्री लोकेन्द्र सिंह, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई, श्री रवीन्द्र भड़ाना, साध्वी निरंजन ज्योति, श्री कालीचरन सुमन, श्री जगन प्रसाद गर्ग, श्री योगेन्द्र उपाध्याय, श्री दलजीत सिंह, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री जन्मेजय सिंह, श्री राज कुमार रावत, श्री गुटियारी लाल दुबेश, श्री बृजेश कुमार, श्री कृष्ण पाल सिंह राजपूत, श्री बब्बन सिंह चौहान, श्री उमेश पाण्डेय, श्री रोशन लाल वर्मा, डा0 अरूण कुमार, श्री विजय बहादुर यादव, श्री संत प्रसाद, श्री अगयश राम सरन वर्मा, श्री मुकुट बिहारी वर्मा, श्री अनीसुर्रहमान और श्री सुरेश कुमार खन्ना।

मौर्या जी, आप अपनी बात रखें।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश में बिजली व्यवस्था चरमराई हुई है और जिसके फलस्वरूप विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। यहां तक की प्रदेश सरकार ने विद्युत आपूर्ति हेतु जो समय-सारणी निर्धारित किया है, उस समय-सारणी के मुताबिक भी विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की जा पा रही है और बार-बार कटौती के माध्यम से जो भी बिजली गांवों में 7-8 घण्टे मिलती है, यही नहीं महानगरों तक में बड़े पैमाने पर बिजली की कटौती हो रही है और मान्यवर, इसी 03 मार्च से होने वाली हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा में लगभग 71 लाख बच्चे बैठने जा रहे हैं, स्वाभाविक रूप से इस प्रकार से बाधित विद्युत आपूर्ति से 71 लाख बच्चों की पढ़ाई और परीक्षा दोनों प्रभावित होगी। इसलिए मान्यवर, यह लोक महत्व का और अविलम्बनीय प्रश्न है, इस विद्युत आपूर्ति के अभाव में आज केवल दैनिक क्रिया ही नहीं बल्कि आज कार्यालयों में, उद्योगों में, लघु और कुटीर उद्योगों में, सारी जगहों पर कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए मान्यवर, इस सूचना के द्वारा आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, लोकमहत्व का है, अविलम्बनीय है, मान्यवर, इससे किसान भी प्रभावित है और साथ ही साथ उद्यमी भी प्रभावित है, 71 लाख बच्चे जो बोर्ड की परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, वह भी प्रभावित हैं। इसलिए मान्यवर, जो आपने समय-सारणी निर्धारित किया है, उसके आधार पर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने का कष्ट करें। साथ ही साथ 71 लाख बच्चे जो बोर्ड की परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, उन बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, शाम 7 बजे से 12 बजे तक और सुबह 4 बजे से 9 बजे तक नियमित विद्युत आपूर्ति इसलिए किया जाए जिससे बच्चों की पढ़ाई सुनिश्चित हो सके। इसलिए मान्यवर, मैं इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अब महाना जी अपनी बात रखें।

उनका नाम तो इसमें है लेकिन वह कहां हैं ?

(श्री सतीश महाना आते दिखायी दिए)

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, महाना जी आ रहे हैं। महाना जी, आप कहां चले गए थे ? जैसे लोग मंच पर हाथ हिलाते हुए आते हैं, वैसे ही आप आ रहे हैं।

*श्री सतीश महाना-

मान्यवर, पानी की व्यवस्था इधर भी करा दें। मैं पानी पीने गया था। वैसे भी मान्यवर, सरकार सबको पानी पिला रही है।

श्री अध्यक्ष-

तब प्यास कहां लग जाती है, जब सरकार पिला ही रही है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, महाना जी, पानी पी-पी करके इस बिन्दु पर अपनी बात रखना चाहते हैं और सरकार को कोसना चाहते हैं।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष-

सचिव साहब, जरा बता दें, आपके डिपार्टमेंट का मामला है, पानी की व्यवस्था करा दें।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर नियम-56 में आपने मुझे सुनने की कृपा की इसके लिए धन्यवाद। मान्यवर, इस समय प्रदेश में विद्युत व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। आज जिस समय फरवरी-मार्च चल रहा है जिस समय विद्युत की मांग मान्यवर, न्यूनतम होती है बहुत सर्दी और गर्मी में भी विद्युत की मांग बढ़ जाती है। पर यह एक ऐसा समय होता है जो लीन परियड होता है और लीन पीरियड में जब सरकार विद्युत उपलब्ध नहीं करा पा रही है तो हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि मार्च के बाद अप्रैल-मई-जून में इस प्रदेश को विद्युत उपलब्ध हो पायेगी। मान्यवर, आज सरकार प्रदेश को प्रगति के पथ पर चलने की बात करती है। उद्योगों का जितना टैरिफ उत्तर प्रदेश में बढ़ाया गया है शायद देश में किसी भी प्रदेश में इतना टैरिफ नहीं होगा। हर बार विद्युत नियामक आयोग की बात करके उद्योगों के ऊपर यह बढ़ा हुआ टैरिफ लागू कर दिया जाता है। बिजली उन्हें मिल नहीं रही इस पर विधान सभा में चर्चा हुयी थी। सरकार ने एक समय में तुगलकी आदेश जारी करके यह कह दिया था कि सात बजे के बाद बाजार व मॉल बंद हो जायेंगे। उसको विधान सभा में आपकी कृपा से मेरे द्वारा उठाया गया तो उस आदेश को सरकार ने वापस ले लिया। कागज में लिखापढ़ी में वापस ले लिया होगा लेकिन व्यवहारिक रूप से आज भी बिजली उपलब्ध नहीं है। सरकार के बहुत बड़े-बड़े दावे हैं सरकार ने बताया था कि 31 परियोजनायें चल रही है लेकिन वह कितने वर्षों से चल रही हैं जरा उसकी भी जानकारी दे दें। उनको पूरा करने का काम किसी भी स्तर पर उन 31 परियोजनाओं में आज की तारीख में एक साल होने के बाद भी पांच योजनायें भी ऐसी नहीं होंगी जिन पर काम पूरा हो गया हो और जिनके द्वारा विद्युत वितरण प्रारम्भ कर दिया गया हो। मान्यवर, ऐसी परिस्थितियों में कानपुर महानगर की विशेष रूप से बात करना चाहता हूं कि वहां पर बिजली नही है। आज परीक्षायें शुरू होने जा रही हैं। स्वाभाविक रूप से बच्चों को देर रात तक पढ़ना पढ़ता है। ऐसी परिस्थिति में बिजली न होना उनकी मानसिक दशा को भी प्रभावित करता है और उनको डिप्रेशन में डालते हैं। जिस समय बच्चे डिप्रेशन में जायें तो वह पढ़ेंगे क्या और परीक्षा क्या देंगे। इसलिए मान्यवर, जैसा मैंने निवेदन किया कि लीन पीरियड है अगर उस समय भी बिजली नहीं मिल पायेगी तो आगे हम विद्युत की कल्पना नहीं कर सकते। तो मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि

विद्युत न होने के कारण जो समस्यायें उत्पन्न होती हैं। चाहे उद्योग से संबंधित हो, चाहे वह बाजारों से संबंधित हों चाहे घरेलु विद्युत से संबंधित हो या मान्यवर, किसान से संबंधित हो, मान्यवर, अभी कुछ महीने पहले जब किसान को बिजली की बहुत ज्यादा जरूरत थी, मान्यवर, अगर एक-एक ट्रांसफार्मर यदि जल जाता है तो तीन-चार महीने तक उसको बदलने की व्यवस्था नहीं हो पाती है। जो किसान अपने द्वारा ट्रांसफार्मर खरीदने के लिए पैसे जमा कराते हैं उन किसानों के 3-4-5 महीने तक पैसे जमा होने के बाद कहा जाता है कि लाइन में लगा हुआ है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक पत्र देकर पत्र की पावती लाइन में लग जाती है और लाइन में लगी रह जाती है। उसी प्रकार से जो विद्युत के लिए ट्रांसफार्मर के लिए पैसा दे देते हैं और वह केवल लाइन में खड़ा होने का काम करते हैं। तो आपके माध्यम से मेरा सरकार से निवेदन है कि उस लाइन को खत्म कर दें नहीं तो आने वाले समय में वही किसान, वही जनता सरकार को लाइन में खड़ा करने के लिए मजबूर कर देगी। और जिस समय सरकार लाइन में खड़ी होगी तो कठिनाई हो जाएगी। मान्यवर, इसलिए बिजली के इस अत्यंत लोकमहत्व के प्रश्न पर नियम 56 के अंतर्गत सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराने की कृपा करें।

*श्री संजय प्रताप जायसवाल-

मान्यवर, यह जो बिजली की व्यवस्था है उसमें सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि जर्जर तार और ट्रांसफार्मर पर आवश्यकता से अधिक लोड है। जिन गांवों में विद्युतीकरण हो चुका है उन गांवों में क्षमता से अधिक उपभोक्ता हैं। बार-बार सरकार के संज्ञान में लाया जा रहा है लेकिन उसके संदर्भ में जहां मांग की जा रही है कि वहां उपभोक्ताओं के अनुकूल ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराये जायें उनकी क्षमता वृद्धि की जाये। अभी तक उनकी क्षमता वृद्धि का प्रस्ताव स्वीकार नहीं हो रहे हैं। दूसरा जो हम लोग गांव के विद्युतीकरण के लिए निधियों से प्रस्ताव करते हैं उसमें भी इस्टीमेट उपलब्ध कराने में साल-साल भर लग जाता है। ग्रामीणों को इससे असुविधा होती है, विधायकों के ऊपर उन्हें शक होता है कि यह झूठ बोलते हैं और प्रस्ताव नहीं करते हैं। दूसरा, त्योहारों में और यह जो एक्जाम के पीरियड आने वाले हैं बोर्ड के, इसमें भी लोगों को अब दिक्कत आ रही है कि पता नहीं समय से बिजली उपलब्ध होगी कि नहीं, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि यह जो 4-4 घण्टे बिजली रात को मिलती है, जब सब सो जाते हैं उस समय बिजली देने का कोई औचित्य नहीं है, रोजमर्या की जिन्दगी में बिजली जितनी आवश्यक है, उतनी सरकार की तरफ से अगर मिलेगी तो जनहित में प्लस उपभोक्ताओं की जो नाराजगी है वह समाप्त होगी, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी बिजली पर कुछ बोलेंगे ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, बिजली के सम्बन्ध में नियम-56 पर मैंने भी आज दिया था।

श्री अध्यक्ष-

जब आपका आयेगा तो उसमें कह लीजिएगा, अभी बैठ जांय।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आ कहां रहा है, इसलिए इसी में कह ले रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा, इसी में आपका भी हो गया, मान लिया आपने कह दिया मैंने मान लिया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, ध्यान आकर्षित तो करवा दें।

श्री अध्यक्ष-

अभी जब इसका जवाब आयेगा, मंत्री जी के जवाब के बाद, तब न, बैठिये। खन्ना जी आप नियमों में पारंगत हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, एक लाईन कह तो दूं। मान्यवर, केवल एक बात कहनी थी, ट्रांस्फार्मर रोज फुंकते हैं, अगर ट्रांस्फार्मर में एक फ्यूज इजाद करके लगा दिया जाय तो वह फुंकने से बच जायेगा, लाखों रुपये साल का फायदा हर जिले में हो जायेगा मान्यवर, वह फ्यूज नहीं लगता, इसकी वजह से ट्रांस्फार्मर फुंकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब हो गई बात।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हमारी सूचना पर ध्यानाकर्षण करवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा ठीक है, आप बैठिये।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य का तकनीकी सुझाव है और इस पर विचार कर लिया जायेगा, अन्य सुझाव जितने भी आये हैं, जो शिकायतें आई हैं, उनको तो दिखवायेंगे ही, लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने काफी जिज्ञासा जाहिर की है, उनकी अपनी सरकार में शहर को 12 घण्टे और गांवों को 08 घण्टे जो सरकारी घोषणा थी, उसके ऐतबार से बिजली दी जाती थी। अब शहर को 20 घण्टे और गांव को 16 घण्टे बिजली देना सुनिश्चित भी किया गया है और इससे कम नहीं दी जायेगी, जहां-जहां, जो-जो शिकायतें हैं, उन शिकायतों को दिखवा कर उन्हें भी दूर कराया जायेगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी, ऐसा [x x x] बोलते हैं।

श्री अध्यक्ष-

अरे असत्य कहिये, [x xx] नहीं लिखा जायेगा, यह असंसदीय है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

ठीक है मान्यवर, मैं आपकी बात बोल रहा हूं, ऐसा तथ्यहीन बात रखते हैं, जिसका शायद देश क्या पूरी दूनिया में सानी नहीं होगा। मान्यवर, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में ग्रामीण क्षेत्रों में 14 घण्टे से लेकर 16 घण्टे बिजली आपूर्ति की जाती थी और मान्यवर, शहरी क्षेत्रों में नगर पालिकाओं में 20 घण्टे बिजली की आपूर्ति की जाती थी।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह असत्य है, ये सफेद हाथी की तरह असत्य है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

और मान्यवर महानगरों में बिना कटौती के हम 24 घण्टे बिजली देते थे।

श्री अध्यक्ष-

बस अब हो गया, यह कोई प्रश्न-उत्तर नहीं है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, वर्तमान सरकार में, 71 लाख बच्चे बोर्ड की परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, लेकिन मान्यवर, उसका उत्तर नहीं आ रहा है, यह सरकार बिजली देने में आना-कानी कर रही है, मान्यवर, ये बिजली दे नहीं पा रही है, पूरा प्रदेश अंधेरे में जी रहा है।

(बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्यगण सरकार विरोधी नारे लगाते हुए सदन की वेल में आ गये और जोर-जोर से नारे लगाने पर सदन में घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

अब आप सब अपने स्थान पर चलें, आज आखिरी दिन है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, बस यही गलती तो हो गई, मैंने सच कह दिया। रात को रात कह दिया मैंनें बस इसी पर बिगड़ गई दुनिया। बस सच बता दिया था, अब देखिये मान्यवर, एक अल्पसंख्यक को कैसे-कैसे शब्दों से बसपा नेता संवार रहे हैं, अब देखिये कैसी ज्यादती है, इस अल्पसंख्यक को जीने नहीं दे रही है बसपा।

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्यगण पुनः अपने-अपने स्थान पर चले गये।)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

आपने दिन को रात कह दिया।

नोट :-[x x x] यह अंश अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जायं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, बैठ रहा हूं, मान्यवर यह पक्ष-विपक्ष का मामला नहीं है, 71 लाख छात्र बोर्ड की परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, इसको ध्यान में रखते हुए शाम की पढ़ाई के लिए 07 बजे से लेकर के 12 बजे रात तक और सुबह 04 बजे से लेकर के 09 बजे तक यह बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराने का कष्ट कर दे जिससे कि छात्रों का अहित न हो।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मा0 अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष कभी जब फिल्में देखते थे।

श्री अध्यक्ष-

पता नहीं देखते थे कि नहीं देखते थे, आपको क्या पता है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

वन्स अपॉन ए टाइम तो एक फिल्म हमने देखी थी दिलीप कुमार की और उसके बाद कई फिल्मों में वह चलन बन गया। हंसते हंसते रो देने की तो इस पर फिराक गोरखपुरी ने एक शेर दो अन्दाज़ में कहा है।

''मैं हंस-हंस कर तेरे ज़ोर-ए-सितम की कहानी कहते-कहते रो पड़ा हूं''

और फिर इसी को बदल कर कहा है कि

''मैं रो-रो कर तेरे ज़ोर-ए-सितम की कहानी कहते-कहते हंस पड़ा हूं।''

कितनी जल्दी रोल बदल गया। कितने गुस्से में थे, वो रोल भी दिलीप कुमार का था। कितने शान्त और प्यार से एक लम्हा भर में बोले, यह रोल भी दिलीप कुमार का था तो इतनी अच्छी अदाकारी के लिये भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, यह प्रकृति का नियम है 'टिट फॉर टैट'। संसदीय कार्य मंत्री जिस लहजे में बोलते हैं उसी लहजे में इधर से रिऐक्शन जाता है इसलिये मान्यवर, यह कोई नयी बात नहीं है और मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी को यहां भी नेता विरोधी दल के रूप में देखा था। जब ये सदन चलने ही नहीं देते थे। इनको तो नेता विरोधी दल को धन्यवाद देना चाहिये कि सारे मुद्दों पर विधिवत् चर्चा भी हुयी है और पूरा का पूरा सत्र व्यवस्थित चल भी रहा है। जब समाजवादी पार्टी विपक्ष में थी तो एक दिन भी सदन नहीं चल पाया था और बहुजन समाज पार्टी विपक्ष में है तो नियमित प्रतिदिन सदन चला रही मान्यवर। इसके लिये इनको धन्यवाद देना चाहिये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह बिल्कुल सही है, यह बिल्कुल सही है और आपके कई साथी तो वहां से झांकते थे, राजा बांदा खासतौर से और मैं बैठा हूं तो वापस। सदन नहीं चलने देता था यह बात तो

ठीक है। वह सरकार ही चलने योग्य नहीं थी। वह सरकार ही नहीं चलनी चाहिये थी, वह सरकार ही गिर जानी चाहिये थी। ऐसी सरकार जिसे सरकार में रहने का कोई हक नहीं था, उस सरकार का सदन यहां नहीं चल रहा था। अगर ज़रा सी भी अखलाख की जरूरत होती तो सरकार इस्तीफा दे देती क्योंकि सदन शेडो है जनता का, उसकी छाया है। जो जनता सोचती है वह सदन सोचता है। जो रिऐक्शन जनता में होता है वह सदन में होता है। आपने यह मुद्दा इसलिये उठाया कि आपसे जाहिर है छात्रों ने सम्पर्क किया होगा। आपको पीड़ा हुयी, आपने उसे सदन में रखा। अब उस वक्त अगर सदन नहीं चलता था तो आप सोचें कि कैसी सरकार थी। थी न सफेद हाथी की।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, यह इनकी नूरा कुश्ती है। मुझे इससे कोई सम्बन्ध नहीं। मेरी बात तो बिजली से सम्बन्धित है। मेरा बिजली से सम्बन्ध है।

श्री अध्यक्ष-

अब आपका हो तो गया और जवाब आ गया। आपका उत्तर तो दे दिया।

श्री मोहम्मद आजम खां-

इसमें नूरा कौन है बता दीजिये।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं केवल बिजली की समस्या को उठा रहा हूं। मैं इनकी नूरा कुश्ती में नहीं जाना चाहता। मान्यवर, जो शब्द इन्होंने कहा कि असंसदीय है और निकाल दिया जाये। जो शब्द उन्होंने असत्य के जो भी पर्याय होते हैं, कहा हो निकाल दिया जाये। वही वाले शब्द दोनों ने बोले हैं। जो असंसदीय है जिसको मैं कह नहीं रहा। वो भी वही असंसदीय आचरण कर रहे हैं और ये भी वही असंसदीय आचरण कर रहे हैं। मान्यवर, आज बिजली नहीं मिल रही है, उसके बारे में मा0 मंत्री जी से निवेदन है कि उसके बारे में कोई कमेण्ट करें, 16 घण्टे और 20 घण्टे। मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि आप उस पवित्र पीठ के ऊपर बैठे हुये पवित्रतम व्यक्ति हैं। आप कह दीजिये कि जो ये कह रहे हैं ठीक है तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मैं तो देखने जाता नहीं हूं, मैं तो यहीं हूं।

श्री सतीश महाना-

ठीक है, आप नहीं जाते हैं। आप उस क्षेत्र के मा0 विधायक हैं और आगे सांसद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप कहीं न जायें लेकिन पूरे प्रदेश की जानकारी आपको है। अगर आप यह कह दें कि जो भी इन्होंने कहा वह सत्य है तो मैं बैठ जाता हूं। आप केवल इतना कह दें कि वह बात सत्य है। मान्यवर, वह बात सही है।

श्री अध्यक्ष-

जो मा0 मंत्री जी ने कहा उसको आप सुनिये। हम से क्या पूछ रहे हो। अब मा0 माथुर साहब। आप अनावश्यक प्रश्न न करो। मा0 माथुर साहब।

श्री सतीश महाना-

मैं आपके आदेशानुसार यह मानकर बैठा हूं कि जो मैं कह रहा हूं वह सत्य है। जो मंत्री जी कह रहे हैं वह असत्य है।

(श्री सुरेश कुमार खन्ना के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आपके में ध्यान आकृष्ट कर लिया है। उन्होंने कहा कि ध्यान दिया जायेगा, देखा जायेगा और आपने जो सुझाव दिया उसको मानने की बात दिखवाने की बात कह दी मंत्री जी ने। अरे आप जब वहां इतना बैठते हैं आप पीठ पर भी बैठते हैं और आपका आचरण सब सीख लेंगे तो आप कुछ कर ही नहीं पाइयेगा। अब आप बैठिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, हमारे क्षेत्र का है, उस पर ध्यान आकृष्ट कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

वह मंत्री जी ने कहा है कि मैं देख रहा हूं, जब आश्वासन बन गया है तब आपको क्या जरूरत है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हमारी सूचना पर ध्यान आकृष्ट कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

जब आपकी सूचना पढ़ी जायेगी, तब देख लेंगे। बैठिए। मैंने मौर्या जी को सुना, महाना जी को सुना, संजय प्रताप जी को, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना यह नियम-56 में नहीं आता। अतः मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, दूसरा जो हमने अपने क्षेत्र का दिया था, उस पर ध्यान आकृष्ट कर दें।

श्री अध्यक्ष-

आपने सुना नहीं मंत्री जी का उत्तर, कि जो आपने सुझाव दिया, उसको दिखवा लूंगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

वह एक बिन्दु था मान्यवर, जो दूसरा बिन्दु हमने अपने क्षेत्र का दिया था उस पर ध्यान आकृष्ट तो कर दें।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जाएं, जो कर पाएंगे कर देंगे।

*श्री प्रदीप माथुर-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने नियम-56 के अन्तर्गत हमारे इस मुद्दे पर कि केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश को ठीक से नहीं मिल पा रहा है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में और खास तौर से उत्तर प्रदेश में केन्द्र सरकार की लगभग 15 फ्लैगशिप

---

* वक्ता ने भाषण का पुर्नवीक्षण नहीं किया।

योजनाएं चल रही हैं। जिसमें कि पी0एम0जी0एस0वाई0, एन0आर0एच0एम0 और मनरेगा, राजीव गांधी विद्युतीकरण मिशन, राजीव गांधी पेयजल मिशन, सर्व शिक्षा अभियान और जवाहर लाल नेहरू अर्बन रेन्यूवल मिशन, नगर डेस्टेनेशन स्कीम और तमाम ऐसी अन्य योजनाएं जिससे कि प्रदेश की जनता को लाभान्वित होना चाहिए और अरबों रुपये की लागत में पैसा इस सरकार में और पिछली सरकार में केन्द्र सरकार द्वारा भेजा गया। परन्तु स्थिति यह है कि गत पूर्ववर्ती सरकार में मनरेगा और एन0आर0एच0एम0 में जो घोटाले हुए उसकी बात सर्वविदित है और इसी तरह वर्तमान सरकार में भी यही सब कुछ हो रहा है यह क्षेत्रीय दलों की सरकार जब-जब आती है प्रदेश में तो ये लोग केन्द्र सरकार से पोषित वित्तीय योजनाओं पर कतई भी ध्यान नहीं देते हैं स्थिति यह होती है कि जो धन आता है, उसका बंदरबांट होता है, उसमें भ्रष्टाचार होता है और खुली छूट होती है और मजे की बात तो यह है कि सब धनराशियों के आने के बावजूद भी केन्द्र सरकार को कतई भी उसका क्रेडिट नहीं दिया जाता और सरकारें अपनी-अपनी सरकार की मोहर लगाकर उसे खुलेआम प्रदर्शन करती हैं। एन0आर0एच0एम0 के मामले में देखिए हम लोगों ने जो एम्बुलेन्सिस भेजी थीं, उसमें एन0आर0एच0एम0 कहीं भी नहीं लिखा, समाजवादी स्वास्थ्य मिशन लिखा है। इसी तरह मान्यवर, जो मनरेगा के मामले हैं, उनमें घोटाले देख लीजिए, पी0एम0जी0एस0वाय0 के टेण्डरिंग के मामले में देखिए कि कितने बड़े घपले होते हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप तो कुछ और ही बोल रहे हैं, आपने जो दिया है, उस पर तो बोल ही नहीं रहे हैं। डी0पी0आर0 पर बोले।

श्री प्रदीप माथुर-

योजनाओं तक केन्द्र सरकार का पैसा नहीं पहुंचता। केन्द्र सरकार की परियोजनाओं को चलाने के लिए प्रदेश सरकार को अपना एक अलग विंग बनाना होगा। स्थितियां यह हैं कि केन्द्र सरकार का पैसा पड़ा रहता है और उसका समय जब बहुत आगे निकल जाता है तो कॉस्ट जो होती है, कहीं आगे बढ़ जाती है, कॉस्ट एक्सक्लेरेट हो जाती है और फिर वह योजनाएं अधूरी रह जाती हैं। जे0एन0एन0आर0यू0एम0 के मामले में सीवर के मामले में कनेक्टिविटी नहीं हुई है आपके एस0टी0वी0 बने पड़े हैं। मेगा डेस्टीनेशन में पैसा आया पड़ा हुआ है घाटों का, पर्यटन विभाग में पड़ा हुआ है। अब तक ट्रान्सफर नहीं हो रहा है और इसी प्रकार डी0पी0आर0 के मामले में।

श्री अध्यक्ष-

मा0 माथुर साहब, यह बजट भाषण नहीं है। आपने जो डी0पी0आर0 दिया था, उस पर बोलिए। मान्यवर, केन्द्र सरकार की परियोजनाओं को कतई भी गंभीरता से नहीं लिया जाता। वह आम जनता तक योजना नहीं पहुंच पाती। आम जनमानस उससे लाभान्वित नहीं हो पाता और उस पैसे का बंदरबांट कर दिया जाता है। उन योजनाओं पर प्रदेश सरकार अपनी मुहर लगा देती है यह कहने में भी उसे कुछ ऐसा नहीं लगता है कि यह पैसा केन्द्र सरकार से आया है। मान्यवर, चाहे वह राजीव गांधी विद्युतीकरण परियोजना हो चाहे मान्यवर, आपका राजीव गांधी पेयजल मिशन हो, पानी की टंकियां बनी खड़ी होती हैं। केन्द्र सरकार का पैसा होता है और उसका रख-रखाव भी नहीं किया जाता।

श्री प्रदीप माथुर-

केन्द्र सरकार का पैसा होता है और उसका रख-रखाव भी नहीं किया जाता है।

श्री अध्यक्ष-

डीपीआर पर तो बोलो ।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, यही तो मैं आपको बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप तो उस पर चर्चा कर रहे हो। आपने प्रश्न दिया है प्रदेश सरकार द्वारा डी0पी0आर0 न भेजने के कारण उत्तर प्रदेश में जनविकासोन्मुखी तथा महत्वाकांक्षी योजना का लाभ न मिल पाने से तो इस पर आप बोल ही नहीं रहे हो आप चर्चा कर रहे हो उस पर।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, स्थिति क्या है माननीय संसदीय कार्य मंत्री माननीय नगर विकास मंत्री बहुत प्रबुद्ध मंत्री हैं इन्होंने कहा कि हम डी0पी0आर0 भेजेंगे। एक दिन का समय रह गया है और अभी तक स्टेट गवर्नमेन्ट से कल तक डी0पी0आर0 केन्द्र को नहीं भेजी गयी है। तो मान्यवर, आप देख सकते हैं कि वर्तमान सरकार के पास सिर्फ चुनावी एजेन्डा है विकास से कोई मतलब नहीं है। अब भी माननीय मुख्यमंत्री के सामने आपके कहने के बावजूद सब विधायक अपने काम करा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप भी ऐसा करा लेते हैं कभी-कभी।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, इसी तरह खाद्य सुरक्षा बिल लागू नहीं किया जिससे कि लगभग 84 करोड़ जनता का जो पूरे देश में लाभ होने वाला था वह यहां भी मिलता यदि उत्तर प्रदेश में भी खाद्य सुरक्षा बिल लागू हो जाता। यह तो सिर्फ इसलिए नहीं लागू किया गया कि इससे सत्ता पक्ष में बैठी हुई दिल्ली सरकार को लाभ मिलेगा।

श्री अध्यक्ष-

आप विषय पर नहीं बोल रहे हैं आप विषय से परे जा रहे हैं।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, डी0पी0आर0 समय से भेजी जाय। मान्यवर, इसको आप पढ़िये इसमें खाली डी0पी0आर0 ही नहीं लिखा है इसमें स्थिति यह है कि इन्हें अलग से विभाग बनाना होगा, इनको केन्द्रीय योजनाओं को संचालित करने के लिए स्पेशलाइज आफिसर्स लगाने पड़ेंगे जो कान्सटेन्ट मानीटरिंग दिल्ली से करे और वह पैसा आने के बाद लखनऊ आये और नीचे तक योजनाओं तक पहुंचे और वह योजनायें भी ठीक से क्रियान्वित हों। स्थिति क्या होती है योजनाएं आती हैं पैसा आता है यहां से तय हो जाते हैं ठेकेदार, वह अपनी मनमर्जी का काम करते हैं केन्द्र सरकार की योजनाओं

की धज्जियां उड़ जाती हैं। मान्यवर, यह बहुत गम्भीर मामला है इस पर सदन का कार्य रुकवाकर चर्चा की जाय जिससे केन्द्र सरकार अरबों-खरबों की परियोजनाएं आम जनमानस तक पहुंच पायें आम जनता को उसका लाभ मिल सके और लोग लाभान्वित हो सकें। मान्यवर, इस बात पर मैं बल देता हं और मैं चाहता हूँ ससंदीय कार्य मंत्री जी इस मुद्दे पर जवाब दें कि केन्द्रीय परियोजनाओं की व्यवस्था ठीक से होगी और उसका पैसा आम जनमानस तक पहुंचेगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, अब तो समय पूरा हो गया 5 साल पिछले भी हो गये समर्थन के, 5 साल यह भी पूरे हो गये अब यह भाषा तो बोलेंगे ही। अब क्या, मतलब तो निकल गया, अब तो गाड़ी स्टेशन पर लगने वाली है अब तो आपको सारे ऐब नजर आयेंगे हमारे। अब तो सारी बुराइयां दिखेंगी आपको हममें लेकिन जनता इन सब बातों को सुन रही है और बहुत ही माइन्यूटली वाच भी करती है जनता, आप क्या कह रहे हैं। केन्द्र सरकार, केन्द्र सरकार बैठे हैं राज्य सरकार में ढपली बजा रहे हैं केन्द्र सरकार की। यह जनता का पैसा है न हमारा पैसा है न आपका पैसा है आप जनता की गाढ़ी कमाई को किस तरह वहां लुटवाते रहे हैं, कितने स्कैण्डल हैं, कितने स्कैण्डल हैं जरा कुछ उनका भी तो बताइये खजाना लूटा कितना है आपने, आपने कपड़े उतार लिये गरीब जनता की, मुंह की रोटी छीन ली आपने उनकी खाल उतार ली शरीर की, इतने बड़े-बडे स्कैण्डल्स जिसमें पूरी दुनिया में हिन्दोस्तान जलील हुआ है, आपने अपमानित कराया है पूरे भारत को, कितने स्कैण्डल्स आपके जमाने में हुए कहीं कोयले का, कहीं फलां कहीं फलां। आप एक स्कैण्डलस सरकार चलाते रहे मजबूरी थी एक स्कैण्डलस सरकार चलाने की इसलिए आप सरकार चलाते रहे आप खुद सोचिये कैसी थी केन्द्र सरकार। आपने जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा कैसा बरबाद कराया है आपके सांसद जेलों में, आपके मंत्री जेलों में इसके बाद आप बार-बार केन्द्र सरकार केन्द्र सरकार की बात कर रहे हैं आपको केन्द्र सरकार का तो नाम भी नहीं लेना चाहिए।

श्रीमन् आपको तो बोलना नहीं चाहिए, आपकी पार्टी की सरकार जो केन्द्र में है वह तो घोटालों में लिप्त रही है। आप की पार्टी ने तो जो जनता का पैसा है उसको लूटा है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस दल के नेता ठेकेदार तय नहीं कर सकते। ठेकेदार इनके माध्यम से तंय नहीं होगा। जो नियमानुसार तरीका है, वैधानिक तरीका है उससे वह कार्यवाही चलेगी और ठेकेदार तय होगा। यह नेता कांग्रेस दल तय नहीं करेंगें। (व्यवधान)

श्री प्रदीप माथुर-

श्रीमन् माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी हमें और हमारे दल को आरोपित कर रहे हैं इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिर्गमन करता है।

(श्री प्रदीप माथुर अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का बहिर्गमन कर चले गये।)

श्री मोहम्मद आजम खान-

श्रीमन् आप कार्यवाही निकलवाकर दिखवा लें। कांग्रेस दल के नेता ने यह कहा है कि ठेकेदार यहां से तय हो जाते हैं। अगर यह कार्यवाही में दर्ज है तो मेरी बात सही है। मान्यवर, हम ठेकेदार तय नहीं करते हैं जो सिस्टम है वह तय करता है। इसलिए ठेकेदार कौन होगा यह नेता कांग्रेस दल तय नहीं करेंगे।

श्री हुकुम सिंह-

श्रीमन् इधर के माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि सत्ता का दुरुपयोग हुआ है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मैंने श्रीमन् यह कहा कि यह उनका पैसा नहीं था। देश की गरीब जनता का पैसा था यह तो उसको लूट रहे हैं।

श्री हुकुम सिंह-

श्रीमन् माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से मैं यह कहना चाहूंगा कि उसके बावजूद भी आपके दल ने बड़ी खूबी से उनको समर्थन देकर केन्द्र में उनकी सरकार चलायी है और आप उनके घोटालों को देखते रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, लाखों करोड़ों रुपये के घोटाले वर्तमान केन्द्र की सरकार के दस वर्ष के कार्यकाल में होते रहे हैं और यह मौके पर हाथ खड़े करते रहे संसद में उनके समर्थन में। यह सब लोग जानते हैं। (मेजों की थपथपाहट)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, देश को साम्प्रदायिक ताकतों से बचाने के लिए, हम उनको समर्थन देते रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, यह केवल हमारे दल की चिंता नहीं हैं बल्कि देश की आम जनता की चिंता है कि साम्प्रदायिक ताकतों से देश को बचाया जाय। हमारी इस चिंता ने उनको समर्थन दिया है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री हुकुम सिंह-

श्रीमन् आप तो उनके घोटालों को देखते रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं दस सालों से।

श्री मोहम्मद आजम खां-

श्रीमन् इसमें हमारी मजबूरी यकीनन हो गयी थी। हमारी जानकारी में तो यह भी है कि आपकी पार्टी के अध्यक्ष एक लाख की चोरी में जेल चले गये थे। उनकी जेबकतरी का मामला पहले भी था और उसके बाद वह जेल गये। आपके माथे पर तो साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने और इंसानियत का कत्लेआम करने का लेविल लगा हुआ है। मैं कोई गुजरात की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपके दल के लोगों के द्वारा इंसानियत का कत्लेआम हुआ है। कल ही आपकी पार्टी के अध्यक्ष ने माफी मांगी है अयोध्या के मसले पर जो 6 दिसम्बर, 1992 को हुआ था, तो जो उन्होंने 6 दिसम्बर, 1992 की घटना को लेकर माफी मांगी है, उस पर विचार हो सकता है यदि आपके अध्यक्ष खुद अयोध्या चलकर, बाबरी मस्जिद को बनाने का काम शुरू करायेंगे, वह इस बात को मान लें और चाहे तो सरकार बना लें। चूंकि श्रीमन् देश को साम्प्रदायिक ताकतों से खतरा है उसी बिना पर उनको समर्थन मिला है और कोई वजह नहीं है।

श्री हुकुम सिंह-

श्रीमन् आपने हमारे किसी अध्यक्ष के बारे में संदर्भ दिया। मान्यवर, उनके बारे में जैसे ही शिकायत मिली अगले ही दिन उनको हटा दिया गया। मेजों की थपथपाहट। यहां तो इनके अध्यक्ष ने पूरे देश के खजाने को लूट लिया और कोई कार्यवाही नहीं हुई। मान्यवर, हमारी इस पार्टी में ही शक्ति है कि अगले दिन ही उन्हे हटा दिया गया और अब जेल में हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप लोग बैठ जायें। आपने अपनी बात कह दी, उन्होंने अपनी बात कह दी, अब बात खत्म हुई। इसके बाद अगला विषय डा0 राधा मोहनदास अग्रवाल जी का है, जो अधिकांश राज्य विश्वविद्यालयों की बिगड़ती व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

*डा0 राधा मोहनदास अग्रवाल-

श्रीमन् आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, यह सौभाग्य की बात है कि माननीय मुख्य मंत्री जी, जिनके पास उच्च शिक्षा विभाग का प्रभार भी है, सदन में उपस्थित हैं। जो बिन्दु मैं लेकर आया हूं मुझे आशा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी उसका संज्ञान लेकर, आवश्यक कार्यवाही अवश्य करायेंगें।

अध्यक्ष जी, हम लोग यह मानते हैं और पूरा समाज यह मानता है कि शिक्षा प्राप्त करने का न तो कोई प्रारम्भ होता है और न कोई अंत होता है। जन्म से लेकर मरण तक व्यक्ति हमेशा शिक्षित होता है। लेकिन फिर भी एक औपचारिकता है, यह माना जाता है कि जो विश्वविद्यालयों में चला गया, जिसने विश्वविद्यालयों से औपचारिक डिग्री प्राप्त कर ली, वह एक शिक्षित व्यक्ति हो गया और समाज का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हो गया । भारतीय संस्कृति हमेशा से उसको महत्ता देती रही है, यहां तक देती रही है कि अगर कोई स्नातक सामने से गुजरे तो राजा अपना रास्ता बदलता था वह स्नातक नहीं बदलता था। आज हम उस ऊंचाई से कहां पहुंच गये हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में जो स्थितियां हैं, विश्वविद्यालय के शिक्षण सिस्टम की और परीक्षा सिस्टम की। विश्वविद्यालय से निकलने वाले किसी छात्र के चेहरे पर चमक हो, मन में कोई आत्मविश्वास हो, हृदय में कोई उल्लास हो और आंखों में कोई सपने हों, न आपने ऐसे नौजवानों को यूनिवर्सिटी से निकलते देखा होगा, न हम लोगों ने देखा है। कहां किस ऊंचाइयों से यह देश जो तक्षशिला और नालन्दा के लिये पहचाना जाता था, आज हम वहां पहुंच गये हैं, जहां दुनिया के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में भारत के कोई हैं या नहीं, हमें इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम यहां उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, उत्तर प्रदेश का एक भी विश्वविद्यालय नहीं है और अगर मान्यता के आधार पर तय किया जाय तो जो राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त प्राधिकरण है, जिसे हम नैक कहते हैं नेशनल एसेसमेंट एंड एकेडमिक काउन्सिल, हमारे अधिकांश विद्यालय अपनी मान्यता कराने के लिये और ग्रेडिंग कराने के लिये उसमें आवेदन तक नहीं करते हैं। जो प्राथमिक आवेदन के बाद उन्हें जो अपनी प्रोफार्मा देते हैं, वह उनके आधार पर भी कहीं खड़े नहीं हो पाते। इस नाते यह महत्वपूर्ण है क्योंकि सदन का आज अन्तिम दिन है, सदन में उच्च शिक्षा पर एक विधेयक आया था और मैं समझता था कि इस विधेयक पर हम लोग बात करेंगे तो शायद जो खराब स्थिति है, इसीलिये सरकार लेकर आ रही होगी, कुछ ऐसी परिस्थितियां रहीं कि उस पर चर्चा नहीं हो पायी। लेकिन अध्यक्ष जी, आपके लिये यह विषय महत्वपूर्ण इसलिये हो गया कि आप स्वयं में एक शिक्षाविद् रहे हैं, आपने एक शिक्षा संस्थान का संचालन किया है और यह आपकी एक बड़ी जीत है कि सिद्धार्थनगर जैसे पिछड़े इलाके में आप एक विश्वविद्यालय स्थापित कराने जा रहे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं। आप चूंकि स्वयं इस विश्वविद्यालय की उन गतिविधियों में रुचि ले रहे हैं इससे आप समझ सकते हैं कि अगर आज इन विश्वविद्यालयों में गुणवत्तायुक्त शिक्षा नहीं मिलेगी तो हम कैसे नौजवान खड़े करेंगे। वह नौजवान जो समाज में अपने पैरों पर चढ़ करके अपनी आय के साधन खुद न पैदा कर सकें बल्कि किसी सरकार की बाट जोहे कि कोई बेरोजगारी भत्ता देगा तो हमारे घर का खर्चा निकलेगा, यह स्थिति इस प्रदेश के लिये शर्मनाक होगी। अध्यक्ष महोदय, आप भलीभांति जानते हैं कि विद्यालयों में शिक्षकों की जो संख्या है उसकी कमी की हालत क्या है। यह आकड़ें पूरे प्रदेश के हैं सिर्फ मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय की बात नहीं कर रहा हूं, हालांकि गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्थिति और खराब है, आप भी जानते हैं क्योंकि आपका अपना विद्यालय स्वयं गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है। लेकिन यह एक सत्य है कि बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं और न जाने किन कारणों से खाली पड़े हैं। मैंने कुलपतियों से लगातार बात की और मैं पिछले कुलपति से बात कर रहा था कि आखिर क्या कारण है कि पद खाली हैं। अध्यक्ष महोदय, आप अच्छी तरह जानते हैं कि विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की जो स्थिति बन पड़ी है, ढेर सारे मुकदमें माननीय उच्च न्यायालय में पड़े हुये हैं, इस बात के लिये पड़े हुये हैं कि विश्वविद्यालयों की आरक्षण व्यवस्था कैसे सुनिश्चित की जाये। शिक्षकों की नियुक्ति के लिये विभाग एक आधार माना जाय या आरक्षण देने के लिये विद्यालय को एक यूनिट माना जाय। आज तक सरकार अपना पक्ष वहां नहीं रख पायी कि नियुक्ति में रिजर्वेशन देने के लिये डिपार्टमेंट को ईकाई मान लिया जाय या फिर पूरी यूनिवर्सिटी को एक इकाई मान लिया जाय। इसका फल अध्यक्ष महोदय यह हुआ है कि ढेर सारे पद खाली पड़े हुये हैं, उन पर हम लोग नियुक्तियां नहीं कर पा रहे हैं। आपकी स्वयं यह महानता रही है, हम लोग इस बात को जानते हैं कि आप एक बार गोरखपुर विश्वविद्यालय गये और आपने बाहर पहुंच कर अपनी गाड़ी रुकवा दी और आपने कहा कि विश्वविद्यालय परिसर में मैं अपनी गाड़ी लेकर नहीं जाऊंगा, यह बात अखबारों में छपी थी, आपने हम लोगों को बताया नहीं था, हम लोगों ने इस खबर को देखा था। आपकी महानता यह रही कि आप विश्वविद्यालय परिसर में खड़े हो गये और बाहर अपनी गाड़ी रुकवा दी और अंदर पैदल चले गये लेकिन क्या हमने कभी इस बात पर विचार किया कि विश्वविद्यालय की फंक्शनिंग को लेकर जो हम लोग रोज राजनैतिक हस्तक्षेप कर रहे हैं जो विश्वविद्यालय शिक्षा की आटोनमी के साथ ....

श्री अध्यक्ष-

पहाड़िया जी, कितना कागज लेकर आये हो। यहां रख दो, हम भेज देंगे।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

इतना सुनने के बाद भी आप लोग जाते हो।

श्री मोहम्मद आजम खां-

जितनी सिफारिशें कुल आयी हैं माननीय मुख्य मंत्री जी के पास, उसमें आधी कांग्रेस के आपके एक सदस्य की आयी है तो वहां से बैठ करके हिसाब मांगते हो और यहां चुपचाप काम लेते हो।

श्री प्रदीप माथुर-

माननीय मुख्य मंत्री जी नेता सदन हैं इसलिए वह सभी का काम करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

डाक्टर साहब आप बोलिये, जल्दी खत्म करिये।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, आप जानते हैं कि मैं बिना मतलब के कोई शब्द नहीं बोलता। (हंसी) आपने विश्वविद्यालय का यह सम्मान किया कि आप विश्वविद्यालय के गेट पर रुक गये और वहां से पैदल गये। लेकिन क्या यह सच्चाई है कि विश्वविद्यालय के संचालन में विश्वविद्यालय को जो स्वायत्तता मिलनी चाहिए हमारा राजनीतिकतंत्र वस्तुतः वह स्वायत्तता दे रहा है। आज स्थिति क्या हो गयी है विश्वविद्यालय के शिक्षा की कि एक ओर राज्य सरकार दूसरी ओर भारत के संविधान के अनुसार, मैं नाम नहीं ले सकता महामहिम, तीसरी ओर यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन और चौथी ओर इन तीनों से जो बच जाए माननीय उच्च न्यायालय। तो सवाल यह है कि हम विश्वविद्यालय का संचालन कैसे करें ? इस पर गम्भीर चर्चा होनी चाहिए थी। हम विश्वविद्यालयों की स्थितियां कैसे सुधारें ? हम वहां का कुलपति जिसे भी नियुक्त करते हैं हालांकि इस पर भी विवाद है कि हम किसे नियुक्त करते हैं। आप जानते हैं अभी गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक कुलपति नियुक्त किया गया, यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं आपको उस प्वाइंट पर ले जाना चाहता हूं जब नियुक्ति होने के बाद वह विश्वविद्यालय ज्वाइन करने पहुंचे तो पता चला कि उन पर भ्रष्टाचार के ढ़ेर सारे आरोप लगे हैं और उस नियुक्त कुलपति की नियुक्ति रोकनी पड़ी। उनके स्थान पर तीन दिनों के अन्दर एक दूसरा कुलपति आ गया। अध्यक्ष महोदय, यही वह प्रश्न है जो मैं लाना चाहता हूं, अगर विश्वविद्यालयों के संचालन के लिए इस प्रकार से किसी एक स्थान से बिना चीजों को गहराई से जांचे हुए व्यक्तिगत रुचि या दिल्ली सरकार के निर्देश पर अगर इस प्रकार से कुलपतियों की नियुक्ति होगी और नियुक्ति के बाद पूरा का पूरा विश्वविद्यालय परिसर अपने आप को स्तब्ध और अपमानित महसूस करेगा तो वहां से निकलने वाला छात्र नैतिकता के मूल्य लेकर नहीं निकलेगा। सवाल यह है कि जब यूनिवर्सिटी एक्ट इस बात को प्राविधानित करती थी उस व्यवस्था को हम जमीनी तरीके से लागू क्यों नहीं कर पाये।

अध्यक्ष महोदय, जब यूनिवर्सिटियां प्रारम्भ हुई थी और युनिवर्सिटी ग्राण्ट कमीशन बना था उसके पहले (कांग्रेस पार्टी के सदस्यों की ओर इशारा करते हुए) इन लोगों की तो कोई रुचि हो ही नहीं सकती, मैं समझ सकता हूं वह तो मान लीजिए माननीय मुख्य मंत्री हैं उनकी बाध्यता है। यहां की क्या बाध्यता है मेरी समझ से परे है। जब यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन नियुक्त किया था उसके पहले एक राधाकृष्णन कमेटी बनी थी और अध्यक्ष महोदय आपने उसकी रिपोर्ट पढ़ी होगी राधाकृष्णन कमेटी बनते समय इस देश में स्नातक की शिक्षायें बहुत प्राइमरी स्तर पर थी, देश अभी तुरन्त आजाद हुआ था 1948 की बात थी। उस समय भी राधाकृष्णन कमेटी ने कहा था कि किसी विश्वविद्यालय में 3 हजार से अधिक छात्र स्नातक नहीं होने चाहिए आज स्थिति क्या है कि गोरखपुर

विश्वविद्यालय में तकरीबन 30 हजार छात्र होंगे अब अगर विश्वविद्यालय का शिक्षक सुबह से लेकर शाम तक एक विश्वविद्यालय में जहां बैठने की जगह नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप इसको संक्षेप करिये, बहुत लम्बा हो गया, कार्य-स्थगन पर आप बोल रहे हैं। अब खत्म करिये।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

एक विश्वविद्यालय के एक कमरे में 200 से 250 बच्चों को बैठाकर पढ़ायेगा तो शिक्षा क्या होगी ? इसलिए आवश्यक है हम सबके लिए कि हम गम्भीरता से इस बात पर विचार करें कि विश्वविद्यालय की शिक्षा को स्नातक शिक्षा का केन्द्र न बना करके स्नातक शिक्षा के लिए एक एफीलियेटिंग बॉडी बनायी जाए और विश्वविद्यालय की शिक्षा को परास्नातक और उच्च स्तरीय शोध का केन्द्र बनाया जाए जो मेरा विषय लाने का मूल बिन्दु था अध्यक्ष महोदय यही था। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यह दलीय विषय नहीं है, यह भा0ज0पा0 या किसी पार्टी का विषय नहीं है, सरकार से मेरा आग्रह होगा कि जैसे बहुत सारे विषयों पर हम कहते हैं कि हमें पक्ष-विपक्ष बैठ करके विचार करना चाहिए। विश्वविद्यालय की शिक्षा व्यवस्था हम कैसे ठीक कर सकें, इस पर आपका निर्देश होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आपने इनकी बात को सुना ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैंने सुना भी और जिस जेहानत से उन्होंने कुछ शब्द कहे हैं उस पर विचार हमारी तरफ भी होना चाहिए और जहां बात पहुंच रही है कि कौन-कौन इसमें रोक करते हैं राजनीतिज्ञों के अलावा भी, जिन पर बड़ी जिम्मेदारी है जो आखिर में आपने कहा, जो बचा वह उनके हिस्से में बहुत गम्भीर प्रश्न है और इस पर अलग से कोई सोच विचार होना चाहिए और इसका निदान होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

मैंने श्री प्रदीप माथुर जी को सुना और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना यह नियम 56 में नहीं आता इसे मैं अग्राह्य करता हूं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल का मैंने सुना इस पर संसदीय कार्य मंत्री जी को भी सुना मैं इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

चौथी सूचना श्री राकेश बाबू की है जनपद फिरोजाबाद की तहसील सदर के अन्तर्गत ग्राम सभा कपावली में गाटा सं0-282/3 पर बने कब्रिस्तान को अभिलेखों में दर्ज न किये जाने के सम्बंध में।

इस पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कर लेता हूं।

पांचवी सूचना श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट की जनपद मथुरा के आवास एवं विकास प्राधिकरण में स्वयं के आवंटित भू-खण्ड का आवंटन पत्र जारी न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी पूरन प्रकाश जी नियम-56 में लाए हैं इन्हें कोई आवास आवंटित है जिसका यह कागज नहीं पा रहे हैं तो आप कृपा करके इनको कागज तो दिलवा दीजिए।

शेष सूचनाओं को मैं अस्वीकार करता हूं।

*श्री राकेश बाबू-

मान्यवर, मेरी महत्वपूर्ण सूचना है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने उस पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है।

(अनेक माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोरगुल)

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया। हम किसका-किसका सुनेंगे। आप लोग दबाव न डालिए इसके बाद भी नियम यहां हैं। आप लोगों ने अपनी सारी बातें कह लीं अब इतना समय नहीं है। कल सारे लोगों को मैंने बुलवाया कल जब सब लोग बोल चुके कोई बोलने वाला नहीं बचा था तब सदन स्थगित किया गया। यह सारी बातें जो आप आज कह रहे हैं यह कल क्यों नहीं कहीं।

श्री राकेश बाबू-

मान्यवर, मेरी विधान सभा में वर्ष 2009-10 में याकूबपुर, सहसपुर भूखण्ड 47, 52 और 54 कुल क्षेत्रफल लगभग उमर इण्टर नेशनल नाम की एक मांस प्रसंस्करण इकाई आपत्ति निर्गत करने के पश्चात् स्थापित की गई।

श्री अध्यक्ष-

यह कहां से पढ़ रहे हैं। जब मैंने अनुमति नहीं दी तो क्यों पढ़ रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं एक मिनट में कहें।

श्री राकेश बाबू-

अध्यक्ष जी मेरा कहना यह है कि आप उसमें ध्यान आकृष्ट कर लेना मैंने विधान सभा में भी नियमों में कई बार इसे लगाया मैंने मुख्य मंत्री जी को भी लिखकर दे दिया मैंने क्षेत्र में एस0डी0एम0 से लेकर डी0एम0 कमिश्नर तक के यहां धरना-प्रदर्शन कर लिए मानकों के विरुद्ध जाकर वहां स्लाटर हाउस संचालित करने की योजना है। अध्यक्ष महोदय जो बाग है उसमें 14 भू-खण्ड जो आम के बाग लगे थे उनको काटा गया वहां जो सरकारी नाली थी उस पर कब्जा कर लिया गया उसके पांच सौ मीटर दूरी पर धार्मिक स्थल है जिसके पास स्लाटर हाउस बन गया वहां ढाई कि0मी0 परिधि में राम गंगा बहती है जो बरसात का पानी नाले के माध्यम से जाता है तो फैक्ट्री के पशुओं का अवशेष उस नसिया नाले के माध्यम से गंगा जी में जाने वाला है। वहां हम गंगा स्नान मनाते हैं वहां खिचड़ी मनाते हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

अब बैठ जाएं। अब आपका लिखा नहीं जाएगा।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इन्होंने जो स्लाटर हाउस के बारे में कहा है यह कहते हैं कि धार्मिक स्थल के बगल में प्रस्तावित है इसको दिखवा लेंगे।

मद संख्या-15 में राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में रजनी तिवारी मेरे पास आईं थीं वह बोलना चाहती थीं।

रजनी तिवारी जी हैं ? मेरे पास गई थीं, कह रहीं थी कि वह बोलना चाहती हैं, नहीं हैं न, मेरे पास गई थीं, वह महिला हैं, बोलना चाहती हैं, उनको बुला लें, अगर हों तों। तब तक इधर से कोई बोल ले।

श्री सुरेश राणा-

मान्यवर, इतनी महत्वपूर्ण सूचना है हमारी, इस पर ध्यान आकृष्ट करा दें।

श्री अध्यक्ष-

आप लिखकर भेज दें। हम उस पर ध्यान आकृष्ट करा देंगे।

[12-36] कल दिनांक 25 फरवरी, 2014 को धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के समय पीलीभीत के बी0एस0ए0 पर निलम्बित अध्यापिका के साथ बलात्कार सम्बन्धी आरोप जांच में निराधार पाये जाने पर सम्बन्धित प्रकरण को कार्यवाही से निकाले जाने का अनुरोध

*बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण हम देना चाहते हैं। कल महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर एक माननीय सदस्य ने इस बात की चर्चा की जो कार्यवाही में भी आ गया कि पीलीभीत के बी0एस0ए0 के यहां एक निलम्बित अध्यापिका गई और उसने बलात्कार कर दिया। यह कार्यवाही में आ गया है। मैंने तुरन्त डी0एम0 से बात की। डी0एम0 से, मुख्य विकास अधिकारी से इसकी जांच कराई। वह टीचर ही कहीं नहीं है। जो कल माननीय अधिष्ठाता मंडल के वरिष्ठ सदस्य, खन्ना साहब जो बात कर रहे थे उस पर विचार होना चाहिए। जो चिट्ठी उसने लिखी है वह सब लोगों को लिखी है। हमारे माननीय मंत्री पीलीभीत को लिखी है, हमको भी लिखी है। वह पढ़े हुए आदमी की यह चिट्ठी नहीं है। बिना पढ़ा लिखा आदमी जो क, ख, ग में पढ़ता हो। यह कहां पढ़ाती हैं, कहां की रहने वाली हैं, कोई अता पता नहीं लिखा है। मैंने पूरे जनपद में ढुंढवाया तो उस नाम की एक अध्यापिका मिली। उसने कहा कि हमारे यहां न कभी बी0एस0ए0 ने कोई जांच की, मैं न निलम्बित हूं, न कभी हुई। यह हमारे नाम से कैसे कोई फर्जी दे सकता है। बी0एस0ए0 को बुलाया गया क्योंकि मैं इस बात पर चिन्तित हो गया कि हमारे विभाग का अधिकारी ऐसा बदचलन हो उसको मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं। तो मैंने डी0एम0 से, सी0डी0ओ0 से, सब लोगों से जांच करवाई। यह बिल्कुल फर्जी मामला है। मैंने पीलीभीत के मंत्री जी से भी बात की। तो उन्होंने कहा कि मैंने उसको

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पूरा ढुंढवाया जिले में वह कहीं मिली ही नहीं। जिन्होंने कल भाषण किया, उनसे भी मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि हमको भी नहीं मिल रही है पर चिट्ठी तो भेजी है। तो साहब यह फर्जी चिट्ठी है। जो सदन की कल की कार्यवाही है, वह थोड़ा ठीक नहीं है, उसमें थोड़ा शब्द ठीक नहीं है, उसको निकलवा दीजियेगा। आप कहें तो हम यह सारी चिट्ठी आपको भेज दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, हम देख लेंगें। अगर उसमें कोई ऐसी बात है, हम कार्यवाही से निकाल देंगे।

[1.49] श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव†

*श्रीमती रजनी तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मान्यवर, कुछ महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को उसमें शामिल नहीं किया गया जो कि अत्यन्त आवश्यक हैं। हमारी 154 विधान सभा सवायजपुर में अर्जुनपुर और बड़ा गांव के मध्य रामगंगा नदी पर पुल बनना अत्यन्त आवश्यक है। मान्यवर, रामगंगा के पार बसे लोगों को जनपद मुख्यालय आने के लिये 100 किमी0 की दूरी वाया फर्रुखाबाद होकर तय करनी पड़ती है या तो उन्हें नाव के द्वारा नदी पार करनी पड़ती है। मान्यवर, उस नदी में डूबने से कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। मान्यवर, यह अत्यन्त आवश्यक है और हमारी विधान सभा क्षेत्र के लिये तो अत्यन्त आवश्यक पुल साबित होगा और दो जनपद हरदोई और फर्रुखाबाद के लिये भी अत्यन्त महत्वपूर्ण पुल हैं। मान्यवर, हमारी विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर के अन्तर्गत भरखनी से रूपापुर माइनर और बर्बन माइनर की सफाई और पानी छोड़ने के सम्बन्ध में हम आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहते हैं। मान्यवर, इन माइनरों की सफाई तो कई बार हुई है लेकिन इसमें लगभग 15 सालों से पानी नहीं आया। मान्यवर, यह सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील है तो हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र की यह किसानों के लिये बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है, इस पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूं। मान्यवर, हमारी 154 विधान सभा सवायजपुर पांच नदियों से घिरी हुई है, उसमें लगभग हर वर्ष बाढ़ आती रहती है। बाढ़ आने के कारण जन और धन की हानि होती रहती है। मान्यवर, इस जन धन की हानि को रोकने के लिये, बाढ़ को रोकने के लिये कोई स्थाई समाधान किया जाय जिसके कारण वहां हमारा क्षेत्र जो अत्यन्त पिछड़ा क्षेत्र है, वहां रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकें, जो इतना पिछड़ा है वह पिछड़ा न रहे और प्रतिवर्ष वहां होने वाली जन धन की हानि न हो। इसके साथ ही साथ मैं एक और महत्वपूर्ण विषय पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं। मान्यवर, महिलाएं आधी आबादी कही जाती हैं एक हजार पुरुषों पर अब लगभग 908 महिलायें रह गई हैं इस लिंगानुपात को कम करने के लिए क्या सरकार ने कोई योजना डाली है इस लिंगानुपात के अन्तर के कारण हो रही विषमताओं से क्या सरकार अन्जान है ? मैंने राज्यपाल जी का अभिभाषण देखा,

---

नोट :-† दिनांक 24 फरवरी, 2014 की कार्यवाही से।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसको मैंने पढ़ा, 107 पृष्ठ का राज्यपाल जी का अभिभाषाण, और उसमें महिलाओं के लिए सिर्फ पांच पेज में कुछ लाइनों में ही आधी आबादी को सीमित कर दिया गया। मान्यवर, हम कहना चाहते हैं सरकार की कुछ योजनायें महिलाओं के लिए हैं उनको भी सही ढंग से धरातल पर लाया जाए। सरकार की यह योजना कि महिलाओं को साड़ी दी जाएगी, इसके लिए भी महिलायें लाइन में लगती हैं शाम तक इंतजार करती हैं कि उनको साड़ी मिल जाए कुछ महिलाओं को साड़ियां मिल जाती हैं लेकिन काफी महिलायें खड़ी रह जाती हैं धक्के खाने के बाद वह वापस चली जाती हैं। मान्यवर, आधी आबादी कही जाने वाली महिलायें जहां पर महिलाओं को शक्ति के रूप में पूजा गया है वहां पर इस दुर्दशा के लिए इस व्यवस्था के लिए, एक अच्छी मजबूत योजना महिलाओं के लिए बनानी चाहिए। मान्यवर, पिछली सरकार जो बहन मायावती जी के नेतृत्व में चल रही थी एक बहुत अच्छी योजना महिलाओं के लिए बनाई गई थी उसमें महिलाओं को बच्ची के जन्म के बाद पुरस्कार की राशि दी जाती थी महिलाओं के लिए और इस घटते हुए अनुपात को कम करने के लिए वह बहुत अच्छी योजना साबित हुई। मान्यवर, हम आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं कि उस बहुत अच्छी योजना को समाप्त करना बहुत निराशाजनक रहा महिलाओं के लिए कई ऐसी योजनाओं पर विचार करना चाहिए। मान्यवर, जब तक हमारे देश में सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से, मानसिक रूप से, राजनैतिक रूप से महिलायें आगे नहीं आएंगी तब तक देश का और प्रदेश का विकास संभव नहीं हो पाएगा। मान्यवर, हमने कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण बातें सरकार के सामने आपके माध्यम से रखी हैं और मैं अपेक्षा करता हूं कि सरकार का ध्यान इस ओर जरूर जाएगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया धन्यवाद।

*श्री शारदा प्रताप शुक्ला-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद् देता हूं। मान्यवर, 170 सरोजनी नगर विधान सभा क्षेत्र से मैं चुनकर आता हूं और यह क्षेत्र लखनऊ नगर निगम के नावार्ड सरोजनी नगर ब्लाक का पूरा इलाका, काकोरी ब्लाक के 12 ग्राम सभाओं को मिलाकर नई परिसीमन के आधार पर यह विधान सभा क्षेत्र बना है। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में मंडी है जो कि जमींदारों की जमीन पर लगती है जिससे वहां के तमाम किसान और व्यापारियों का शोषण होता है वहीं पर ग्राम सभा में चौंसठ हैक्टेयर जमीन पड़ी हुई है जो अनउपजाऊ है उस पर भू-माफियाओं का कब्जा हो रहा है। मैंने पहले भी मुख्य मंत्री जी को और परिषद् के निदेशक को पत्र लिखा है कि उस जमीन पर अगर मंडी बना दी जाए तो बहुत उपयोगी होगी। वहां से रेलवे स्टेशन भी नजदीक है और एयरपोर्ट भी पांच किलोमीटर की दूरी पर है और जो शहर में लकड़ी की इसके अलावा और भी मंडी लगती है वह ट्रांसफर कर दी जाए तो उससे व्यापारियों को, किसानों को, नौजवानों को सुविधा होगी।

श्री अध्यक्ष-

समाप्त करें। मुख्य मंत्री जी को बोलना है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शारदा प्रताप शुक्ला-

मैंने कल भी एक प्रश्न उठाया था मंडी बना दी जाए, उन्होंने आश्वस्त किया है कि इसे आने वाले दिनों में देखेंगे।

श्री अध्यक्ष-

अब खत्म करो।

श्री शारदा प्रताप शुक्ला-

कादीपुर पकरी जो अंग्रेजों के जमाने में नहर निकली 1928 में, वह गांव दो भागों में विभाजित हुआ बाईं तरफ कादीपुर पकरी और दाहिनी तरफ खेड़ा, महज सौ आदमियों के लिए अंग्रेजों से पुल बनाकर दे दिया। पूर्व सरकार ने उस पुल को तोड़कर वहां मूर्तियां लगाने का काम किया। लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग, दोनों में प्रस्तावित है और हमारे मुख्य सचिव महोदय भी इस बात को देख रहे हैं। कल भी बात उठी थी कि यह पुल बहुत ही जरूरी है। अध्यक्ष जी, सरोजनी नगर क्षेत्र में 300 बेड का हास्पिटल मा0 मुख्य मंत्री जी ने दे दिया, विधि विश्वविद्यालय और तमाम कालेजेज हैं लेकिन मान्यवर, हमारे क्षेत्र में कोई खेल का मैदान नहीं है, मैं चाहता हूं कि यह बना दिया जाए और जो पकरी का पुल तोड़ा गया है, वह बनाया जाए। मान्यवर, आशियाना और एलडीए कालोनी का जो सीवर है, उसके लिए एसटीपी का निर्माण कराया जाए, धन्यवाद।

[1-52] दिनांक 25 जनवरी, 2014 को प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी के आवास पर आगजनी सम्बन्धी उठाये गये प्रकरण पर कोर्ट में चार्जशीट फाइल किये जाने की मांग

*प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

अध्यक्ष जी, मेरे मामले में निर्णय कराइये। जो मेरा घर जला था, उसकी चार्जसीट फाइल नहीं हो पा रही है, उस पर थोड़ा आश्वासन चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर काफी चर्चा हो गयी है। अब इस चर्चा को बन्द किया जाए।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके जरिए इतना ही कहना चाहती हूं कि जो स्टेटस मेरा उस वक्त था और आज मैं इस सदन की सदस्य हूं। अगर इस प्रदेश में मेरे व्यक्तिगत मामले में चार्जसीट फाइल नहीं हो सकती है तो प्रदेश की आम जनता के लिए क्या होगा। इट इज वेरी सेन्सिटिव इश्यू, आपको इस विषय पर कोई फैसला लेना चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा है कि चार्जसीट फाइल करो, 14 महीने हो गए हैं, इन्क्वायरी पूरे हुए, लेकिन चार्जसीट फाइल नहीं हो रही है। तो इसमें कोई न कोई आश्वासन मुझे आपको देना होगा। मैं तो वेट कर रही थी कि मा0 मुख्य मंत्री जी आयें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इस विषय की गंभीरता कल भी थी, आज भी उतनी ही है, माननीय नेता सदन से मेरी कुछ वार्ता हुई भी है। इस पर जल्दी निर्णय लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

अब माननीय मुख्य मंत्री जी।

*मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर मा0 नेता प्रतिपक्ष, मा0 नेता बीजेपी, हुकुम सिंह जी, मा0 नेता कांग्रेस, प्रदीप माथुर जी, मा0 नेता, आरएलडी के और मैं समझता हूं कि बड़ी संख्या में मा0 सदस्यों ने अपने सुझाव, राय और अपनी बात रखी। सरकार की तरफ से प्रस्ताव मा0 सदस्य, श्री अनूप सण्डा जी ने रखा था। मैं उनके समर्थन में बोल रहा हूं। उन्होंने बहुत सारी बातें, सरकार की बहुत सी महत्वपूर्ण योजनाएं, सरकार ने लगातार 02 साल के अन्दर उत्तर प्रदेश में हर क्षेत्र में बदलाव लाने का काम किया है, उसको पूरे आंकड़े के साथ रखने का काम किया है। मैं सभी मा0 सदस्यों को धन्यवाद देता हूं, उनके सुझावों का और उन्होंने सरकार की जो तमाम चीजों पर बात रखी है, उसके लिए धन्यवाद देता हूं। जब से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है और दूसरा साल लगभग पूरा होने जा रहा है, समाजवादी पार्टी ने कोशिश करके ठोस विकास की ओर उत्तर प्रदेश को लाने का काम किया है। जहां आर्थिक और सामाजिक रूप से उत्तर प्रदेश आगे बढ़े, इस दिशा में भी काम किया है। बजट के पैसे का कैसे सही से इस्तेमाल हो और बजट के पैसे से जनता के खजाने का पैसा जनता के हित में कैसे लगे उसके लिए नई योजनायें भी बनानी पड़ी तो उन नई योजनाओं को सरकार ने बनाने का काम किया। समाजवादी पार्टी की सरकार वह है जिसने घोषणा-पत्र पर पूरा का पूरा अमल किया है और जनता के बीच में जो घोषणा-पत्र रखा था उस घोषणा-पत्र को पूरा करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया है। मा0 नेता प्रतिपक्ष ने बहुत सारी बातें रखीं। मैं मा0 अनूप सण्डा जी का धन्यवाद दूंगा कि उनके भाषण के बाद जब आप खड़े हुये हैं और जब मैं आपकी बात सुन रहा था तो कहीं न कहीं मुझे लगा कि राम मनोहर लोहिया जी के कार्यक्रमों से आप प्रभावित भी थे। और राम मनोहर लोहिया जी की तमाम बातों को आपने रखा और कहा कि समाजवादी पार्टी उनके सिद्धांत पर नहीं चल रही है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है और हमने पुराने साथियों से पूछा है तो उन्होंने यही जानकारी दी है कि नेता प्रतिपक्ष एक समय में समाजवादी रहे हैं और उन नीतियों से प्रभावित होकर हम लोगों को राय और सुझाव दे रहे हैं। इसी तरह एक मेडिकल कालेज का नाम आया और एक स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर हम लोगों ने उस मेडिकल कालेज का नाम दिया। जानकारी आपके पास होगी कि दो साल के अंदर बजट से कितना पैसा पहुंचा है। यह इसलिए है,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शुरूआत तो हुयी लेकिन उसको पूरा करना, एम0सी0आई0 से तमाम मापदण्डों पर खरा उतारना उसका काम समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है। मैंने सुना कि हमारे नेता मा0 हुकुम सिंह जी कह रहे हैं कि जब उन्हें मौका मिलेगा तो उस मेडिकल कालेज का नाम बदल देंगे और वही नाम कर देंगे। मा0 अध्यक्ष महोदय, नाम बदलने की परम्परा हम लोगों ने शुरू नहीं की। मेरे क्षेत्र में खुद मेडिकल कालेज था। कन्नौज में मेडिकल कालेज बना था पुरानी सरकार में, हम लोग भी किसी समाजवादी नेता या अपने नाम पर रख सकते थे। लेकिन हमने राय मशविरा किया और बहुत सारे साथियों ने कहा कि कन्नौज का नाम बड़ा है इसलिए कन्नौज मेडिकल कालेज का नाम कन्नौज के नाम से ही रखा जाये। तो हम लोगों ने कन्नौज मेडिकल कालेज के नाम से ही उस मेडिकल कालेज का नाम रखा। जब इनकी सरकार आयी तो उसको चलाना तो दूर उस कन्नौज मेडिकल कालेज का नाम बदल दिया और जो नाम रखा गया आप जानते होंगे किसके नाम पर रखा गया, मान्यवर, कांशीराम जी। जहां तक हमारी जानकारी है मान्यवर, कांशीराम जी कभी कन्नौज नहीं गये लेकिन उनके नाम पर वह मेडिकल कालेज बना दिया। के0जी0एम0यू0 जो दुनिया में लोग जानते हैं उसके पढ़े हुए दुनिया में प्रेक्टिस कर रहे हैं काम कर रहे हैं, उनको गर्व होता है अपने को जार्जियन लिखने पर और यह महसूस करते हैं कि के0जी0एम0यू0 से पढ़कर आये हैं। जब-जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार आयी उन्होंने नाम बदल दिया। वहां पर जितने डाक्टर हैं, जितने प्रशासन के लोग हैं उन्होंने हम लोगों से भी यही कहा जब नेता जी मुख्य मंत्री थे तब भी कहा कि नाम बदल दो और हमारा पुराना नाम कर दीजिए। तो हमने कर दिया। जो जिले का नाम बदला गया था। आपने जो कहा था वह हमने मान लिया।

श्री हुकुम सिंह-

आपने सही किया।

श्री अखिलेश यादव-

चलिए धन्यवाद। यह बात तो इन्होंने स्वीकार कर ली कि जो नाम बदला ठीक बदला। मान्यवर, अगर नाम बदलने की संस्कृति किसी ने शुरू की है तो वह बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने की है और केवल नाम नहीं बदला जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी उनसे भी बड़ी प्रतिमा लगाना यह व्यवहार में इनके कार्यकाल में हुआ है। यह हर एक को अपमानित करना चाहते हैं अपनी बातचीत से अपने नारों से और प्रतिमा लगाने से। और एक समय ऐसा भी आया उत्तर प्रदेश में, इनकी सरकार में जो नेता हैं जिनके नाम पर पार्टी चलाते हैं उनको भी छोटा कर दिया और देश में जिन्दा में प्रतिमा किसी ने लगायी है तो उत्तर प्रदेश में केवल बहुजन समाज पार्टी की नेता ने लगायी है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

नहीं, तानाशाहों ने अपनी जिन्दगियों में लगाई हैं।

श्री अखिलेश यादव-

लेकिन देश में, उत्तर प्रदेश में ।

श्री मोहम्मद आजम खां-

तो यहां कोई तानाशाह है नहीं, उनके अलावा।

श्री अखिलेश यादव-

तो यह संस्कृति अगर कहीं से आई है तो बहुजन समाज पार्टी से, लेकिन हम लोग नाम परिवर्तन वही करते हैं, जो जनता के लिए व्यवहारिक हैं। इसी तरह से बताया गया, लखनऊ में जनेश्वर मिश्र पार्क का नाम बदल दिया गया और सच्चाई यह है कि पुरानी सरकार उस जगह पर कब्जा करना चाहती थी, उस जमीन का इस्तेमल कोई और तरीके से करना चाहते थे लाभ के लिए। सरकार बनी ही बनी थी, मुझे याद है, अध्यक्ष महोदय इनके वरिष्ठ नेता वहां पर धरने पर बैठे थे, आन्दोलन किया था जब नाम बदला गया था, तो सरकार की तरफ से यही पक्ष गया था कि अगर इन्होंने बोर्ड की मीटिंग से पास कराया हो, कैबिनेट से पास कराया हो, विधान सभा से अगर नाम पास कराया हो, अगर वहां का एक भी कागज ला कर दिखा दें, सरकार उनका वापस वही नाम कर देगी, जो नाम लिखा गया था। किसी भी मीटिंग में चाहे बोर्ड मीटिंग एल0डी0ए0 की रही हो, कैबिनेट की मीटिंग रही हो या विधान सभा से, पारित नहीं हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जनेश्वर मिश्र जी के नाम पर जो पार्क बनाया है, वह पूरा का पूरा बोर्ड से भी पास किया है, कैबिनेट से भी पास किया है, विधान सभा के बीच में भी लाकर के पास कराकर के हम लोगों ने नाम दिया और जिस तरीके से लोहिया पार्क बना है, आज बिना भेद-भाव के विचारधारा के लोग वहां टहलने जाते हैं और जानकारी यह भी है कि दूसरे दल के लोग खासकर बहुजन समाज पार्टी के लोग, क्योंकि उनको अपने पार्क में ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो वह लोहिया पार्क में ऑक्सीजन लेने जाते हैं, यह स्थिति भी देखने को मिली। जहां तक रोजगार का सवाल है, समाजवादी पार्टी ने कहा कि रोजगार मुहैया कराने की कोई पहल नहीं की गई, कोई योजना नहीं, 1000 प्रतिमाह भत्ता देने का धोखा सरकार दे रही है और नौजवानों के स्वाभिमान से खिलवाड़ कर रही है ये सरकार। ये रोजगार देने की पहल और बेरोजगारी भत्ता हमारी पार्टी ने हमारी सरकार ने अपने घोषणा-पत्र में लिखी थी और तमाम हमारे समाजवादी साथी हैं वह यही कहते थे और घोषणा-पत्र में लिखा था कि आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो नौजवानों के लिए रोजगार का इन्तजाम करेंगे और रोजगार नहीं दे पायेंगे, तो बेरोजगारी भत्ता देने का काम सरकार करेगी, बड़ी संख्या में हम लोगों ने रोजगार भी दिये हैं और रोजगार क्योंकि आंकड़े मेरे पास बहुत हैं, रोजगार देने की पहल शुरू की है, तमाम सरकारी नौकरियों में जो बंद पड़ी थीं, वह भी हम लोगों ने खोली हैं और उसमें भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, बहुत तेजी से चल रही है और उसमें भी बहुत जल्द ही नौजवानों को रोजगार मिलेगा। अभी मैंनें जब 108 समाजवादी सेवा योजना शुरू की थी, तो उसमें मैंने जानकारी की, सरकार के अधिकारियों से पूछा कि इसमें कितने लोगों को नौकरी मिली है, तो केवल 108 समाजवादी सेवा योजना के अन्तर्गत लगभग 15 हजार लोगों को नौकरी मिली है। इस तरह से 108 शुरू होने जा रही है। नए-नए अस्पताल में, एक अस्पताल अगर बनता है या मेडिकल कालेज बनता है तो न केवल डाक्टर्स वहां बनते हैं पढ़ाई के लिए बल्कि रोजगार का भी इन्तजाम होता है और बड़ी संख्या में रोजगार भी मिलता है। इधर रोजगार के अवसर मिलें हैं और रोजगार का इन्तजाम हो उस पर सरकार पहल कर रही है, पहली बार उत्तर प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर हम लोगों ने इण्डस्ट्रियल पालिसी लाने का काम किया है, जिसके तहत कारखाने उद्योग लगेंगे और बहुत सारे लगने शुरू हो गये हैं। कल ही मैं जब गया था, तो कन्नौज में जहां कोई कारखाना नहीं है, मक्के पर आधारित लगना शुरू हो गया है, उसमें शुरूआत करेगा और आने वाले समय में वह लग कर के खड़ा हो

जायेगा। अमूल पर भी बहुत बहस हुई कि उत्तर प्रदेश में अमूल क्यों आ रहा है या अमूल को आने क्यों दिया जा रहा है, कहीं न कहीं अमूल के आने से उत्तर प्रदेश को लाभ मिलेगा, यहां के किसानों की भलाई होगी, लाभ पहुंचेगा। हम पराग को खत्म नहीं कर रहे हैं, हम पराग को मौका दे रहे हैं कि वह अमूल के साथ खड़ा हो, कम्पटीशन करे, जिससे कि हमारे किसानों को लाभ हो और बाजार में जो उपभोक्ता है, उसको भी लाभ हो क्योकि जो क्वालिटी, जो कन्ट्रोल अमूल का है, मैं समझता हूं पराग का नहीं है, लेकिन पराग को भी हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इसलिए कल कानपुर में और लखनऊ के दो बड़े प्लाण्ट हम लोगों ने शिलान्यास किये और खुशी की बात है कि अमूल मैनेजमेण्ट कोआपरेटिव सोसाइटी के जितने बड़े अधिकारी हैं उसमें उनके चेयरमैन मौजूद थे, एम0डी0 मौजूद थे और उन्होंनें कहा कि उत्तर प्रदेश दूध उत्पादन में सबसे आगे है और अमूल आयेगा तो यहां भी बहुत सारे बड़े पैमाने पर किसानों को लाभ होगा, समय पर भुगतान होगा। समय पर भुगतान होगा। ये अगर किसी का प्रयास हुआ है जहां पर सीधे-सीधे किसानों को लाभ होगा और नई चीज उत्तर प्रदेश में होगी, लोगें को रोजगार भी मिलेगा और आर्थिक स्थिति भी ग्रामीण क्षेत्र की बेहतर होगी। इस प्रयास में समाजवादी पार्टी की सरकार सफल रही। उत्तर प्रदेश में दो शिलान्यास कर किया है, जो बेहतर काम उत्तर प्रदेश में हुआ है। इससे साथ-साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता मा0 हुकुम सिंह जी ने कहा कि गंजरिया फार्म लिया गया है, उससे जो कई नस्लें पैदा हो रहीं थी उसका नुकसान हो जायेगा, वो नस्ल पैदा नहीं हो पायेंगी। हमने सरकार में यह निश्चित किया है कि अगर वह गंजरिया फार्म की जगह ली है तो उसको उत्तर प्रदेश के हित में, जनता के हित में अच्छा और बेहतर इस्तेमाल करेंगे।

जितनी भी रिसर्च और जितना भी उसमें काम होता था। चाहे वह लैब रही हो, चाहे नयी नस्ल के लिये जितनी भी योजनायें थी, उन तमाम को हमने दूसरे फार्म पर शिफ्ट कर दिया है। दूसरा फार्म बहुत करीब है, बहुत दूर भी नहीं है। नेमलेट फार्म है जो बाराबंकी में है, उसमें हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया है जिससे कि इस फार्म की जगह का बेहतर इस्तेमाल कर सकें। यहां जो हम काम कर रहे हैं, वह काम कर रहे हैं आई0टी0 सिटी के लिये। आई0टी0 सिटी इसलिये बना रहे हैं कि यहाँ पर बेरोजगार नौजवानों को जो पढ़े-लिखे हैं जिन्होंने डिग्री हासिल की है उनको नौकरी मिले और यह भी तय हो गया कि बहुत जल्दी काम शुरु हो जायेगा। अगले 3 साल में बड़ी संख्या में नौजवानों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ-साथ वहां कैंसर इन्स्टीट्यूट भी बनेगा और कैंसर इन्स्टीट्यूट इसलिये बना रहे हैं कि कैंसर के पीड़ित उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं और लगातार कैंसर बढ़ रहा है। यह जो बीमारी है इसका इलाज कराने के लिये बाहर तक जाना पड़ता है। कई बार बम्बई तक जाना पड़ता है। जो इलाज है वह महंगा है हो नहीं सकता। अभी मैंने जब सरकार के आंकड़े निकलवाये कि विवेकाधीन कोष से कितने लोगों को किस-किस बीमारी में उनकी मदद हो रही है तो जो आंकड़े निकल करके आये विवेकाधीन के जो आप लोग, हमारी पार्टी के सदस्य देते हैं उसमें नम्बर एक पर अगर कोई निकला है तो कैंसर और हार्ट की जो डिजीज़ है वह बराबर निकलीं हैं दोनों की। विवेकाधीन से तो हम मदद कर ही रहे हैं लेकिन अगर कैंसर इन्स्टीट्यूट बन जायेगा उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में तो न केवल लखनऊ, उत्तर प्रदेश बल्कि आस पास के प्रदेश के लोग भी यहां पर आकर के अपना बेहतर इलाज पा पायेंगे इसीलिये कैंसर इन्स्टीट्यूट खोलने के लिये भी वहां पर जगह उपलब्ध करायी है। कल शिलान्यास स्टेडियम का भी

किया है। वैसे ये पी0पी0पी0 मॉडल में पुरानी सरकार में बहुत सारे स्वीटनर दिये गये थे जिसके वजह से कोई आ नहीं रहा था उत्तर प्रदेश में। सड़क के मामले में इन्होंने इतना स्वीटनर दे दिया पी0पी0पी0 के माध्यम से कि हम लोग अगर अब उत्तर प्रदेश में सड़क बनाना चाहें तो उसी तरीके का स्वीटनर और उसी तरीके का लाभ वह भी चाहते हैं क्योंकि एक सड़क बनायी और हजारों एकड़ जमीन इन्होंने दे दी और उस जमीन की कीमत उस सड़क से कई गुना ज्यादा की है। उत्तर प्रदेश में अगर हम चाहें कि पी0पी0पी0 मॉडल में कोई उद्योगपति आये या कोई काम हो तो कहीं न कहीं पुरानी सरकार ने ऐसा किया है कि अब कोई आना नहीं चाहता। जब तक उसको ज्यादा लाभ न मिल जाये। पहली बार प्रयास कर कर के ये स्टेडियम जो आप लोगों ने डायनामाइट से और तमाम मशीनें लगा करके उड़ा दिया था तो एक नया स्टेडियम हम लोग बनाने जा रहे हैं। स्टेडियम की जगह मा0 नेता प्रतिपक्ष जी बतायेंगे कि क्या बनाया है इन्होंने। जो स्टेडियम की जगह थी उसका क्या इस्तेमाल किया। अगर हमने कोई जगह ली है तो उसका बेहतर इस्तेमाल किया है। अच्छा इस्तेमाल किया है, उत्तर प्रदेश की जनता के लिये इस्तेमाल किया है। जिससे कि यहां की जनता और उत्तर प्रदेश को मौका मिले आगे बढ़ने का, इसलिये चकगंजरिया फार्म में जो काम हो रहे हैं वे बेहतर काम हो रहे हैं जिससे जनता को सीधा-सीधा लाभ पहुंचेगा। जहां तक लैपटाप की बात है क्योंकि लैपटाप को कोई समझना नही चाहते मा0 नेता प्रतिपक्ष जी और जानबूझ करके उसको झुनझुना कह रहे हैं। यह मेरी समझ में भी नहीं आ रही है लेकिन कहीं न कहीं ये जानते हैं कि लैपटाप से लाभ हो रहा है और छात्र, पढ़ने वाले लोग उसका बेहतर इस्तेमाल करेंगे और कर भी रहे हैं। उसमें नेता जी की तस्वीर क्यों है इस पर भी आरोप लगा कि नेता जी की तस्वीर क्यों है। हम जितने समाजवादी लोग हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने नेता जी से ही प्रेरणा लेकर के और बहुत सारे समाजवादी नेताओं ने काम किया है और समाजवादी सिद्धान्तों को अगर मजबूती से उत्तर प्रदेश में किसी ने रखा है तो वह नेता जी ने रखा है और कहीं न कहीं इसलिये भी हम समाजवादी लोग और समाजवादी शब्द इसलिये बोल रहा हूं। इसमें भी आपत्ति हो सकती है, यह समाजवादी शब्द कॉन्स्टीट्यूशन का है और कॉन्स्टीट्यूशन का शब्द अगर मैं ले रहा हूं तो मैं समझता हूं कि उसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि नेता जी से प्रेरणा लेकर बहुत सारे लोग राजनीति भी कर रहे हैं इसीलिये कहीं न कहीं हम लोगों ने उनको लैपटाप में अपने साथ रखा है। उन्होंने हमेशा वकालत की है नौजवानों की, हमेशा उन्होंने इस बात, इस पक्ष को रखा है कि अगर नौजवान आगे बढ़ेगा तो तरक्की, खुशहाली आयेगी और हमारा देश, समाज खुशहाल होगा। इसीलिए कहीं न कहीं रखी है, सवाल यह नहीं कि तस्वीर है, क्योंकि यह भी हमारे कई चैनलों की न्यूज देखकर भ्रमित हो गए, क्योंकि कई न्यूज चैनलों ने यह कहा कि यह तस्वीर हटाई जा सकती है, बदली जा सकती है। हांलाकि मैंने जानकारी कराई है, बहुत सारे चैनलों ने इस बात को भी चलाया कि 200 रुपये में तस्वीर हट जाती है। चैनलों ने बताया कि ऐसी दुकानें खुली हैं, ऐसे लोग हैं, जो इस तस्वीर को हटा सकते हैं। मा0 अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में कह सकता हूं कि वह न्यूज गलत थी।

यह जो तस्वीर लगी हुई है, वह कोई भी हटा नहीं सकता। अगर हटायेगा तो अपने आप कम्प्यूटर खत्म हो जायेगा, लैपटॉप समाप्त हो जायेगा। हमने तो केवल कुछ सेकेण्ड के लिए तस्वीर रखी है, और केवल कुछ जानकारी देने के लिए, यह जानकारी देने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता

को कि हां समाजवादी पार्टी के लोग न अंग्रेजी के खिलाफ हैं, न हम कम्प्यूटर के खिलाफ हैं, क्योंकि कई बार यही दल समाजवादी पार्टी पर यह आरोप लगाते हैं कि यह कम्प्यूटर के खिलाफ भी हैं और अंग्रेजी के खिलाफ भी हैं। ये जो उत्तर प्रदेश की जनता है यह जानती है कि हम समाजवादी लोग हैं, न कम्प्यूटर के खिलाफ हैं और न ही अंग्रेजी के खिलाफ हैं लेकिन अंग्रेजी भाषा को सम्मान या प्रतिष्ठा से न जोड़ा जाए, इसके लिए हम खिलाफ हैं, क्योंकि हम बराबर का सम्मान देना चाहते हैं हिन्दी को और उर्दू को, जिन्हें अब तक दिया है, वह लैपटॉप किसी भी भाषा में चलाना चाहेंगे तो चल सकता है, उसके अंदर ऐसा सॉफ्टवेयर है और जहां तक नेता बी0जे0पी0 आदरणीय मा0 हुकुम सिंह जी ने कहा था कि लैपटॉप मिल नहीं रहा है बहुत सारे लोगों को। इसमें जो योजना बनी है, वह यह बनी है कि हम लोग 12वीं पास करने वाले बच्चे जो फर्दर स्टडी कर रहे हैं, जिन्होंने एडमीशन ले लिया है, उन्हीं बच्चों को हम लोग देते हैं, तो जो बच्चे एडमीशन पा गए हैं, उन्हीं बच्चों को हम लोगों ने दिया है और सीटें सबमें बढ़ी हैं, इंजीनियरिंग में भी बढ़ाई, पॉलिटेक्निक में भी बढ़ाई, यूनिवर्सिटीज में भी बढ़ी, कालेजेज में भी बढ़ी हैं, जो आंकड़े मेरे पास हैं, जो सरकार की तरफ से सीटें बढ़ी हैं। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में 30 परसेन्ट से ज्यादा हम लोगों ने सीटें बढ़ाने का काम किया जिससे कि एडमीशन मिले हैं, लेकिन भविष्य में भी अगर हम लोगों को बढ़ाना पड़ेगा अगर इवनिंग क्लासेस भी चलानी पड़ेगी तो सुझाव अच्छा है। अगर इवनिंग क्लासेस भी चलानी पड़ेगी तो उस दिशा में भी सरकार काम करेगी जिससे कि जो छात्र आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं, उन्हें मौका मिले और वह पढ़ाई पूरी कर सकें। इसलिए लैपटॉप की योजना अपने आप में बेहतर योजना है। कम से कम लैपटॉप की योजना से हम लोगों ने हर छात्र नौजवान का बराबर खड़ा कर दिया है। एक इनफॉर्मेशन और नॉलेज में उनको बराबर खड़ा कर दिया। जिस समय वह इन्टरनेट का इस्तेमाल करेगा, वह बराबर खड़ा दिखाई देता है। बहुत सारी आज सुविधाएं चाहे वह ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन हो, नौकर के बारे में जानकारी हो, रिजर्वेशन हो या किसी के बारे में जानकारी करना चाहे तो कम्प्यूटर को इस्तेमाल बढ़ा है। इसलिए इस दिशा में समाजवादी पार्टी ने जो काम किया है, वह सबसे अच्छा काम किया है और यह उसी का परिणाम है जहां बहुत सारे प्रदेशों के आप उदाहरण दे रहे थे कि उन लोगों से हम पीछे हैं लेकिन सच्चाई यह है कि आपके घोषणा-पत्र की नकल की है। कोई भी घोषणा पत्र उत्तर प्रदेश के आस-पास जो बना है, किसी भी दल का वह वह हर दल ने अपने घोषणा-पत्र में लैपटॉप शामिल किया है और सारी समाजवादी पार्टी की योजना जो उत्तर प्रदेश में चल रही हैं, उनको शामिल करने का काम किया है। यह सही है कि वह सरकारें बहुत साल रही हैं, बहुत मौका दिया है जनता ने उन्हें, और कई वर्षों के बाद उनके परिणाम उस दिशा में दिखायी दे रहे हैं, लेकिन किसी प्रदेश की तुलना नहीं की जा सकती, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, जिनसे तुलना होती है, जनसंख्या के मामले में भी वह हमसे बहुत पीछे हैं। कोई प्रदेश हो, बगल का प्रदेश हमसे जनसंख्या में बहुत पीछे है, इसलिए अगर वो थोड़ा-बहुत आगे चले गए हो किसी क्षेत्र में तो यह नहीं कहा जा सकता कि उत्तर प्रदेश बहुत पीछे है, सच्चाई यह है कि अगर हम लोग रेशियो निकालें, आंकड़े निकालें तो उत्तर प्रदेश उन प्रदेशों से अभी भी आगे है और जहां समाजवादी पार्टी ने लाने का काम किया। अगर बुराई होनी चाहिए तो पुरानी सरकार की होनी चाहिए। इन्होंने जो काम नहीं किया, मान लीजिए सड़कें नहीं बनाईं, अगर कोई फोरलेन सड़क बनायी हो तो बताए इन्होंने। सड़कों से जोड़ने का हां कुछ प्रदेशों ने अच्छा काम

किया है, देश में जब काम हुआ था सड़कों पर उस समय एन0डी0ए0 ने अच्छा काम किया था। फोरलेनिंग का काम शुरू हुआ था लेनिक अभी यू0पी0ए0 की सरकार ने वह काम धीमे कर दिया। उत्तर प्रदेश ने तय किया कि हम जिला मुख्यालयों को फोरलेन से जोड़ने का काम करेंगे और इस दिशा में काम शुरू हो गया, 2 साल के अंदर क्योंकि आप के मा0 सदस्य चीफ इंजीनियर रहे हैं। वे जानते होंगे कि इन्होंने कितना काम किया और कितनी गुणवत्ता के साथ काम किया।

मान्यवर, जिससे कि उत्तर प्रदेश में जो सड़कें बने अच्छी बनें ठीक बनें और लम्बे समय तक चल सकें। मान्यवर, जो ट्रैफिक का वाल्यूम है, जो जनसंख्या है, मान्यवर उसमें आज जो फोर लेन की एक्जेस्टिंग सड़के हैं वह भी छोटी पड़ने लगी हैं। मान्यवर, इसीलिए उत्तर प्रदेश के ट्रैफिक सिस्टम को देखते हुए सरकार को निर्णय लेना पड़ा है कि सिक्स लेन की सड़कें बनाई जायें। मान्यवर, आपके समय में एक फोर लेन की सड़क बनी थी, उसमे आपने डेवलेपर को इतनी जमीन दे दी कि अब उसके बाद कोई दूसरा डेवलेपर उस से कम जमीन पर सड़क बनाने को तैयार नहीं हैं। यह स्थिति आपने अपने शासनकाल में एक सड़क को बनाकर उत्पन्न कर दी हैं।

और इस तरीके से उत्तर प्रदेश में सड़कों की स्थिति को आपने बदहाली की स्थिति में लाने का काम किया है। मान्यवर, सहारनपुर मुजफ्फरनगर की सड़क की बात आई कि वह खराब है। मैंने जानकारी की है कि उसके कुछ हिस्सों में गड्ढे उत्पन्न हो गये हैं। उस हिस्से को ठीक कराने का काम हम करायेंगे और उसके लिए तुरन्त धन उपलब्ध करा दिया जायेगा। मान्यवर, लेकिन आपके समय में जो फोर लेन की सड़क बनीं थीं उस निर्माण प्रक्रिया से हटते हुए हम नई दिशा में सड़क निर्माण के कार्य को कराने जा रहे हैं। जो सड़के बनें वह गुणवत्तापूर्वक हों। मान्यवर, अभी भी हमारे प्रदेश में कहीं-कहीं बहुत पुराने समय की सड़कें बनी हैं शायद आजादी के पहले के समय की वह सड़के हैं लेकिन अच्छी चल रही हैं। एक कानपुर में मुहल्ला है बिरहना वह आजादी के पहले की सड़क बनी हुई है सीमेण्ट कंक्रीट की और इतने वर्षो के बाद भी वह सड़क जिंदा है। मान्यवर जो पुराने सड़कें हैं उनके भी रख-रखाव की बात है। मान्यवर, बहुजन समाज पार्टी की सरकार के समय में जो सड़कें बनी थीं उनकी क्या हालत हैं ? वह सबको पता है। आपने पांच साल में जो बजट था उस पर धन खर्च किया और सड़कें बनाई हैं लेकिन वह सड़कें कितने समय तक चलनी चाहिए थीं और क्या वह उतने समय तक चलीं। मान्यवर, वह सड़के एक-डेढ़ साल से ज्यादा नहीं चल पायीं। सब के सब ध्वस्त हो गयी हैं। उन्हें हमें ठीक कराना है। अब हमारी सरकार में पी0डब्लू0डी0 विभाग बेहतर काम कर रहा है। हम अच्छी सड़कें बनाने की दिशा में आगें बढ़े हैं। हम ऐसी सड़कें बनाना चाहते हैं जो लम्बे समय तक चलें। हम फोर लेन की सड़कें बनायेंगे और टिकाऊ सड़कें बनवायेंगे। मान्यवर, हमीरपुर, जालौन की सड़क है, कालपी की सड़क है, वह बहुत पुरानी सड़क है उसको हम बनवायेंगें। मान्यवर जो भी हम सड़क बनवायेंगे वह फोर लेन की बनवायेंगे। मान्यवर इसी तरह से बहराइच-श्रावस्ती की सड़क है उसको फोर लेन की बनवायेंगे। मुरादाबाद से सम्भल तक की सड़क है उसको फोर लेन की बनवायेंगें। रामपुर की सड़क को फोर लेन की बनवायेंगे। इसी तरह से सहारनपुर-मुजफ्फरनगर की सड़क को हमने टेकअप किया है। आपने बनारस से सोनभद्र तक की सड़क बनवाने का काम शुरू किया था उसको हमारी सरकार आने पर हमने उसे उप्सा से बनवाने का काम शुरू कराया है। मान्यवर, आप सबको पता है कि उस सड़क को बनवाने में कितनी दिक्कते

थीं उसका रास्ता साफ कराया है और एन0ओ0सी0 तथा दूसरी अन्य प्रक्रियाओं की परमीशन दी है। इसी तरीके से एक सड़क मेरठ से करनाल की है वह जो ठेकेदार था वह ब्लैकलिस्ट था केन्द्र की सड़कों के मामले में ब्लैकलिस्ट था, वह काम छोड़कर भाग गया। अब उस सड़क को हम टेकअप करने का काम कर रहे हैं। इसी तरह से इटावा से मैनपुरी फोर लेन की सड़क बनवायेंगे। मान्यवर, आपने पांच साल के कार्यकाल में कोई अच्छा काम किया होता तो हम उसे जरूर आगे बढ़ाते, परन्तु आपने ऐसा कुछ नहीं किया है। सड़कें जो बनी थीं, उनमें गुणवत्ता कम थी और वह खराब हो गयीं। इन्होंने अपने समय में खराब सड़कों को बनाने का काम किया। अब हमारी सरकार नई सड़कों के निर्माण में नई दिशा में आगे बढ़ रही है। मान्यवर, बिजली का क्षेत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब से हमारी यह समाजवादी पार्टी की सरकार आयी है। हमने बिजली के क्षेत्र को प्राथमिकता दी है। मान्यवर, बिना बिजली के अर्थ-व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो सकती। बिजली का उत्पादन प्रदेश में कैसे बढ़े, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे ठीक हो, ट्रांसमीशन सिस्टम कैसे ठीक हो और खराब ट्रान्सफार्मरों को कैसे जल्दी बदलवाया जाय, इस पर अगर बजट एलाऊ करेगा, तो हम उस दिशा में तेजी से काम करेंगे। हम चाहते हैं कि वितरण प्रणाली अच्छी हो और जो तार-वार की व्यवस्था है वह ठीक हो। उस दिशा में समाजवादी पार्टी की सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। मान्यवर, आजमगढ़ को हमने टेकअप किया है और वहां पर पूरे के पूरे तार अण्डर ग्राउण्ड करने की कार्यवाही कर रहे हैं। इसी तरीके से जो वितरण व्यवस्था में फलैक्चुवेशन होता है और जो अननेससरी होता है उसको कैसे ठीक कराया जाय, उस पर हमारी सरकार काम कर रही है। मान्यवर, हम मऊ में तारों की व्यवस्था को अण्डर ग्राउण्ड करायेंगे, रामपुर में अण्डर ग्राउण्ड करायेंगे। मान्यवर, हमने उदाहरण के रूप में तिरवा को लिया है कि कैसे उसमें इस काम को कराया जा सकता है। मान्यवर, पश्चिम में भी हमने ऊर्जा के क्षेत्र के विकास में काम कराने की पहल की है। मान्यवर, हमने मुजफ्फरनगर-शामली में फीडर सैपरेशन का काम शुरू कराया है। फीडर सैपरेशन का काम शुरू किया है और जिससे सब-स्टेशन उत्तर प्रदेश में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर बनने जा रहे हैं हलांकि जो आपने जानकारी दी है कुछ सब-स्टेशन में काम शुरू हुआ और रुक गया हम लोग ध्यान देंगे कि जल्दी से उन कामों को भी पूरा किया जाय क्योंकि जब सब-स्टेशन बन जायेगें ज्यादा तो कम से कम सरकार निश्चित समय पर बिजली दे पायेगी और बिना रूके हुए बिजली पहुंचाने के लिए कामयाब होगी। जो लक्ष्य रखा है सरकार ने कि किसानों को बिजली दें अभी तो हम लोग दे रहे हैं 14 घन्टे 12-14 घण्टे दे पा रहे हैं शहरों में दे पा रहे हैं 16-18-20 घण्टे भी लेकिन 2016 का हम लोगों ने टारगेट फिक्स किया है कि आने वाले समय में जब 2016 होगा तो जो प्लांट लग रहे हैं वह बन जायेंगे पूरे हलांकि इलाहाबाद का प्लांट में थोड़ा बहुत काम किया था पुरानी सरकार ने।

एम0ओ0यू0 साइन तो बहुत कर दिये थे कोई प्लांट लगाने नहीं आया और जब एम0ओ0यू0 साइन हुए है तो आप जानते होंगे कि एम0ओ0यू0 साइन में क्या क्या किया होगा। उस चीज में हम नहीं जाना चाहते जितने पुरानी सरकार ने एम0ओ0यू0 किये साइन उसमें से कोई बिजली का कारखाना नहीं लगा। हमने टाइम बढ़ाया भी कि शायद अब लगा दें लेकिन उसके बावजूद भी नहीं आये तो एम0ओ0यू0 साइन हुए लेकिन कहीं कोई कारखाना नहीं लगा। जो इलाहाबाद में बन रहा है वह भी बनकर तैयार हो जायेगा, ललितपुर की भी शुरूआत हो गयी है और नेता जी ने

जो कारखाना उस समय दिया था जब नेता जी की सरकार थी श्रीनगर में उत्तराखण्ड में 330 मेगावाट का बिजली का, इनकी सरकार ने कोई ट्रांसमीशन अगर बन जाय कारखाना वहां से बिजली लानी पड़े तो ट्रांसमीशन लाइन ही नहीं बिछाई। इतना अच्छा और सबसे सस्ती बिजली मिलेगी उससे क्योकि उस समय जो बिजली थी उसके रेट बहुत कम थे सस्ती बिजली मिलेगी उससे और पानी से है बनने वाली हाइडिल प्लांट है 330 मेगावाट का जिसमें 12 परसेन्ट उत्तराखण्ड को देना है लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो वह भी 12 परसेन्ट हम लोग खरीद लेंगे। बहुत जल्दी महीना डेढ़ महीना ज्यादा से ज्यादा दो महीना के अन्दर वह उत्तराखण्ड में जो श्रीनगर में प्लांट जो हाइडिल प्लांट लगा था नेता जी ने लगवाया था पुरानी सरकार में वह बनकर तैयार हो गया है, ट्रांसमीशन से लाइनें बिछ जायेगी और उत्तर प्रदेश को वह बिजली उपलब्ध होगी। खरीदने के लिए भी फैसला ले लिया इसलिए 2016 तक हमारा सरकार का टारगेट है कि जिस तरीके से और प्रदेशों ने बिजली के क्षेत्र में फीडर सपरेशन कर करके और तमाम इंतजाम करके अच्छी बिजली उपलब्ध कराई है 8 घण्टे सिंचाई के लिए और 24 घण्टे डोमेस्टिक और शहरों के लिए। वह जो 24 घण्टे बिजली बोलते हैं वह केवल डोमेस्टिक पंखा, लाइट के लिए है वह इरीगेशन के लिए नहीं है 24 घण्टा लेकिन हां 8 घण्टा देते हैं उससे बेहतर काम समाजवादी सरकार करने जा रही है और कम समय मे 2016 के बाद 16 से लेकर के 18 घण्टे गांव में और 20 से लेकर 24 घण्टे बिजली उपलब्ध कराने का काम सरकार करेगी, उस दिशा में काम सरकार कर रही है ट्रांसफार्मर भी बदले जायेंगे। इसी तरीके से 108 योजना समाजवादी एम्बुलेंस योजना है, फोन मिलाकर के घर एम्बुलेंस पहुंचती है उससे मदद मिल रही है उसी तरह की योजना हम लोग इसमें लाना चाहते हैं कि ट्रांसफार्मर अगर किसी का गांव में कहीं फुंक जाय वह फोन करें तो 72 घण्टे में सरकार की ही गाड़ी हो जो ट्रांसफार्मर लाये और लगा दे जिससे उसको अपना इंतजाम न करना पड़े उस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है तो बिजली के क्षेत्र में भी सुधार कर रहे हैं।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बेहतर काम किया है और स्वास्थ्य में बहुत बदलने का काम किया है इलाज से लेकर के दवाई और जो जांचें हैं उस पर बहुत अच्छा काम किया है स्वास्थ्य विभाग ने। जहां स्वास्थ्य विभाग पर उंगली उठती थी और बेइमानी थी, भ्रष्टाचार हुआ जिसके कारण पूरे का पूरा उत्तर प्रदेश की व्यवस्था खराब हो गयी और कई डाक्टर उनको बेचारों को जेल जाना पड़ा, कई अधिकारियों को जेल जाना पड़ा कई ऐसे भी अधिकारी जिन्होंने नाम कमाया अपनी जिन्दगी में उन्हें भी जेल जाना पड़ा और सी0एम0ओ0 की हत्या हो गयी एन0आर0एच0एम0 पर सबसे ज्यादा उंगली उठी और आज भी जांच चल रही है उसकी कहीं एम्बुलेंसों का कहीं किसी का बहुत तरह की उंगली उठी आज भी जांच चल रही है उसको सुधार करने का काम किसी ने किया है तो इस सरकार ने किया है जहां अस्पतालों को बेहतर कर रहे हैं। यह सही है कि जो अस्पताल जिस समय बनाये गये थे उस समय इतनी जनसंख्या के हिसाब से नहीं बने थे, डिजाइन गलत है लेकिन उस समय क्योंकि वहीं अच्छे थे इसलिए आज जो तकलीफे आज जो परेशानी है मैं जानता हूं। बहुत सारे अस्पतालों में ओ0पी0डी0 नहीं है मरीज बैठ नहीं सकते हैं अगर बैठना भी चाहें तो कोई जगह नहीं उनके बैठने की। मै खुद बांदा गया था माननीय सदस्य थे वहां पर उनके पिता जी की तकलीफ थी मैं बांदा खुद

गया था अस्पताल में और मैंने पूरा देखा कि वहां पर क्या है और कई बार गया हूं जिला अस्पतालों में। तो जिला अस्पतालों की जो डिजाइन थी, जिस समय बने थे, उस समय के लिये भले ही अच्छी डिजाइने थीं लेकिन वह बेकार डिजाइनें थीं। तो यह काम शुरू किया कि अच्छे अस्पताल बने और सुविधायें हों, वह हम दे रहे हैं, दवाई दे रहे हैं आपकी सब जांचें मुफ्त कर दी, आपकी दवाईयां मुफ्त कर दी, एक्सरे मुफ्त कर दिया, इससे बेहतर और क्या स्वास्थ्य सेवाओं में हो सकता है जो हम लोग करने जा रहे हैं। दवाइयों का और बेहतर इंतजाम कैसे करें, दवाइयां और सस्ती कैसे हों, उस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं।

और बड़े पैमाने पर लोग अस्पतालों में इलाज कराने आ रहे हैं, आपके पास आंकड़े होंगे, यह आकंड़े मैं छोड़ देता हूं नेता प्रतिपक्ष पर, कि इनके समय पर कितने लोग अस्पतालों में दिखवाने आते थे और समाजवादी सरकार में कितने लोग अस्पतालों में अपने को दिखवाने आ रहे हैं और कितनी विवेकाधीन कोष से गरीबों की मदद होती थी, यह बतायेंगे, यह भी आंकड़े देंगे। जो उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार ने दो साल में इनसे तीन गुना ज्यादा लोगों की मदद की है। चाहे वह हार्ट की बीमारी हो, चाहे कोई बीमारी रही हो, इस सरकार ने उससे ज्यादा मदद की है और यही नहीं, इन्होंने हमारा बहुत विरोध किया कि हमने गाड़ी दे दी है विधायक निधि से। जाने कितने किस्से सुनाये इन्होंने और जब माननीय नेता प्रतिपक्ष टी0वी0 पर भी बोलते हैं तो कई बार हम लोगों को उसका वाल्यूम कम करना पड़ता है क्योंकि पता नहीं उसमें वाल्यूम इतना तेज कहां से आता है। इतनी बुराई की इन्होंने हमारी कि हमने गाड़ी दे दी विधायक निधि से। लेकिन मैंने आज तक इनसे तारीफ नहीं सुनी। जब हम सब लोगों ने मिलकर यह फैसला ले लिया कि विधायक निधि से आप गरीबों के इलाज के लिये 25 लाख रुपये खर्च कर सकते हो और मैं समझता हूं कि आदरणीय हुकुम सिंह जी को अगर जानकारी होती तो वह जो डेंगू से पीड़ित थे, मुझे दुःख है कि डेंगू जैसी बीमारी से भी लोगों की जानें जा रही हैं जो कि इलाज हो सकता है, यदि समय पर अस्पताल पहुंच जायें तो इलाज हो सकता है। समय पर दवाई मिल जाये, ब्लड उसका बदल जाये तो मरीज का इलाज हो सकता है। यदि माननीय सदस्य को जानकारी होती तो शायद विधायक निधि से ही उसकी मदद कर देते लेकिन इनको जानकारी नहीं थी, इन्होंने चिल्लाया नहीं अच्छे तरीके से। यदि वह जानकारी होती तो गरीबों की मदद होती। तो वह काम किया है हम लोगों ने और एम0बी0बी0एस0 की सीटें भी बढ़ाई हैं। उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद से लेकर अभी तक जो सीटें थीं वह कम थी 1134 सीटें। इतनी सरकारी सीटें थी, मात्र दो साल के अंदर समाजवादी पार्टी ने 500 और एम0बी0बी0एस0 सीटें बढ़ाई हैं। देश में किसी प्रदेश ने एम0बी0बी0एस0 की सीटें इतनी नहीं बढ़ाई। इसके अलावा पी0जी0 की भी सीटें बढ़ा रहे हैं और नये मेडिकल कालेज बना रहे हैं। जो इन्होंने आधे-अधूरे छोड़े थे, जिनकी छतें गिर रही थी, जिनमें बेईमानी की इन्होंने, बांदा का जो मेडिकल कालेज बनाया, उसकी छत गिर गयी, दीवाल गिर गयी, उसको हम लोगों ने ठीक-ठाक किया है, 100 करोड़ से ज्यादा हम लोगों ने बजट से पैसा दिया है जिससे कि बांदा में भी मेडिकल कालेज बनकर तैयार हो जाय। हम लोगों ने कोई काम नहीं रोका, इनकी सरकार बनती थी तो काम रोक देते थे, जांच करते थे, कार्यवाही करते थे और जॉच और कार्यवाही के नाम पर कुछ ले लेते थे। वह नहीं कहना चाहिये

लेकिन है ऐसा और सुनने में आता है। लेकिन हम लोगों ने कोई जांच नहीं की और उसे ठीक किया और बजट का पैसा देना पड़ा हो, तो दिया है। तो हम लोग मेडिकल कालेज भी बना रहे हैं, पैरा मेडिकल इन्होंने कोई बनाया हो तो बताइये। क्योंकि अगर स्टाफ कम होगा, डाक्टर्स कम होंगें तो कोई भी सरकार हो, उसके सामने शिकायत होगी। पी0एच0सी0 में डाक्टर नहीं पहुंच पा रहे हैं, सी0एच0सी0 में डाक्टर नहीं हैं, आपके यहां डाक्टरों की संख्या कितनी है और जो अच्छे डाक्टर पढ़ाई लिखाई भी कर लेंगे तो वह ऐसी जगह नहीं जायेंगे जहां पर आप भेजना चाहोगे। तो कहीं न कहीं आपको डाक्टर्स की संख्या बढ़ानी पड़ेगी और कुछ अस्पताल ऐसे बेहतर करने पड़ेंगे जिससे कि डाक्टर वहां रह सके। पैरा मेडिकल इन्होंने बनाया जरूर, लेकिन केवल बिल्डिंग बनाई, आपने शुरू नहीं किया। जिस पैरा मेडिकल का नाम आप झांसी का ले रहे हैं, यह सही है कि आपने उसको बनाया जरूर है लेकिन पूरा नहीं किया। आपने जब बनाना शुरू किया तो हमें मिला आधा-अधूरा और उसको पूरा किया है हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार ने और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम चाहते हैं कि कोई ऐसा टाईअप बड़े हास्पिटल्स से हो जायें, अपोलो से भी प्रयास किया कि अगर अपोलों के लोग ट्रेनिंग करा दें, अगर वह ट्रेनिंग के लिये अपने डाक्टर्स को भेज दें जिससे कि जो पैरा मेडिकल स्टाफ तैयार हो वह बेहतर तैयार हो। अगर हमारा पैरा मेडिकल स्टाफ अच्छा होगा, टैक्निकल स्टाफ अच्छा होगा तो वह इलाज भी अच्छा करेंगे और आने वाले अस्पताल जो बनेंगे उनके लिये अच्छा स्टाफ मिल जायेगा। तो वह प्रयास किया है, अगर नहीं भी होगा तो सैफई का तो पैरा मेडिकल हम लोगों ने शुरू भी कर दिया है। कन्नौज में भी दे दिया है। आजमगढ़ में भी देने जा रहे हैं और जगह जैसे-जैसे संसाधन हमारे पास जुटेंगे, वह करेंगे। झांसी का भी पैरा मेडिकल हम लोग बहुत जल्दी ही शुरू करेंगे, उसको शुरू करने के लिये इनीशियली जो एप्लीकेशंस वगैरह देनी पड़ती है, उस पर हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है।

तो मेडिकल कॉलेज और पैरा मेडिकल क्योंकि मेडिकल कॉलेज और पैरा मेडिकल दोनों साथ रहेंगे तो हॉस्पिटल अच्छा होगा, इलाज भी अच्छा होगा और आपके पास जो स्टॉफ है उसकी भी संख्या बढ़ जायेगी। क्योंकि स्टॉफ आपको बहुत बड़ी संख्या में चाहिए। एक हॉस्पिटल अगर बनता है तो हजारों लोगों को नौकरी देता है और न जाने कितने लोगों की दवा और इलाज से सेवा करता है। अगर इस सरकार ने कोई पैरा मेडिकल बनाया हो तो बतायें, मान्यवर, कोई पैरा मेडिकल नहीं बनाया। बिल्डिंगें बनाई वह भी दूसरे तरीके से बनाई, लेकिन कोई मेडिकल कॉलेज नहीं शुरू किया, आजमगढ़ का शुरू किया तो समाजवादी पार्टी ने शुरू किया, जालौन का मेडिकल कॉलेज शुरू किया तो समाजवादी पार्टी ने शुरू किया, बनाना भी शुरू किया और बाद में एम0सी0आई0 से पूरे मापदण्डों पर खरा उतार करके हमने शुरू किया। सीटें बढ़ा दीं हम लोगों ने और दो नये मेडिकल कॉलेज बनाने जा रहे हैं, आचार संहिता लग गई, इसलिए हम लोग जौनपुर के मेडिकल कॉलेज को नहीं शुरू करा पाये लेकिन जौनपुर में भी बनेगा, बदायूं में बनने जा रहा है एक मेडिकल कॉलेज और आदरणीय अध्यक्ष जी आप जानते हैं कि सरकारी यूनिवर्सिटी बहुत दिनों से प्रदेश में नहीं बनी तो उसको भी बनाने का काम हम लोगों ने शुरू किया है, दोनों जिलों में हमने पैसा दिया है। अभी हम लोग नेपाल की यात्रा पर गये थे, मा0 अध्यक्ष जी और हम लोग साथ थे। मा0 अध्यक्ष जी

जानते हैं कि वहां के राष्ट्रपति जी ने क्या कहा, वह कह रहे थे कि एक समय था जब यहां के बच्चे पढ़ने उत्तर प्रदेश में जाते थे, बी0एच0यू0 या जो अच्छी यूनिवर्सिटियां थीं उनमें पढ़ने जाते थे नेपाल के बच्चे। लेकिन वह आज नहीं जा रहे हैं, वह आज कहीं और जा रहे हैं। तो जहां गिरावट आई तो यूनिवर्सिटी में भी गिरावट आई है क्योंकि हम लोग उस स्तर पर अपनी यूनिवर्सिटी नहीं खड़ी कर पा रहे हैं। बहुत सारी बुराइयां आई हैं यूनिवर्सिटीज में, बहुत सारी बातें डॉ0 अग्रवाल जी कह रहे थे। अब यूनिवर्सिटी बनना शुरू हो गई हैं, बहुत दिनों के बाद सरकार की और वह भी बिल्कुल बार्डर पर मा0 अध्यक्ष जी के क्षेत्र में जिसमें न केवल भारत के लोगों को बल्कि नेपाल के लोगों को भी पढ़ने का मौका मिलेगा, एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी बन रही है जिसमें हम लोगों ने पैसा दिया है। इसलिए पढ़ाई के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, सड़कों में, स्वास्थ्य में, बिजली तथा हर क्षेत्र में काम करना हम लोगों ने शुरू किया और ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश आगे बढ़े, खुशहाल हो। खेती के क्षेत्र में हम बदलाव लाये हैं, दूध की पैदावार जहां उत्तर प्रदेश में ज्यादा है वहां और दूध बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि तीन यदि अमूल के प्लान्ट उत्तर प्रदेश में लग जायें तो कहीं न कहीं उनको दूध चाहिए होगा। इसी तरह से मदर डेयरी, मदर डेयरी का प्लान्ट भी हमारी पिछली सरकार में लगना शुरू हुआ था लेकिन बीच में पांच साल इनकी सरकार आ गई और वह कार्य रुक गया, पूरा का पूरा वैसा ही पड़ा रहा मदर डेयरी का प्लान्ट आगे नहीं बढ़ा और लगा नहीं। अब वह भी तैयार हो रहा है और हो सकता है कि बहुत जल्दी महीने दो महीने में मदर डेयरी का प्लान्ट और मिल्क और मिल्क के सब-प्रोडक्ट जो मदर डेयरी दिल्ली में बेचती है वह सब के सब बनेंगे। इटावा में वह स्वीकृत हुआ था पुरानी सरकार में और अब जाकर हम लोग पूरा कर हैं एक बहुत अच्छा मदर डेयरी का प्लान्ट भी बनकर तैयार हो रहा है। हम लोग सोचते हैं कि किसानों को कैसे लाभ पहुंचायें क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है। कोई सरकार आती है, इन्होंने खोया पांच साल, पांच साल नहीं खोया बल्कि इन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता का 10-15 साल का नुकसान कर दिया। क्योंकि वह समय ऐसा था जब देश की तरक्की हो रही थी, देश की भी ग्रोथ रेट ज्यादा थी, यदि उस समय चाहते तो उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा हो सकता था लेकिन इन्होंने वह समय गवां दिया। इस समय देश की ग्रोथ रेट नीचे है जब देश की ग्रोथ रेट ऊपर थी तो इनकी नीचे थी और जब देश की ग्रोथ रेट नीचे है तो उत्तर प्रदेश की ऊपर बढ़ रही है। यह मैं नहीं बोल रहा हूं बल्कि यह आंकड़े हैं।

यह स्थिति इन्होंने पैदा की है, जहां तक कानून-व्यवस्था का सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण कई घटनाएं उठाई हैं और सरकार ने लगातार काम किया है। कई ऐसी भी घटनाएं हैं जिन्हें राजनीतिक दबाव बना करके उसे बढ़ा-चढ़ा करके दिखाया गया। उदाहरण के लिए झांसी का मान लीजिए, अभी फिर एक नेता वहां जा रहे हैं पहले एक नेता गये उन्हें हमें रोकना पड़ा, कानून-व्यवस्था को बचाने के लिए रोकना पड़ा, उन्हें दिल्ली भेज दिया। आजादी के पहले से वहां दो समुदाय के लोग रह रहे हैं एक मन्दिर परिसर के आसपास के लोग हैं, लेकिन पता नहीं कहां से बी0जे0पी0 के लोगों ने खोज निकाला और उसी को लेकर लगातार आन्दोलन चला रहे हैं और लगातार माहौल खराब कर रहे हैं। उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, वहां के लोगों को वहां रहने वालों को कोई आपत्ति नहीं है। अब वह जा रहे हैं उन्नाव, अब पता लगा कि वह भी जायेंगे वहां पर, एक पहले नेता गये उन्हें गिरफ्तार करना

पड़ा। इसी तरह से मुझे याद है कि फिरोजबाद में घटना हुई जो मामूली घटना थी, पिता ने किया था उसके साथ। पिता ने पुत्री के साथ किया और हत्या कर दी। उसको बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया, ट्रेन रोक दी गयी, सब कुछ किया गया और उसका भी माहौल पूरे अखबारों में छपा। बाद में हमारे माननीय सदस्य जानते होंगे कि सच्चाई क्या निकली ? वह भी हिन्दू-मुसलमान का टर्न दिया जा रहा था। ऐसी कई घटनायें हुई जिनको मैं कह सकता हूं। सरकार काम कर रही है, संवेदनशील सरकार है और कहीं घटना सामने आ जायेगी सरकार के, तो सरकार कार्यवाई करेगी। जहां तक मुजफ्फरनगर का सवाल है, मुजफ्फरनगर में बहुत सारे लोग गये, देश के तमाम सारे राष्ट्रीय दल के लोग गये हैं, बहुत एन0जी0ओ0 के लोग गये हैं। अभी दो दिन पहले, आजम खां साहब जानते हैं, तमिलनाडु के विधायक हैं उनकी एक संस्था है, आपसे मिले वह लोग। वह लोग आ करके मिले, उन्होंने तमाम चीजें लिखकरके दी मुझे वहां मौके पर गये उन्होंने संतुष्ट पाया, कुछ चीजों पर जरूर वह अपने सुझाव रख रहे थे। तो हम लोगों ने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे। इस तरह से कोई गया होगा, किसी दल का गया होगा, हमने यही कहा कि आपके पास कोई सुझाव हों इनकी मदद के लिए, इनको घर कैसे ले जाया जाए हम उसको सरकार की तरफ से स्वीकार करेंगे। कोई राष्ट्रीय दल नहीं बचा जिसके नेता न गये हों और कोई संस्था नहीं बची, अगर वह वहां गये हैं तो कहीं न कहीं सरकार को भी उन्होंने ज्ञापन दिया है। अभी ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष और तमाम लोग यहां पर आये थे पूरी जानकारी उन्होंने ली कि सरकार ने क्या किया ? हम लोगों ने जो-जो किया, उनके सामने रख दिया कि सरकार ने ये-ये फैसले लिये और ये-ये काम किये। वह भी इससे संतुष्ट दिखायी दिये उन्होंने प्रेस के सामने कहा, प्रेस ने तमाम सवाल-जवाब किये लेकिन उन्होंने अपनी बात रखी और सरकार के कामकाज से संतुष्ट हुए। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में भी यह चल रहा है। सरकार ने अपने पक्ष से पूरी बातें रखी कि हमने क्या-क्या मदद की ? मरने वालों की क्या मद्द की जिन बच्चों की जान चली गयी उनकी माताओं की हम क्या मदद कर रहे हैं ? कैम्पों में रहने वालों को क्या सुविधा दी है दवाई से लेकर के और वह भी दिया। जहां पर बलात्कार की घटना हुई उस पर भी सरकार क्या कर रही है और जितनी कार्यवाई हो सकती है सरकार कानून के अन्दर कार्यवाई कर रही है और जहां तक हम बहुत से लोगों से मिले भी हैं, शामली के लोग मिले, मुजफ्फरनगर के लोग मिले और जो पीड़ित लोग हैं उनके परिवार के लोग और उनके समर्थक और सहयोगी लोग मिले हैं, उन्होंने केवल न्याय मांगा है। उन्होंने जो मदद सरकार ने की है उससे संतुष्ट दिखे हैं। उन्होंने मदद मांगी है कि उन्हें न्याय मिले और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाई हो। यह हम आश्वासन सदन में भी देते हैं लेकिन जहां तक हम लोगों से नाराजगी की बात है, हो सकता है कोई हो लेकिन हमारी समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं की नीयत बिल्कुल साफ है। हम लोग उनकी मदद करना चाहते हैं, जो पीड़ित हैं, दुःखी हैं जिनको नुकसान हुआ है, जिन्होंने बहुत कुछ खोया है, जिन्होंने अपनी आंख के सामने अपने परिवार के लोगों की जान जाते हुए देखी। उनकी जो मदद हो सकेगी, सरकार करेगी और मैं समझता हूं कि कोई भी मनुष्य होगा, इंसान होगा वह यही करेगा कि जो मदद हो सकती है वह करेगा .....

(मेजें थपथपायी गयी)

मैं अध्यक्ष महोदय, अपनी तरफ से और सरकार की तरफ से कह सकता हूं कि कार्यवाई भी करेंगे कानून के अन्दर और जो उनको मदद हो सकती है, हम करेंगे। हमारी नीयत साफ है, हम कभी भी झगड़े से, हत्या से राजनीतिक लाभ नहीं लेंगे, जिनको राजनीतिक लाभ लेना हो वह लें। कहीं न कहीं जनता सब जानती है और जो वहां के लोग हैं सब उनके सामने है वह अपना निर्णय अपने आप लेंगे। इस मौके पर जहां तक कानून-व्यवस्था का सवाल है मा0 हुकुम सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही कि दो लड़कियों ने बहुत संघर्ष किया, उन्होंने अपनी जान भी बचा ली और उनको पकड़वा भी दिया। हम लोग सरकार की तरफ से उनका सम्मान भी करेंगे और मदद करनी होगी तो सरकार की तरफ से मदद भी करेंगे। इसके साथ-साथ कानून-व्यवस्था पर जो एक-एक बिन्दु जो घटना के बारे में कहा चाहे वह नेता प्रतिपक्ष ने बातें कही हों, चाहे मा0 हुकुम सिंह जी ने या किसी सदस्य ने कही हो। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि उन पर कार्यवाही हो रही है, बहुत सारी कार्यवाही हुई है और पकड़े भी गये हैं। पूछताछ भी होगी और जो लम्बी सूची दी है पूरी टेबिल की तो उसको निकलवाकर कार्यवाई करेंगे। अगर कोई दोषी अधिकारी भी होगा तो अधिकारी के खिलाफ भी कार्यवाई करेंगें। यह कहीं न कहीं पुलिस और प्रशासन से कैसे काम लिया जाए उनकी ट्रेनिंग कैसी हो, उनका भरोसा जीतना पड़ेगा, उन्हें भी मोटीवेट करना पड़ेगा। यह सही है कि पुलिस में अच्छे लोग भी हैं और खराब लोग भी हैं। हमें चिन्हित करना पड़ेगा कि खराब लोग कौन हैं, अच्छे लोग कौन हैं। इसलिए लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं जहां तक पुलिस की कमी है, उसको भी पूरा करने जा रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में हम लोग पुलिस की भर्ती करने जा रहे हैं और जो ट्रेनिंग की बात है उसको कैसे बेहतर करें उस दिशा में भी सरकार सोच रही है कि जो लोग भर्ती हों उनकी कम से कम ट्रेनिंग तो बहुत बेहतर हो। अच्छी ट्रेनिंग हो उनकी बातचीत में व्यवहार में यह दिखाई दे कि यह पुलिस वाले हैं यह मदद करेंगे। यह नहीं कि उनसे मिलने में घबराएं। बहुत सारी बुराइयां आई हैं लेकिन वह जान जोखिम में डालकर सुरक्षा करते हैं और अपराधियों को पकड़ते भी हैं। अगर जानें गई हैं तो कहीं न कहीं पुलिस फोर्स ने जोखिम भी उठाया है। पिछली बार भी माननीय सदस्यों ने कई बार उठाया कि जमाना बदल गया है अब साइबर क्राइम के सम्बंध में जो मार्डन व्यवस्था हो सकती है वह हम लोग कर रहे हैं। उदाहरण के लिए कानपुर में माननीय सदस्य महाना जी बैठे हैं वह जानते होंगे कि देश का और दुनियां का एक बेहतरीन कंट्रोल रूम बनाया गया है। उसमें नई टेक्नालाजी इस्तेमाल हो रही है नए तरीके से स्टाफ ओर ट्रेनिंग वाले बैठेंगे। उसको कैसे और अच्छा किया जाय मैं समझता हूं कि उससे लाभ मिलेगा। अगर कैमरे जगह जगह पर होंगे तो अगर अपराध होगा तो वह खुल भी सकता है। उससे जानकारी मिल जाएगी तो अपराध में रोकथाम होगी। ट्रैफिक में भी उससे सुधार आ सकता है।

जो कानपुर का कंट्रोल रूम बना है उसमें जी0पी0एस0 है पुलिस कहां-कहां पर खड़ी है वह कंट्रोल रूम को जानकारी है जो कंट्रोल रूम में मानीटर लगा है स्क्रीन लगा है उसमें यह जानकारी है कि कहां-कहां शहर में किस तरीके से मूवमेंट चल रहा है। तो कानपुर में तो काम शुरू किया है। वहां के पुलिस अधिकारियों ने जिम्मेदारी से काम करके दिखाया है। हम इस तरह के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। रायबरेली में भी काम अच्छा हुआ है। वहां पर जितने व्यापारी हैं उन्हीं के

सहयोग से क्योंकि हर व्यापारी इधर अपनी दुकानों में कैमरे लगा रहे हैं तो उसमें पुलिस प्रशासन ने तय किया है कि अगर कोई घटना हो और उसमें एक आध कैमरा बाहर भी लग जाय उन्हीं के सहयोग से जिमसें कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है तो वह भी काम शुरू किया है। आज कैबिनेट ने फैसला लिया है कि कई नए शहरों के लिए हम लोग कंट्रोल रूम बनाने जा रहे हैं क्योंकि दुनियां के जितने बड़े शहर हैं जहां अच्छी कानून व्यवस्था है वहां पर कहीं न कहीं कंट्रोल रूम और इस तरह के कैमरों की व्यवस्था की गई है। पुरानी सरकार ने तो कैमरे लगाए नहीं थे केवल मुख्य मंत्री आवास पर कैमरे लगाए थे। मुख्य मंत्री आवास में खूब सारे कैमरे लगे थे कई बार हम लोगों को तार कटवाना पड़ता है कि बहुत ज्यादा कैमरे लगे हुए हैं सब कुछ दिखाई दे रहा है कहां क्या हो रहा है । हम नहीं देखना चाहते कि सड़कों पर कौन चल रहा है लेकिन इतने कैमरे मुख्य मंत्री आवास में लगे थे और अभी भी बहुत सारे लगे हुए हैं केवल मुख्य मंत्री आवास में लगे हुए हैं इन्होंने हमारे घर के पीछे भी लगाया था नेता विरोधी दल अगर मुख्य मंत्री आवास में गए होंगे तो जानते होंगे नहीं गए होंगे तो नहीं जानते होंगे। इन्होंने हमारे घर के पीछे भी लगाए थे जब हमें जानकारी मिल गई कि इन्होंने मेरे घर पर कैमरा लगा दिया तो हमने भी वही काम किया हमने वहां पर जानवर गाय और भैंसें रख दीं। अगर यह कैमरे में देखें तो गाय भैंसें देख सकें। यह सच्चाई है अगर कोई माननीय सदस्य मुख्यमंत्री आवास में गये होंगे तो वह जानते होंगे कि इन्होंने कितने कैमरे लगाए थे और बड़े कैमरे लगाए थे 360 डिग्री एंगिल घूमने वाले कैमरे लगाए थे। सरकार प्रयास कर रही है कि कैसे कानून-व्यवस्था ठीक हो।

श्री मोहम्मद आजम खां-

यह भी ऐतिहासिक सच है कि तानाशाह बहुत डरपोक होता है गटर में मिलता है।

श्री अखिलेश यादव-

माननीय अध्यक्ष महोदय बहुत सारे माननीय सदस्यों ने बातें रखीं बहुत सारी चीजें हैं। अल्पसंख्यक आयोग का भी गठन हो जाएगा अल्पसंख्यक आयोग का जो स्वरूप बना दिया था बहुत खराब कर दिया था अल्पसंख्यक खासतौर पर मुसलमानों को भरोसा ही नहीं होता था इसलिए अल्पसंख्यक आयोग का बदलाव किया जिससे कम से कम ऐसा आयोग बने जिस पर अल्पसंख्यकों को भरोसा हो। तो इन्होंने बिगाड़ा है अगर देरी हुई है तो बहुजन समाज पार्टी की वजह से हुई है। मेट्रो का काम हम लोगों ने तेजी से किया है और देश के जो सबसे बड़े जानकार हैं उसके बारे में जिन्होंने शुरुआत की है दिल्ली में उनसे भी राय मशविरा ले रहे हैं। क्योंकि अगर श्रीधरन रहेंगे तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार को उनके अनुभव का लाभ मिलेगा क्योंकि उन्होंने बहुत सारे जिलों में बहुत सारे मेट्रो सिटीज में उन्होंने बनाई हैं उनकी राय से काम हुए हैं उसके लिए भी सरकार काम कर रही है जिससे हम उनके अनुभव का लाभ ले सकें और उत्तर प्रदेश में लखनऊ में या बड़े महानगरों में जो बड़े महानगर हैं उनकी भी स्टडी करानी पड़ेगी। तो उसमें भी हम लोग काम करेंगें इसलिये उनकी राय और कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी लखनऊ में काम शुरू हो क्योंकि पैसा भी है और बहुत सारा एसाइनमेंट हो गया, अगर समय मिला तो बहुत तेजी से हम काम आगे बढ़ा देंगे। इसलिये उत्तर प्रदेश कैसे खुशहाली के रास्ते पर जाय, आगे कैसे बढ़े उसके लिये ठोस विकास

काम करने का और ठोस प्लानिंग अगर किसी ने की है तो समाजवादी लोगों ने की है और समाजवादी पार्टी की सरकार ने की है। उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि जो अभिभाषण में बात रखी गर्वनर साहब ने, जो बात गवर्नर साहब की तरफ से आया था और जो हमारे माननीय सदस्य अनूप सण्डा जी ने प्रस्ताव रखा था, उनके पक्ष में, उनके समर्थन में मैं बोल रहा हूं मुझे भरोसा है कि उत्तर प्रदेश आगे होगा, केवल आंकड़ों में नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत में, क्योंकि जिस तरह का काम समाजवादी पार्टी ने किया है चाहे वह सीधी-सीधी मदद करने की बात हो, विद्या धन हो, बेरोजगारी भत्ता हो, दसवां पास बेटियों की मदद हो, लैपटाप हो या किसान दुर्घटना बीमा। पुरानी सरकार में तो किसान दुर्घटना बीमा भी नहीं मिलता था किसान को। जो शहीद हुए उनके सम्मान के लिये भी कुछ नहीं करती थी सरकार। कम से कम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किसान दुर्घटना बीमा 5 लाख रुपये कर दिया और जो शहीद हो रहे हैं, अगर किसी भी पैरा मिलिट्री फोर्स का कोई भी शहीद होगा सरकार की तरफ से उसे 20 लाख रुपये मदद करने का काम सरकार करेगी .....

(मेजें थपथपाई गईं)

इनकी सरकार ने तो कुछ भी नहीं किया। अगर कुछ आगे बढ़ाया होता तो उस काम को और तेजी से कर सकते थे लेकिन इन्होंने सिर्फ पत्थर, मूर्तियों और स्मारकों में ही पैसा खर्च कर दिया। पूरे का पूरा पैसा उसी में लगा दिया बजट का और जो रहा बचा था वह भ्रष्टाचार में इन्होंने खत्म कर दिया। इसी तरह से समाजवादी पेंशन योजना शुरू की है, बता रहे हैं कि नाम बदल दिया। अगर समाजवादी पेंशन योजना के बारे में जानकारी करते तो आपको महसूस होता कि यह एक नई तरह की योजना है और केवल पैसा ही नहीं बढ़ाया है बल्कि कोशिश की है कि जो सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, अगर उन योजनाओं का लाभ परिवार लेगा तो उसका पैसा बढ़ाया जायेगा और जैसे संसाधन हैं उस हिसाब से बढ़ाया जायेगा। हमने संख्या भी बढ़ा दी है। 40 लाख परिवारों को हम मदद करने जा रहे हैं इस समाजवादी पेंशन योजना के माध्यम से आप कह रहे हैं कि आपने नाम बदल दिया।

(मेजें थपथपाई गईं)

यह समाजवादी शब्द तो कान्स्टीट्यूशन का है। स्किल डेवलेपमेंट में भी आपकी सरकार में काम रुका पड़ा था। बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी तो स्किल डेवलेपमेंट प्रोग्राम बन्द था। स्किल डेवलेपमेंट वाले प्रोग्राम में देश में कई प्रदेशों ने काफी काम किया और हम उत्तर प्रदेश वाले पीछे रह गये। आधार वाला प्रोग्राम भी अगर किसी ने बन्द किया, ठप्प किया तो वह इन्हीं की सरकार ने कर दिया। पूरा बन्द कर दिया। कोई काम उसमें आगे नहीं बढ़ पाया। इसलिये जो काम रुके पड़े थे, उनको भी आगे बढ़ाया। स्किल डेवलेपमेंट प्रोग्राम में जो काम शुरू हुआ है अभी जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, बच्चों ने ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन किया है वह 30 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो यह कहीं न कहीं हम लोगों को आंकड़े मिल पा रहे हैं, नहीं तो यह पहले आंकड़े कहां से मिलते कि कहां कितने बेरोजगार हैं, कौन नौकरी चाहता है। कम से कम यह आंकड़े तो आ रहे हैं सरकार के पास। जहाँ यह कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा युवा और नौजवान प्रदेश है तो उतनी बड़ी

चुनौती भी समाजवादियों के सामने है क्योंकि न तो उम्र रुकनी है और उम्र बढ़ती जायेगी। यही नौजवान अगर समय पर काम, समय पर रोजगार, समय पर इन्हें मौका नहीं मिला तो कहीं न कहीं देश और प्रदेश के सामने भी संकट दिखाई पड़ेगा। जब उत्तर प्रदेश के आंकड़े बदलेंगे तब जाकर के देश के आंकड़े बदलेंगे। इसलिये उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का जो जनता ने और जो खासकर हर समाज के लोगों ने हमको मौका दिया है, समाजवादियों को, उस पर हम खरे उतर रहे हैं। घोषणा-पत्र को लागू कर रहे हैं और जो सबसे ज्यादा पीछे रहे गये हैं वह चाहे हमारे अल्पसंख्यक मुस्लिम भाई हों, उनके लिये भी हम विशेष योजना चला रहे हैं। आपने कहा कि हम कम्बल और साड़ी नहीं बांट पाये। हम स्वीकार करते हैं कि उसमें देरी जरूर हुई है लेकिन देरी इसीलिये हो गई हम चाहते हैं कि बुनकर भाइयों से साड़ी खरीदी जाय और उसके लिये हम लोग रास्ता निकाल रहे हैं। आने वाले समय में अगर साड़ी दी जायेंगी तो हम बुनकर भाइयों से लेकर देंगें क्योंकि हम चाहते हैं कि उनका भी भला हो। (मेजें थपथपाई गईं) इसी तरह से कम्बल में भी देरी हुई। कम्बल बंटे हैं, आपके विभाग से बड़े पैमाने में बंटे हैं कम्बल। लेकिन कम्बल बांटने में देरी हुई लेकिन वह अमरोहा की रजाई कैसे शामिल करते। अब आपने तो कभी देखी नहीं होगी अमरोहा की रजाई। माननीय नेता प्रतिपक्ष की जानकारी में ही नहीं होगी कि अमरोहा में एक अलग तरह रजाई बनती है। बहुत अच्छी रजाई है, सस्ती रजाई है। अगर कहीं हमको उस दिशा में भी काम करना पड़ेगा। वो धुनकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं वह बनाते हैं यह रजाई। तो वह भी हमको लेना पड़ेगा शामिल करना पड़ेगा तो उसमें शामिल करेंगे। अगली जब सर्दी आयेगी, हालांकि पैसा बच गया है। पैसा बचा जरूर है लेकिन कोई यह कह दे कि हम लोग उस योजना को पूरा नहीं करेंगे तो यह सही नहीं है समाजवादी लोग कभी वायदा खिलाफी नहीं करते हैं। देर हो सकती है लेकिन जिस नीयत से हम लोगों ने, अगर देरी कहीं हो गई तो वह बुनकर लोगों को लाभ पहुंचेगा और अगर हमें परिवर्तन करके कुछ और लेना पड़ेगा तो उससे गरीब को और जो उत्तर प्रदेश में ही चीजें पैदा होती हैं उनको मदद पहुंचेगी हम उस दिशा में भी काम करेंगे इसी के साथ जिन माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव दिए हैं मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

(मेजें थपथपाई गईं)

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव और संशोधन के प्रस्ताव दोनों के माध्यम से, मान्यवर, अब तक 46 सदस्यों ने अपनी सहभागिता निभाई मान्यवर, धन्यवाद के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने वाले और संशोधन के प्रस्ताव के पक्ष में अपनी बात रखने वाले दोनों ने अपने क्षेत्र की पीड़ा किसी न किसी माध्यम से इस राज्यपाल के अभिभाषण में चर्चा के दौरान रखी। यह तो औपचारिकता है कि सत्तापक्ष के माननीय सदस्यगण धन्यवाद प्रस्ताव लायेंगे ही, क्योंकि महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण सरकारी दस्तावेज ही है इसलिए सरकार की अपनी नैतिक जिम्मेदारी है कि वह अपने दस्तावेज के खिलाफ बोल नहीं सकते हैं। मान्यवर, सत्तापक्ष के श्री अनूप संडा जी, जिन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव रखा संग्राम सिंह जी जो समर्थन में बोले, साथ ही साथ जाहिद बेग जी, मो0 इरफान जी, शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी जी, श्याम बहादुर यादव जी, मदन

चौहान जी श्री चन्द्र जी, रिजवान जी, शारदा प्रताप शुक्ला जी इसके साथ ही साथ संशोधन प्रस्ताव में हमारे नेता भा0ज0पा0, नेता कांग्रेस, नेता लोकदल के साथ-साथ नेता अपना दल और उसके अतिरिक्त श्रीमती रीता बहुगुणा जी, शमशेर बहादुर जी, मनीष असीजा जी, कालीचरण सुमन जी, अनीसुर्रहमान जी और गुड्डू जमाली शाह आलम जी, आलोक कुमार जी, श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव जी, रोशन लाल जी, पहाड़िया जी, कृष्णकांत राजपूत जी, श्री अजय मिश्र जी, श्री अजय कुमार लल्लू जी और इसी के साथ-साथ सीमा द्विवेदी जी, सुदेश शर्मा जी, बब्बन सिंह चौहान जी, भदौरिया जी, अमरपाल शर्मा जी, निरंजन जी, राजेश त्रिपाठी जी, नीरज मौर्या जी, अगयश राम वर्मा जी, अनुरागी जी, किरन लाल अहिरवार जी, विमला सोलंकी जी, सुरेश बंसल जी, श्री लोकेश दीक्षित जी, विजय दुबे जी, छोटेलाल वर्मा जी, दीपक सिंह जी, रजनी तिवारी जी, आज माननीय सदस्यों ने अपनी पीड़ा अपनी बातों के माध्यम से रखी सबसे पहले मैं नेता सदन मा0 मुख्य मंत्री जी की बात को ध्यान में रखते हुए कोशिश करुंगा धीमे आवाज में बोलने की। कभी-कभी तेज आवाज में मुझे इसलिए बोलना पड़ता है कि गूंगी, बहरी, अंधी सरकार सामान्य भाषा नहीं समझती है। कुम्भकर्णी नींद सोने वाली सरकार को झकझोरना ही पड़ता है और इसीलिए मुझे कभी-कभी हथौड़ा चलाना पड़ता है और मान्यवर, मैं जानबूझ करके प्रहार इसलिए करता हूं कि जिससे मुख्य मंत्री जी को एहसास रहे कि मैं मुख्य मंत्री हूं क्योंकि इनके चाचा लोगों ने इनको भतीजे के दायरे से कभी बाहर ही नहीं निकलने दिया और सारे के सारे चाचा लोग इनको भतीजा बना करके इनके कद को छोटा करने की कोशिश करते रहते हैं और मैं मुख्य मंत्री जी को मुख्य मंत्री होने का एहसास करा करके उनके कर्तव्यबोध की ओर ले जाना चाहता हूं। मान्यवर, हमारे कुछ साथी कह रहे हैं कि यह पुरानी बात है, आखिर जो भतीजा बनाकर रखे हैं, वे इन्हें मुख्य मंत्री स्वीकार नहीं कर सकते, इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि उनका अधिकार कहीं न कहीं छिनेगा, चाचा होने का। तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं, जैसा अभी आपने कहा कि हमने अपनी सभी घोषणाओं पर अमल किया है। मैं इसे सफेद झूठ इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि असंसदीय हो जायेगा, लेकिन इतना जरूर कह देता हूं कि मा0 मुख्य मंत्री जी ने बहुत ही चतुराई के साथ अपनी नाकामयाबियों पर पर्दा डालते हुए प्रदेश की जनता की आंख में धूल झोंकने का काम किया है। मा0 मुख्य मंत्री जी ने यह तो स्वीकार कर लिया कि हम साड़ी, कम्बल नहीं बांट पाये लेकिन मा0 मुख्य मंत्री जी इस बात को स्वीकार कर लेते कि हम अभी तक बैटरीयुक्त रिक्शा भी नहीं दे पाये, हम अभी तक केवल एलडीबी का कर्जा माफ किए हैं, शेष बैंकों का कर्जा नहीं माफ किए, जिसके चलते कर्जा माफी के आश्वासन के बाद वह सारे के सारे बैंकों के कर्जदार अपना कर्ज चुकाना इसलिए बन्द कर दिए कि उनको विश्वास था कि उनका कर्जा माफ होगा। नतीजा यह हुआ कि तमाम बैंकों की रिकवरी प्रभावित हुई और प्रदेश की सरकारी बैंकें बुरी तरीके से प्रभावित हुई। मान्यवर, आज मा0 मुख्य मंत्री जी की उन्हीं घोषणाओं का दुष्परिणाम है, जिसके नाते आज सहकारी बैंकें बन्द होती नजर आ रही हैं। मान्यवर, यह सही है कि मैं पढ़ा-लिखा होने के नाते समाजवाद की परिभाषा जानता हूं।

(सत्तापक्ष के सदस्यों के कुछ बोलने पर)

अरे, मैं उधर भी आ रहा हूं, तसल्ली रखिए।

श्री अध्यक्ष-

मौर्य जी, आखिरी दिन है, लोगों को जाना भी है, संक्षेप में कह दीजिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

ठीक है, मान्यवर, मुझे बिल्कुल इस बात का ध्यान है। माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं समाजवादी पार्टी में कभी नहीं था। सारे के सारे समाजवादी पार्टी के नेता, सारे के सारे समाजवाद की विचारधारा रखने वाले नेता, लोहिया जी के बाद जब उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था तो चौधरी चरण सिंह जी के नेतृत्व में सारे लोग लामबन्द हुए तो स्वाभाविक रूप से मैंने भी चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में काम किया, उनके नेतृत्व में मुझे भी काम करने का मौका मिला और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष होते थे तो उनके नेतृत्व में भी कुछ दिनों तक लोकदल का महासचिव और उसके बाद में उनके साथ भी लोकदल में प्रदेश महासचिव रहने का मौका मिला। लेकिन उस समय समाजवादी पार्टी नहीं थी। इसलिए नेता जी के साथ तो था लेकिन चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में जब काम कर रहे थे, तब था। मान्यवर, इन्होंने एक अच्छा काम करने का थोड़ा प्रयास जरूर किया, लैपटाप बांट करके विद्यार्थियों को, लाभ पहुंचाने की कोशिश की लेकिन शायद इनको यह नहीं मालूम कि ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल भी नहीं चार्ज हो पाता है, बिजली के अभाव में। तो लैपटाप कैसे चलेगा।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मौर्या जी, आपका लैपटाप अभी भी मेरे दफ्तर में रखा हुआ है आप उसे ले नहीं रहे हैं। क्या करें उसे हम, उसे वापस कर दें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, इसी सदन में आपके समक्ष विभिन्न सूचनाओं के माध्यम से चरमराई बिजली व्यवस्था, गन्ना किसानों का उत्पीड़न तमाम मुद्दों पर बड़ी बातें हो चुकी हैं हम उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहते हैं। संशोधन प्रस्ताव रखते वक्त हमने लगभग एक घण्टे पचास मिनट में विस्तार से अपनी सारी बातें रखी थीं। हम उसको भी नहीं दोहराना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मा0 मुख्य मंत्री जी जो आप चाहते हैं वह हो लेकिन उसके बाद भी अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो कहीं न कहीं लोग आपको बौना करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर आपकी नजर रहनी चाहिए। मान्यवर, समाजवादी पार्टी की सरकार अल्पसंख्यकों की दुहाई तो देती है लेकिन अल्पसंख्यक आयोग के विषय में बार-बार सरकार को घेरने के बाद भी अल्पसंख्यक आयोग का आज तक गठन नहीं हो पाया है। इनको अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य नहीं मिल पाये। जिसके नाते अल्पसंख्यक समस्याओं से संबंधित तमाम समस्याओं का निदान नहीं हो पा रहा है। मान्यवर, जहां तक फोर लेन सड़क की बात है तो उसकी शुरुआत हमारी ही सरकार ने किया था। यह इत्तेफाक है कि वह फोर लेन सड़क हमारे द्वारा बनवायी गयी थी और उद्घाटन आपने किया। मथुरा एक्सप्रेस हाइ-वे बनाया हमारी सरकार ने लोकार्पण इन्होंने किया, मान्यवर, यह तो झूटी वाहवाही ले गये लेकिन वह भी रास्ता हमने दिखाया। मान्यवर, अभी मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी बगल में बैठकर कह रहे थे कि कुछ लेकर

भागे कुछ देकर भागे लेकिन सपा सरकार तो ऐसी है कि ठेकेदार इनको देखकर भागे। मा0 मुख्य मंत्री जी की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस-वे, तीन बार टेण्डर किया कोई ठेकेदार आया ही नहीं अंत में मा0 मुख्य मंत्री जी को मजबूर होकर उसको सरकार से निर्माण कराने का निर्णय लेना पड़ा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

असल में यह खबर उड़ गयी थी कि उसमें आप भी आने वाले हैं।

(हंसी)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

अब मान्यवर, अपनी कमियों पर कितना भी पर्दा डाल लें वह तो जनता के बीच चला ही जाता है। तो आप तो ऐसे हैं कि आपको देखकर लोग भाग जाते हैं कि हम काम भी करायें काम कराने का मेहनताना न मिले बोलने पर कहीं जान से न हाथ धोना पड़े। तो जब ऐसे हालात हैं तो कोई ठेकेदार क्यों आयेगा। मान्यवर, इसके साथ ही साथ मा0 मुख्य मंत्री जी ने कहा मैं फोरलेन के माध्यम से सभी जिला मुख्यालयों को जोड़ना चाहता हूं यह निर्णय अच्छा है लेकिन मान्यवर, उस निर्माण की कोई समय-सीमा होगी। दो साल से लखनऊ-रायबरेली-इलाहाबाद मार्ग पर चलना दूभर हो गया। दो साल से बन रहा है कितने साल तक बनेगा अभी कोई ठिकाना नहीं और मान्यवर, हालात बद से बद्तर हो गये। दो साल से जब से सरकार बनी हर साल बरसात के बाद सड़कों की मरम्मत होती है। लेकिन दो साल से सरकार बनने के बाद सारी की सारी सड़कें राम भरोसे पड़ी हैं। अगर आपको गोरखपुर से बनारस जाना हो और साथ में अगर कोई बीमार बैठा हो। तो जाते-जाते वह जान से हाथ धो बैठेगा, यही हाल मान्यवर, आज लखनऊ-इलाहाबाद की हो चुकी है।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

यह एन0 एच0 है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, सरकार यह कह कर के अपनी जिम्मेदारियों से हट नहीं सकती, प्रदेश सरकार उसको बनाने के लिए केन्द्र सरकार से समय-समय पर वार्ता कर आवश्यक धन की मांग कर उसको भी बनाने की पहल उसे करनी चाहिए। मान्यवर इसी के साथ ही साथ सुल्तानपुर से बनारस का यही हाल है, मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि मा0 मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में यह रहे, चूंकि मा0 मुख्य मंत्री जी को तो सड़कों पर जाना पड़ता नहीं, इसलिए इस बदहाली को आप अच्छी तरीके से समझ नहीं सकते, इसलिए आपके संज्ञान में लाना जरूरी है। मान्यवर, इसी प्रकार से अभी मा0 मुख्य मंत्री जी ने कहा, यह सही है कि आज 22 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश है, स्वाभाविक रूप से इतनी भारी संख्या वाले उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर मरीज आयेंगे, अस्पतालों में पर्याप्त चिकित्सा व्यवस्था होनी चाहिए, इसके साथ ही साथ डाक्टर, पैथोलॉजिस्ट और अन्य कर्मी भी होने चाहिए, तो मेडिकल, पैरा-मेडिकल मा0 मुख्य मंत्री जी को या तो जानकारी नहीं है या तो जानबूझकर के नादान बनने की कोशिश कर रहे हैं, शायद हमारी ही सरकार में होम्योपैथ मेडिकल कालेज गोरखपुर, हमारी

ही सरकार में होम्योपैथ मेडिकल कालेज, अलीगढ़, हमारी ही सरकार में आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, झांसी, बांदा, सहारनपुर वह सहारनपुर जिसका अभी आप लोकार्पण कर के आये, इन सारे के सारे मेडिकल कालेजों का निर्माण हमारी सरकार ने किया है। इसी प्रकार मान्यवर, जैसा अभी मा0 मुख्य मंत्री जी कह रहे थे हम गुणवत्ता पर बहुत ध्यान देते हैं, देना चाहिए क्योंकि प्रदेश की जनता का हित उन्हें सदैव रखना चाहिए लेकिन मैं आपके संज्ञान में बता दे रहा हूं कि आपकी गुणवत्ता कैसी है, केवल एक उदाहरण दूंगा ज्यादा नहीं, साहिबाबाद विधान सभा क्षेत्र में भोजपुरा से टीलामोड़ तक पी0डब्ल्यू0डी0 द्वारा छः महीने पहले सड़क बनाई गई, आज लगभग एक-एक फिट, आधे-आधे फिट के गड्ढे हैं, मात्र छः महीने पहले बनाई गई है, मा0 लोक निर्माण मंत्री जी भी बैठे हैं इसका संज्ञान ले लेंगे, शायद संज्ञान में नहीं आया हो, तो आज संज्ञान में आ जायेगा और इसको देख लेंगे कि आपकी चाहत के विपरीत लोग कैसे काम करते हैं।

लोक निर्माण, सिंचाई, राजस्व एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

माननीय अध्यक्ष जी, मौर्या जी को शायद पता नहीं है, दिल्ली नगर निगम ने अभी तक मरम्मत कराई है उसकी दिल्ली नगर निगम परमीशन नहीं दे रहा है वहां पर कुछ लोग 51 धरने पर बैठे हैं उसके बावजूद भी अब मैंने उसे स्वीकृत किया है, जितनी भी वहां पर जमीन पर सड़क बनानी है, अब स्वीकृत हुई है, अगर वह नहीं परमीशन देंगे, तब भी हम उसे अब ठीक करायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उसका संज्ञान लिया, धन्यवाद।

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

माननीय मौर्या जी, आपकी पार्टी के एक ठेकेदार ने हमारे बलिया जनपद में एक मार्ग का ठेका लिया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय रिजवी साहब बैठिये। मौर्या जी जारी रखिये।

(माननीय अध्यक्ष जी और सदस्य श्री जियाउद्दीन रिजवी जी द्वारा एक साथ अपनी-अपनी बात कहने की वजह से सदस्य की पूरी बात सुनाई नहीं दी।)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, रिजवी साहब हमारे पुराने साथी हैं लेकिन शायद इनको यह नहीं मालूम कि ये जिस ठेकेदार की बात कर रहे हैं, उस ठेकेदार पर इस सरकार को भी विश्वास है और बड़े पैमाने पर इस सरकार ने उसी ठेकेदार के माध्यम से काम कराना शुरू किया है तो इसलिये मान्यवर, रिजवी साहब की बात और उनका आरोप अपने आप खत्म हो जाता है। मान्यवर, एक बात और कि बार-बार यह सत्तापक्ष के सदस्य खड़े हो करके टोकते इसलिये हैं कि हमारी बात उनको अच्छी लगती है। सत्ता में होने के नाते वे बोल नहीं सकते, अपनी पीड़ा कह नहीं सकते। मेरे द्वारा जब

समस्याओं को रखा जाता है तो मुझे बार-बार सुनना चाहते हैं। आप मुझे बार-बार रोकते हैं लेकिन वे बार-बार मुझे सुनना चाहते हैं इसीलिये बीच में टोका-टाकी करके मेरी बात को और आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं इसलिये मान्यवर, मैं इसको अन्यथा नहीं लेता। मान्यवर, चूंकि इसलिये मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अधिकारी अच्छे खराब दोनों होते हैं। यह बात सही है लेकिन बात यह है कि अच्छे अधिकारियों से काम लेने वाले भी अच्छे होने चाहिये। आज जब ये जानते हैं कि अच्छे अधिकारी हैं तो अच्छे अधिकारियों का इस्तेमाल क्यों नहीं लेकिन हालात तो अब दूसरे हो गये। अच्छे अधिकारियों की खैर नहीं और भ्रष्टाचारियों से बैर नहीं। यह समाजवादी पार्टी सरकार का फार्मूला बन गया है और इसीलिये कोई भी अच्छा अधिकारी इमानदारी से काम करना चाहता है। चाहे वह जिलाधिकारी हो, चाहे पुलिस कप्तान हो या अन्य विभागों के प्रमुख सचिव हों। जो भी अच्छे अधिकारी हैं, अगर अच्छे अधिकारी काम करते हैं तो वे बलि का बकरा बना दिये जाते हैं क्योंकि आपके तमाम छोटे-छोटे पदाधिकारी जो जिलों में होते हैं, वे उन अधिकारियों को चलने नहीं देते और एक-दो बार तो आप भी टालोगे। आप जानते हो कि अच्छे अधिकारी हैं, काम करना चाहिये लेकिन बार-बार कोई आपका सदस्य, आपका पदाधिकारी एक दर्जन बार शिकायत लेकर आयेगा तो आप अपने उस कार्यकर्ता का सम्मान बचाने के लिये उस अच्छे अधिकारी को बलि का बकरा बना देंगे तो अच्छे अधिकारी काम क्यों करेंगे। अच्छे अधिकारी आज जो हैं भी, आपकी सरकार में उनको खुला काम करने का वातावरण नहीं मिल पा रहा है और यही कारण है कि आज अच्छे अधिकारी भी कहीं न कहीं उपेक्षित हैं, उदासीन हैं, काम नहीं दिया जाता। उनकी प्रतिभा और क्षमता का इस्तेमाल नहीं किया जाता इसलिये हम चाहेंगे कि अगर आप यह समझ रहे हैं तो अच्छे अधिकारियों को तरजीह देने के लिये जो तमाम गलत शिकायतें और सिफारिशें आती हैं उसको नजर अन्दाज करना पड़ेगा और जनहित एवं अच्छे अधिकारियों की उपेक्षा न करके उनसे अपेक्षित काम लेने का प्रयास करना चाहिये। कुछ बुरे अधिकारी भी होते हैं इसलिये मान्यवर, जिसे हम जानते हैं कि बुरे अधिकारी हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने में भी पीछे नहीं रहना चाहिये। जैसा कि आपके खुद संज्ञान में है कि एक घूस लेते अधिकारी की जानकारी आपको आयी, उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के बजाय उसको एक जगह से दूसरी जगह हटा दिया तो ऐसे गलत अधिकारी का हौसला बढ़ेगा इसलिये मान्यवर, मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि चूंकि हम आज अच्छे वातावरण में अभी आपके नेतृत्व में उठेंगे भी। हम चाहते हैं कि पक्ष और विपक्ष सकारात्मक बहस करके प्रदेश को एक सकारात्मक गति दें, विकास दे और हम सत्तापक्ष के हैं या विपक्ष के इसकी गहराई में बिना गये इस सदन में जो भी बात रखता है उनको गम्भीरता से लेना चाहिये। संशोधन के रूप में जो प्रस्ताव दिये गये हैं, उन सारे संशोधनों पर मा0 मुख्य मंत्री जी की कोई बात नहीं आयी है इसीलिये मैं अपने संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूं और उसके साथ ही साथ प्रयास करता हूं और मेरा प्रयास होगा कि मा0 मुख्य मंत्री जी, हमारे संसोधन पूरे विपक्ष के संशोधन इसलिए गए है कि वह कहीं न कहीं आपका मार्ग दर्शन करेंगे। उनको आप गंभीरता से लेंगे तो प्रदेश के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ संशोधन के प्रस्ताव पर बल देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

(श्री सतीश महाना के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अभी आपको इस पर भाषण नहीं देना है, जो प्रस्तावक हैं, वह अपना पक्ष रख दें उसके बाद, जो स्पष्टीकरण पूछना होगा, तब पूछियेगा। अभी मा0 सण्डा साहब अपना रख दें, उसके बाद पूछियेगा।

*श्री अनूप सण्डा-

मा0 अध्यक्ष जी, आज इस चर्चा का अंतिम दिन है और सम्पूर्ण चर्चा में मा0 नेता प्रतिपक्ष, मा0 नेता भारतीय जनता पार्टी, मा0 नेता कांग्रेस पार्टी, मा0 नेता राष्ट्रीय लोकदल और मा0 नेता अपना दल सहित सत्तारूढ़ दल के 12 सदस्यों ने और विपक्ष के 36 सदस्यों ने कुल 48 सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया। बड़े ही सकारात्मक माहौल में बहुत अच्छे ढंग से यह चर्चा हुई, मैं आप सब के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं और यह चर्चा बहुत अच्छे ढंग से हुई मान्यवर, इसके पीछे एक वजह और भी थी कि हमारी सरकार की कार्य प्रणाली। हमारी सरकार के काम इतने अच्छे हैं कि चाहकर भी हमारे विपक्ष के साथी, बहुत विद्वान साथी भी, कोई ऐसी बात नहीं निकाल सके, जिससे सरकार को कटघरे में खड़ा कर सके। मा0 मौर्या जी, जैसा वक्ता, मैंने पहले भी उनके भाषण सुने हैं, कुछ चीजें वे हर बार दोहरा देते हैं, झूठ का पुलिंदा है, जमीनी हकीकत से दूर है, डॉ0 लोहिया का समाजवाद उनके साथ चला गया। अरे समाजवाद कोई हाथी थोड़ा न है जो सरकार जाने के साथ दिल्ली चला जायेगा। समाजवाद तो जब तक हिन्दुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में शोषण है, अन्याय है, गरीबी है और जब तक उसके खिलाफ संघर्ष है, तब तक समाजवाद कायम रहेगा और तब तक लोहिया की विचारधारा कायम रहेगी मान्यवर। तो मान्यवर, आपके मन में जो आता रहा आप बोलते रहे और हमारी सरकार का तो यह भी प्रमाण है कि हम कितने लोकतांत्रिक हैं कि आप की निरर्थक आलोचना को भी हमने बहुत प्यार से सुना लेकिन यह भी है कि आपने सुझाव दिये और एक बात हम सारे लोगों को प्रमाणित है कि मुख्य मंत्री जी के प्रति आपका जो स्नेह है, वह अद्वितीय है और हमको तो यह लगता है कि कई बार चाचा का उनके आप जिक्र करते हैं आप भी चाचा ही हैं मुख्य मंत्री जी के, क्योंकि जो आप बराबर मुख्य मंत्री जी की प्रशंसा करते रहते हैं और हम लोग आपकी इस उदारता के लिए और आपकी इस सहिष्णुता के लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी के साथी रहे हो। अब हम तो चाहते हैं कि अगर इधर आ जाए पुराने साथी रहे है, बता चुके हैं हम लोगों को, हमको भी एक नेता मिल जायेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, सण्डा जी लगता है, नेता सदन के दुश्मन हैं, चार चाचा ही उन पर इतने भारी हैं कि मुख्य मंत्री चार चाचाओं से नहीं उबर पा रहे हैं, पांचवे चाचा की खोज न करें और मान्यवर, वे नेता सदन हैं, मैं नेता प्रतिपक्ष, भाई-भाई का सम्बन्ध है, चाचा-भतीजे का सम्बन्ध बनाने से अपने नेता को नीचे न ले जाने की कोशिश करें। चार चाचा ही अभी उन पर भारी हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

श्री सण्डा जी, जल्दी समाप्त करें।

श्री अनूप सण्डा-

चाहे भारतीय जनता पार्टी के मा0 नेतागण, चाहे मा0 कांग्रेस के हमारे नेतागण रहे हो, आप लोगों ने जो भी कुछ आम मुद्दे हैं, प्रायः परम्परा के निर्वाह के लिए जो आलोचना में कह दिया जाता है कि साहब अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है लेकिन असलियत यह है कि लगातार काम हो रहा है और प्रदेश लगातार विकास की दिशा में लगातार बढ़ रहा है। मान्यवर, गन्ना किसानों की बातें आई थीं, आप देखिए पिछली सरकार में कितनी चीनी मिलें बिकी थी। श्रीमन्, लेकिन हमारी सरकार में एक भी चीनी मिल आज तक नहीं बिकी है। हमारी सरकार ने सत्ता में आते ही मोदीपुर, मेरठ और शाहजहांपुर की चीनी मिलों को चलाने का और उसे शुरू कराने का काम किया है। मेजों की थपथपाहट। कुछ माननीय सदस्यों ने अच्छे सुझाव दिये हैं। माननीय मनीष असीजा जी ने माननीया अनुप्रिया पटेल जी ने अच्छे सुझाव दिये हैं। हमारी सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है और हमें उम्मीद है कि हमारी सरकार उन पर निश्चित रूप से विचार करेगी। माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय नेता सदन ने, आज सदन में अपनी पूरी बात कही है। कई माननीय सदस्यों ने यह बात कही कि सरकार जो घोषणायें करती है उसे पूरा करने का काम नहीं करती है। ऐसा नहीं है मान्यवर हमारी सरकार ने कल 22 सौ करोड़ रुपये की योजनाओं का शिलान्यास किया है। मान्यवर, एक मैत्रय परियोजना की बात कहनी है उसमें 2003 में एमओयू साइन हुआ था। आप तो भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं और बुद्धम् शरणम् गच्छामी, धमममम् शरणम् गच्छामी, की बात कहते हैं आपने अपने पांच साल के शासनकाल में उस पर कुछ नहीं किया। हमारी सरकार ने सत्ता में आते ही उस कार्य को टेक अप किया और उसमें जमीन उपलब्ध करा दी है। मेजों की थपथपाहट। मान्यवर, नैतिकता की बात आयी है हमारी सरकार में पूरी तरह से नैतिकता है। माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय नेता सदन, यदि चाहते तो इस अधिवेशन के अवसर पर पूरा बजट ला सकते थे और उसमें तमाम नई योजनाओं की घोषणा कर सकते थे लेकिन उन्होंनें नैतिकता का परिचय देते हुए लेखानुदान लाने का काम किया है। क्योंकि यह सब जानते हैं कि कुछ समय बाद आचार संहिता लागू हो जायेगी और उन योजनाओं पर काम होना संभव नहीं होगा। इसलिए इस सरकार ने एक नया प्रतिमान कायम किया है। मान्यवर, महिलाओं की सुरक्षा की बात यहां पर उठी। हमारी सरकार ने सत्ता में आते ही 1090 नम्बर की हेल्पलाइन की योजना की शुरुआत की। वह योजना सफल हो रही है और उसको आगे बढ़ने के लिए हमारी सरकार अग्रसर हो रही है। मान्यवर, मैंने जो महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव रखा था उस समय यह कहा था कि यह उत्तर प्रदेश सरकार का दस्तावेज है। डा0 लोहिया के सपनों को पूरा करने वाला दस्तावेज है। इसमें कही गयी बातें मजदूरों, नौजवानों, बेरोजगारों के जीवन में एक नया सवेरा लाने वाली हैं। मैं इस अवसर पर पुनः धन्यवाद देते हुए मा0 नेता प्रतिपक्ष और विपक्षी दलों के मा0 नेताओं से यह अनुरोध करूंगा कि वे कृपया अपने संशोधनों के प्रस्तावों को वापस लेने का काम करें और इस धन्यवाद प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास कराने का काम करें। मेजों की थपथपाहट।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने सत्ता संभालते ही दो साल पहले यह कहा था कि सभी विधायकों को, शहरी विधायकों को हर साल 100-100 हैंडपम्प देंगे। उस घोषणा पर मा0 मुख्य मंत्री जी अमल कराने का कष्ट करें। मैं यह भी पूछना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी से कि जब आपने दो साल पहले सत्ता संभाली थी उस समय आम जनता ने जो आपमें विश्वास व्यक्त किया था उसमें और अब दो साल के बाद उस विश्वास में कितनी कमी आयी है वह बताने का काम करेंगे। तीन महीने के अंदर इसका परिणाम आपके सामने आ जायेगा माननीय मुख्य मंत्री जी।

श्री अध्यक्ष-

आप तो भाषण करने लगें। आप हैंडपम्प वाली बात पर अपना स्पष्टीकरण पूछ लें।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण आप मान रहे हैं उसका उत्तर आप दिलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

बैठिये, अब हो गया। अब वह उत्तर नहीं दे रहे हैं तो मैं क्या करूं।

श्री अखिलेश यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, असली मामला इनका नल का है और उसी पर यह पूरा सर्वे कर दिया उत्तर प्रदेश का कि आने वाले चुनांव में सर्वे हमारा भी कर दिया इन्होंने। तो जो शहर में हमारे माननीय सदस्य हैं उनके यहां दिक्कत आयेगी क्योंकि 100 जब नल दिये गये तो शहर में जितने भी माननीय सदस्य हैं उनके क्षेत्रों में नहीं लग पाये। तो वह जगह उपलब्ध न होने की वजह से भी और कुछ भी कारण रहा हो वह हम जानकारी कर लेंगे और माननीय सदस्य जो शहर के लोग हैं जहां माननीय सदस्य के शहरों में नल नहीं लगे हैं उसकी व्यवस्था कर देंगे। जहां तक उद्घाटन और शिलान्यास की बात है आप तो माननीय सदस्य बहुत पुराने सदस्य हैं यह दोनों परियोजनाओं को आपने ध्यान से नहीं पढ़ा अगर ध्यान से पढ़े होते तो यह सवाल नहीं करते स्पष्टीकरण न मांगते क्योंकि डेवलपमेन्ट एथारिटी का बजट कभी मेन बजट के अन्दर नहीं आता है तो जो परियोजनाएं कल हुई हैं या जो काम शुरू होगा वह डेवलपमेन्ट एथारिटी के माध्यम से है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं श्री राज्यपाल द्वारा दिये गये अभिभाषण के लिए प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव में माननीय नेता विरोधी दल की ओर से प्रस्तुत किये गये संशोधन प्रस्ताव को मतदान के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1- महामाया बालिका आशीर्वाद योजना के सम्बन्ध में,

2- महामाया आवास योजना के सम्बन्ध में,

3- डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के सम्बन्ध में,

4- सावित्री बाई फूले शिक्षा मदद योजना के सम्बन्ध में,

5- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री महामाया आर्थिक मदद योजना के संबंध में,

6- मा0 श्री कांशीराम जी शहरी आवास योजना के संबंध में,

7- मान्यवर, श्री कांशीराम जी शहरी दलित बाहुल्य बस्ती समग्र विकास योजना के सम्बन्ध में,

8- उत्तर प्रदेश कानून-व्यवस्था की खराब स्थिति के नियंत्रण के सम्बन्ध में,

9- उत्तर प्रदेश में सरकारी क्रय केन्द्रों पर किसानों के शोषण के सम्बन्ध में,

10- गुण्डे-माफिया अपराधी व अराजक तत्वों पर प्रभावी कार्यवाही के सम्बन्ध में,

11- दंगा पर प्रभावी नियंत्रण करने हेतु योजना के सम्बन्ध में,

12- प्रतिपक्ष के नेताओं और कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न रोके जाने के संबंध में,

13- उत्तर प्रदेश में किसानों को सिंचाई हेतु नहरों में पानी न होने के सम्बन्ध में,

14-हत्या, अपराध, लूट, बलात्कार, फिरौती जैसे जघन्य अपराधियों के राजनैतिक संरक्षण को रोकने के सम्बन्ध में,

15-प्रदेश में धान क्रय केन्द्र खुलवाने के सम्बन्ध में,

16-प्रदेश में बढ़ रहे बलात्कार/दुराचार/छेड़छाड़ घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के सम्बन्ध में,

17-गन्ना की कीमतों में बढ़ोत्तरी करने के सम्बन्ध में,

18-गन्ना किसानों को विगत पेराई सत्र का बकाया भुगतान कराने के सम्बन्ध में,

19-गन्ना किसानों का बकाया भुगतान ब्याज सहित न करने वाले चीनी मिल मालिकों को जेल भिजवाने के सम्बन्ध में,

20-विद्युत आपूर्ति समयबद्ध सारणी के अनुसार व पर्याप्त आपूर्ति न करने से उत्पन्न प्रदेश में भयंकर बिजली संकट के सम्बन्ध में,

21-अधिकारियों के अनियमित व निरन्तर स्थानान्तरण रोकने के सम्बन्ध में,

22-बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिलाने के सम्बन्ध में, तथा

23-गरीबों की जमीनों पर हो रहे अवैध कब्जे पर प्रभावी नियंत्रण के सम्बन्ध में।"

प्रश्न यह है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण के संबंध में जो संशोधन प्रस्ताव माननीय नेता विरोधी दल ने प्रस्तुत किया है उससे यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया है और अस्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी आपने सब पढ़ी लम्बी सूची दंगा बलात्कार एक हमारा भी जोड़ लीजिए, यह सब असत्य है।

श्री अध्यक्ष-

चलिये।

इसके अतिरिक्त अन्य संशोधन के प्रस्ताव भी जो उपस्थित किये हुए माने गये अस्वीकृत समझे जायेंगे। सदन ने उनके इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया इसके मायने उसका कोई महत्व नहीं है, सदन ने बहुमत से उसको अस्वीकृत कर दिया।

प्रश्न यह है कि इसके अतिरिक्त अन्य संशोधन के प्रस्ताव जो उपस्थित किये गये माने गये अस्वीकृत समझे जायेंगे।

प्रश्न यह है कि यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनो सदनों के समक्ष दिनांक 19 फरवरी, 2014 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया है और स्वीकृत हुआ)

[3.25] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 26-2-2014 को नियम-51 की कुल 111 सूचनायें प्राप्त हुईं है इन सबको स्वीकार करते हुए सब पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्राप्त सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानी गईं।

1-श्री आलमबदी की जनपद आजमगढ़ के निर्वाचन क्षेत्र 307 में जर्जर पिच रोडों को लोक निर्माण विभाग द्वारा विभागीय रोड स्वीकार कराते हुए निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। 2-श्री संजय प्रताप जायसवाल की जनपद बस्ती में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संचालित साक्षर भारत मिशन कार्यक्रम में प्रेरकों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में। 3-श्री रविन्द्र जायसवाल की लखनऊ महानगर क्षेत्रान्तर्गत सरोजनी नगर को नगर निगम की सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में। 4-श्री उमेश पाण्डेय जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुवन के विकास खण्ड फतहपुर मण्डाव चौथी मील से कुसहा तक नहर के किनारे बनी जर्जर सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में। 5-श्री रविदास मेहरोत्रा की जनपद जौनपुर में बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में निलम्बित क्लर्क श्री ललित श्रीवास्तव को माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का सचिव बनाये जाने के सम्बन्ध में। 6-श्री सलिल विश्नोई की कानपुर महानगर में विकास प्राधिकरण द्वारा मकानों को सील किये जाने की कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में। 7-श्री अनुग्रह नारायण सिंह की इलाहाबाद में राष्ट्रीय नदी गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाये जाने के सम्बन्ध में। 8-श्री कुलदीप सिंह सेंगर की जनपद देवरिया के शहीद रामचन्द्र इण्टर कालेज बसन्तपुर घोसी में प्रचारक पद पर कार्यरत कर्मचारियों को वेतन भुगतान के सम्बन्ध में। 9-श्री संत राम कुशवाहा की जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ में कतिपय सड़कों की मरम्मत के सम्बन्ध में। 10-श्री दीपक पटेल की जनपद इलाहाबाद के तहसील मीरजापुर के अन्तर्गत यू0पी0 एग्रो सेन्टर के नारायणपुर क्रय केन्द्र से किसानों को धान के मूल्य के भुगतान के

सम्बन्ध में। 11-श्री भगवान सिंह कुशवाहा की जनपद आगरा के सी0ए0टी0 मार्ग जगनेर रोड से डाड होते हुए मिर्जापुर तक की सड़क निर्माण के सम्बन्ध में। 12-डा0 अरूण कुमार की बरेली के 124 विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नैनीताल रोड से पीलीभीत रोड तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। 13-श्री लोकेश दीक्षित की जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र बड़ौत के अन्तर्गत ग्राम गांधी से निवाली मार्ग तक सड़क के मरम्मत के सम्बन्ध में। 14-डा0 धर्म सिंह सैनी की जनपद सहारनपुर के विकास खण्ड सरसावां में पशुओं की अज्ञात बीमारी के सम्बन्ध में। 15-श्री सिबगतुल्ला अंसारी की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदाबाद की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में। 16-श्री उदयराज यादव की जनपद लखनऊ में स्थित लोक बंधु राजनारायण संयुक्त चिकित्सालय कानपुर रोड में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में। 17-श्री जय प्रकाश निषाद की जनपद उन्नाव के ब्लाक असोहा के ग्राम पाठकपुर में सब-विद्युत पावर स्टेशन को चालू किये जाने के सम्बन्ध में। 18-श्री राजेन्द्र की जनपद खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के सम्बन्ध में। 19-श्री मो0 आसिफ जाफरी की जनपद खीरी के विकास खण्ड ईसानगर के अन्तर्गत ग्राम परसिया में पानी की टंकी से पेयजल की आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में। 20-श्री संत प्रसाद की जनपद गोण्डा में जयरामपुरवा ग्राम में तालाब के सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में। 21-श्री पूरन प्रकाश की जनपद मथुरा में ब्लाक बल्देव, राया आदि में किसानों की फसल बर्बाद होने से क्षतिपूर्ति दिये जाने के सम्बन्ध में। 22-श्री फेरन लाल की जनपद ललितपुर की विधान सभा क्षेत्र 227 मेहरौनी में हैण्डपम्प की कम बोरिंग किये जाने के सम्बन्ध में। 23-श्री अवस्थी बाला प्रसाद की जनपद खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में कतिपय सड़कों के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। 24-श्री गजराज सिंह की जनपद गाजियाबाद के कतिपय सड़कों के निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में। 25-श्री प्रदीप चौधरी की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र गंगोह के कतिपय ग्रामों में नये विद्युत उपकेन्द्र लगाये जाने के सम्बन्ध में। 26-श्री बब्बन सिंह चौहान की जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय में रेगुलेटर मरम्मत नहरों माइनरों की सफाई के सम्बन्ध में। 27-श्री गजेन्द्र सिंह की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर के विकास खण्ड जहांगीराबाद के ग्राम रौरा में प्रवीन कुमार को अस्पताल में इलाज न मिलने के सम्बन्ध में। 28-श्री बृजेश कुमार की जनपद हरदोई के माधौगंज में अंशकालिक अनुदेशक स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा को उसी विकास खण्ड में नियुक्त न किये जाने के सम्बन्ध में। 29-श्री हरविन्दर उर्फ रोमी साहनी की जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा के विकास खण्ड ईसानगर के कतिपय ग्रामों को पक्की सड़क से जोड़े जाने के सम्बन्ध में। 30-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) की वर्तमान मंहगाई को देखते हुए बिजली दरों में प्रस्तावित बढ़ोत्तरी को अनुमोदित नहीं किये जाने के सम्बन्ध में। 31-श्री सतीश महाना की कानपुर महानगर में विकास प्राधिकरण एवं आवास विकास परिषद् द्वारा विकसित कालोनियों को नगर निगम को हस्तान्तरित न किये जाने के सम्बन्ध में। 32-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की गोरखपुर महानगर में तरंग रेलवे क्रासिंग बन्द करने के सम्बन्ध में। 33-श्री सुरेश कुमार खन्ना की प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों की कमी के सम्बन्ध में। 34-सुश्री साध्वी निरंजन ज्योति की जनपद हमीरपुर में तहसील मौदहा और हमीरपुर के कतिपय ग्रामों में सड़क तथा रपटा पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में। 35-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया की कानपुर छावनी क्षेत्र में

सरकार द्वारा विकास कार्य न कराये जाने के सम्बन्ध में। 36-श्री अगयश राम सरन वर्मा की प्रदेश में प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा के अन्तर्गत स्कूलों में शिक्षकों के अभाव के सम्बन्ध में। 37-श्री जगन प्रसाद गर्ग की आगरा जनपद के लोहा मण्डी में जटपुरा की सड़क मरम्मत के सम्बन्ध में। 38-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले) की जनपद मेरठ में पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 में धांधली के सम्बन्ध में। 39-श्री रविन्द्र भड़ाना की मेरठ मेडिकल कालेज तथा जिला अस्पताल में डाक्टरों द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस के सम्बन्ध में। 40-श्री प्रशान्त कुमार सिंह उर्फ राहुल सिंह की जनपद सन्त कबीर नगर के नगर पंचायत हरहरपुर में बन्दरों के उत्पात के सम्बन्ध में। 41-श्री राजेश यादव की जनपद लखनऊ के जनता गर्ल्स इण्टर कालेज आलमबाग में राज्य कर्मचारी बीमा निगम के अंशदान धनराशि के वसूली के सम्बन्ध में। 42-श्री सुरेश राणा की जनपद शामली के थाना भवन क्षेत्रान्तर्गत बजाज हिन्दुस्तान लि0, शुगर फैक्ट्री द्वारा किसानों के बकाये का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। 43-श्री गेंदा लाल चौधरी की जनपद-हाथरस (महामायानगर) के कतिपय मार्गों का पुनर्निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में। 44-श्री रामचन्द्र यादव जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड-रुदौली के अन्तर्गत विकास का कार्य न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। 45-श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव की जनपद-वाराणसी के पेयजल का संकट दूर करने हेतु हैण्डपम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में। 46-श्री उत्कर्ष वर्मा की फरवरी, 2009 में होम्योपैथिक फार्मेसिस्ट के स्वीकृत एवं विज्ञापित पदों पर शीघ्रातिशीघ्र चयन कराये जाने के सम्बन्ध में। 47-श्री आशीष कुमार यादव की लोक निर्माण विभाग के एक आदेश से राजकीय निर्माण निगम को हो रही क्षति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। 48-श्री सुनील कुमार लाला की जनपद लखनऊ स्थित सरोजनी नगर क्षेत्र में कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। 49-सुश्री सावित्री बाई फुले की उत्तर प्रदेश परिवहन आयुक्त कार्यालय से जन सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना न दिये जाने के सम्बन्ध में। 50-श्री पूर्णमासी देहाती की जनपद पडरौना जिला मुख्यालय से रामकोला कप्तानगंज इन्दरपुर परतावल मार्ग की विशेष मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में। 51-श्री अनीसुर्रहमान की जनपद-मुरादाबाद के कांठ क्षेत्रान्तर्गत छजलैत में सरकारी डिग्री कालेज की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में। 52-श्री मो0 इरफान की जनपद-सम्भल की तहसील-चन्दौसी, ग्राम बेरनी में स्थित शिव मन्दिर के परिसर का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में। 53-श्री मनबोध प्रसाद की जनपद-देवरिया के सलेमपुर क्षेत्रान्तर्गत नगर पंचायत मंझौलीराज में 33/11 के0वी0ए0 का विद्युत फीडर स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में। 54-श्री सुरेश बंसल की विधान सभा क्षेत्र-गाजियाबाद अन्तर्गत कैलाभट्ठा चमन कालोनी में स्थित मुख्य नाले की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में। 55-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की मेरठ नगर निगम के मोहल्ला-रौनकपुरा में स्थित चार मंजिली इमारत को गिराकर दोबारा निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। 56-श्री विजय कुमार पासवान की जनपद-सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु क्षेत्रान्तर्गत पानी की निकासी हेतु बने नालों के चोक होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। 57-श्री रोशनलाल वर्मा की जनपद-शाहजहांपुर के तिलहर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय मार्गों का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। 58-श्री रमेश प्रसाद कुशवाहा की जनपद-सोनभद्र के कारखाना बाहुल्य क्षेत्र रेनूकोट स्थित अस्पताल में फार्मासिस्ट के स्वीकृत पदों के अनुरूप नियुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में। 59-श्री ओम कुमार की जनपद-बिजनौर के नहटौर और हल्दौर स्थित शमशानघाट की

बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। 60-श्री दलजीत सिंह की बुन्देलखण्ड क्षेत्र में नदियों पर बांध बनाकर एवं बरसात का पानी रोक कर सिंचाई हेतु उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में। 61-श्री भीम प्रसाद सोनकर की जनपद-बलिया की ग्राम पंचायत-नरही की भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। 62-श्री छोटेलाल वर्मा की जनपद-आगरा के फतेहाबाद क्षेत्रान्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में। 63-श्री रामहेत भारती की जनपद सीतापुर के विकास खण्ड हरगांव में राम मनोहर समग्र विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत गांवों में विकास कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में। 64-श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज की जनपद महोबा में बारिश, ओला वृष्टि एवं तेज हवायें चलने से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई कराये जाने के सम्बन्ध में। 65-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या की जनपद-लखीमपुर खीरी के धौरहरा क्षेत्रान्तर्गत कतिपय विकास खण्डों में नदी की कटान से आच्छादित पीड़ित परिवारों का पुनर्वास कराये जाने के सम्बन्ध में। 66-डा0 रमेश चन्द्र बिन्द की जनपद-मीरजापुर के मझवां क्षेत्रान्तर्गत कतिपय ग्रामों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में। 67-श्री राजेश त्रिपाठी की जनपद-गोरखपुर की तहसील गोला अन्तर्गत राम जानकी राज मार्ग संख्या-72 की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। 68-श्री मनीष असीजा की फिरोजाबाद नगर में स्थित श्रमिक परिवारों हेतु आवासीय योजना विकसित कराये जाने के सम्बन्ध में। 69-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य की लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित डायट प्रवक्ता के पदों हेतु शैक्षिक योग्यता में एस0सी0/एस0टी0 को छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में। 70-श्री अजय कुमार लल्लू की जनपद-कुशीनगर के तमकुहीराज क्षेत्रान्तर्गत कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। 71-श्री गोरख पासवान की जनपद-बलिया के बेल्थरा रोड क्षेत्रान्तर्गत गौरा नहर पटरी पुल से कलवारी होते हुए आरीपुर सरैयां तक सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में। 72-श्री जियाउद्दीन रिजवी की जनपद-बलिया के सिकन्दरपुर तहसील मुख्यालय पर अग्निशामक दस्ता स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में। 73-श्री राकेश बहादुर की जनपद फिरोजाबाद में ग्राम प्रधान पेय जल योजना के अन्तर्गत अधूरे पड़े कार्यों को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में। 74-श्री ममतेश शाक्य की जनपद-कासगंज के अमापुर क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड सहावर में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में। 75-श्री कालीचरन सुमन की जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कतिपय क्षेत्रों में सीवर लाइन को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में। 76-श्री हाजी मुसर्रत अली बिट्टन की जनपद-बदायूं के बिल्सी क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड सहवान में कतिपय ग्रामों में नहरों पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। 77-श्री संजय कपूर की जनपद रामपुर के टाउन एरिया केमरी में उप मण्डी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। 78-श्री राधेश्याम की उ0प्र0 बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में संविदा/मानदेय पर नियुक्त अंशकालिक अनुदेशकों को शिक्षण उपकरण एवं चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में। 79-श्री चन्द्रभान सिंह पटेल की शासन के आदेश संख्या-748/23-6-2013, दिनांक 09-05-2013 के अनुपालन में प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा सम्पन्न जांच आख्या के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में। 80-श्री गुटियारी लाल दुबेश की विधान सभा आगरा कैण्ट, ताजमहल के 3 कि0मी0 की दूरी पर नौपुरा, बीच का उखर्रा, बाल्मीक बस्ती, नाली एवं

गलियों का निर्माण कराने के सम्बन्ध में। 81-श्री राघव लखन पाल की जनपद सहारनपुर में माननीय मुख्य मंत्री की घोषणा के अनुरूप किसान मित्र योजना बहाल किये जाने के सम्बन्ध में। 82-श्री मुहम्मद गाजी की उ0प्र0 बेसिक शिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त शिक्षकों को बीमा धनराशि के भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में। 83-श्री विजय कुमार दुबे की जनपद-कुशीनगर के गुलहरिया रेगुलेटर से बनवरी छपरा एवं भुजौली से खड्डा तक पिच निर्मित मार्ग पर लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण में विलम्बता के चलते ग्रामीणों के आवागमन में भारी समस्या के सम्बन्ध में। 84-श्री दलवीर सिंह की प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में निजी नलकूपों में लगे विद्युत ट्रान्सफार्मर के खराब हो जाने पर किसानों द्वारा उन्हें स्टोर में लाने ले जाने की परम्परा को बदलने के सम्बन्ध में। 85-श्री जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी की जनपद बस्ती के निर्वाचन क्षेत्र बस्ती सदर के कतिपय जर्जर गड्ढ़ा युक्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में। 86-श्री अमरपाल शर्मा की गाजियाबाद की विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद के अन्तर्गत भौपुरा, गरिमा गार्डन, पसौडा, करैडहा, हिण्डन नदी पर नया नाले के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। 87-श्री दिलनवाज खान की बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र स्याना के अन्तर्गत ग्राम जाड़ौल ब्लाक जहांगीराबाद में व्याप्त विद्युत समस्या के समबन्ध में। 88-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत की जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना में पेयजल की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए 1000 हैण्डपम्प लगवाये जाने के सम्बन्ध में। 89-श्री अजय मिश्र 'टेनी' की लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र निघासन के ग्राम चाभुर्जी में दिनांक 20 फरवरी, 2014 को जंगली हाथियों द्वारा मनोहर लाल की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में। 90-श्री राजकुमार रावत की जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र गोवर्धन को तत्कालीन मा0 मुख्य मंत्री के घोषणा अनुसार तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में। 91-श्री गयादीन अनुरागी की जनपद हमीरपुर के विधान सभा राठ में एक मिनी जेल की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में। 92-श्री राधेलाल रावत की लखनऊ नगर की ठाकुरगंज (चौक) क्षेत्र में बसन्त विहार कालोनी में व्याप्त गंदगी एवं अपशिष्ट समस्या का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में। 93-श्री प्रदीप माथुर की मथुरा शहर में स्थित पुराने बस स्टैण्ड को नेशनल हाई-वे 2 पर गोकुल रेस्टोरेंट के सामने पराग डेरी परिसर में खाली पड़ी जमीन में से 5.00 एकड़ भूमि को सर्किल रेट पर रजिस्ट्री कराकर शीघ्र नया बस स्टैण्ड स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में। 94-श्री प्रभू दयाल बाल्मीकि की जनपद मेरठ के अन्तर्गत मेरठ से मवाना एवं मवाना रामराज तक की जर्जर सड़क का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। 95-श्री धर्मपाल सिंह की जनपद अम्बेडकर नगर के ब्लाक व तह0 अकबरपुर में लोहिया समग्र ग्राम विकास में चयनित ग्रामों का विकास कार्य पूर्ण न होने से पहले ही निर्मित मार्गों के क्षतिग्रस्त हो जाने के सम्बन्ध में। 96-श्री अनिल वर्मा की जनपद लखनऊ स्थित के0जी0एम0यू0 में वरिष्ठ प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ के रिक्त पदों पर प्रयोगशाला प्राविधिक की अन्तिम वरिष्ठता सूची के अनुसार पात्र कार्मिकों की पदोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में। 97-श्री जय प्रकाश अंचल की जनपद बलिया के निर्वाचन क्षेत्र बैरिया विकास खण्ड मुरली छपरा अन्तर्गत घाघरा नदी पर बन्धे का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। 98-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी की विकास खण्ड सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर के गांव खानपुर में पशु चिकित्सालय स्थापित करने के सम्बन्ध में। 99-श्री मुकुट बिहारी वर्मा की जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज में सम्पर्क मार्गों का निर्माण न होने के कारण आवागमन में हो रही असुविधा के सम्बन्ध में। 100-श्री मदन चौहान की

हापुड़ जनपद में एच0पी0डी0ए0 के अधिसूचित क्षेत्र में एन0एच0-24 हाइवे पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने के सम्बन्ध में। 101-श्री उपेन्द्र तिवारी की उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद द्वारा विज्ञापनों के माध्यम से नियम विरुद्ध की गई भर्ती को निरस्त करते हुए प्रकरण को आश्वासन समिति के सुपुर्द किये जाने के सम्बन्ध में। 102-श्री शारदा प्रसाद शुक्ल की उ0प्र0 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी के विद्यालयों के शिक्षकों को पेंशन सम्बन्धी शासनादेश में उल्लिखित प्रतिबन्धित शर्त को शिथिल किये जाने के सम्बन्ध में। 103-श्री कमाल युसुफ मलिक की जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के अन्तर्गत स्थित 33/11 विद्युत सब स्टेशन बैदौलागढ़ में 2x5 एम0बी0ए0 के दो परिवर्तक के स्थान पर 2x10 एम0बी0ए0 के दो परिवर्तक लगाकर क्षमता वृद्धि एवं 11 के0वी0ए0 के 30 किमी0 पोषकों के मेनलाइन के जर्जर तार व पोलों को बदले जाने के सम्बन्ध में। 104-श्री जन्मेजय सिंह की जनपद देवरिया के ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में। 105-श्री उमाशंकर की आदर्श नगरपालिका परिषद् रसड़ा अन्तर्गत शहर के बीचोबीच से बहने वाले नाले की प्रधानपुर ग्राम तक खुदाई एवं नाले के ऊपर आर0सी0सी0 स्लैब का निर्माण कराकर सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में। 106-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह की जनपद रायबरेली में नगर पंचायत लालगंज एवं डलमऊ के नॉन जेड0ए0 जमीन को खाली भूमि दर्शाकर बने हुए मकानों को ढहाकर कब्जा करना एवं भू-माफियाओं को प्रोत्साहन मिलने के सम्बन्ध में। 107-श्री नागेन्द्र सिंह यादव की मऊ जनपद के अन्तर्गत भगत सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अन्नूपार के केरमा मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ में जालसाजी के मान्यता के सम्बन्ध में। 108-श्री विजय बहादुर यादव की जनपद गोरखपुर में ग्राम सभा डुमरी में कच्चे मार्ग को पक्का निर्माण न कराये जाने से मार्ग में जल भराव एवं गड्ढे हो जाने से आवागमन में हो रही असुविधा से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। 109-श्री जगराम पासवान की जनपद फैजाबाद तह0 सदर में दबंगों द्वारा श्रीमती कौशिल्या देवी, वृद्ध असहाय महिला के मकान में अवैध कब्जे को हटाये जाने के सम्बन्ध में। 110-श्री तसलीम अहमद की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के सड़क निर्माण के सम्बन्ध में। 111-श्री बंशी सिंह पहाड़िया की शासन द्वारा अधिसूचित ड्राइविंग स्कूलों द्वारा परिसंकटमय एवं खतरनाक वाहन चालकों को दिये जा रहे प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाये जाने एवं सरकार द्वारा अधिसूचित स्कूलों को लीज पर परिसर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

जनपद सहारनपुर में विभिन्न चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रवीन्द्र कुमार मोल्हू द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दी गयी सूचना में यह उल्लेख किया गया है कि..

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री योगेश प्रताप सिंह ''योगेश भइया'')-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[जनपद सहारनपुर की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, किसान आज आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं इसका मुख्य कारण सरकार की असफलता रही है, जहां सरकार बड़े-बड़े दावे कर रही है, वहीं गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान करने में असमर्थ रही है। किसान भुखमरी के कगार पर आ गये हैं।

मान्यवर, बजाज शुगर मिल गागनौली, सहारनपुर किसानों का गन्ना मूल्य 51 करोड़ रुपये गन्ना समिति का बकाया कमीशन 1 करोड़ 35 लाख रुपये, शुगर मिल शेरमऊ, सहारनपुर, किसानों का गन्ना मूल्य 27 करोड़ रु0, गन्ना समिति का कमीशन 70 लाख, सहकारी चीनी मिल, सरसावां, सहारनपुर, किसानों का गन्ना मूल्य 7.5 करोड़, समिति का कमीशन 16 लाख, त्रिवेणी शुगर मिल देवबन्द, सहारनपुर, किसानों का गन्ना मूल्य 3.5 करोड़, गन्ना समिति का कमीशन 10 लाख, लक्ष्मी शुगर मिल, इकबालपुर, किसानों का गन्ना मूल्य 10.5 करोड़, समिति का कमीशन 26.5 लाख, मान्यवर, यह तो वर्ष 2013-14 का बकाया है। मान्यवर, अभी तो पिछले वर्ष का बकाया है जिसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है जो निम्नवत् है :-बजाज शुगर मिल गांगनौली किसानों का गन्ना मूल्य 4.5 करोड़ समिति का बकाया 1 करोड़ 32 लाख, लक्ष्मी शुगर मिल का गन्ना मूल्य 1 करोड़ 32 लाख समिति का कमीशन 15 लाख, शुगर मिल शेरमऊ गन्ना समिति का कमीशन 80 लाख त्रिवेणी शुगर मिल देवबन्द गन्ना समिति का कमीशन 14 लाख तथा बिडवी/वेव शुगर मिल गन्ना समिति का कमीशन 33 लाख जिसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है।

मा0 सदस्य द्वारा दी गई सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पेराई सत्र 2013-14 एवं 1012-13 के अन्तर्गत दिनांक 24-02-2014 तक जनपद सहारनपुर की प्रश्नगत चीनी मिलों के अवशेष गन्ना मूल्य एवं गन्ना समिति कमीशन की अद्यतन स्थिति निम्नवत् है :-

(धनराशि करोड़ रु0)

क्रम सं0	नाम चीनी मिल	पेराई सत्र 2013-14		पेराई सत्र 2012-13	
		बकाया गन्ना मूल्य 14 दिन पूर्व तक (एस0ए0पी0 से रु0 20/- कुन्तल कम की दर से)	बकाया गन्ना समिति कमीशन	बकाया गन्ना मूल्य	बकाया गन्ना समिति कमीशन
1	गांगनौली	61.75	2.10	0.00	2.85
2	शेरमऊ	50.34	1.99	0.00	2.21
3	सरसावां	25.01	1.03	0.00	0.80

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

4	देवबन्द	78.64	3.44	0.00	4.84
5	बिडवी	0.00	0.00	0.00	0.40
6	लक्ष्मी शुगर मिल	10.20	0.26	0.00	0.07

उपर्युक्त बकाये के विवरण के अनुसार पेराई सत्र 2012-13 के अन्तर्गत प्रश्नगत चीनी मिलों द्वारा देय गन्ना मूल्य का शत-प्रतिशत भुगतान कराया जा चुका है। बकाये गन्ना समिति कमीशन के सम्बन्ध में चीनी मिलों को नोटिसें निर्गत की गई है। अवशेष के सम्बन्ध में मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी एवं गन्ना विभाग के अधिकारियों द्वारा चीनी मिल प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक कर भुगतान हेतु प्रभावी कार्यवाही कराई जा रही है।

पेराई सत्र 2013-14 के अन्तर्गत देय गन्ना समिति कमीशन का चीनी मिलों द्वारा भुगतान किये जाने के उपरान्त इसकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार के विशेष प्रयास से तथा गन्ना कृषकों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए भारत सरकार से ''ब्याज उपादन योजना'' लागू करवाई गई है, जिसमें प्रदेश की चीनी मिलों को लगभग 1800 करोड़ रुपये का ब्याज रहित ऋण प्राप्त होगा, जो गन्ना कृषकों के अवशेष गन्ना मूल्य के भुगतान में सहायक होगा।

पेराई सत्र 2013-14 के अन्तर्गत देय गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु विभाग एवं शासन स्तर पर निरन्तर अनुश्रवण कर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में जिलाधिकारियों को भी टैगिंग आदेश के अनुसार गन्ना मूल्य का भुगतान कराये जाने हेतु निर्देश निर्गत किये गये हैं। जिन चीनी मिलों द्वारा बैंक लिमिट स्वीकृत नहीं कराई गई है, उन चीनी मिलों को चीनी, शीरा एवं बगास के स्टाक को गन्ना एवं राजस्व विभाग की संयुक्त अभिरक्षा में लेकर बिक्री से प्राप्त 85 प्रतिशत अंश गन्ना मूल्य के मद में भुगतान कराये जाने की कार्यवाही भी कराई जा रही है।

सरकार गन्ना कृषकों के हितों के प्रति संवेदनशील एवं गन्ना मूल्य का भुगतान कराये जाने हेतु कटिबद्ध है।]

जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद नगर में स्थित संयुक्त चिकित्सालय में विशेषज्ञ चिकित्सकों व तकनीकी कर्मचारियों के अभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

श्रीमती विमला सिंह सोलंकी, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24-02-2014 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी ...

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[सूचना में उल्लिखित है कि जनपद बुलन्दशहर में सिकन्दराबाद तहसील मुख्यालय एक औद्योगिक नगर है। यहां की आबादी एक लाख से ऊपर है तथा जनता की चिकित्सा सुविधा हेतु यहां पर एक संयुक्त चिकित्सालय है लेकिन उस चिकित्सालय में विशेषज्ञ चिकित्सकों जैसे-सर्जन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, रेडियोलॉजिस्ट आदि तथा तकनीकी कर्मचारियों का अत्यन्त अभाव है। यहां चिकित्सकों के कुल स्वीकृत पदों के सापेक्ष आधे चिकित्सक भी नहीं हैं। केवल एक नर्स है जिसके कारण नगर तथा नगर के आसपास की जनता को चिकित्सालय में वांछित चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाती है तथा इलाज के लिये उन्हें मंहगे प्राइवेट अस्पतालों व नर्सिंग होमों में जाना पड़ता है। गरीब परिवारों के बच्चे व पुरुष सस्ती सरकारी चिकित्सा उपलब्ध न होने के कारण चिकित्सा अभाव में दम तोड़ देते हैं। क्षेत्र की जनता को सस्ती चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु उक्त चिकित्सालय में विशेषज्ञ चिकित्सकों तथा तकनीकी स्टाफ की नियुक्ति की अत्यन्त आवश्यकता है। अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर सरकार से कार्यवाही करने एवं वक्तव्य की मांग करती हूं।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि संयुक्त चिकित्सालय/पी0पी0सी0, सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर में विशेषज्ञ चिकित्सकों में फिजीशियन, बालरोग विशेषज्ञ, रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, ऐनेस्थेटिस्ट, जर्नल सर्जन, आर्थो सर्जन, ई0एन0टी0 सर्जन, नेत्र सर्जन एवं दन्त सर्जन का एक-एक पद सृजित है जिसके सापेक्ष रेगुलर में 01 रेडियोलॉजिस्ट के अतिरिक्त 07 एम0बी0बी0एस0 पुरुष/महिला चिकित्सक तैनात हैं। इसके अतिरिक्त संविदा पर 02 आयुष एवं 01 एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक कार्यरत हैं। संयुक्त चिकित्सालय में 05 स्टाफ नर्स एवं 01 सिस्टर के स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में 03 स्टाफ नर्स तथा एक्स-रे टेक्नीशियन एवं एल0टी0 के स्वीकृत पदों के सापेक्ष 01-01 एक्स-रे टेक्नीशियन एवं एल0टी0 संविदा पर कार्यरत हैं। जिनसे संयुक्त चिकित्सालय, सिकन्दराबाद में समुचित चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है। संयुक्त चिकित्सालय, सिकन्दराबाद में माह जनवरी, 2013 से दिसम्बर, 2013 तक 1,12,214 नये रोगी तथा 51,790 पुराने रोगियों को उपचारित किया गया है तथा 762 मेडिकोलीगल 15,080 पैथालॉजी जांच एवं 1,035 रोगियों के एक्स-रे किये गये हैं।]

प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालय अनुदान द्वारा निर्गत नियमन 2010 के प्राविधानों को लागू किये जाने के उपरान्त भी अनुदानित महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का वेतन निर्धारित न किये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

श्री अजय कुमार 'लल्लू' मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत ...

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[निम्नवत् सूचना दी गई है :-

''प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक स्टाफ के सदस्यों की नियुक्ति के लिये निर्धारित अर्हता संबंधी नियमन तथा उच्च शिक्षा के अन्तर्गत मानकों के व्यवस्थापन के लिये आवश्यक उपायों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत नियमन 2010 के प्राविधानों को लागू किये जाने के पश्चात् भी अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का वेतन निर्धारित नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में यू0जी0सी0 द्वारा दिनांक 30 जून, 2010 के विनियमन को प्रभावी होने के पूर्व वरिष्ठ वेतनमान/चयन वेतनमान/रीडर वेतनमान हेतु अर्हता रखने वाले तथा उनके ऊपर पूर्व के परिनियम के प्राविधान (कैरियर एडवांसमेंट स्कीम) यथावत् लागू होंगे। इस संबंध में शिक्षा अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन, अनुभाग-1 द्वारा निदेशक को जारी पत्र, पत्रांक 377/सत्तर-1-2013-16(114)/2010 के पैरा-2 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार शिक्षकों का वेतन निर्धारित होना है, किन्तु निदेशालय स्तर पर इसमें जानबूझकर विलम्ब किया जा रहा है। इसके विलम्ब होने से उक्त महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में तथा सेवानिवृत्त शिक्षकों में शासन/निदेशालय के प्रति असंतोष व्याप्त है।

अतः जनहित एवं लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए वक्तव्य की मांग करता हूं।''

2-मा0 सदस्य द्वारा दी गई उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि शासनादेश दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 में यह प्रावधान किया गया है कि शिक्षकों के लिये कैरियर एडवांसमेंट हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत नियमन, 2010 द्वारा निर्धारित संशोधित कैरियर एडवासंमेंट स्कीम के अधीन पदोन्नति हेतु विगत सेवाओं की गणना के सम्बन्ध में किये गये प्रावधान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियमन-2010 निर्गत होने की तिथि 30 जून, 2010 से लागू होंगे। इससे पहले कैरियर एडवांसमेंट के सम्बन्ध में पूर्ववत् व्यवस्था ही लागू रहेगी। कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अन्तर्गत भी विश्वविद्यालयों के लिये निर्धारित चयन समिति/चयन प्रक्रिया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत नियमन, 2010 की व्यवस्था के अनुसार ही होगी, किन्तु महाविद्यालयों के शिक्षकों के सम्बन्ध में यह व्यवस्था पूर्ववत् बनी रहेगी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमन, 2010 के प्रावधानों को राज्य विश्वविद्यालय परिनियमावली में शासनादेश दिनांक 03 दिसम्बर, 2013 द्वारा सम्मिलित कर लिया गया है। तद्नुसार अग्रतर कार्यवाही राज्य विश्वविद्यालयों एवं निदेशक, उच्च शिक्षा के स्तर से की जा रही है।]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बदायूं की नगर पंचायत उसावां के चेयरमैन द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री सिनोद कुमार शाक्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

जनपद बदायूं की नगर पंचायत उसावां के चेयरमैन द्वारा की जा रही अनियमितताओं के संबंध में श्री सिनोद कुमार शाक्य ...

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना दिनांक 24-02-2014 में यह सूचित किया गया है कि ''जनपद बदायूं की नगर पंचायत उसावां के वर्तमान चेयरमैन द्वारा पिछले कई समय से विकास कार्यों के लिये कराये जा रहे टेंडरों में नियम विरुद्ध प्रक्रिया अपनाकर अपने कुछ निजी व्यक्तियों को ही कमीशन लेकर कार्य आवंटित किये जा रहे हैं और कार्य सिर्फ कागजों में ही किये जा रहे हैं तथा जो कार्य किये भी जा रहे हैं, वो मानकों के विपरीत एवं अत्यन्त गुणवत्ताहीन है।''

2-अवगत कराना है कि नियम-51 के अन्तर्गत दी गई उक्त सूचना पर जिलाधिकारी, बदायूं के पत्र सं0-1669/21-बी(2013-14) दिनांक 25-02-2014 द्वारा सूचित किया गया है कि ''उक्त सूचना दिनांक 24-02-2014 में इंगित शिकायतों में उल्लिखित तथ्यों की जांच हेतु उपजिलाधिकारी, दातागंज, अधिशासी अभियन्त प्रा0खं0 लो0नि0वि0 बदायूं तथा अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम, बदायूं की तीन सदस्यीय समिति का गठन करते हुए समिति से तीन दिन के भीतर आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है। समिति द्वारा जांचोपरान्त उपलब्ध कराई गई आख्या के परिणामों के यथाशीघ्र शासन को अवगत कराया जायेगा।''

3-जिलाधिकारी, बदायूं से उक्तानुसार जांच आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।]

जनपद हरदोई बिलग्राम-मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत माधौगंज पावर हाउस के नये फीडर का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजेश कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना में यह बिन्दु उठाया गया है कि जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र ...

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[159, बिलग्राम मल्लावां के अन्तर्गत माधौगंज पावर हाउस से नया फीडर बनाने के लिये व्यापक विकास योजना के अन्तर्गत 2011-12 में 24,79,630 रुपये स्वीकृत हुए थे, लेकिन अभी तक विद्युत सप्लाई के लिये मात्र 15-16 विद्युत पोलों की विद्युत लाइन बनाकर अधूरा छोड़ दिया गया है अधिकारियों की मिली भगत से शेष कार्य का सामान प्राइवेट तरीके से बेचने की सम्भावना है, इस नये फीडर के न बनने के कारण लगभग आधा दर्जन इण्डस्ट्रीज को विद्युत सप्लाई न होने से भारी नुकसान हो रहा है एवं इण्डस्ट्रियां बन्द होने की कगार में पहुंच गई है। इण्डस्ट्रियां बन्द होने से नये क्षेत्र के लोगों को रोजगार बन्द हो जायेगा। जिससे क्षेत्रीय जनता एवं स्थानीय लोगों द्वारा सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से जनहित में माधौगंज पावर हाउस से नया फीडर का कार्य पूर्ण करवाने की कार्यवाही/वक्तव्य की मांग की गई है।

आख्या :-

जनपद हरदोई में माधौगंज विकास खण्ड के अन्तर्गत 33/11 के0वी0 माधौगंज विद्युत उपकेन्द्र से एक पृथक औद्योगिक पोषक के निर्माण का कार्य (प्राकलित धनराशि रु0 21,11,752.00) व्यापार विकास निधि वर्ष 2012-13 के अन्तर्गत स्वीकृत कराया गया था। अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, हरदोई द्वारा निर्धारित वाह्य एजेन्सी के माध्यम से कराया जा रहा है।

कुछ स्थानों पर जहां खेतों में रबी की फसल खड़ी होने तथा विद्युत भण्डार केन्द्र, हरदोई से एस0टी0 पोल उपलब्ध न होने के कारण लाइन निर्माण का कार्य अवरुद्ध है। विद्युत भण्डार केन्द्र हरदोई से एस0टी0 के पोल उपलब्ध होते ही एवं रबी की फसल कटने के उपरान्त शीघ्र अवशेष लाइन बनाकर औद्योगिक पोषक का निर्माण का कार्य दिनांक 30 जून, 2014 तक पूर्ण करा दिया जायेगा।]

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सभी किसानों के बैंकों का कर्ज माफ कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दलजीत सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सहकारिता मंत्री का केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-22 का वक्तव्य स्थगित रहेगा।

जनपद बुलन्दशहर के स्याना क्षेत्रान्तर्गत क्षेत्राधिकारी स्याना द्वारा की जा रही निष्क्रियता तथा लापरवाही से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री दिलनवाज खान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

श्री दिलनवाज खान, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24-02-14 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में यह ...

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[कहा गया है कि मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र स्याना के निवासी श्री आशिक अली पुत्र श्री इब्राहिम के घर दिनांक 28-2-13 को रात्रि में डकैती पड़ी थी चूंकि घर में लड़के की शादी थी डकैत जेवर गहने तथा नकदी लूट गये थे। जिसकी एफ0आई0आर0 दिनांक 1-3-2013 को कोतवाली स्याना में अ0सं0-33/13, आई0पी0सी0 392 के तहत कराई गई। किन्तु क्षेत्राधिकारी (सी0ओ0) स्याना तथा थाना प्रभारी द्वारा इस केस को खोलने में रुचि नहीं ली गई तथा घोर लापरवाही तथा निष्क्रियता बरती गई जिस कारण आज तक न तो डकैत पकड़े गये और न ही डकैती का माल पुलिस बरामद कर सकी। पीड़ित श्री आशिक अली ने मजबूर होकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर से दिनांक 28-5-13 को प्रार्थना-पत्र देकर पुलिस स्याना की निष्क्रिय भूमिका पर कार्यवाही करने की मांग की गयी। फिर भी क्षेत्राधिकारी, स्याना द्वारा डकैती का खुलासा नहीं किया गया और मनमाने ढंग से केस को ही बन्द कर दिया गया। जिस कारण सम्बन्धित परिवार मानसिक तनाव में है तथा माली नुकसान से परेशानियों में है। क्षेत्राधिकारी (सी0ओ0) स्याना की निष्क्रियता तथा लापरवाही से स्याना क्षेत्र की कानून-व्यवस्था चौपट हो रही है।

2-अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय में उच्च स्तरीय जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं।

3-प्रकरण में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर से आख्या प्राप्त की गयी। प्राप्त आख्या के अनुसार वादी श्री आशिक अली पुत्र श्री इब्राहिम निवासी कस्बा व थाना स्याना द्वारा दिनांक 01-03-2013 को अज्ञात बदमाशों द्वारा घर में घुसकर लूटपाट करने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गयी जिसके आधार पर थाना स्याना पर मु0अ0सं0-33/13 धारा-392 भादवि पंजीकृत कर विवेचना थानाध्यक्ष श्री राजवीर सिंह चौहान द्वारा ग्रहण की गयी जिनके द्वारा घटना का अनावरण करने के लिये काफी प्रयास किये गये। श्री राजबीर सिंह का स्थानान्तरण हो जाने के उपरान्त उक्त अभियोग की विवेचना नवनियुक्त थानाध्यक्ष श्री हृदय नारायण सिंह द्वारा दिनांक 03-05-2013 को

ग्रहण की गयी जिनके द्वारा अभियोग की विवेचना में घटना के समय घर में मौजूद मुकदमा वादी व उसके परिजनों के बयान अंकित किये गये तथा इस घटना के सम्बन्ध में स्वतंत्र लोगों के भी बयान लिये गये। विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा लिये गये बयानों में वादी तथा घटना के समय मौजूद लोगों के बयानों में विरोधाभास होना पाया गया। साथ ही इस घटना के सम्बन्ध में विवेचक द्वारा गोपनीय रूप से घटना की सत्यता के बारे में जानकारी की गयी। उक्त विवेचनात्मक कार्यवाही से घटना का होना नहीं पाये जाने पर विवेचक द्वारा उक्त अभियोग की विवेचना द्वारा अन्तिम रिपोर्ट संख्या-10/13 दिनांक 30-05-2013 को मय जुर्म खारिजा के समाप्त की गयी तथा धारा 182 भादवि की आख्या मा0 न्यायालय को प्रेषित की गयी।

4-वादी मुकदमा द्वारा दिनांक 28-5-2013 को वरिष्ठ अधीक्षक, बुलन्दशहर को दिये गये प्रार्थना के आधार पर अभियोग की विवेचना अपराध शाखा में स्थानान्तरित की गयी जिसे अपराध शाखा में नियुक्त निरीक्षक श्री धर्मपाल त्यागी द्वारा दिनांक 15-7-2013 को ग्रहण किया गया तत्पश्चात् विवेचक का गैर जनपद स्थानान्तरण होने के उपरान्त श्री एस0पी0 शिशौदिया निरीक्षक अपराध शाखा द्वारा ग्रहण की गयी जिनके द्वारा विवेचना के मध्य स्पष्ट साक्ष्य न मिलने पर पूर्व विवेचक द्वारा प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट मय जुर्म खारिजा का समर्थन करते हुए दिनांक 01-09-2013 को विवेचना समाप्त कर दी गयी।

5-उक्त अभियोग की विवेचना वादी के हित में स्थानीय थाना स्याना व अपराध शाखा से करायी गयी परन्तु विवेचना से घटना का होना नहीं पाया गया जिसके फलस्वरूप विवेचना द्वारा अन्तिम रिपोर्ट समाप्त की गयी है इस अभियोग की विवेचना में क्षेत्राधिकारी स्याना/विवेचक द्वारा कोई लापरवाही नहीं बरती गयी है।

6-क्षेत्राधिकारी स्याना श्रीमती वन्दना मिश्रा की निष्क्रियता अथवा लापरवाही के सम्बन्ध में कोई विपरीत तथ्य जानकारी में नहीं आया है। स्याना क्षेत्र की कानून-व्यवस्था की स्थिति सामान्य है।]

जनपद बरेली के 124 शहर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगाने की स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में डा0 अरुण कुमार द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 2014 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-24 स्थगित रहेगी।

जनपद सहारनपुर के नागल थाना क्षेत्रान्तर्गत गांव सलेमपुर में शान्तिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों एवं महिलाओं पर की गयी पुलिस की बर्बरतापूर्वक ज्यादती के सम्बन्ध में श्री सुरेश राणा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

श्री सुरेश राणा, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24-02-2014 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में यह ...

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[कहा गया कि जनपद सहारनपुर के ग्राम सलेमपुर में दिनांक 10-01-2014 को एक सामाजिक विषय को लेकर ग्रामीणों व महिलाओं द्वारा विचार-विमर्श किया जा रहा था तभी वहां पहुंच कर थाना पुलिस एवं उप जिलाधिकारी, देवबन्द द्वारा ग्रामीण एवं महिलाओं पर लाठियों से प्रहार किया गया एवं श्रीमती रिया पत्नी दीपक जिसने मात्र 15 दिवस पूर्व ही शिशु को जन्म दिया था एवं कु0 प्रीती पुत्री पप्पू के साथ आपत्तिजनक व्यवहार किया गया, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव व्याप्त है। किसी भी समय कोई बड़ी घटना घट सकती है।

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर से आख्या प्राप्त की गयी। प्राप्त आख्यानुसार यह अवगत कराया गया है कि श्री सतपाल सिंह गूजर निवासी ग्राम सलेमपुर थाना नागल सहारनपुर जो कि जनपद बिजनौर में पुलिस विभाग में कार्यरत हैं, की लड़की किरन जो कि अपने मामा प्रवीन निवासी रुड़की के यहां रहकर पढ़ा रही थी। किरन ने कुछ दिन पहले ही अपने सहपाठी मुस्लिम सम्प्रदाय के माजिल अहमद पुत्र नसीम अहमद निवासी ग्राम रायपुर थाना भगवानपुर जिला हरिद्वारा (उत्तराखण्ड) से शादी कर ली थी। इस शादी के सम्बन्ध में दोनों सम्प्रदायों के मध्य पूर्व में काफी पंचायतें रुड़की क्षेत्र (उत्तराखण्ड) में आयोजित कर मामले को सुलझाने के प्रयास किये गये, किन्तु कोई समाधान न होने पर दिनांक 10-01-2014 को ग्राम सलेमपुर में हिन्दू सम्प्रदाय के व्यक्तियों द्वरा ''स्वाभिमान बचाओ हिन्दू पंचायत'' की घोषणा की गयी। इस पर श्री बचन सिंह तेवतिया प्रभारी निरीक्षक थाना नांगल जनपद सहारनपुर ने दिनांक 10-01-2014 को मय पुलिस बल के थाना नागल से रवाना होकर ''स्वाभिमान बचाओ हिन्दू पंचायत'' की सूचना पर ग्राम सलेमपुर में आये एवं इस सम्बन्ध में उच्चाधिकारीगणों को अवगत कराकर दिन में करीब 12.00 बजे मय हमराही एवं फोर्स के ग्राम सलेमपुर में करुनेश के घर के करीब पहुंचे तो उसके मकान के आस-पास काफी लोग इकट्ठा थे व पंचायत में अक्षय कुमार पुत्र करण सिंह आदि 200-250 व्यक्ति पंचायत कर रहे थे तथा दूसरे सम्प्रदाय के लोगों के खिलाफ अनाप-शनाप बाते कर रहे थे। जिससे साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की पूरी सम्भावना थी। एस0डी0एम0 देवबन्द द्वारा शान्ति व्यवस्था के दृष्टिकोण से धारा-144 द0प्र0सं0 लागू की गयी थी। इन लोगों के पास पंचायत सम्बन्धी कोई अनुमति नहीं थी। एस0एच0ओ0 नागल द्वारा उन लोगों को काफी समझाया बुझाया और ऐसा करने से रोका गया तो यह लोग और अधिक उत्तेजित होकर भड़काऊ नारेबाजी करने लगे व सम्प्रदाय विशेष के प्रति उत्तेजनात्मक/आपत्तिजनक नारे लगाने लगे तथा मौके पर मौजूद झबल सिंह ने अपने हाथ में पिस्टल लेकर तथा करूणेश ने अपनी पिस्टल से

तथा जिस्टर ने अपनी बन्दूक से तथा अर्जुन ने तमन्चे से हम पुलिस वालों पर जान से मारने की नियत से फायर किये तथा अन्य लोगों ने पथराव किया जिससे उ0नि0 श्री अजय कुमार थाना तीतरों का0 547 अल्लाराजी व का0 808 महेन्द्र सिंह को चोटें आयीं एवं गांव में पूरी तरह भगदड़ मच गयी और गांव में भय व आतंक व्याप्त हो गया तथा लोक व्यवस्था भंग हो गयी थी। एस0एच0ओ0 नागल ने शान्ति व्यवस्था बनाये रखने व भीड़ को नियंत्रित करने हेतु का0 सोनू चौहान से एण्टीराइट गन लेकर 03 फायर किये। घटित घटना के सम्बन्ध में एस0एच0ओ0 नागल श्री बचन सिंह तेवतिया द्वारा अभि0 अक्षय कुमार पुत्र करण सिंह निवासी ग्राम डाकोवाली थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर आदि 22 नफर व 200-250 अन्य नाम पता अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध ग्राम सलेमपुर थाना नागल में अवैध पंचायत योजित करने तथा मना करने पर घातक हथियारों से लैस होकर सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करने व पथराव कर चोट पहुंचाने एवं धार्मिक उन्माद फैलाकर लोक व्यवस्था भंग करने के सम्बन्ध में दिनांक 10-01-2014 को थाना नागल पर मु0अ0सं0-03/14 द्वारा 147, 148, 149, 307, 153ए, 332, 353, 336, 188, भा0द0वि0 व 7 क्रि0ला0ए0 एक्ट पंजीकृत कराया गया तथा मौके से 1-अक्षय कुमार पुत्र करण सिंह गूजर निवासी ग्राम डाकोवाली थाना देवबन्द सहारनपुर, 2-पप्पू सरदार पुत्र नगीना निवासी सलेमपुर थाना नागल सहारनपुर, 3-ओमपाल पुत्र खूब सिंह निवासी सलेमपुर थाना नागल सहारनपुर, 4-विपिन पुत्र मांगेराम निवासी सलेमपुर थाना नागल सहारनपुर, 5-अर्जुन पुत्र मांगेराम निवासी सलेमपुर थाना नागल सहारनपुर, 6-सचिन पुत्र भूपेन्द्र निवासी अमरपुर थाना भगवानपुर जनपद हरिद्वार (उत्तराखण्ड), 7-सतीश पुत्र सुग्गन निवासी झबरेड़ी जनपद हरिद्वार (उत्तराखण्ड) को उनके जुर्म से अवगत कराते हुए गिरफ्तार किया गया।

उक्त अभियोग की विवेचना श्री महफूज अली, निरीक्षक थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर द्वारा ग्रहण कर सम्पादित की जा रही है। अन्य अज्ञात अभियुक्तों का पता लगाने व गिरफ्तारी को शेष अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी किये जाने हेतु विवेचक को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये हैं। विवेचना प्रचलित है। प्रकरण में लगाये गये आरोप असत्य एवं मनगढ़न्त हैं एवं पेशबन्दी में लगाये गये हैं।]

विधान सभा क्षेत्र निघासन के सीलिंग पट्टों पर किये जा रहे अवैध कब्जों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अजय मिश्र 'टेनी' द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 2014 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-26 भी स्थगित रहेगी।

[3.50] सदन संचालन में सहयोग हेतु आभार प्रदर्शन

श्री अध्यक्ष-

अब आप लोग एक दूसरे का धन्यवाद ज्ञापन तो कर दीजिये।

*संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, सभी माननीय सदस्यों ने, नेता प्रतिपक्ष ने और नेता सदन ने तथा अन्य नेताओं ने जिस तरह से अपने ख्यालात रखे हैं और जो एक स्वस्थ परम्परा चली आ रही है, उसको कायम रखा है, उसके लिये संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर, एक सदस्य और आपके एक साथी के तौर पर मैं सबका धन्यवाद करता हूं। हम सब मिलते रहे हैं और मिलते रहेंगे, अभी तो तीन बरस से ज्यादा हैं, जब हम मिलेंगे। नेता प्रतिपक्ष भी मिलेंगे और अन्य साथी भी मिलेंगे, इन्हीं अच्छी आशाओं के साथ पालिर्यामेंट का चुनाव है, सबको उसमें अपनी-अपनी सलाहियत दिखानी है लेकिन नेता प्रतिपक्ष की ख्वाहिश यह है कि वह भारतीय जनता पार्टी और काग्रेंस दोनों से क्षुब्ध हैं तो उनका भी सबसे ज्यादा दिल का झुकाव जो रहेगा, वह समाजवादी पार्टी की तरफ ही रहेगा और यहां से ज्यादा से ज्यादा सांसद जीतकर जायें और एक ऐसी सरकार बने जिसमें उनके यहाँ बैठने वाले साथियों का भी योगदान हो और माननीय मुख्य मंत्री जी से अगर वह कोई काम कह दें तो वह उसे कर दिया करें। एक बार फिर सभी का धन्यवाद।

* मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय सभी सदस्यगण। उत्तर प्रदेश विधान सभा की यह बैठक बहुत अच्छी रही, हालांकि कम दिनों की थी लेकिन पुनः जब हम मिलेंगे तो बजट सत्र भी होगा और बहुत समय के लिये हम लोग बैठेंगे। यह सदन बहुत अच्छा चला और उसमें पूरा सहयोग विपक्ष का मिला और हमारे नेता प्रतिपक्ष जो हैं, वह हमेशा सदन को चलाने में सहयोग ही करते हैं। उनका सहयोग हमेशा मिलता रहा है और सभी माननीय सदस्यों ने भी सहयोग किया है क्योंकि सदन में माननीय सदस्य जो बात कहते हैं, वह उत्तर प्रदेश की जनता की बात रखते हैं और एक संदेश जाता है यहां से। सत्र शुरू हुआ और जहां लोकतंत्र के बारे में तमाम तस्वीरें सदनों की छपी, वहीं उत्तर प्रदेश के सदस्यों की भी बड़ी तस्वीरें छपी हैं, हालांकि इस सदन में हम आपस में बैठकर और कई बार बैठक करके भी बहुत सारे फैसले कर लेते हैं और बहुत अच्छे फैसले ले लेते हैं, मुझे भरोसा है कि आने वाले समय में जो भी सदन बैठेगा, जिस तरह इस सदन का सम्मान रहा है, हम लोग उस सम्मान को भी बढ़ायेंगे और लोकतंत्र की जो गरिमा है, लोकतंत्र की जो प्रतिष्ठा है, उसको भी यह सदन बढ़ाने का काम करेगा। इस भरोसे के साथ मैं सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने इस सदन को चलाने में सहयोग किया है और उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिये उनके बहुत अच्छे सुझाव मिले हैं, मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मा0 अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन, मा0 संसदीय कार्य मंत्री, मा0 नेता भाजपा, मा0 नेता कांग्रेस, मा0 नेता लोकदल एवं सभी सम्मानित सदस्यगण। मान्यवर, आपके निर्देशन में बहुत ही शान्तिपूर्ण संयमित सत्र का संचालन हुआ। यद्यपि यह सत्र बहुत ही अल्पकालीन था लेकिन उसके बावजूद बहुत से मुद्दे, बहुत सी समस्याएं प्रदेश के विभिन्न अंचलों से आई हुई, वहां जन

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आकांक्षाओं के अनुरूप उनकी आवश्यकताओं के मुताबिक विभिन्न सूचनाओं के माध्यम से चर्चा करके आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाई गईं। मान्यवर, लोकतन्त्र स्वच्छ रहे, बेदाग रहे, पारदर्शिता बनी रहे, स्वस्थ और मजबूत भी रहे इसीलिए सत्तापक्ष के साथ-साथ विपक्ष की भूमिका भी अहम हो जाती है। स्वस्थ लोकतान्त्रिक परम्परा के सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों पहलू हैं। यहां पर कभी-कभी ऐसी भी परिस्थितियां पैदा होती हैं कि जब चर्चा नोकझोंक में बदल जाती है, कभी-कभी सदन के अन्दर उत्तेजना भी आ जाती है, लेकिन जनप्रतिनिधि होने के नाते जो कुछ भी होता है यह प्रदेश की समस्याओं के निदान के लिए होता है, जनता के हितों को सर्वोपरि बनाये रखने के लिए सदन के संज्ञान में लाने के लिए होता है। यदि कहीं कोई विसंगतियां हैं, कमियां हैं तो भिन्न-भिन्न सूचनाओं के माध्यम से आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाने का काम किया जाता है इसीलिए नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से मेरी सदैव कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा सदन के संचालन में सहयोग करता रहूं। तमाम ज्वलन्त समस्याओं पर तकरार होने के बावजूद भी, विपरीत परिस्थितियां बनने के बावजूद भी सदन को हमने भरपूर चलाने की कोशिश की है। मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी की भी एक अहम भूमिका है। माननीय मुख्य मंत्री जी नेता सदन की हैसियत से जब कभी यहां समय नहीं दे पाते हैं तो सरकार की ओर से पूरी जवाबदेही संसदीय कार्य मंत्री की होती है। अनुभवी भी हैं उन्हें लम्बे समय तक सदन में बैठने का मौका भी मिला है और संसदीय परम्पराओं के अच्छे ज्ञाता भी हैं तो स्वाभाविक रूप से वह सरकार का बचाव करने में पूरी ताकत लगा देते हैं लेकिन कभी ऐसे गम्भीर मामले आते हैं तो अपनी सदाशयता भी दिखाते हैं इसलिए यदि उनको धन्यवाद न दिया जाए तो उनके साथ अन्याय होगा। नेता सदन माननीय मुख्य मंत्री जी कोशिश करते हैं सदन में ज्यादा से ज्यादा रहने की और जो उनकी सकारात्मक सोच है वह और मजबूत हो मेरी यह शुभकामनायें भी हैं लेकिन मान्यवर, अगर अपने साथियों से बचे रहें तो। हमारे विपक्ष के अन्य सभी दलीय नेताओं ने भी पूरा सहयोग प्रदान किया और विशेष रूप से मान्यवर, यद्यपि सभी माननीय मंत्रियों की उपस्थिति यहॉ पर बहुत ज्यादा नहीं रही लेकिन मा0 सिंचाई एवं लोक निर्माण मंत्री ज्यादातर सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहें तो इससे सदन की गरिमा बढ़ती है और जितने ज्यादा से ज्यादा मंत्री अपने-अपने विभागों का खुद उत्तर देंगे तो हम समझते हैं कि इससे उनकी गरिमा बढ़ेगी, उनका विभाग निखरेगा। कभी-कभी संसदीय कार्य मंत्री जी अनायास अपने ऊपर बोझ समझते हैं और कभी-कभी उनके पास उचित उत्तर न होते हुए भी सरकार के बचाव के लिए उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ता है तो दायें-बायें भी झांकने की हालत बनती है। लेकिन इन सबके बावजूद बहुत ही सकारात्मक सदन चला और विशेष रूप से आप और आपके सहयोगी अधिष्ठाता मण्डल के साथीगण जिनको भी उस पीठ पर बैठने का मौका मिला, आपके समय-समय पर मार्गदर्शन मिलते रहे और जो भी सदन की नियमावली, कार्य-संचालन नियमावली और परम्परायें रही हैं उसके माध्यम से सदन के दोनों पक्षों को समय-समय पर आप सचेत भी करते रहे, आपका मार्गदर्शन मिलता रहा। आपको भी मान्यवर, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और विशेष रूप से आपके सचिवालय के जितने भी कर्मी हैं यह परम्परा रही है, बीच-बीच में हमारे दोनों पक्षों के सदस्य चाय पीने के लिए चले जाते हैं, बीच में मौका मिलने के बाद पीछे लॉबी में भी चले जाते हैं, आपस

में बातचीत भी कर लेते हैं। लेकिन मान्यवर, शुरू से लेकर अंत तक जो अगली कतार में बैठते हैं रिपोर्टर, इनके सहयोगी और आपके सचिवालय के प्रमुख सचिव सहित सभी सचिवालय के अधिकारी/कर्मचारीगण निरन्तर यहां पर बैठे रहते हैं और हमेशा जब भी सदन आपके नेतृत्व में चला है आपकी कृपा इन पर होती रही है। विगत सत्र में 6000 रुपये पारितोषिक इन सचिवालय कर्मियों को दिये जाने की आपकी तरफ से घोषणा हुई थी, वह परम्परा बनी रहे। इसलिए मैं पुनः आपसे अपेक्षा करता हूं, मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

यह बजट सत्र में होता है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, बजट सत्र आयेगा, वह देखा जायेगा लेकिन लेखानुदान बजट का ही दूसरा रूप होता है और मा0 मुख्य मंत्री जी ने लेखानुदान ले ही लिया है। तो हम चाहते हैं कि जो परम्परा आपकी रही है वह परम्परा बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद।

*श्री सतीश महाना-

माननीय अध्यक्ष जी, हम इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग हैं और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश जिसको पूरा देश देखता है। स्वभाविक रूप से वह स्वस्थ परम्परायें हमेशा आगे बढ़नी चाहिए और उसको बढ़ाने का काम हम सभी सदस्यों का होता है क्योंकि सरकारें पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों को मिलाकर बनती हैं, बिना एक सिक्के का दूसरा हिस्सा खोटा होगा तो वह सिक्का चलने वाला नहीं होता। सिक्का तभी चलेगा जब दोनों तरफ से उसका महत्व होगा। मैं आपका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने सभी माननीय सदस्यों की उस भावना को समझा और यथासंभव आपने उनकी भावनाओं को समायोजित करने का भी प्रयास किया। हमारी और संसदीय कार्य मंत्री के बीच कभी कभी जनहित के कामों को लेकर मत भिन्नता हो सकती है विचारों में लेकिन कई ऐसे अवसर आते हैं कि इनका जो प्रदर्शन होता है इनके जो भाव होते हैं निश्चित रूप से वह जनता के हित में होते हैं उसका परिणाम कितना इनके वश में होता है कितना नहीं वह अलग बात है। माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं मैं आपके माध्यम से उनको भी बधाई देता हूं कि वह हमेशा मुस्कराते हुए अच्छे भाव रखकर सभी सदस्यों की बात सुनते हैं मान्यवर, मुस्कराहट माननीय मुख्य मंत्री जी के पास तो है ही लेकिन एक कमाल जरूर हुआ है इस सदन में कि नेता प्रतिपक्ष के चेहरे पर कभी मुस्कराहट नहीं आई थी इस सदन में उनके चेहरे पर कुछ मुस्कराहट देखने को मिली। उसके पीछे राज क्या है यह तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ही बता पाएंगे। हालांकि उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि राज वही है। अगर उस छिपे हुए राज को भी उजागर कर दिया जाता तो हम सब लोग यहां से प्रसन्नता के साथ विदा होते। मान्यवर, कभी कभी जो कुछ हम अपना आचरण यहां पर करते हैं उसकी ओर माननीय मुख्य मंत्री जी से अप्रत्यक्ष रूप से ध्यान दिलाया लेकिन मैं प्रत्यक्ष रूप से कहना चाहता हूं कि एक भी सदस्य अपना आचरण इस प्रकार से करता है

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि वर्षों तक इलेक्ट्रानिक मीडिया और प्रिंट मीडिया उसको कोड करते रहें और अच्छे भाव में नहीं खराब भाव में करें तो हम प्रत्येक सदस्य की जिम्मेदारी है कि इस प्रकार का आचरण हमको नहीं करना चाहिए। उसमें दो सदस्यों या जो सदस्य हैं उनकी ही गरिमा नहीं गिरती हम सब लोग कहीं भी खड़े हों हम सब लोगों को इंगित करके कहा जाता है कि आप उसी विधान सभा के सदस्य हैं और आप लोग यही करते हैं उसमें यह नहीं कहा जाता कि आप दो लोग यह करते हैं या चार लोग यह करते हैं उसमें हम सबके ऊपर आरोप लगता है कि आप लोग यही करते हैं। मान्यवर, इस बात को जरूर ध्यान रखना चाहिए एक पीड़ा होती है उस पीड़ा को हम धन्यवाद के माध्यम से कहना चाहते हैं। हमें विरोध करने का अधिकार है हम लोकतांत्रिक रूप से कड़वे शब्दों में विरोध कर सकते हैं कड़वा एक शब्द है और असंसदीय एक शब्द है। हम भी कड़वे से कड़वे शब्द बोलने में परहेज नहीं करते लेकिन कड़वे और असंसदीय में अन्तर समझना होगा। हम सबको इस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। यह छोटा सत्र ही सही लेकिन एक महत्वपूर्ण सत्र की आप समाप्ति कर रहे हैं। यह इसलिए महत्वपूर्ण सत्र है क्योंकि इसके बाद हम लोक सभा चुनाव में जाने वाले हैं और बहुत सारे सम्मानित सदस्य जो इस सदन के सदस्य हैं उन्होंने लोक सभा के चुनावों में विभिन्न दलों से अपनी घोषणा कर दी है वह प्रत्याशी के रूप में भी हैं। वह जाएंगे या नहीं जाएंगे यह जनता तय करेगी। मान्यवर मैंने सबका नाम बहाने से लिया लेकिन मैं आना आपके ऊपर चाहता था क्योंकि आप भी एक प्रत्याशी के रूप में हैं जो भी परिणाम हो लेकिन अगर आप उस कुर्सी पर नहीं होंगे तो इस सदन को बहुत खलेगा। हालांकि मैंने पहले शुभकामनाएं दी हैं लेकिन मेरा कहना यह है कि इस सदन में आपकी उपस्थिति इस सदन में सभी सदस्यों को एक संरक्षक के रूप में लगती है। अगर मैं यह बात कहना चाहता हूं तो आप इस बात से सहमत क्यों नहीं है यह मुझे नहीं मालूम। इस सदन में जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से माननीय नेता सदन ने और कुछ पार्ट तक माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो बातें कही हैं उन बातों से अपने को सम्बद्ध करता हुआ कहना चाहता हूं कि जो एक अच्छे वातावरण में सदन चला मैं उसके लिए सभी लोगों को इस विश्वास के साथ कि हमारा एक आचरण पूरी विधान सभा के ऊपर उंगली उठाने का अवसर न दे इन बातों को ध्यान में रखकर हम अपना आचरण करेंगे इन बातों को कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मान्यवर, अंत में एक बात कहना चाहता हूं, मान्यवर, इन्होंने जो कहा था यहां पर उपस्थित हमारे स्टाफ के लोग हैं, और संसदीय और विशेष रूप से जो हमारी यहां की बात हमारे जनमानस तक सही तरीके से पहुंचाने का काम जो हमारे पत्रकार बन्धु अपनी-अपनी लॉबी में बैठे होते हैं, वह हमारी सही बात को वहां पहुंचाने का काम करते हैं उसका लाभ सत्ता पक्ष और हमारे प्रतिपक्ष के लोगों को मिलता है, उनके प्रति भी मान्यवर, मैं आभार प्रकट करता हूं।

*श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अध्यक्ष जी, हम लोग अल्पकालिक सत्र की समाप्ति की ओर गुजर रहे हैं। माननीय महाना जी जिस तरह से अपनी स्पीच आखिरी दे रहे हैं और अगले सत्र में वह यहां मौजूद नहीं होंगें। हम इनको शुभकामना देते हैं (शोर) यह तो वक्त बतायेगा पर इनकी स्पीच के आधार पर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं इनको शुभकामना देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि बिल्कुल एक समदृष्टि से आप एसेम्बली को चलाते हैं और सब लोगों को आप मौका देते हैं और नये से नये सदस्य को आप हर बार-बार कहने के लिये प्रेरित करते हैं। एक स्वस्थ परम्पराओं का जो विधान सभा है, उसके लिये मैं आपको बधाई देता हूं। माननीय नेता सदन, नौजवान हैं, योग्य हैं, पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, एक विजन है और हर वक्त मुस्कराते रहते हैं और नेता का मुस्कराना हमेशा अच्छा रहता है क्योंकि एक जमाने में एक लम्बे अर्से तक उधर बैठते थे और हमारे कुछ नेता लोग भी मुस्कराते थे तो उसका असर पूरे विधान सभा में रहता था। तो मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी का भी कि जो सबकी बातों को गौर तलब सुनते हैं और हमारे नेता प्रतिपक्ष का तो कहना ही क्या है। जो अंदाज और जो मुस्कराहट अबकी इनके चेहरे पर देखी उससे सारा विधान सभा खुश है और उसके पीछे, परदे के पीछे, मुझे पता है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, अब क्या सांठ-गांठ आप दोनों के बीच हुई है पर हम हरदिल अज़ीज महबूब संसदीय कार्य मंत्री का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वह किसी को नहीं बक्शते और सबको गले लगाते हैं। गले भी लगाते हैं और बक्शते भी नहीं हैं, तो यह आपमें खूबी है। यह आपमें खूबी है कि खूब झगड़े के बाद भी शाम को आप दोनों गले मिलते हैं और एक अच्छा खुशनुमा माहौल रखते हैं। मान्यवर, अब यह तो यह दोनों जाने कि यह अकेले मिलते हैं या पब्लिकी मिलते हैं, पर बहरहाल जो भी है कि संसदीय कार्य मंत्री जी ने जिस तरह से विधान सभा में खुशनुमा माहौल रखा उसके लिये आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, हमारे लोक निर्माण मंत्री जी, माननीय शिवपाल जी सदन में बराबर रहे। मैं नेता सदन और लोक निर्माण मंत्री जी से उम्मीद करता था कि जैसे हर वर्ष इनके वालिद साहब कुछ न कुछ दिया करते थे। इस वर्ष भी लेखा अनुदान आया था। अबकी भी 5 किमी0 या 7 किमी0 सड़कों की घोषणा करते विधायकों के लिये। क्योंकि हमको पता है कि एक-एक सड़क के लिये आपकी सरकार में संघर्ष करना पड़ता है। लोहिया ग्राम, माननीय शिवपाल जी ने कहा था। जनेश्वर मिश्र...

श्री अध्यक्ष-

अब खत्म करो ना। अब यह कहां आ गये आप। बैठिये। यह माहौल काहे को खराब कर रहे हो।

श्री प्रदीप माथुर-

विधायकों से पूछ कर लेंगें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जब मेन बजट आयेगा तो उसमें आप घोषणा करेंगे। मान्यवर, मैं आपकी बातों को सम्बद्ध करता हूं महाना जी से कि संसदीय परम्पराओं के अनुरूप कोई ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए कि जिससे 403 विधायकों के ऊपर उंगली उठे क्योंकि जब हम देश में घूमते हैं, विदेशों में घूमते हैं तो हम लोगों को शर्म से देखना पड़ता है। मैं समझता हूं कि हम लोग जब अगले सत्र में मिलेंगे तो और खुशनुमा माहौल में मिलेंगे और संसदीय परम्पराओं को निर्वहन करते हुए आगे बढ़ेंगे।

(माननीय सदस्य श्री पूरन प्रकाश के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आपके तो नेता हैं ही नहीं, आप क्या बोलेंगे ?

*श्री पूरन प्रकाश-

पार्टी तो है।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा, एक सेन्टेंस में कहकर खत्म करिये।

श्री पूरन प्रकाश-

माननीय अध्यक्ष जी, आज सदन का एक हफ्ते का जो हमारा बजट का कार्यक्रम चला उसमें यहां पर हमारे प्रदेश के जो हम चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं, अपनी समस्या रखते हैं, अपने क्षेत्र की बात रखते हैं। आपके माध्यम से सरकार के सामने रखते हैं, सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं। वास्तव में हमारे साथी ने कहा कि पूरा देश देखता है। हमारे देश की यह सबसे बड़ी विधान सभा है। यह विधान सभा नहीं, यह मंदिर है, मस्जिद है। अपनी बात रखने के लिये भगवान के पास भी झंडा हिलाना पड़ता है, मस्जिद में अजान करनी पड़ती है। हमारे दो साथियों की बात आई थी। हमारे साथी थे, उन्होंने भावुकता में आ करके अपना कुर्ता उतारा था लेकिन कभी सदन का अपमान करने का, सदन की गरिमा गिराने का कोई औचित्य नहीं था। सिर्फ अपनी भावना व्यक्त करने का था। हमारे साथी थे, मैं अपनी ओर से, अपने दल की ओर से अपने नेता सदन, हमारे संसदीय कार्य मंत्री, नेता विपक्ष, हमारे भाजपा के, हमारे कांग्रेस के नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं। साथ में माननीय अध्यक्ष जी आपका माननीय अध्यक्ष जी सचिवालय के जितने साथी हैं हम लोग तो बैठे रहते हैं वह खड़े रहते हैं मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं और इस उम्मीद के साथ कि आगे आने वाले समय में हमारा सदन इसी तरह से अपनी गरिमा बनाए रखेगा।

श्री अध्यक्ष-

मैं माननीय नेता सदन, मा0 नेता विरोधी दल, नेता भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस दल, लोकदल और सभी सम्मानित सदस्यों को धन्यवाद देता हूं इस सदन को चलाने में जिस तरह का सहयोग आपने दिया है यह परम्परा आगे भी बनी रहे। यह सही है कि अबकी बार कुछ ऐसी विचित्र घटना हुई जिसके नाते हम लोगों को थोड़ा सा शर्मसार होना पड़ा। भविष्य में इस प्रकार की घटनायें न हों यह मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा। कारण, जब सदन की गरिमा रहेगी, सदन का सम्मान रहेगा, तभी हमारा सम्मान रहेगा अगर सदन में हम सम्मान नहीं देंगे तो चौराहे पर हमारा भी सम्मान नहीं होगा। मुझे आशा है यहां से जाने के बाद हम सभी लोग सदन की गरिमा बढ़ाने में और उसको आगे ले जाने में सदन का सहयोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का,जिनके साथ हमें बहुत समय बिताना पड़ता है मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं। संसदीय कार्य मंत्री जी और हम साथ-साथ चुनकर यहां आए थे। कुछ दिन के लिए

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं यहां से बाहर चला गया था और वह यहां से दिल्ली चले गए थे। मेरा सौभाग्य है फिर हम लोग लौटकर यहां आए हैं। उनका जो सहयोग यहां सदन में मिलता है उसके लिए मैं उनको बार-बार बधाई और धन्यवाद् देता हूं। नेता प्रतिपक्ष, अबकी बार हमारी बातों पर, जब कभी मैं आग्रह करता था तो हमारी बात मान जाते थे चाहे वैल में आए हों, कह देते थे तो वापस चले जाते थे इनकी इस सदाशयता के लिए मैं एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि सदन को अगली बार चलाने में पूरा सहयोग करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[3.51] सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

अब राष्ट्रगान होगा।

राष्ट्र-गान

जन-गण-मन-अधिनायक जय हे।
भारत-भाग्य-विधाता।।
पंजाब-सिंधु-गुजरात-मराठा
द्राविड़-उत्कल-बंग।
विन्ध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा,
उच्छल-जलधि-तरंग।।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे।।
गाहे तव जय गाथा।।
जन-गण-मंगलदायक जय हे,
भारत-भाग्य विधाता।।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे।।

[3.52] उत्तरशती समारोह की पुस्तिका का विमोचन सम्बन्धी सूचना

श्री अध्यक्ष-

अभी उत्तरशती समारोह की पुस्तिका का मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा सेन्ट्रल हाल में विमोचन होगा, मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वह चलना चाहें तो चलें।

अब हम अनिश्चित काल के लिए उठते हैं।

(सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई)

(इसके बाद सदन का उपवेशन 03 बजकर 52 मिनट पर अनिश्चित काल के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 26 फरवरी, 2014

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या-43 का उत्तर पीछे पृष्ठ 50 पर।)

जनपद वाराणसी के निम्न ब्लाक में जले/बदले गये परिवर्तकों की स्थिति

वर्ष 2010-11

ब्लाक का नाम	परिवर्तक की क्षमता (केवीए) एवं संख्या						
	10	25	63	100	250	400	योग
काशी विद्यापीठ	10	40	25	15	6	4	100
आराजी लाईन	9	39	26	18	7	6	105
सेवापुरी	12	44	28	18	5	3	110
योग	31	123	79	51	18	13	315

जनपद वाराणसी के निम्न ब्लाक में जले/बदले गये परिवर्तकों की स्थिति

वर्ष 2011-12

ब्लाक का नाम	परिवर्तक की क्षमता (केवीए) एवं संख्या						
	10	25	63	100	250	400	योग
काशी विद्यापीठ	8	37	23	18	4	3	93
आराजी लाईन	11	35	25	15	9	5	100
सेवापुरी	14	46	30	16	7	2	115
योग	33	118	78	49	20	10	308

जनपद वाराणसी के निम्न ब्लाक में जले/बदले गये परिवर्तकों की स्थिति

वर्ष 2012-13

ब्लाक का नाम	परिवर्तक की क्षमता (केवीए) एवं संख्या						
	10	25	63	100	250	400	योग
काशी विद्यापीठ	12	35	28	17	5	4	101
आराजी लाईन	10	42	25	19	7	5	108
सेवापुरी	10	46	29	20	4	2	111
योग	32	123	82	56	16	11	320

अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय
वाराणसी।

मुख्य अभियन्ता (वि) वा0क्षे0

पी0एस0यू0पी0एल0-16 विधान सभा (24)-5-5-2014-813 प्रतियां।